Shodh Chetna

शोध चेतना

A National Registered Research Journal

ISSN : 2350-0441

Shodh Chetna

शोध चेतना

A National Registered Research Journal

Year-1 **Part - 1** **Jan., 2015**

Editor

Shushil Kumar Kushwaha

G.H. PUBLICATION

121, SHAHRARABAG, ALLAHABAD-211 003

© *Publishers*

Shodh Chetna

Quarterly Bilingual (English/Hindi)

Membership Fee :

Single Copy Rs. 300.00 (Three Hundred)
Add Rs. 50.00 (Postal Charge)
Annual (4 Issues) 1200.00
Life Member (15 Yrs.) 4000.00

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394302010996632
IFSC-UBIN 0539431

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (M) 09329225173
E-mail : ghpublication@rediffmail.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

Chief Advisor

Ajai Srivastava

Librarian

State Central Library, Rewa

Editor

Sushil Kumar Kushwaha

Honourary Editor

Dr. Sanjay Shankar Mishra

Professor and Head

Department of Commerce

Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Dean, Faculty of Commerce, A.P.S. University Rewa (M.P.)

Dr. Smt. Poonam Mishra

Professor

Department of History

Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Managing Editor

Harsh Kushwaha

Associate Editor

Dr. (Major) Vibha Srivastava

Professor & Head, Department of History

Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Narendra Kumar Gupta

Professor, Department of Law

Himachal Pradesh University, Shimla

Smt. Karuna Srivastava

Assist. Prof., Department of Sociology

Govt. College, Gurha, Rewa

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in January, April, July & October.

Guidelines to the Authors

Manuscripts of research paper : It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be chekced before submission as their is not provision of sending proof. It must include Abstract, Introduction, Methods, Results and References. English manuscripts must be in Times New Roman font, font size 12 and in double spacing. Hindi manuscripts must be Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in **CD/e-mail : ghpublication@gmail.com**, with a cheque of Rs. 1000 only in favour of Sushil Kumar Kushwaha, also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.

Editorial Board

Dr. Anu Maheshwari
Asst. Prof. Vanasthali Vidyapeeth
Vanasthali, Rajasthan

Prof. Pratibha Srivastava
Prof. & Head, Department of Sociology
Govt. Girls P.G. College, Shahdol

Dr. Meena Srivastava
Prof. & Head, Department of History
K.R.G. College, Gwalior

Dr. Chandra Prakash Shukla
Korown, Allahabad

Dr. Sudha Soni
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Mahendra Mani Dwivedi
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Ajay Shukla
Assit. Prof. Department of Hindi
Sido Kanhu Murmu Vishwavidyalaya, Dumka (Jharkhand)

Contents

1. Power to Pardon : Indian Law 1
Razit Sharma, Anupam Sharma

2. Contribution of Rewa State 10
Dr. Anita Kaushal

3. मुहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण 16
संजय शंकर मिश्रा, राजभान चर्मकार

4. भारतीय नारियों की प्रगति में बाधक सामाजिक कुरीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन 21
डॉ. पूनम मिश्रा, करुणापति त्रिपाठी

5. भारत की महिलाओं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में योगदान 27
डॉ. पूनम मिश्रा, विनय कुमार कुशवाहा

6. मुगलकालीन ऐतिहासिक साहित्य : एक अवलोकन 32
डॉ. पूनम मिश्रा, विनय कुमार कुशवाहा

7. प्रतिमा निर्माण की ऐतिहासिक परम्परा 37
डॉ. प्रो. विभा श्रीवास्तव

8. भारत में सामाजिक समरसता 43
डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

9. कला का समाज पर प्रभाव 48
डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

10. भारतीय स्वतंत्रता में राष्ट्रवाद की भूमिका 56
डॉ. पूनम मिश्रा, विनय कुमार कुशवाहा

11. साहित्यशास्त्र का सामाजिक वैशिष्ट्य 61
श्रीमती शिप्रा सिंह, डॉ. के. पी. सिंह

12. सतना जिले के कृषि ऋण की पूर्ति में निजी बैंकों की भूमिका 65
राम पवित्र गौतम, डॉ. बृजेश उपाध्याय

13. रामवृक्ष बेनीपुरी की 'नई नारी' और बदलते जीवन-मूल्य 70
संजय कुमार त्रिपाठी, डॉ. राम मूर्ति त्रिपाठी

14. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान (महिला के संदर्भ में) सशक्तीकरण 77
डॉ. पूनम तिवारी, डॉ. संजय शंकर मिश्रा

15. बुन्देलखण्ड का भौगोलिक इतिहास एवं संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय 83
डॉ. पूनम मिश्रा, जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय
16. असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली म.प्र. की महिलाओं का योगदान 89
डॉ. सुशील कुमार दुबे, जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय
17. ''गुप्त कालीन सामाजिक जीवन'' 94
डॉ. आर.पी. दुबे, श्रीमती निशा तिवारी
18. ''अशोक का धम्म'' (धर्म) 100
डॉ. आर.पी. दुबे, उदित नारायण रवि
19. कांग्रेस का अभ्युदय एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन 104
डॉ. पूनम मिश्रा, करुणापति त्रिपाठी
20. वर्दी राज्य की भौगोलिक स्थिति : एक ऐतिहासिक अध्ययन 112
डॉ. गिरीश चतुर्वेदी
21. वर्दी राज्य में बगदरा एवं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का सर्वेक्षण 121
डॉ. गिरीश चतुर्वेदी
22. पं0 केशरी नाथ त्रिपाठी की काव्य-रचना 124
डॉ. अजय शुक्ल
23. सभी धर्मो के प्रति दारा शिकोह का समभाव 130
डॉ. सुधा सोनी
24. भारतीय संस्कृति और नारी 133
सोनी कुमारी
25. संस्कृतनाटकेष्वन्यतमं 'प्रसन्नराघवम्' 137
डॉ. उमाकान्त मिश्रा
26. स्वतन्त्रतान्दोलने आर्यसमाजस्योगदानम् 144
डॉ. सूर्य नारायण गौतम
27. ''पुराणेषु नारदीयपुराणस्य वैशिष्ट्यम्'' 147
डॉ. देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी
28. ऋग्वेदीय साहित्ये जलदेवता स्वरूपम् 151
पतंजलि कुमार पाण्डेय
29. पर्यावरण जागरूकता : शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध की भूमिका 155
डॉ. शिप्रा दुबे
30. 'उर्वशी काव्य में ईश्वर (ब्रह्म) दर्शन' 161
डॉ. (श्रीमती) बृजलाली पटेल
31. देह में प्राण का मूल तत्व लोक साहित्य : एक अवलोकन 166
डॉ. अमित शुक्ल

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

Power to Pardon : Indian Law

Razit Sharma* [*]
Anupam Sharma* [**]

The pardoning power of Executive is very significant as it corrects the errors of judiciary. It eliminates the effect of conviction without addressing the defendant's guilt or innocence. the process of granting pardon is simpler but because of the lethargy of the government and political considerations, disposal of mercy petitions is delayed. Therefore, there is an urgent need to make amendment in law of pardoning to make sure that clemency petitions are disposed quickly. There should be a fixed time limit for deciding on clemency pleas.

Regarding the judicial review debate, pardoning power should not be absolute as well as judiciary should not interfere too much in exercise of this power. As judicial review is a basic structure of our Constitution, pardoning power should be subjected to limited judicial review. if this power is exercised properly and not misused by executive, it will certainly prove useful to remove the flaws of the judiciary.

I. Introduction

I have always found that mercy bears richer fruits than strict justice.

–Abraham Lincoln

In common parlance, to pardon means to forgive a person of his offence. A pardon is said by Lord Coke to be a work of mercy whereby the king, ``either before attainder, sentence or conviction or after, forgiveth any crime, offence, punishment" and the King's coronation oath is ``that he will cause justice to be executed in mercy.[1] It affects both punishment prescribed for the offence and guilt of the offender. It does not amount to acquittal unless the court otherwise directs.[2]

The effect of pardon is that the person pardoned is placed in the same position in which he was before the commission of the offence and he is treated as if he had never committed the offence. Pardon, thus removes all disabilities, blot out the guilt and restores the person pardoned all his civil rights.[3] The convict is completely absolved from such disqualifications as disentitle him from following his occupation and as are concomitant of the conviction.[4] The power to pardon is manifestation of prerogative of the state. It is neither a matter grace nor privilege

---

* Assistant Prof. DDM Sai Law College, Kallar P.O. Jalari Tehsil Nadaun Distt. Hamirpur (H.P.)

** Assistant Prof. Career Point University, P.O. Kharwar Tehsil Bhoraj Distt. Hamirpur (H.P.)

but is an important constitutional responsibility to be discharged by the highest Executive keeping in view the consideration of larger public interest and welfare of the people.[5]

The court has held that the power to pardon belongs to the people and has been reposed by the people in the highest dignitary of the state. The President is to exercise this power on the advice of Council of Ministers and the advice of Council of Ministers is binding on the President.[6] The shortening of the sentence by an act of clemency while exercising Executive power may result in avoiding enforcement of the judgment as such but mat not alter the judgment.[7]

The power to pardon exists to prevent injustice whether from harsh or umnjust laws or from judgments which result in injustice; hence the necessity of vesting that power in an authority other than the judiciary is required.[8]

II. History

Before our Constitution came into force the Law of pardon in India was the same as in England since the sovereign of England was the sovereign of India.[9] However since 1861 successive criminal procedure codes conferred on the executive in India limited powers of clemency and conferred upon the appellate court power to suspend a sentence pending appeal. The powers conferred on the executive and on the appellate court were to be found in separate chapters of the Code. Thus emphasizing different nature of two powers, a difference which was further emphasized by the requirement that the appellate court should record its reasons in writing whereas no such obligation was imposed upon the executive. From 1937, when the G.I. Act, 35 came into force the law of pardon in India was contained in Sec. 295 of that Act and in Sections 401 and 402 of the Cr. P.C. 1898, the power of the appellate court being contained in Section 426 Cr.P.C. the result, therefore, was that upon the coming into force of the consitution the exercise of Kings prerogative remained unaffected, was plenary, unfettered and exercisable as hitherto Even after the coming into effect of the Constitution, Section 401 and 426of Cr. P.C. 1898 have continued to be in force. However the power of pardon has been conferred on the President of India and on the Governors of the states by Articles 72 and 161 respectively.[10]

In Nanavati's case (AIR 1961SC 112), the Supreme Court held that in view of the language of Arts. 72 and 161, this was similar to that used in Art. 2 of the American Constitution, the President and the Governors, in India had the same powers of pardon both in nature and effect as is enjoyed by the King in Great Britain and the President in the US.[11]

III. Jurisprudence

The philosophy underlying the pardon power is that ``every civilized country recognizes and has, therefore provided for the pardoning power to be exercised as an act of grance and humanity in proper cases, without such a power of clemency to be exercised by some department or functionary of government, a country would be most imperfect and deficient in its political morality and in that attribute of deity whose judgments are always tampered with mercy."

The pardoning power is founded on consideration of public good and is to be exercised on the ground of public welfare, which is the legitimate object of all punishments, will be as well promoted by a suspension as by an execution of the sentences.[12]

IV. Pardoning Powers of the President

(a) Constitutional Provisions

In India, the power to grant pardon is conferred upon the President of India is conferred under Articles 72 of the Constitution of India. The President has the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.

(a) in all cases wheare the punishment or sentence is by a Court Martial;

(b) in all cases wheare the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;

(c) in all cases wheare the sentence is a sentence od death.

The scope of power conferred in the President by Art. 72 is very extensive. It extends to the whole in India.[13] Similar powers have been given to the Governor of the State.[14] However the scope of the pardoning power of the President under Article 72 is wider than the pardoning power of the Governor under Article 161. The power differs in the following ways :

1. The power of the President to grant pardon extends in cases where the punishment or sentence is by a Court Martial but Article 161 does not provide any such power to the Governor.

2. The President can grant pardon in all cases where the sentence given is sentence of death but pardoning power of Governor does not extend to death sentence cases.

(b) Statutory provisions

The appropriate government has the power to remit the whole or any part of the punishment.[15] The appropriate Government may, without the consent of the person sentenced commute the punishment.[16] However restriction on powers of remission or commutation has been put in place in certain cases.[17]

(c) Objective

The object of conferring judicial power on President is to correct possible judicial errors, for no human system of judicial administration can be free from imperfections.[18] This power has been given to the President with the object to afford relief from undue harshness or evident mistake in the operation or enforcement of criminal law.[19] The administration of justice by the courts is not necessarily always wise or certainly considerate of circumstances which may properly mitigate guilt. To afford a remedy, it has always been thought essential in popular goverments, as well as in monarchies, to vest in some other authority than the courts power to ameliorate or avoid particular criminal judgments.[20]

The Law Commission of India[21] has also justified the existence of the prerogative of mercy in the execution. The commission has observed : A sentence of death passed by a court after consideration of all the materials placed before it may yet require reconsideration because of :

(i) Facts not placed before the cort.
(ii) Facts placed before the court but not in proper manner.
(iii) Facts discovered after the passing of the sentence.
(iv) Events which have developed after the passing of the sentence.
(v) Other special features.

None can codify and select the special features which would be too numerous to lend themselves to codification.

(c) Nature

Art. 72 designatedly and benignantly vest in the highest executive the humane and vast jurisdiction to remit, reprieve, respite, commute and pardon criminals on whom judicial sentence may have been imposed. Historically it is a sovereign power; politically it is a residuary power; humanistically it is in aid of intangible justice where imponderable factors operate for the well being of the community, beyond the blinkered court.[22]

It is an act of grace.[23] It is a matter of discretion yet subject to certain standards. It is not a matter of privilege but a matter of performance of official duty. It is vested in President or Governor, as the case may be, not for the benefit of the convict only, but for the welfare of the people who may insist on performance of duty. This discretion has to be exercised on public considerations alone.[24]

(d) The Process

The process starts with filing a mercy petition with the President under Article 72 of the Constitution. Such petition is then sent to the Ministry of Home Affairs in the Central Government for consideration. The abovementioned petition is discussed by the Home ministry in consulation with the concerned State Government. After the consultation, recommendations are made by the Home Minister and then, the petition is sent back to the President.[25]

(e) Withdrawal of Pardon

If it comes to the knowledge of the government that pardon had been obtained on the basis of manifest mistake, a patent misrepresentation or fraud, the same can be rescinded or cancelled.[26]

(f) Rejection of Mercy Petition

Where the earlier petition for mercy has been rejected by the President, stay cannot be obtained by filing another petition.[27]

VI. Judicial Power vs. Exeutive Power

The judicial power and the Executive power over sentences are readily distinguishable. To render judgment is a judicial function. To carry the judgment into its effect is an exeutive function. To cut short a sentence by an act of clemency is an exercise of executive power which abridges the enforcement of the judgment, but does not alter it qua judgment. To reduce a sentence by amnedment alters the

terms of the judgment itself and is a judicial act as much as imposition os sentence in the first instance.[28]

VII.Judicial Approach

A number of questions have cropped up before the courts as regards the exercise of the power to pardon which include :

1. Does the President exercise any personal discretion in the matter or does he act merely as a Constitutional head?

2. Should he give a personal hearing to the convicted or his lawyer before disposing or the matter?

3. Is the power to pardon subject to any norms e.g. Art 14?

4. Is the exercise of this power subject to any judicial review?[29] It is now been judicially clarified that though the power to pardon is formally vested in the President, he exercises this power as per Art. 74(1), on the advice of the concerned Minister i.e. Home Minister. The S.C. clarified in Maru Ram *v.* UOI[30] that it is not open to the President to take an independent decision or to direct release or refuse release of anyone on his own choice. In Kehar Singh the SC has denied that there is any right in the condemned person to insist on oral hearing before the President on his petition invoking Art. 72. The matter lies within the discretion of the President and it is for him to decide how he will deal with the case.

In **Dhananjoy Chatterjee alias Dhana *v.* State of West Bengal**[31], the Supreme Court reiterated its earlier stand in Maru Ram's case and said: "The power under Articles 72 and 161 of the constitution can be exercised by the Central and State Governments, not by the President or Governor on their own. The advice of the appropriate Government binds the Head of the state." The Supreme **Court in Ranga Billa case**[32] was once again called upon to decide the nature and ambit of the pardoning power of the Presdient of India under Article 72 of the Consitution. In this case, death sentence of one of the appellants was confirmed by the Supreme Court. His mercy petition was also rejected by the President. Then, the appellant filed a writ petition in the Suprme Court challenging the discretion of the President to grant pardon on the ground that no reasons were given for rejection of his mercy petition. The court dismissed the petition and observed that the term ``pardon" itself signifies that it is entirely a discretionary remedy and grant or rejection of it need not to be reasoned. Supreme Court once again in **Kehar Singh *v.* Union of India**[33] reiterated its earlier stand and held that the grant of pardon by the President is an act of grace and, therefore, cannot be claimed as a matter of right. The power exercisable by the President being exclusively of administrative nature is not justiciable. In **Swaran Singh *v* State of U.P.**[34], the Governor of U.P. had granted remission of the life sentence awarded to the Minister of the State Legislature of Assembly convicted for the offence of murder. The Supreme Court interdicted the Governor's order and said that it is true that it has no power to touch the order passed by the Governor under Article 161, but if such power has been exercised arbitrarily, mala fide or in absolute disregard of the ``finer cannons of Constitutionalism", such order cannot get approval of law and in such cases, "the

judicial hand must be stretched to it." The Court held the order of Governor arbitrary and, hence, needed to be interdicted. In the early case of **K.M. Nanavati v State of Bombay**[35], Governor granted reprieve under Article 161 which was held unconstitutional as it was in contrast with the Supreme Court rulings under Article 145.

In a landmart Judgment **Epuru Sudhakar & Anr vs Govt. Or A.P. & Ors,**[36] it was held by the Supreme Court that it is a well-set principle that a limited judicial review of exercise of clemency powers is available to the Supreme Court and High Courts. Granting of clemency by the President or Governor can be challenged on the following grounds :

(a) The order has been passed without application of mind.

(b) The order is mala fide.

(c) The order has been passed on extraneours or wholly irrelevant considerations.

(d) Relevant material has been kept out of consideration.

(e) The order suffers from arbitrariness.

Now, it is a well settled principle that power under Articles 72 and 161 is subject to limited judicial review.

The jurisdiction of the SC under Article 137 to review death sentence after having already rejected special leave and review petition in the same matter and Presidential clemency are different in nature although some considerations may overlap. If an application for clemency by way of commutation has been made by the prisoner and is under consideration of President, the SC has no jurisdiction to deal with the petition for stay of death sentence and has no power to pass any order. The rejection of one clemency petition does not exhaust the power of the President.[37]

(b) Issuance of Guidelines

From time to time the Supreme Court has considered the question whether there should be some guidelines for the exercise of power to pardon by President. In Maru Ram, the court expressed the view in favour of laying down some guidelines for the purpose of exercising power under Art 72 in order to avoid any allegation of arbitrary exercise of power. But in Kehar Singh the court has given a very broad ambit to this power and has also changed its stance on the question of laying down any guidelines. The court has said that *``there is a sufficient indication in the terms of Article 72 and in the history of power enshrined in that provision as well as existing case law, and specific guidelines need not be spelled out."* The court has suggested that *``the proper thing to do, if government is to keep faith with the founding fathers, is to make rules for its own guidance in the exercise of pardon power keeping, of course, a large residuary power to meet special situations or sudden developments. This will include the vice of discrimination such as may arise whesre to persons have been convicted and sentenced in the same case for the same degree of guilt but one is released and the other refused, for such irrelevant reasona as religion, caste, colour or political loyalty." In Chopra Children Case the court feigned ignorance of whether the Government*

of India had formulated any uniform standards and guidelines by which the exercise of Constitutional power under article 72 was intended to be and was, in fact, guided.[38]

VIII. Pardoning Power and controversy

Shankar Dayal Sharma (1992-1997) has rejected 14 petitions during his five-year tenure. President Pranab Mukherjee rejected 11 mercy petitions in thirteen months awarding death penalty to 17 convicts, a number highest in the last 16 years.[39] No president in India's history has used the power death-row inmates as extensively as President Patil. She has granted a record of 30 pardons in the last 28 months, over 90 per cent of India's total death sentences pardoned ever. But 22 of those relate to brutal multiple murders and gruesome crimes on childeren, the worst of what human beings can do to one another.[40]

Bhullar was convicted and awarded death penalty for triggering a bomb blast in New Delhi in September 1993. The Apex Court had on March 26, 2002 dismissed Bhullar's appeal against death sentence awarded by a trial court in August, 2001 and endorsed by the Delhi High Court in 2002. Bhullar, meanwhile, had filed a mercy petition before the President on January 14, 2003. The President, after a lapse of over eight years, dismissed his mercy plea on May 14, 2011.[41] Citing the delay, he had again moved the apes court for commutation of the death sentence but his plea was rejected.

On January, 21, 2014, India's Supreme Court reaffirmed the right to life in a landmark decision that cited international human rights standards. In Shatrughan Chauhan & Another vs Union of India & Others, the Supreme Court commuted the death sentences of 15 prisoners. The court held that *``(m)ercy jurisprudence is part of an evolving standard of decency, which is the hallmark of society."* The court repeatedly noted that clemency is not merely a matter of grance, but is a constitutional duty of great significance that must be exercised responsibly and expeditiously. The court observed that *``undue, inordinate, and unreasonable delay" in carrying out the death sentence constitutes torture and justifies commutation of life imprisonment.*

Further, the court issued guidelines for the clemency process to protect the rights of death row prisoners moving forward. The judges held that prisoners have a right to legal aid to prepare legal challenges to the clemency process and to be informed of the result of their mercy petition in writing. In addition, prison officials must ensure the prisoners receive regular mental health evaluations and be given *``appropriate medical care."* Finally, the court determined that the government must carry out post-mortem examinations of executed prisoners to provide the courts with data on the cause of death, which will allow for consideration of whether hanging constitutes cruel and inhuman punishment.[42]

However theare is another side of the coin as well. Former Chief Justice of India, J.S. Verma is of the view that *"It is for the judiciary to find a person guilty or not and their job ends there, Mercy is entirely an exeutive process, for the President to decide. The judiciary should stay out of it."*

Reference :

1. HM Seervai, Constitutional Law of India, Vol.2 (2013), p. 2094
2. DD Basu, Shorter Constitution of India, Vol. (2012), p. 681.
3. Kailash Rai, Constitutional Law of India (2013), p. 444
4. Narender Kuamr, Constitutional Law of India (2006), p. 504.
5. Devender Pal Singh Bhullar V State of NCT of Delhi, 2013 (3) SCJ 680.
6. Supra note 3 at p. 447
7. United Stated v Benz, (1930) 75 Law Ed 354
8. Pardoning Power
9. Supra note 1 at p. 2100
10. Ibid.
11. J.N. Pandey, Constitutional Law of India (2005), p. 404.
12. http:èwww.lawteacher.netèadministrative-lawèessaysèpower-to-pardon-an-analysis-law-essays.php.
13. Supra note at p.444
14. Article 161, Constitution of India.
15. Section 432 Power to suspend or remit sentences.

    When any person has been sentenced to punishment for an offecne, the appropriate Government may, at any lime, without conditions or upon any conditions which the person sentenced accepts, suspend the exeuction of his sentence or remit the whole or any part of the punishment of which he has been sentenced.

    Whenever an application is made to the appropriate Government for the suspension or remission of a sentence, the appropriate is made to the appropriate Government for the suspension or remission of a sentence, the appropriate government may require the presiding judge of the Court before or by which the conviction was had or confirmed, to state his opinion as to whether the application should be granted or refused, together with his reasons for such opinion and also to forward with the statment of such opinion a certified copy of the record of the trial or of such record there of as exists.

    If any condition on which a sentence has been suspended or remitted is, in the opinion of the appropriate government, not fulfilled, the appropriate Government may cancel the suspension or remission, and thereupon the person in whose favor the sentence has been suspended or remitted may, if at large, be arrested by any police officer, without warrant and remanded to undergo the unexpired portion of the sentence.

    The condition on which a sentence is suspended or remitted under this section may be one to be fulfilled by the person in whose favour the sentence is suspended or remitted, or one independent of his will.

    The appropriate Government may, by general rules or special orders, give directions as to the suspension of sentences and the conditions on which petitions should be presented and dealt with : provided that in the case of any sentence (other than a sentence of fine) passed on a male person above the age of eighteen years, no such petition by the person sentenced or by any other person on his behalf shall be entertained, unless the person sentenced is in jail, and, where such petition is made by the person sentenced, it is presented through the officer in charge of the jail; or where such petition is made by any other person, it contains a declaration that the person sentenced is in jail. The provisions of the above Sub-Sections shall also apply to any order passed by a Criminal Court under any section of this Code or of any other law which restricts the liberty of any person or imposes any liability upon him or his properly.

In this section and in section 433, the expression ``appropriate Government" means, In cases where the sentence is for an offence against, or the order referred to in Sub-Section (6) is passed under, any law relating to a matter to which the exeutive power of the Union extends, the Central Government;
in other cases the Government of the State within which the offender is sentenced or the said order is passed.
16 Section 433 Power to commute sentence.
The appropriate government may, without the consent of the person sentenced commute a sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860);
a sentence of imprisonment of life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine;
a sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine;
a sentence of simple imprisonment, for fine.
17 Section 433A-Restriction on powers of remission or commutation in certain cases Notwithstanding anything offence for which death is one of the punishment provided by laws or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least fourteen years of imprisonment.

18. Supra note 8 at p. 404.
19. Supra note 3 at p. 443
20. Ex parte Philips Grossman 267 U.S. 87
21. MP Jain, Indian Constitutional Law (2013) at p. 179.
22. G. Krishna Goud v State of Andhra Pradesh (1976) 1 SCC 157
23. VN Shukla, Constitution of India (2004) at p. 335
24. Supra note 3 at p.243
25. http:èèwww.lawteacher.netèadministrative-lawèessaysèpower-to-pardon-an-analysis-law-essays.php
26. Supra note 20
27. Triveni Ben v State of Gujarat, AIR 1989 SC 1335
28. Supra note 7
29. Supra note 17 at p. 176
30. AIR 1980 SC 2147
31. AIR 1997SC 18
32. AIR 1982 SC 774
33. AIR 1989 SC 653
34. AIR 1998 SC 2026
35. AIR 1961 SC 102
36. AIR 2006 SC 2100
37. Supra note 19 at p. 339
38. Supra note 17 at p. 178
39. http:èètimesofindia.indiatimes.comèindiaèpresident-rejects-last-pending-mercy-plea-duo-to-hangèarticleshowè21852802.cms
40. http:èèindiatoday.intoday.inèstoryèpratibha-patil-mercy-petitions-acceptedè1è200860.htmal
41. http:èènews.outlookindia.comèitems.aspx?artid=832070
42. http:èèblog.low.northwestern.eduècihrè2014è02èindias-supreme-court-drasws-upon-human-rights-standards-to-commute-death-sentences-.html

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

Contribution of Rewa State in the Quit India Movement

Dr. Anita Kaushal

The seeds of revolution were deep rooted into the hearts of the country-men since the revolution of 1857. But it was also true that British colony had expanded itself not only geographically but also economically, socially, culturally, and linguistically. In the process of colonialism, the colonizers became so cruel they crossed all the limits of civilization to empower the natives. The colonized were getting united and by all means they had been trying to free themselves from the bloody claws of the colonizers. The British were also finding hard to suppress the agitation that could be seen throughout India.

Till 1942 Vindhya region had also progressed in the field of education. 20,000 students of the region were studying in different classes every year. In January 1942, a degree college was announced in Rewa also. Thus Rewa region was been felicities by higher education and the movement that took place in the decade of 1930 brought political awareness among the people of the region.

This was the time when British Government was getting certain complains against the emperor of Rewa Maharaja Gulab Singh regarding personal matters, and also regarding state and financial matters. British government wanted to establish a British agency in Rewa state but Maharaja Gulab Singh did not agree for it.

Looking at this attitude of Maharaja Gulab Singh, British government decided to set an enquiry against him. He was ordered to reach Indore residency till 10th of February 1942 by the governed general. Maharaja Rewa met British resident at Indore on 11th February 1942, where he was informed that viceroy had received many allegations against him and he had decided to invcroy had received mammy allegations against him and had decided to investigate the charges put on him and Rawa Maharaja should remain 100 miles away from his state till the enquiry continued. He was also asked to command his council to help in the investigations. He was also informed that all his rights were being crushed permanently and the viceroy took over all his rights. Maharaja Gulab Singh was given a charge sheet and had to answer within 15 days.

Asst. Prof. (English), Government Girls P.G. College, Rewa (M.P.)

Viceroy deputed a political officer Major L.W. Uldridge as the administrator of Rewa state. As soon as the natives of Rewa came to know on 18th February 1942 that Rewa state was being under British rule, it collapsed. The market was closed and strike was announced in the schools and colleges as the news spread into the interiors of the state, the agitation grew louder and louder. people criticized this act of British government. Meetings were held in the different parts of the state and people urged the British government to cancel this order.

In opposition to this act of British government a grand meeting was held at Rewa on 19 February where the guide lines for the movements against the British rule were decided and the following decisions were taken:

(1) Mass movement was to be held for the return of Maharaja Gulab Singh to Rewa.

(2) A council (of the reputed citizens of the state) was to be organized to give directions to this mass movement.

(3) Public meetings were to be held to form consensus.

(4) The action of British government was to be opposed through news papers and the voice should be raised against it.

(5) A telegram was to be sent immediately to the secretary of states for India, London His Excellency, the crown representative, Governor General of India, New Delhi, and chancellor chamber of princess Nava nagar, Gujarat.

This was how the wave of awakening struck the princely state of Rewa. people stood united against the atrocities of British rule. In spite of the harsh methods adopted by the British government the movement could not be suppressed. Arrests were made made and punishments were awarded. Many people were sent to jail. The main area of action was Rewa, Satna, Shahdol, Umariya, Sidhi, Rampur, Amarpatan, Strike was called at these places. Markets, schools and colleges were closed. Public meeting were organized. This rigorous agitation was to compel the British government for the return of Maharaja Gulab Singh to Rewa.

Loud voice was raised in the news paper against this oppressive action of the British government mainly in the weekly ‘prakash’. A few articles were published in the newspapers outside the state also like-Bharat, Allahabad, Bikoshwar Samachar, Munadi; Dehal darbar etc. In all these news papers action of British government was bitterly criticized.

The then president of District Congress Committee pandit Shambhu Nath Shukla. Vice president Raj Bhanu Tiwari and secretary captain Awadesh Pratap singh and Lal Yadvendra Singh went to Allahabad and met pundit Jawaharlal Nehru on 6th march 1942 and let him know about the matter. Harol Narmada Prasad, the in-charge of Congress about the matter. Harol Narmada Prasad, the in-charge of Congress Committee to U.P.P.C of this area prepared a note on the

basis of this discourse. pd. Nehru suggested that Congress should deal the matter of Rewa according to its equal policies to national and international matters. Congress could not interfere into the personal matter of any ruler. As certain serious allegation were charged against the maharaja Rewa, investigations were required it could not be censured. Congress could only demand of legal enquiries.

When this delegation returned the state of Rewa, they released a statement in which they appeal that the rule of maharaja was a definitely better than the officers of the political department and reformative works for the public of the state. Thus the congress of this a area would work under the leader ship of the king. If the government could provide a responsible political department to the public, it would be fine; otherwise it should not interfere between the ruler and the public. The young student of the state, Narayan Singh released 2 bulletins entreaty to students and entreaty to the farmers of Rewa. Thus consensus was being formed through news papers and bulletins. At the same time public meetings and rallies were also held to continue the movement.

In the last week of March 1942 it was decided that a delegation would go to meet sir Stafford Cripps who was appointed to solve the political problems of India, and these delegates would also meet the Viceroy in Delhi to put the demands of the public of Rewa. Thus a delegation of 51 representatives went to Delhi on 31st March 1942 but unfortunately came back unsuccessfully on 12th April 1942.

After the return of this delegation public meetings were held almost daily to raise their demands emphatically. Different public service organizations also demanded for the return of king. Baghelkhand Harijan Sevak Sangh was noteworthy among them.

The public of the state of Rewa busy in the movement, at the same time the political department of the British government was trying to send help from the administration of the Rewa state to the 2nd world war. Rewa Rajya Defence Committee was formed for the purpose. Meanwhile the movement speeded up. Agrand meting was

held on 16th may 1942 in the president ship of a senior congress leader, Rajbhanu Tiwari. Miwari. orators addressed this meeting, Lal yadvendra Singh, Pd. Shambhunath Shukla, Acharaya Girja Prasad, Bhandav Prasad Tiwari, Munshi Hrabhajan LAL, Ram Bihari Pandey, Lalla ji Marwadi, Ram Pratap Shukla (Barehi), Laxman Prasad alias Lallaji were the main.

The representatives of the British government realized that the movement would be stronger and stronger. To suppress the movement the leaders who addressed the public on 16th May 1942 were arrested rnder Indian Dafence Regulation; Lal yadvendra Singh, Pd. Shambhunath Shukla, Bandhav Prasad Tiwari, Munshi Harbhajan Lal, Acharya Girja Prasad, Ramdihari Pandey, and Lallaji Marwadi were among them. After some days Laxman Prasad, Ram pratap

Shukla (barehi), Munshi Sampatlal, Jagdish Tailor (Govindhagarh) and Babu Jaganath Prasad Painter were also sent to jail. After a week Thakur Omkar Prasad, Kamleshwar Prasad, Baijnath Prasad, Munshi Shubhan Ali Khan and Ramdhelawan were also arrested under D.I.R.

These arrests made the movement aggressive. It received due cooperation from all the lovers of freedom. Women of the state also joined the movement and fought equally with men. More and more meetings were organized, where the cruel suppressive policy of the Rewa administration was bitterly criticized. In meetings they raised their demand repeatedly. Roop Chandra Katare and Chandra Kant Shukla from Shadol gave very effective speeches. They also demanded to free the arrested people.

On 22nd May 1942 a demand letter, signatured by 1, 18,000 people, was sent to Major Genetal Uldridge. This was the historical event of its own kind when a demand letter, signed by 1, 18,000 people, was collectively presented before the Government. Though it proved ineffective to the British government yet it signaled the awakening of the mass.

Mean while public meetings were held in the different parts of the state. In July 1942 so many arrests were made. Devideen Tailor of Shadol, Seth Budhsen of Rewa, Lal Mahavir Singh and Bhole prasad of Baikunthpur were remarkable among them. To address the public meeting on 27 July 1942, Munshi Ambika prasad, pd, Siddhvinayak, pd. Ram Kumar and Munshi Naseeruddin were arrested under D.I.R.; houses of the reputed persons were ransacked.

Women of the state also got aware of the movement and participated actively into it. Smt. Krishna Kumari, Smt. champa Devi, Smt. Vishnu Kanta, and Smt, Tarabai Kayasth played an important role in the movement.

This was the time when the fire of revolution raised throughout the country and Mahatma Gandhi announced the Quit India Movement. People were perturbed and excited throughout the country. Gradually the agitation grew larder and louder. Congress Persident Maulana Azad addressed a huge public meeting enthusiastically for ninety minutes which was followed by a very energetic and encouraging

speech by Mahatma Gandhi on 7th August 1942 at Mumbai, He spoke for three hours. Pattabhi Sitarammaiya said that Gandhiji spoke as if

he was inspired by the divine energy. On 8th August. All the great leaders of Congress, who were at other places, were arrested there itself. British government did it so predicable, as if planned earlier. Gandhiji was sent to Pune by a special train and the other leaders to Ahmednagar secretly. Nobody Knew that were and in which jail they were being taken to.

Being disguised, leaders like Lohia, Achyut Patwardhan, Sadik Ali, Mohanlal Saxena, Ram Nandan Mishra, Sadashiv Mahadev Joshi, Sane Guruji, Kamla

Devi Chattopadhyay, Aruna Asaf Ali, Sucheta Kriplani, Poornima Banerjee etc. were saved of the group arrest. They led the movement forward.

Now the movement got co-operation from the each a corner of the country. Roads and lanes were filled with men, women, children, elderly people, youth, laborers, farmers, business men. They all had only one notion in their mind-'Do or Die'.

Rewa state which had been already raising its voice against the British government could not remain unaffected by this movement. The spark reached to the state and inflamed it. Soon a grand meeting was held where many leaders of Baghelkhand District Congress Committee gave energetic speeches. As a result the administrator of Rewa, declared the office of Baghelkhand District Congress Committee illegal and arrested Lal Mardan Singh, Raj Mani Prasad, Senior Congress leader Raj Bhanu Singh Tiwari and Awadh Lal Bihari.

'Rewa Diwas' was celebrated on 12th August 1942, peaceful rallies were held in the morning. Educational institutes and markets were closed; students of Martand High School and Darbar College held a big rally. Smt. Vishnu Kanta Devi also preceded a gage rally of men and women. public meetings were held at Janaki Pard on 10, 11, 12th August subsequently. A senior leader pd. Jyoti Shankar Mishra of Igawa Congress Committee addressed the meeting on 11th August. Appeal of the return of Rewa Naresh was raised again with a louder consensus. Students formed 'Baghelkhand Student Union' near Darbar intermediate college. At the same time the students of tis area studying in Allahabad also formed 'Baghelkhand Students' association'. M.Sc. student Omkar Prasad was elected as President and B.A. student Deshav Singh was elected as general secretary of the association.

Meanwhile Lal Kamleshwar Singh, Mahaveer Prasad Bhatt (Dihia), Sudarshan Prasad, Smt. Vishnu Kanta Devi, Smt. Rajkumari Devi, pd. Bgairavdeen Mishra, Lal Krishnapal Singh Bahgel were arrested.

These arrests gave speed to the movement. On the night of 12th August information was received that a brilliant student Padmadhar Singh became a martyr to the cause of this revolution. The news moved the people of the state. Strike was declared in all the educational institutes. The voice to Quit India raised larder from all the parts of the state and the country. The British government left no stone unturned to crush the movement. But they could not kill the enthusiasm of the people despite all adverse action they could take against the country men.

Many arrests were made again to give life and more energy to the movement a few underground leaders published a bulletin- ''Rawa Ke Bahadrron, Utho''. It was distributed among the people for some time, but soon it was seized by the order of the then administrator on 20th September 1942. Thus the revolutionaries

were taking actions and the British government was trying at its level best to oppress the movement. It was getting violent in its dealing with the peaceful revolutionaries. Thus they decided to work by being underground. Police force was also divided into two. One was in favour of revolutionaries and thus was not in favour of Lathi-charge against the revolutionaries. Now these people were trying to act in a planned manner. Some students were deputed as secret agents as they came to know that they had to take euery step with great wisdom.

Meanwhile satyagrahies put the Mohafiz police station on fire. police arrested all the main culprits. Devendra Singh Judge, Lal Kamlesgwar vakeel, Chandrakant Singh, Govind Narayan Singh (ex-chief minister) were noteworthy among them. The record room was put on fire in Rewa. Government property was garmed at Satna also.

Revolutionaries teied to gurt the British government in different ways.

Thus we can say that the people of the princely state of Rewa played an important role in the Quit India movement of 1942. Many people were sent to jail, many students were hurt during the Lathi-charge at different meetings. Not only the leaders but women, students, children, elderly people, farmers, laborers, businessmen, and every common man participated enthusiastically and courageously in the movement.

References:

1. Prakash, Rewa weekly, 1942- February to December.
2. Shukla, B.G., Rewa Sambhagh ke Swatantrata Andolan ka Iitihas, Gayatri Publications, Rewa 2003.
3. Shukla, B.G., Baghelkgand me Samajwadi Andolan, Gayatri Publications, Rewa 2002.
4. Fisher, G.T., Private and Confidential Letter, Dt-11.08.1941, Residency Indore.
5. Press Note of British Government, Dt. 17 .02.1942.
6. Shukla, Dr. Akhilesh, Contribution of Baghelkhand in National Freedom Movement, Rachna Patrika, Bhopal1997.
7. Shukla, Dr. Akhilesh, Baghelkhand in Quit India Movement 1942, Vindhiyika, Jabalpur 1992.

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

मुहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण

संजय शंकर मिश्रा*
राजभान चर्मकार**

भूमिकाः–

1320 ई. में गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया थी। तुगलक वंश ने 1320 ई0 से 1414 ई0 तक लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के काल मे तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद 1325 ई0 में उलूग खाँ मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा तत्पश्चात् दिल्ली में प्रवेश किया। प्रत्येक नए सुल्तान की तरह उसने भी लोगों में सोने–चांदी के सिक्के बाटे। अमीरों में उपाधियों का वितरण किया तथा परम्परा के अनुसार ऊँचे पदों पर नियुक्तियाँ की थी। मुहम्मद तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों से अधिक योग्य, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कलाप्रेमी तथा अनुभवी सेनापति था। मुहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धान्त अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति निरंकुशता पर आधारित था। उसने निरंकुश राजतंत्र को पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया। मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीर–उल–मोमनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर सुल्तान के लिए जिल्लिलाह (सुल्तान ईश्वर की परछाई) शब्द खुदवाया। अलाउद्दीन की भांति मुहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा वर्ग के अधिपत्य को समाप्त कर दिया। उसके दृष्टि में राज्य का कानून सर्वोपरि था। अपराध करने वाले को एक समान दण्ड दी जाती थी। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने तांबे व अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया था।

मुहम्मद तुगलक ने अपने पिता से एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था। उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रान्तों में बंटा हुआ था। वह एक योग्य शासक था। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की नीति अपनाई। मुहम्मद तुगलक के विषय में जियाउद्दीन बरनी ने अपने पुस्तक तारीख–ए–फिरोजशाही

* *प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)*
** *एम.ए., एम.फिल. इतिहास, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)*

में लिखा है कि, ''जब उसने राजसत्ता पायी तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था।'' दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने केवल हिन्दुओं को ही नहीं बल्कि विभिन्न निम्न कुलों एवं जातियों के व्यक्तियों को राज्य में उच्च स्थान प्रदान किया था। डॉ0 इरफान हबीब के अनुसार, मुहम्मद तुगलक के अमीर वर्ग में कई जातियों के लोग थे जिनमें मुख्यतया मंगोल, विदेशी, मुसलमान तथा हिन्दू भी थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने सत्ती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था।

मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरम्भ किया। उसने हिन्दुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। साईराज उसका एक हिन्दू मंत्री था। दक्षिण का नवाब वजीर धारा भी हिन्दू था। रतन नामक एक हिन्दू को उसने सेहवान (सिन्ध) का राज्यपाल बनाकर उसे अजीम, उस–सिन्ध की उपाधि दी। वह हिन्दुओं के धार्मिक उत्सवों में भी भाग लेता था। होली में भाग लेने वाला वह दिल्ली का प्रथम शासक था। यद्यपि मुहम्मद बिन तुगलक सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था, किन्तु सूफी सन्तों का बहुत आदर करता था।

मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनायें

इतिहासकार बरनी ने सुल्तान की निम्नलिखित नवीन योजनाओं का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है जो इस प्रकार है–

1. दोआब में कर वृद्धि (1325 ई.) :– अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने भू राजस्व पर ध्यान दिया। सर्वप्रथम मुहम्मद तुगलक ने सूबों की आय–व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया तथा सभी सुबेदारों को इस संबंध में अपने–अपने सूबों का हिसाब भेजने का आदेश दिया। लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए 'शताधिकारी' नामक नये अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। मुहम्मद बिन तुगलक के राजस्व संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, दोआब में कर की वृद्धि करना। दोआब उपजाऊ प्रदेश था, इसलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना बनाई। प्रचलित लगान में 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि की गई, इसके अतिरिक्त और भी नए कर जनता में लगाए गये थे।

2. राजधानी परिवर्तन (1326–27 ई.)– मुहम्मद तुगलक के कार्यों के सर्वाधिक विवादस्पद राजधानी परिवर्तन था। मुहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि इतने विशाल साम्राज्य की राजधानी केन्द्र में होनी चाहिए। अतः उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। राजधानी परिवर्तन के विषय में जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि ''नगर इतनी बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आस–पास के इलाकों में बिल्ली एवं कुत्ते तक नहीं बचे थे।

3. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन (13218–30 ई.) – राजधानी परिवर्तन के विफलता के बाद सुल्तान की दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा को जारी करना था। उस समय चांदी का सिक्का टंका तथा ताबें का सिक्का जीतल कहलाता था। मुहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर कासे का सिक्का प्रचलित किया। बरनी के अनुसार ''सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था इसके लिये धन की आवश्यकता थी। अतः इसके लिए सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ा। बरनी के अनुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाये और फरिश्ता के अनुसार ये सिक्के पीतल के थे। सम्भवतया दोनों धातुओं के सिक्के चलाये गये थे। परन्तु सुल्तान की यह योजना असफल हुई थी।

4. खुरासान अभियान (1330–31 ई.) – खुरासान की सही भौगोलिक स्थिति के सन्दर्भ में मतभेद है। बरनी ने ईरान तथा फरिश्ता ने तूरान के रूप में की है। मुहम्मद तुगलक ने लगभग तीन लाख सत्तर हजार घुड़सवारों की एक विशाल सेना इकठ्ठा की ताकि उसे खुरासान विजय के लिये भेजा जा सके। इस सेना में दोआब के राजपूत तथा कुछ मंगोल भी शामिल थे। सेना को एक वर्ष की अग्रिम वेतन दिया गया। तरमाशरीन अपदस्थ कर दिया गया तथा मिस्र और ईरान में संधि हो गयी। फलस्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना त्यागनी पड़ी। अधिकांश सेना भंग कर दी गई, और इस विशाल सेना पर काफी धन व्यय किया था। किन्तु सुल्तान की यह योजना की असफल रही।

कराचिल का क्षेत्र हिमांचल की तरई में स्थित आधुनिक कूमायूँ जिले में था। कराचिल अभियान का लक्ष्य सीमित था। अकाल संहिता लागू करने वाला मुहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था। जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की तथा उससे निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खोले गए। कुंए खोदने एवं बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि ऋण (सोधर) भी प्रदान किया। दोआब क्षेत्र में अकाल के दौरान ही दिल्ली सहित देश के अनेक भागो में प्लेग महामारी फैल गयी। मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़कर शाही शिविर 80 किमी0 दूर गंगा किनारे स्थित स्वर्गद्वारी (कन्नौज के निकट) में स्थापित किया था। कृषि के विस्तार की योजना किसानों के लिये कृषि से संबंधित एक नया विभाग दीवान–ए–अमीर–कोही की स्थापना की इसका प्रधान अमीर–ए–कोही था। बरनी ने लिखा है कि ''इस प्रकार जौ के बदले गेहूं लगाया जाय एवं गेहूं के बदले गन्ना तथा गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लगाया जाये।'' इस योजना के तहत तीन वर्ष में सोधर के परियोजन से 70 लाख से भी अधिक टके मंजूर किये गये किन्तु यह योजना भी सफल नहीं हो सकी थीं।

मुहम्मद बिन तुगलक के असफलता के कारण

मुहम्मद तुगलक के आदर्श बड़े ऊँचे थे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी होने के अनुरूप उसने महत्वकांक्षी योजना बनाई लेकिन दुर्भाग्यवश उसने सभी योजनाओं पर असफलता हाथ लगी थी। मुहम्मद बिन तुगलक के असफलता के मूल कारण निम्नलिखित हैं–

मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण के नीति में विवेक एवं बुद्धि का उपयोग सही ढंग से नहीं किया था।

मुहम्मद तुगलक ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुल्तान की आशाओं और योजनाओं पर पानी फेर दिया गया था जिससे प्राकृतिक प्रकोप, दुर्भिक्ष, महामारी आदि के कारण सुल्तान को काफी हानि हुई थी।

मुहम्मद तुगलक ने लाहौर, मुल्तान, गुजरात, मेवाड़ आदि के सुबेदारों और पदाधिकारियों ने सुल्तान के विरूद्ध विद्रोह करके सैनिक शक्ति को भारी हानि पहुँचाई थी जिससे उसकी योजनायें असफल हो गयी थी।

मुहम्मद तुगलक के पास कोई भी योग्य और विश्वास्त सलाहकार नहीं था। मुहम्मद तुगलक ने अपनी दानशीलता प्रतिभोज प्रियता और उपहार देने की आदत के कारण राजकोष काफी खाली हो गया था। मुहम्मद तुगलक की उदार नीतियाँ तत्कालीन युग के अनुरूप नहीं थीं स्वयं मुहम्मद तुगलक उदार और कोमल हृदय था लेकिन क्रोध आने पर राक्षस की भांति व्यवहार करता था उसका यह द्विस्वभाव भी उसकी योजनाओं की सफलता के आड़े आ जाता था।

परिणामः—

दोआब में कर वृद्धि के समय ही वहां अकाल पड़ गया और भू—राजस्व अधिकारियों ने निश्चित राशि को निर्दयता से वसूल करने का प्रयत्न किया। इस अत्याचार से घबराकर किसानों ने अपनी खड़ी फसलों में आग लगा दी और खेती करना छोड़ दिया था। किसानों ने राजस्व अधिकारियों एवं सैनिकों की हत्या कर दी। बरनी के अनुसार हजारों व्यक्ति मारे गये और जब उन्होंने बचाने का प्रयास किया तथा सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया तथा जंगली जानवरों की भांति उनका शिकार किया।

मुहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना विफल रही। 1334—35 ई0 में माबर (तमिलनाडु) में भयंकर विद्रोह हुआ। वीदर पहुंचने पर प्लेग की महामारी फैल गयी जिससे सुल्तान के कई सैनिक मारे गए। मुहम्मद बिन तुगलक स्वयं भी बीमार पड़ गया और दौलतावाद लौट गया। राज्य प्रशासन द्वारा लागू की गयी योजना उस समय प्रभावशाली तथा सफल होती जब जनता का भी उसमें सहयोग रहता किन्तु जनता सहयोग नहीं मिला बल्कि योजनाओं में बाधाएँ भी डाल रखी थी।

मुहम्मद तुगलक के संकेतिक मुद्रा का प्रचलन की योजना भी असफल हो गई, किन्तु इसे सैद्धांतिक रूप से निराधार कहना ठीक नहीं होगा। डॉ0 मेहदी हुसैन के अनुसार— ''सुल्तान का प्रयोग सामूहिक रूप से अच्छा और राजनीतिकपूर्ण था परन्तु उसने इस कार्य रूप देने में बहुत गलती की।'' तांबे के सिक्के चलाने से पूर्व टकसाल पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करना चाहिए था और प्रचलित तांबे के सिक्के को राजकोष में जमा कर लेना चाहिए था पर सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था।

मुहम्मद तुगलक की साम्राज्य विस्तार की योजनायें भी पूरी तरह से असफल नहीं हुई थी। मुहम्मद तुगलक गम्भीर सैनिक भूलों के वाबजूद तुगलक साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक विशाल साम्राज्य मुहम्मद तुगलक का ही था। डॉ0 आर.सी. मजूमदार के अनुसार– ''कश्मीर, उड़ीसा, राजपूताना और मलावार तट के कुछ भाग के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में सुल्तान की सत्ता स्थापित थी और इस सुविस्तृत साम्राज्य पर उसने एकाधिकार पूर्ण शासन व्यवस्था की स्थापना की।'' परन्तु यह दुर्भाग्य की बात थी की मुहम्मद तुगलक की यह सफलता स्थाई नहीं रह सकी और लगभग 10 वर्ष बाद ही विशाल तुगलक साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया था।

मुहम्मद तुगलक स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था। मुहम्मद तुगलक ने उचित शिक्षा प्राप्त की थी तथा शिक्षा में उसकी अभिरूचि थी। 1346 ई. में उसने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया था सुल्तान के पास एक अच्छा पुस्तकालय भी था। अदलावाद नामक किले का निर्माण मुहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था उसने दिल्ली में किला रायपिथौरा तथा सीरी नगर के मध्य जाहपनाह नामक नगर बसाया था मुहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न ललित कलाओं विशेषकर संगीत से प्रेम था उसके दरबार में 1200 गायक थे जो गाने के साथ ही गायन की शिक्षा भी देते थे। सुल्तान ने एक वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की जहां रेशमी कपड़े बुनने वाले 400 जुलाहे काम करते थे।

इस प्रकार मुहम्मद तुगलक अपनी सभी योजनाओं में असफल रहा। यह कहा जा सकता है कि उसके सुधार समय से आगे थे, उसकी प्रजा और उसके अधिकारी उन योजनाओं को न तो समझ सके और न ही उन्होंने उसके साथ सहयोग किया। विभिन्न प्रकार से असफल होते हुए भी मुहम्मद तुगलक को इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। मुहम्मद तुगलक की श्रेष्ठता उसकी सफलता तथा असफलता के कारण नहीं है बल्कि उसकी विद्वता और चरित्र के कुछ गुणों के कारण जाना जाता था और सल्तनत काल के इतिहास में मुहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख स्थान था। मुहम्मद तुगलक की कुछ योजनायें सफल थी किन्तु अधिकांश योजना उस समय अनुरूप नहीं थी जिससे मुहम्मद बिन तुगलक को अपने शासनकाल में सफलता हासिल नहीं हुई थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मध्यकालीन भारत भाग–1 हरिश्चन्द्र वर्मा दिल्ली 1993
2. मध्यकालीन भारत भाग–1 इरफान हबीब राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली पटना, 1983
3. मध्यकालीन भारत एल.पी. शर्मा लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 27वां संस्करण 2010–11
4. मध्यकालीन भारत वी.डी. महाजन नई दिल्ली 2001
5. मध्यकालीन भारत एस.के. पाण्डे प्रयाग एकेडमी इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2010–11
6. मध्यकालीन भारत हरीश सिंह पियरसन प्रकाशन दिल्ली 2012
7. मध्यकालीन भारतीय डॉ0 वी.एस. भार्गव रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारतीय नारियों की प्रगति में बाधक सामाजिक कुरीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. पूनम मिश्रा*
करुणापति त्रिपाठी**

सारांश

मनुष्य ने अपने विकास की प्रक्रिया में पाषाण युग से वर्तमान युग तक का सफर तय किया है तथा अपनी बद्धि तथा विवेक से वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर चुका है। उसने अपने रहन–सहन और आचार–विचार में आमूलचूल परिवर्तन कर अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उसने सामाजिक संरचना का निर्माण भी कर लिया जो पुरुष और नारी रुपी दो स्तंभों पर टिकी हुई है परन्तु इस संरचना का एक अहम किरदार अभी भी अपनी वास्तविक प्रगति को प्राप्त नही कर सका है। भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्रमशः पतोन्मुख हुई है और जिसका एक प्रमुख उत्तरदायी कारक सामाजिक कुरीतियों की उपस्थिति है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय नारियों की प्रगति में बाधक सामाजिक कुरीतियों का अध्ययन किया गया है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और नारी सृष्टि सृजन का मूलाधार है। मनुष्य के सामाजिक स्थिति की विकासात्मक प्रक्रिया नारियों की सामाजिक स्थिति के विकास के बिना अधूरी हैं। भारतीय नारियों की सामाजिक स्थिति का वैदिक युग में अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन्हे शिक्षा प्राप्ति एवं अपने जीवनसाथी को चुनने का अधिकार प्राप्त था। अपाला, घोषा, कक्षावृत्ति और पौलेमी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय सामाजिक बुराई के रुप में केवल दास प्रथा थी जिसमें दासों की अपेक्षा दासियों के अधिक दान का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु इनका उपयोग केवल घरेलू कार्यो के लिए ही किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में इनकी स्थिति में गिरावट आयी। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया, वही शतपथ ब्राह्मण में उन्हें असत्यभाषी और अनृत कहा गया।

बहुविवाह का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। धीरे–धीरे नारियों के शैक्षणिक आधार में कमी आयी और उनका विधिवत शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। मौर्य युग में उन्हें चहारदीवारी के भीतर रहने को बाध्य किया गया। मेगस्थनीज ने स्त्रियों की खरीद–बिक्री का उल्लेख

* *प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)*
** *शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा .र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)*

किया है। मौर्योत्तर युग में मनुस्मृति में 30 वर्ष के पुरुष का विवाह 12 वर्ष की कन्या के साथ तो 24 वर्ष के पुरुष का विवाह 8 वर्ष की कन्या के साथ होना बतलाया गया है। उन्होने न तो स्त्रियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार को स्वीकार किया और न ही विधवा पुनर्विवाह को अपितु कुछ परिस्थितियों में उनके परित्याग किए जाने की अवश्य अनुमति प्रदान की है।

गुप्त काल में सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। इस समय अल्पायु में विवाह का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। यज्ञवलक्य स्मृति में उपनयन तथा वेदाध्ययन का निषेध किया गया। वृहस्पति ने विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया। गुप्तोत्तर काल में सभी स्मृतिकारों ने 8–12 वर्ष की उम्र में स्त्रियों के विवाह को उचित माना है। पूर्व मध्यकाल में सामंती व्यवस्था के विकास के साथ बाल विवाह, बहुविवाह, सती और जौहर जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की स्थिति को पतनशील बनाने का कार्य किया। सल्तनतकाल और मुगलकाल में पर्दाप्रथा के आरंभ के साथ कई सामाजिक बुराईयों में बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। यद्यपि अकबर, मराठियों और आरंभिक अंग्रेजी अधिकारियों ने सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया किन्तु वे इस दिशा में पूर्ण रुप से सफल न हो सके और इन सामाजिक बुराईयों का प्रचलन जारी रहा।

सती प्रथा :– सती शब्द का शाब्दिक अर्थ है– एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। पति की मृत्यु के पश्चात कुछ परिस्थितियों में हिन्दू पत्नी के जलने की क्रिया को सती प्रथा कहा जाता था और जलने वाली स्त्री को सती कहा जाता था। यह प्रथा कब और कैसे प्रचलित हुई, इस संबंध में कुछ स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नही होते है। जर्मन विद्वान मैक्समूलर का उल्लेख करते हुए इतिहासकार चौपड़ा, पुरी, दास लिखते है ''प्राचीनकाल में किसी अज्ञात समय में यह प्रथा ऋग्वेद के एक अंश की गलत व्याख्या के कारण शुरु हुई।''[1] हिन्दू नियमावली के प्रणेता रघुनंदन ने सती का विवरण दिया है। एक विधवा को चिता में प्रवेश करने से पूर्व ये शब्द बोलने होते है – मैं अरुंधती की भांति स्वर्ग वैभव प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अपार शांति के क्षेत्र में विचरण के लिए मानव शरीर में जितनें बाल है, उतने वर्षो तक अपने पति के साथ सहवास के लिए अपने माता, पिता और ससुर तीनों परिवारों की शुद्धि के लिए जब तक 14 इन्द्र विद्यमान है, तब तक अप्सराओं द्वारा प्रशस्ति प्राप्त करने के लिए अपने पति को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पति की चिता में प्रवेश करती हूॅ। अलबरुनी ने सती प्रथा के संबंध में लिखा है – यदि किसी हिन्दू पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। उसे दो में से केवल एक ही रास्ता चुनना है या तो वह आजीवन विधवा रहे या आत्मदाह कर ले और आत्मदाह का रास्ता ही वांछनीय माना जाता है क्योंकि एक विधवा के रुप में उसे आजीवन दुर्व्यवहार सहना होगा।

पहले यह प्रथा उच्च वर्ग में व्याप्त थी परन्तु बाद में निम्न वर्ग द्वारा भी अपनायी जाने लगी। यह प्रथा मध्यभारत, राजस्थान और दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में ज्यादा प्रचलित थी। हिन्दू परंपरा के अनुसार विधवा को पति की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त होता था। विधवा को इस लाभ से वंचित करने के लिए उसके सगे संबंधियों द्वारा इस प्रथा को अपनाने के लिए बाध्य किया जाने लगा।

1818 ई. में बंगाल के तत्कालीन प्रांतीय गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने बंगाल प्रांत में सती प्रथा पर रोक लगा दी, किन्तु सारे भारत में इस निषेध के फैलने में 11 वर्ष लगे। 4 दिसंबर 1829 ई. को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

बाल विवाह :– बालकों का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाना बाल विवाह कहलाता था। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण अल्पायु में ही बालिकाओं का विवाह करना धर्मसम्मत माना जाने लगा।[2] कौटिल्य ने स्त्री विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और पुरुष की 16 वर्ष निर्धारित की है। मनुस्मृति में 30 वर्ष के पुरुष का विवाह 12 वर्ष की कन्या के साथ तो 24 वर्ष के पुरुष का विवाह 8 वर्ष की कन्या के साथ होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में स्त्रियों का विवाह अल्प आयु में होने लगा था। गुप्तोत्तर काल में सभी स्मृतिकार स्त्री का विवाह 8–12 वर्ष की आयु में कर देने को उचित मानते है। राजपूतों में भी इस प्रथा का काफी प्रभाव था। इस प्रथा का विस्तार मुसलमानों के भारत में आक्रमण के फलस्वरुप देखने को मिलता हैं। अबुल फजल लिखता है कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अकबर ने लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी। सन् 1819 के ऑकड़ो से ज्ञात होता है कि चार वर्ष से कम आयु के 89051 लड़के थे, जिनका विवाह हो चुका था। इसी आयु की लडकियों की संख्या इससे कहीं अधिक थी तथा इसी आयु की 10644 विधवाएँ थी।

बी. एम. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणामस्वरुप 1891 ई. में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। 1930 ई. में भारत सरकार ने शारदा एक्ट पारित कर बाल विवाह को गैर कानूनी बना दिया।

कन्या वध :– यह प्रथा गुप्त रुप से प्रचलित थी। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को हीन समझा जाता था। पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में लिखा है– पुत्र तो प्रकाश के समान है और पुत्री संकट का स्त्रोत है। एक अन्य लेखक के अनुसार – पुत्री तो जन्म लेते ही सारे परिवार को दुखी कर देती है और जब उसका विवाह होता है तो सबसे कुछ न कुछ छीनकर ले जाती है और यौवन के समय न जाने क्या कर बैठे। 1789 ई. में बनारस के ब्रिटिश रेजीडेंट जोनाथन डंकन ने वहाॅ के राजकुमारों में उस प्रथा का पता लगाया। कच्छ और गुजरात के जडेजा राजपूतों में भी इस प्रथा का प्रचलन था। जालंधर के बेदी लोग तो इसका इतना पालन करते थे कि यदि इनमें से कोई व्यक्ति अपने यहाॅ पर लड़की को जीवित रखता तो उसे जात से बाहर कर दिया जाता था।3इस प्रथा के अपनाये जाने के अपने–अपने कारण थे। चौहान राजपूत में इसका कारण आर्थिक था। बेदियों में कन्या वध सामाजिक गौरव की बात समझी जाती थी। कुछ अंधविश्वास भी इस प्रथा के प्रचलन में सहायक थे। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से प्रेरित होकर भी लोग अपनी नवजात कन्याओं की हत्या कर देते थे। उनको नदी में फेंक दिया जाता था और कहा जाता था तू जा भाई को भेज। माॅ द्वारा कन्या को या तो स्तनपान ही नहीं कराया जाता था या अपने स्तनों पर जहर लगा कर मार दिया जाता था। कुछ स्थानों में लड़की के पैदा होते ही उसके मुॅह में गाय

का गोबर ठूॅस दिया जाता था या नाभी की नाड़ी को मुॅह पर लपेट कर तुरंत मार दिया जाता था।

1845 ई. में लार्ड डलहौजी ने राजपूतों तथा कुछ जनजातियों में प्रचलित बालिका वध को निषिद्ध कर दिया और सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 1856 ई. में इस कुप्रथा का अंत हो गया।

बहुविवाह :– मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है, हरिश्चन्द्र की 100 तथा यज्ञवलक्य की 2 पत्नियॅा बताई गयी है। अथर्ववेद के अनुसार स्त्रियों के 4 पति थे– सोम, अग्नि, गंधर्व और वास्तविक पति। बहुविवाह के प्रचलन का संबंध कुलीनवाद से है। कुलीनों ने विवाह को एक व्यवसाय बना दिया। बुकानन ने भी अपनी रचना में कुलीनों का चित्रण किया है– एक कुलीन ब्राह्मण से चाहे वह बूढ़ा ही है, छोटी आयु की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था।......... वे प्रायः अपनी पत्नी पास नही रखते थें अनेक कुली कभी–कभी स्वसुर के घर जाते थे।4इस प्रथा से अनेक बुराईयॅा पैदा हुईं। इस कुप्रथा के परिणामस्वरुप स्त्रियों का जीवन नष्ट हुआ और समाज में अनैतिकता, व्याभिचार आदि फैला। परिवारों में अशांति फैली और आर्थिक कठिनाईयों का जन्म हुआ एवं पर्दा प्रथा की कठोरता में वृद्धि हुई। इस प्रथा के कारण लड़कियॅा शिक्षा से वंचित हुई। बेमेल विवाह होने से वे बचपन में ही विधवा हो जाती थी।

दास प्रथा :– यह प्रथा वैदिक काल में भी विद्यमान थी। दासों की अपेक्षा दासियों के दान करने के अधिक उल्लेख मिलते है किन्तु तब इनका उपयोग केवल घरेलू कार्यो के लिये किया जाता था। परवर्ती काल में मंदिरों में भी देवदासियों का उल्लेख मिलता है। जब मंदिरों की सम्पन्नता में वृद्धि हुई तो पुरोहितों में सांसारिक भोग विलास के प्रति सम्मोहन बढ़ा तथा उत्तर मध्यकाल तक आते–आते पुरोहितों ने देवदासियों का पूरी तरह से यौनशोषण आरंभ कर दिया। इस प्रकार देवदासी प्रथा जो अतीत में गौरव का विषय समझी जाती थी, वह अब शनैः–शनैः घृणित रुप में जानी जाने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण संबंधी नियम कार्यान्वित करते समय रंग और रुप के आधार पर दासियों का मूल्य निर्धारित किया था। विजयनगर के हिन्दू राज्य में इस प्रथा को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। फिरोजशाह तुगलक ने तो दास–दासियों के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अमीरों के हरम तथा महलों में दासियॅा होती थी। वधू के साथ दहेज के रुप में दासियॅा उपहारस्वरुप भेंट की जाती थी।

1811 ई. में भारत में दासों को बाहर से लाया जाना अवैध घोषित कर दिया गया। 1843 ई. में कानून बनाकर दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया।

पर्दा प्रथा :– मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत वर्ष में पर्दा प्रथा का अभाव था।5 हिन्दू नारी केवल घूॅघट के द्वारा ही अपने मुख को ढॅका करती थी, परंतु मुसलमानों के आगमन के पश्चात दोनों समाजों में पर्दा प्रथा को विशेष बल मिला। मुसलमानों के सबसे बड़े दर्शनाचार्य अल गजाली ने लिखा है – जहॅा तक संभव हो औरत को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, न उन्हे छत पर जाने, न दरवाजे के पास खड़ा होने देना चाहिए। औरत

न तो अजनबियों को देखे, न उन्हें अपने आपको देखने का मौका दे क्योंकि सारी शरारतों की जड़ निगाह में होती है। इस समय के समाज में पर्दा प्रथा इस सीमा तक पहुॅच गयी थी कि उच्च वर्ग की बीमार नारियों को हकीम एवं वैद्य भी नहीं देख सकते थे। उनकी बीमारी का जानने के लिए उनके शरीर से एक कपड़े के टुकड़े को स्पर्श कराकर हकीम एवं वैद्य को दे दिया जाता था, जो उस कपड़े को सूॅघकर बीमारी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते तथा उसी के अनुसार इलाज किया करते थे। यदि कोई स्त्री पर्दा प्रथा का पूर्ण पालन नहीं करती थी तो उसका पति उसको तलाक दे दिया करता था। रजिया एवं नूरजहॉ इसका मात्र अपवादस्वरुप लगती है।

वैश्यावृत्ति :– देवदासी की भॉति वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा था।6इसके द्वारा राज्य की आय में वृद्धि होती थी जिसके कारण इस प्रथा को समाप्त नही किया गया परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा का अंत करने का भरसक प्रयत्न किया तथा नगर की समस्त वैश्याओं को एक निर्धारित समय के भीतर विवाह करने को बाध्य किया था। कालांतर में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये अकबर ने भी प्रयास किया एवं इनके रहने हेतु शहर से बाहर स्थान प्रदान किया गया। इन वैश्याओं के माध्यम से भारतीय नृत्य एवं संगीत कला का अभूतपूर्व विकास हुआ।

नारी अशिक्षा :– भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीनकाल में स्त्री और पुरुष समान रुप से शिक्षा प्राप्त करते थे। वैदिक युग में अपाला, घोषा, कक्षावृत्ति तथा पौलेमी जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लख प्राप्त होता है। गुप्तकाल में इनके उपनयन संस्कार का निषेध प्राप्त होता है। मध्यकाल में प्राचीन काल की भॉति स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। भारतीय नारी, खासकर हिन्दू नारी का आदर्श तो यही था कि वह स्नेहमयी मॉ और पतिव्रता पत्नी के रुप में गृहस्थ संबंधी कर्त्तव्यों का पालन करती हुई पवित्रता तथा सामाजिक अलगाव का जीवन बिताए। वास्तव में 1849–50 से पहले भारत के किसी भी भाग में स्त्री शिक्षा सरकारी योजना का मान्यता प्राप्त अंग नहीं थी। 19वीं सदी में यदि कोई पुरुष अच्छी अंग्रेजी बोलता या लिखता था तो वह प्रशंसा का पात्र समझा जाता था, इसके विपरीत यदि कोई स्त्री थोड़ी से भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती तो उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लोग ऐसा मानते थे कि शिक्षा प्राप्त स्त्री अंग्रेजी स्त्रियों की भॉति सोचने, विचारने और व्यवहार करने लगेगी। हिन्दू समाज में प्रचलित बाल विवाह की प्रथा भी स्त्री शिक्षा में बाधक थी। दूसरी अन्य कुप्रथायें भी स्त्री शिक्षा की प्राप्ति में बाधक थी।

इस प्रकार इन सामाजिक कुरीतियों में कुछ का अंत हो गया है तो कुछ में पर्याप्त कमी आयी है किन्तु नये युग के साथ नई तरह की सामाजिक बुराईयॉ देखने को मिल रही है। दहेज प्रथा को कठोर कानून बनाने के बाद भी नहीं रोका जा सका है। बाल विवाह राजस्थान और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपनी पैठ बनाए हुए है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा अभी भी कायम है और हिन्दूओं में भी शहरी क्षेत्रों को छोडकर यह बुराई जीवंत है। नारियों के प्रति टीजिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों में लगातार बढोत्तरी देखने को मिल रही है। बलात्कार की संख्याओं में इजाफा हुआ है और निकट संबंधियों तथा

नाबालिग बालकों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाने से संपूर्ण समाज कलंकित हुआ हैं। दिल्ली का निर्भया कांड इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। लिव इन रिलेशनसिप जैसी नयी अवधारणाओं के साथ समाज तारतम्य नहीं बैठा पा रहा है। लड़कियों कों शिक्षा प्राप्ति में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें छेडछाड़ तथा बलात्कार जैसी घटनाओं से रुबरु होना पड़ रहा है। शिक्षकों के भी भक्षक बनने के उदाहरण मिल रहे है। बेंगलूर में एक के बाद एक हुई घटनाओं ने समाज को शर्मसार किया है। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठायें है किन्तु वें इनको रोक पाने में सफल नहीं हो पा रहे है। इस दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करने होगे जिससे यथाशीघ्र इन सामाजिक बुराईयों से हमारा देश मुक्त हो सके तभी सही मायनों में विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. चौपड़ा, पुरी, दास, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, खंड–3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, 2007, पृ. 90
2. सिंह, प्रताप, आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1999, पृ. 7
3. चौपड़ा, पुरी, दास, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, खंड–3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, 2007, पृ. 85
4. मित्तल, सतीश चन्द्र, भारत का सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास, हरियाणा साहित्य अकादमी, पृ. 29
5. अल्टेकर, ए.एस, दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ. 206
6. अशरफ, के. एम., हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियॉ, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली वि.वि. दिल्ली 1990, पृ. 227

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारत की महिलाओं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में योगदान

डॉ. पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

सारांश

मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह अपने सद्कार्य से इतिहास में अपना स्थान बना लेता है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारतीयों ने जो यातनाएँ झेली, उसके विरोध में 1857 ई. का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। इसमें सभी वर्ग के लोगो ने अपना योगदान दिया पर जिस प्रकार महिलाएँ अपने घर की चारदीवारी से बाहर आयी तथा अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारियों का सहयोग किया व स्वयं भी संघर्ष किया। उसी का वर्णन इस शोध पत्र के माध्यम से किया गया है।

नारी ईश्वर का वरदान है। उसकी महत्ता को किसी भी समाज में नकारा नही जाता क्योंकि समाज के निर्माण में उसका अमूल्य योगदान है। नारी के पास प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे गुण होते है जो केवल नारी को ही प्राप्त हुए है। इनमें महत्वपूर्ण गुण है सेवा भावना। नारी भिन्न–भिन्न रुपों में परिवार, समाज व देश की सेवा करती है। प्राचीन भारतीय समाज में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'जहॉ कही अपने आप को उत्सर्ग करने की भवना प्रधान होती है वही नारी है।' 1857 ई. का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद कराने का पहला प्रयास था। अनेक भारतीय पुरुषों ने इसमें भाग लिया । स्वाधीनता की इस पहली लड़ाई में भारत के हर वर्ग ने अपना सहयोग दिया। हिन्दू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष सब मिलकर लड़े। भारत की महिलाओं का प्रथम स्वतंत्रता में योगदान अद्वितीय रहा है। उन्होने जिस निर्भीकता और अदम्य उत्साह का परिचय दिया वह हमारे इतिहास की धरोहर है।

अवध के नवाब वाजिद अलीशाह की बेगम हजरत महल 1857 ई. की क्रांति की एक महान नेत्री थी। वैसे हमें उनके वंश आदि की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। उनकी सुंदरता और नृत्य कला से प्रभावित होकर वाजिद अलीशाह ने इन्हें अपनी बेगम बना लिया था। इस समय नवाब तथा दूसरे किसी व्यक्ति को यह अनुमान तक नहीं था कि बेगम अपनी बुद्धिमत्ता, राज्य संचालन तथा युद्ध आदि की कुशलता से एक दिन सल्तनत–ए–अवध

---

* *प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)*
** *शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)*

की जनाब–ए–आलियॉ के रुप में सम्मानित होगी।[1] 1857 ई. के तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड डलहौजी की नीति भारतीय रियासतों को हडप कर कंपनी में मिलानें की थी। डलहौजी अवध के नवाब के विलासितापूर्ण जीवन से परिचित था, अतः उसने तुरंत अवध की रियासत को हडपने की योजना बनी ली। जब डलहौजी के द्वारा भेजे गए समझौता पत्र पर वाजिद अलीशाह ने हस्ताक्षर नहीं किया तो 1856 ई. में उसे नजरबंद कर कलकत्ता भेज दिया गया और डलहौजी ने नवाब के 11 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। वह तो एक नादान बालक था अंग्रेजों की यह चाल थी कि वे नादान बालक को गद्दी पर बिठाकर अवध की नवाबी को हडप कर जाना चाहते थे। उन्हे यह पता नही था कि नवाब वाजिद अलीशाह की बीबी बेगम हजरत महल बारुद के समान भयंकर है। उन्होने आगे बढ़कर अपने बेटे की ओर से लखनऊ के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली व स्वयं राजकाज देखने लगी।[2] बेगम हजरत महल एक योग्य शासिका सिद्ध हुई। अवध में मई 1857 में विद्रोह हो गया जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अंग्रेजों को अवध में पराजय का मुॅह देखना पड़ा पर वे इतनी सरलता से पीछे हटने वाले नहीं थे। बेगम हजरत महल ने पुनः अपनी सेना संगठित की, फलतः मुक्तिसेना और अंग्रेजों की फौज में घमासान युद्ध हुआ। यह 6 से 15 मार्च 1858 ई. तक चला अंततः लखनऊ अंग्रेजों के अधीन हो गया। बेगम हजरत महल काठमांडू पहॅुच कर रहने लगी जहॉ फिर से अंग्रेजों से उनका मुकाबला हुआ। नेपाल के महराजा ने बेगम के साथियों से चले जाने को कहा। वह बेगम और उनके पुत्र को शरण देने को तैयार थे। नेपाल के इस अंतिम युद्ध के पश्चात बेगम हजरत महल की गतिविधियॉ धीमी पड़ गयी। यदि गोरखा सिपाहियों ने अपने महाराजा के नेतृत्व में बेगम का साथ दिया होता तो आज भारत का इतिहास निश्चित ही कुछ और होता।[3] काठमांडू में ही बेगम का निधन हो गया। उनकी कब्र काठमांडू में सडक के किनारे बनी हुई है।

वाराणसी में जन्मी महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। ये झॉसी के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी। तीन महीने की उम्र में जब उनका पुत्र जीवित नही रहा तो पुत्र शोक में गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने अपनी हडप नीति के अनुसार झॉसी के गोद लिए पुत्र दामोदर राव को अमान्य कर दिया तथा झॉसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैधानिक रुप से झॉसी राज्य वापस न मिलने पर तथा इसी समय प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तथा अपनी वीरता से अंग्रेजों के दॉत खट्टे कर दिये पर आखिर में जनरल ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। ''महारानी लक्ष्मीबाई के समान साहसी, शस्त्र विशारद, युद्ध कुशल वीरांगना कोई शायद ही संसार में रही हो। कुछ लोग झॉसी की रानी की तुलना फ्रांस की बहादुर कन्या जान ऑफ आर्क से करते है पर ठीक से विचार करने पर लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई में अधिक युद्ध क्षमता व प्रशासनिक योग्यता थी।''[4] लक्ष्मीबाई नारी जाति का गौरव थी जिस पर भारत को गर्व है।

आजादी की लड़ाई में महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों, युवाओं सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यहॉ तक कि लड़ाई में छोटे–छोटे बच्चों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस प्रकार अपने प्राणों की बलि देने वालों में दो वीरांगनाओं का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है – चम्पा और मैना। मैना देवी बिठूर के नाना साहब पेशवा की प्रिय दत्तक पुत्री थी। आंदोलन में तेरह वर्षीय मैना ने अपने सिपाहियों की अलग–अलग टोलियॉ बना कर अंग्रेजों की सेना पर हमले शुरु कर दिए। नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक शानदार योजना तैयार की। इस योजना को कार्यरुप में परिणित करने के लिए नाना साहब का कुछ समय के लिए बिठूर छोड़ना आवश्यक था। वे बिठूर के राजमहल में अपनी 13 वर्षीय पुत्री मैना को न चाहते हुए भी छोड़ने को मजबूर थे। मैना ने कहा – ''मै अपनी इज्जत की रक्षा करना जानती हूॅ, आप मेरी चिंता न करे। मै यहीं रह कर क्रांतिकारियों को सूचनायें पहॅुचाती रहॅूगी।''[5] नाना साहब के जाने के बाद मैना अकेली रह गयी। नाना साहब उसकी सेवा के लिये चार–पॉच सेविकाऍ व कुछ सैनिक छोड़ गये थे। अंग्रेजों के आने पर मैना देवी रौद्र रुप धारण कर एक शेरनी की भॉति प्रकट हुई पर अंततः गिरफ्तार कर ली गई। मैना को गिरफ्तार कर अंग्रेज सैनिक बड़े खुश हुए कि मैना के द्वारा सारे रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा और वे आसानी से नाना साहब को परास्त कर देंगे परंतु कई यातनायें देने के बाद भी जब मैना देवी ने कुछ नहीं बताया तो अंग्रेजों ने उसे जिंदा जलती हुई लकड़ियों के ढेर में फेंक दिया।

1857 ई. की क्रांति की एक नायिका अजीजन बेगम अपने समय की प्रसिद्ध नर्तकी थी। धन वैभव का उनके पास अभाव नही था। इनके पिता उस समय के विख्यात गायक थे। वह केवल एक साधारण नर्तकी नही थी बल्कि उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। 1857 ई. का महान जन आंदोलन कानपुर में फैल चुका था। अजीजन यह जानती थी कि कंपनी सरकार को परास्त करना टेढ़ी खीर है फिर भी उन्होने भारत मॉ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए नाच रंग के जीवन का परित्याग करके क्रांतिकारियों का साथ देने का निर्णय किया। कानपुर के अजीजन बाई ने महिलाओं का एक दल बनाया जो अवसर पड़ने पर क्रांतिकारियों की सहायता करता था। अजीजन बाई दिन में मर्दाना भेष बनाकर लड़ती थी और रात को वह छावनी में नृत्य और संगीत की महफिलें सजाती थी। अधिकारी जब मदिरा पी कर मदहोश हो जाते तो वह उनसे सैनिक राज उगलवाकर उनका भेद तात्या टोपे तक पहॅुचा देती थी। अपने काम के लिए उन्होने ''मस्तानी महिला मंडली'' का गठन किया था। इन महिलाओं को स्वयं उन्होनें ही प्रशिक्षित किया था। सिपाहियों की मदद व औरतों की सेना में भर्ती तथा हौसला बढ़ाना आदि प्रकार से अजीजन ने अपना योगदान दिया। उसकी वीरता में खुदगर्जी की झलक नहीं थी। कानपुर का युद्ध 21 दिन तक चला। अजीजन बाई कानपुर पराजय के बाद पकड़ी गयी। उनके समक्ष अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी भूल स्वीकार कर लें तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। अजीजन ने साफ कहा कि वह अंग्रेजों से माफी नहीं मॉग

सकती। अजीजन परिणाम से परिचित थी, देखते ही देखते अंग्रेजों ने गोलियों से अजीजन बाई के शरीर को धराशायी कर दिया। हम उनके त्याग और बलिदान से सदा सीख लेते रहेंगे।।

बेगम जीनत महल दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की प्रिय बेगम थी। बादशाह को अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के संचालन की प्रेरणा जीनत महल ने ही प्रदान की थी। जब मेरठ से क्रांति की लहर चल पड़ी थी, बिठूर के नाना साहब पेशवा और अन्य क्रांतिकारियों ने बहादुरशाह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया तो वह तुरंत ही कोई उत्तर न दे सके। उन्हें असमंजस में देख कर बेगम जीनत महल ने परदे के पीछे से कहा – ''यह समय गजलें कहकर दिल बहलानें का नहीं है। आज पूरें हिंदुस्तान की ऑखें दिल्ली और आप पर लगी हुई है। खानदाने मुगलिया का खून हिन्द को गुलाम बनने से नहीं रोकेगा तो तारीख उसे कभी माफ नही करेगी।''6इससे प्रभावित होकर बहादुरशाह ने क्रांति की बागडोर संभाली। जीनत महल ने प्रजा में घोंषणा कराई कि वे सब अंग्रेजों का मुकावला करने को तैयार हो जाएँ । पर्दे के पीछे बैठकर बेगम बहादुरशाह को प्रत्येक मामलें में सुझाव व मशवरा देती थी। 19 सितम्बर 1857 ई. को बहादुरशाह को लाल किले में नजरबंद कर दिया गया। जीनत महल भी पकड़ ली गई। अंग्रेजी सरकार ने उन्हे रंगून जेल भेज दिया। रंगून में ही 1862 ई. बहादुरशाह की मृत्यु हो गई। बेगम को अंग्रेजी सरकार ने अपराधी घोषित करके उन्हे अनेक कष्ट दिए। भारत उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा।

रानी ईश्वरी कुमारी तुलसीपुर के शासक हगराज सिंह की पत्नी थी। तुलसीपुर 1857 ई. में बहुत ही छोटा सा जनपद था। वर्तमान में गोंडा– गोरखपुर रेलबे स्टेशन पर एक छोटा स्टेशन तुलसीपुर है। अंग्रेजी विरोध के कारण राजा को बंदी बना कर नजरबंद कर दिया गया। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 1857 ई. की क्रांति में रानी ने कंपनी सरकार का विरोध किया व सीमित साधन होते हुए भी युद्ध करने का निर्णय लिया। इसी समय जब नाना साहब और बेगम हजरत महल ने टेहरी गढवाल भागते हुए तुलसीपुर में रानी ईश्वरी कुमारी के पास शरण ली तो अंग्रेजी सरकार ने चारों ओर से तुलसीपुर को घेर लिया। जब विधवा रानी को अंग्रेजों के आने की सूचना मिली तो उन्होनें तुरंत नाना साहब व बेगम हजरत महल को बहुत सारा सामान दे कर सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया। अंग्रेजों ने तुलसीपुर पर अधिकार कर लिया पर नाना साहब और हजरत महल आदि विद्रोहियों को पकड़ नहीं सके। ईश्वर कुमारी का अपराध था कि उन्होनें क्रांतिकारियों की सहायता की। शत्रुओं के हाथों मरने की अपेक्षा स्वयं मरना श्रेयस्कर समझ कर तुलसीपुर छोड़ दिया। ये अंतिम युद्ध तक बेगम हजरत महल के साथ थी।

मध्यप्रदेश की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ के राजा विक्रमजीत की असामयिक मृत्यु से यहॉ की बागडोर रानी ने सॅभाली। रानी द्वारा विद्रोह करने से उनका अंग्रेजों से संघर्ष अनिवार्य हो गया था। जब अंग्रेजों ने रामगढ़ पर धावा बोला तो रानी ने स्वयं युद्ध का

संचालन किया। सीमित साधन होने के कारण उन्होने रीवा के राजा से मदद की याचना की परंतु रीवा राजा ने रानी का नहीं अंग्रेजों का साथ दिया। निराश हो कर रानी जंगलों में भाग गई व अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये अपनी ही तलवार से आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या उनकी कायरता नहीं बल्कि आत्मबलिदान का परिचायक थी।7 इसी क्रम में जालौन राज्य की रानी तेजबाई भी थी जिन्होने अप्रत्यक्ष रुप से क्रांति में भाग लेकर क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ाया। उन्हे इसके लिए 12 वर्ष की सजा दी गई।

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन महिलाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी महिलाएँ थी जिन्होने अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया तथा स्वयं भी अंग्रेजों से संघर्ष किया। यह बात सत्य है कि अनेक प्रकार के विरोध तथा प्रयासों के बाद भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंततः असफल रहा और अंग्रेजों की विजय हुई। पर इसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारी और वीरांगनाओं ने जिस जज्बे से इसमें अपना योगदान दिया वह सराहनीय था। जिस महिला को घरों के अंदर रहने को कहा जाता था तथा उसे अबला समझा जाता था, उसने इस संग्राम में योगदान देकर अपने आप को सबला घोषित किया। भविष्य के आंदोलनों में भी इनकी भूमिका सक्रिय रुप से रही। इस आंदोलन के 100 वर्षो के भीतर ही देश को आजादी प्राप्त हुई जिसमें महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा।

संदर्भ ग्रंथ

1. स्याल, शांतिकुमार, गौरवशाली भारतीय वीरांगनाएँ, आत्माराम एण्ड सन्स लखनऊ, 2007, पृ. 74
2. चौहान, लाल बहादुर सिंह, भारत की गरिमामय नारियाँ, लखनऊ, 2001 पृ. 140
3. बानो, सरताज, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान, नई दिल्ली, 2005 पृ. 17
4. मिश्रा, डॉ पूनम, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, लघु शोध परियोजना प्रसंविदा, इतिहास विभाग टी.आर.एस. महा. रीवा, 2013, पृ. 113
5. स्याल, शांतिकुमार, गौरवशाली भारतीय वीरांगनाएँ, आत्माराम एण्ड सन्स लखनऊ, 2007, पृ. 97
6. बानो, सरताज, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान, नई दिल्ली, 2005 पृ. 19
7. मिश्रा, डॉ. भरत, 1857 ई. की क्रांति और उसके प्रमुख क्रांतिकारी, नई दिल्ली, 1992 पृ.78—80

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

मुगलकालीन ऐतिहासिक साहित्य : एक अवलोकन

डॉ. पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

सारांश

साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी युग में लिखा गया साहित्य उस समय की सामाजिक परंपरा तथा उनकी स्थिति को भली भॉति चित्रित करता हैं। मुगल काल भी साहित्य लेखन की दृष्टि से पीछे नही था। उस समय अनेक फारसी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत आदि ग्रंथों की रचना हुई जो उनके आगमन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला आदि के बारे में बताता है तथा यह चित्रित करता है कि वह युग कितना स्वर्णिम था। इस काल में लिखे गये विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन इस शोध पत्र में किया गया।

भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ई. में बाबर ने की थी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक और उसके बाद मुगलवंश के पतन तक मुगल काल में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई। इस समय विभिन्न प्रकार के और विभिन्न भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ। नवीन रचनाओं और अनुवाद दोनो ही दृष्टि से इस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य के विकास को राजदरबारों के संरक्षण से विशेष सहायता मिली। दरबारी इतिहासकारो के अलावा स्वयं मुगल बादशाहों एवं राज परिवारो के अनेक विद्वानों ने साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। इस काल में की गई रचनाएँ आज भी महत्वपूर्ण है।

फारसी भाषा का साहित्य

मुगल काल में फारसी साहित्य की विशेष प्रगति हुई। अतः सर्वाधिक साहित्यिक ग्रंथों की रचना फारसी में हुई। फारसी भाषा में ही इतिहास, जीवन वृत्तांत संस्मरण लिखे गए एवं संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। फारसी साहित्य के विषय में तो स्वयं बाबर एक विद्वान था और अरबी, फारसी और तुर्की का उसे गहरा ज्ञान था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने अपनी आत्मकथा तुजके–बाबरी अथवा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा गया है।

* *प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)*
** *शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)*

बेबरीज का मत है कि यह बाबर की आत्मकथा उन अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथों में से है जो अमर है।[1] यह इतनी श्रेष्ठ मानी गयी है कि इसका तीन बार फारसी में अनुवाद किया गया। इसी के समय मिर्जा हैदर ने तारीख ए रसीदी की रचना की। बाबर का पुत्र हुमायूॅ तुर्की तथा फारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूॅ की जीवनी हुमायूॅनामा लिखी जिसमें हुमायूॅ के कार्यकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हुमायूॅ के समय की अन्य रचनाओं में ख्वांदमीर की कानून ए हुमायूॅनी, जौहर की तजकिरात उल वाकयात एवं शेख वायजित की तारीख ए हुमायूॅ का जिक्र किया जा सकता है।

साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जा सकता है। यद्यपि अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था परंतु उसने अपनी उदारता से ऐसा वातावरण बनाया कि उसके समय में साहित्यिक प्रगति सबसे अधिक हुई। अकबर के समय तक उत्तरी भारत में फारसी भाषा का इतना प्रचलन हो गया था कि फारसी के अलावा स्थानीय भाषा में कागजात को रखना ही बंद कर दिया गया। फारसी गद्य और पद्य अकबर के शासनकाल में अपने शिखर पर थे।[2] उसने विभिन्न भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों के फारसी में अनुवाद हेतु अनुवाद विभाग को स्थापित किया। अकबर कालीन फारसी साहित्य को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–ऐतिहासिक ग्रंथ, अनुवादित ग्रंथ, कवितायें एवं पद्य। इस समय की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएॅ है–अबुल फजल की आइने अकबरी एवं अकबरनामा, बदायूॅनी की मुन्तखव उत तवारीख, निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी, फैज सरहिंदी का अकबरनामा, अहमदयादगार की तारीख ए सलातीन आदि। अबुल फजल एवं बदायूॅनी इस समय के सबसे अधिक ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे। अकबर के समय में कई श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया गया– महाभारत (रज्मनामा), रामायण, लीलावती, राजतरंगणी, नलदमयंती, पंचतंत्र तथा हरिवंश पुराण आदि। इस समय काव्य साहित्य की भी प्रगति हुई। कसीदे, रुबाइयॉ एवं गजल लिखे गए। गिजाली, फैजी और उत्बी का इस क्षेत्र में विशेष योगदान है।[3]

जहॉगीर की अच्छी साहित्यिक अभिरुचि थी। उसने भी विद्वानों का पोषण किया। सामग्री और शैली की दृष्टि से उसकी आत्मकथा का बाबर की आत्मकथा के बाद ही स्थान है। जहॉगीर ने तुजुक ए जहॉगीरी की रचना की परंतु इसे पूरा नहीं कर सका इसे बाद में मुतमिद खॉ ने पूरा किया तथा इसे इकबालेनामा ए जहॉगीरी नाम दिया इसके समय जो अन्य ग्रंथ फारसी में लिखे गए उनमें मासिर ए जहॉगीरी और जद उल तवारीख है। इसके समय में विद्वानों व कवियों में निशापुर के नासिरी, ग्यासबेग, नसीब खॉ, नियामतउल्ला खॉ आदि थे। अपने पिता और प्रपितामह की तरह शाहजहॉ ने भी विद्वानों को संरक्षण देने की नीति अपनाईं। इनमें से अबूह जालिह कलीय, हाजी मुहम्मद जान और चंद्रभान ब्राम्हण विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहॉ के काल में बहुत ऐतिहासिक साहित्य लिखा गया। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा। इनायत खॉ ने शाहजहॉनामा और मुहम्मद सालेह ने अमल ए सालेह की रचना की। शाहजहॉ का ज्येष्ठ पुत्र दारा बड़ा

ही विद्वान था। वह अरबी, फारसी व संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। उसने कई संतों की जीवनियॉ लिखी। उपनिषदों, भगवदगीता, योग वशिष्ठ के अनुवाद भी किए। उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मज्म उल बहरीन थी जिसमें उसने यह दिखानें का प्रयास किया है कि हिन्दू धर्म और इस्लाम एक ही लक्ष्य के दो मार्ग है और वे मिलकर एक हो सकते है।[4] औरंगजेब और उसके पश्चात फारसी साहित्य का विकास धीमा पड गया। औरंगजब मुस्लिम धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र का अच्छा विद्वान था पर उसे काव्य में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने समय में इतिहास लिखे जाने के विरुद्ध था पर फिर भी कई रचनायें की गई–खफी खॉ कृत मुन्तखब उल लुबाब, मिर्जा मुहम्मद कासिम का आलमगीरनामा, ईश्वरदास नागर की मासिर ए आलमगीरी, भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशाँ, सुरजनराय का खुलासत उत तवारीख आदि।

उर्दू भाषा का विकास

उर्दू साहित्य का उद्‌भव एवं विकास अपने प्रारंभिक चरण में कुछ स्पष्ट नहीं है। संभवतः अन्य भाषाओं के साहित्य के समान उर्दू में भी साहित्य का सृजन एवं विकास पद्य में हुआ। पहले इसे 'जबान ए हिंदवी ' पुकारा गया परंतु बाद में इसका नाम उर्दू हो गया। अमीर खुसरो पहला विद्वान था जिसने उर्दू भाषा को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने उर्दू को कोई संरक्षण नहीं दिया। मुगल बादशाहों में मुहम्मदशाह पहला बादशाह था जिसने उर्दू को अपनाकर उसका प्रसार किया। उत्तर मुगलकाल के प्रमुख शायर इस प्रकार है– मिर्जा रजब अली बेग सहर, मिर्जा मुहम्मद, मीर मुहम्मद तकी मीर, मीर हसन, शेख गुलाम खॉ रंगीन, शेख इब्राहिम जोंक आदि।[5] बाद के काल में अंग्रेजों ने भी उर्दू को प्रोत्साहन दिया।

हिन्दी भाषा का साहित्य

मुगलों के भारत में आने के समय तक हिन्दी भाषा ने साहित्यिक भाषा का रुप ग्रहण कर लिया था। बाबर, हुमायूँ और शेरशाह के समय में हिन्दी को राजकीय संरक्षण प्राप्त नही हुआ पर व्यक्तिगत प्रयासों से पद्‌मावत और युगावत नामक दो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। मध्यकालीन हिन्दी कविता में तीन प्रकार की काव्यधारा मिलती है– मुक्तक नीतिकाव्य, निबंधात्मक नीति काव्य, प्रबंधात्मक नीतिकाव्य। प्रथम वर्ग के अंतर्गत रहीम, वृंद तथा कबीरदास के दोहे आते हैं। द्वितीय के अंतर्गत सास बहू नीति आदि आते है तथा तीसरे के अंतर्गत सुंदरदास की बावनी, किसनकृत किसन बावनी आदि आतें है।[6] अकबर का राज्यकाल हिन्दी काव्य का स्वर्ण युग था। उसकी उदारता और धार्मिक सहनशीलता की नीति ने हिन्दी साहित्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय राजा बीरबल, राजा मानसिंह, भगवानदास, नरहरि और हरिनाथ राजदरबार से संबधित विद्वान थे। उस समय के हिन्दी विद्वानों में तुलसीदास और सूरदास का विशेष महत्व था। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनयपत्रिका के माध्यम से राम भक्ति का प्रचार किया। सूरदास ने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनायें की। इनके अलावा

मीराबाई, नंददास ने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनायें की है। इस काल में हिन्दी के मुसलमान कवि भी हुए है। इसमें अब्दुर्रहीम खानखाना तथा रसखान का नाम प्रमुख है, इनकी रचनायें हिन्दी साहित्य की अमुल्य निधियॉ है।

जहॉगीर व शाहजहॉ ने हिन्दू विद्वानों का सम्मान किया। जहॉगीर का भाई दानियाल हिन्दी में कविता करता था। उसके दरबार में बिसनदास, मनोहरलाल आदि हिन्दी के विद्वान थे। शाहजहॉ ने भी अपने ग्रंथ की परंपरा को बनाए रखा और अपने राज्यकाल के प्रारंभ में ही उसने तिरहुत के दो हिन्दी कवियों को खिलअत प्रदान की। इसके समय मे कविराय, चिंतामणि, मतिराम, बिहारी आदि विद्वान रहते थे। कवीन्द्र आचार्य ने कविन्द्र कल्पतरु की रचना की।[7] केशवदास द्वारा रचित कविप्रिया और अलंकार मंजरी उस युग के पिंगल और छंदशास्त्र के अनुसार आदर्श रचनायें मानी जाती है। औरंगजेब ने हिन्दी को संरक्षण नहीं दिया।

संस्कृत भाषा के साहित्य

इस युग में संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठ रचनाओं का अभाव रहा परंतु फिर भी संस्कृत भाषा की स्थिति पूर्ववर्ती सल्तनत काल से अच्छी रही। अकबर ने संस्कृत के विद्वानों का सम्मान किया। उसके समय में संस्कृत और फारसी भाषा का एक कोश फारसी प्रकाश तैयार किया गया। दरभंगा के महेश ठाकुर ने अकबर के समय का इतिहास संस्कृत में लिखा। जैन विद्वान पद्मसुंदर ने अकबरशाही श्रंगारदर्पण लिखा, जैन आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित्र में अकबर के दरबार में गए जैन साधु के बारे में लिखा। जहॉगीर व शाहजहॉ ने भी अकबर की परंपरा को स्थापित रखा। शाहजहॉ के समय कवीन्द्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित राज्य के कवि थे और जगन्नाथ पंडित ने रसगंगाधर और गंगालहरी की रचना की। औरंगजेब ने संस्कृत को संरक्षण देना समाप्त कर दिया। हिंदू राजाओं से इसे संरक्षण मिलता रहा पर बाद में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई।[8]

क्षेत्रीय भाषा के साहित्य

क्षेत्रीय साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ। बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ओड़िया, राजस्थानी, तमिल, तेलगू में काफी प्रगति हुई। बांग्ला भाषा के प्रमुख कवि थे– कृष्णदास, कविराज, वृंदावनदास, जयचंद्र, नरहरि चक्रवर्ती एवं मुकुंददास चक्रवर्ती तथा प्रमुख रचनाएँ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, कृतिवास की रामायण आदि। एकनाथ और तुकाराम की रचनाओं से मराठी साहित्य एवं सिक्ख गुरुओं की रचनाओं में पंजाबी भाषा का विकास हुआ।

इस प्रकार मुगल काल में साहित्यिक दृष्टि से बहुत उन्नति हुई और इस दृष्टि से यह युग भारतीय इतिहास में गौरव पूर्ण माना गया है। इस गौरव पूर्ण इतिहास में साहित्य का जितना योगदान रहा वह किसी अन्य क्षेत्र में शायद ही देखने को मिलता।

संदर्भ ग्रंथ

1. महाजन, बी.डी., मध्यकालीन भारत (1000–1761ई.), एस चंद्र, दिल्ली, 2007, पृ. 200
2. चंद्र, सतीश, मध्यकालीन भारत, ओरियंटल ब्लैकस्वान, दिल्ली, पृ. 281
3. मजूमदार, राय, चौधरी, मध्यकालीन भारत–2, मद्रास 1990, पृ. 291
4. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल, मध्यकालीन भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, आगरा, पृ. 113
5. राधेशरण, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति (1200–1750ई.), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007, पृ. 627–628
6. वर्मा, हरिश्चंद्र, मध्यकालीन भारत भाग–2, दिल्ली वि.वि., 2006, पृ. 614
7. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल, मध्यकालीन भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, आगरा, पृ. 120
8. शर्मा, एल.पी., मध्यकालीन भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 2009, पृ. 342

ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA Vol.-II

Comming in APRIL, 2015

A National Registered Research Journal

Quaterly Bilingual (English/Hindi)

We are provide a plateform for the publication of original unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Thesis and Book.

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

प्रतिमा निर्माण की ऐतिहासिक परम्परा

डॉ. प्रो. विभा श्रीवास्तव*

प्रतिमा निर्माण की परम्परा अति प्राचीन है। सैन्धव सभ्यता के आरंभ से ही इसके प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। यहॉ से अनेक मिट्टी की नारी मूर्तियॉ प्राप्त हुई है जो सामान्य दुनियावी मूर्तियों से भिन्न है। इन मूर्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा किसी देवी का अंकन अभिष्ट था। मोहन जोदड़ों से प्रस्तर निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका कायाभाग के साथ मस्तक सुरक्षित है।[1] इस पुरूष आकृति के मुख पर दाढ़ी है वह उत्तरीय ओढ़े हुए है जिन पर तिफुलियॉ अलंकरण किया गया है और बाल बीच में भली–भांति सवार कर एक फीते से बॉध दिये गये है। मूर्ति के नेत्र लम्बे, कम चौड़े और अधमुॅदे है ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। इस मूर्ति के उत्तरीय पर जिस प्रकार तिफुलियॉ आकृति खीचीं गई है वैसी आकृति का निर्माण मिश्र, कीट, मेसापोटामिया आदि में भी होता था, जहॉ उसका संबंध देव मूर्तियों से था।[2] इससे यह स्पष्ट होता है कि यह निश्चित ही किसी न किसी धर्म से संबंधित होगी। यहॉ से प्राप्त प्रतिमाओं के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है। श्री बनर्जी के मतानुसार ''कुर्मासन'' से बैठे हुए इस मानव को भैंस, गेड़ा, हाथी, बाघ, बराह एवं एक मनुष्य घेरे हुए।[3] मार्शल महोदय ने इसे शिव–पशुपति का प्रारंभिक रूप माना है।[4]

वैदिक आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न अंगों में देव रूप के दर्शन किया जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, सरिता, उषा ये सब देवी–देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। जिसमें जल के देवता के रूप वरूण की उपासना होने लगी। इन्द्र को अंतरिक्ष के तथा अग्नि पृथ्वी देवता स्वीकार किया गया है।[5] वैदिक काल में पतिमोपासना के उल्लेख नहीं मिलते हैं, उनकी उपासना का काल्पनिक एवं भावात्मक होती थी और प्रकृति के विभिन्न रूपों की देवता के रूप में उपासना होने लगी। उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आश्रय लिया गया इस काल में यज्ञ की प्रधानता बढ़ने लगी।

मैक्समूलर महोदय का कथन है कि ''वैदिक धर्म प्रतिमाओं से परिचित नहीं है भारत में पतिमोपासना बाद में प्रारंभ हुई।[6]

विल्सन महोदय के मतानुसार–

''वैदिककालीन उपासना काल्पनिक, भावात्मक एवं प्रतीकात्मक तथा यज्ञ प्रधान थी और उनकी उपासना का आधार प्रतिमा न होकर प्रार्थना और आहुति थी।[7]

प्राध्यापक इतिहास विभाग, शास. कन्या स्नात. महा0 रीवा

ब्राम्हण काल में यज्ञ को महत्ता दी जाने लगी। सम्पूर्ण ब्राह्मण साहित्य यज्ञों के प्रकार विधि एवं उद्देश्यों से भरा है। यज्ञों के समय देवों को चिन्ह रूप में रखे जाते थे।

सूत्रकाल में यज्ञ का महत्व कम होने लगा और मनुष्य के संस्कारों पर अधिक बल दिया जाने लगा। धीरे–धीरे कर्मकाण्ड की महत्ता समाप्त होने लगी। यज्ञ करना अथवा करवाना सभी के लिए सरल न था। जिसके कारण शीघ्र ही समाज में भक्ति की लहर फैलने लगी और भक्ति उपासना का माध्यम बनने लगी।

भक्ति के लिए किसी आधार की आवश्यकता थी, अतः प्रतिमा उसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनी। प्रतिमाकरण में योग को भी अधिक महत्व दिया गया। शुक्रनीतिसार में कहा गया है कि कलाकार को प्रतिमा ध्यानयोग की सफलता के अनुकूल बनाना चाहिए। इसी दृष्टि से कालान्तर में अनेक प्रतिमाएँ योग मुद्रा में बनायी गयी जिनमें ध्यानी बुद्ध, योगासन विष्णु तथा शिव योग दक्षिण मूर्ति उसी भावना के फलीभूत हैं।

पाणिनि के समय से वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों का महत्व बढ़ गया वैष्णवों के विष्णु और शैवों में शिव पूजे जाने लगे और इन देवों की अनेक प्रतिमाओं के रूप में उपासना होने लगी।[8] प्रतिमाओं को सुन्दर एवं विशिष्ट बनाने के लिए अनेक सिर नेत्र तथा हाथों वाले प्रदर्शित किये जाने लगे। उनके दो हाथ वरद मुद्रा तथा अभव मुद्रा में दिखाये जाने लगे। जो शक्ति एवं व्यापकता के प्रतीक थे। राव महोदय का कथन है कि देवता के सभी आयुध किसी न किसी विशिष्ट शक्ति का द्योतक है।[9]

रामायण और महाभारत में वर्णित है कि बाल्मीकि रामायण में अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर संस्थापित सीता की सुवर्णमयी प्रतिमा[10] तथा महाभारत में धृतराष्ट्र द्वारा भीम की आयसी प्रतिमा को आलिंगन देने की बात कही गई है।[11]

प्रतिमा उपासना के लिए अर्च्चा बेर आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शिला दारू तथा लौह की प्रतिमा का विधान है। इसके साथ ही स्वर्ण, ताम्र, चॉदी आदि धातुओं द्वारा प्रतिमाएँ बनाने का उल्लेख है। धातुओं और ताम्र धातुओं से प्रतिमा बनाने का प्रमाण मिलता है।[12] वेदान्त ग्रन्थों में उपासना कई प्रकारों से की गई है। सम्पदुपासना, प्रतीकोपासना और सवार्गोपासना और मूर्ति ही उपासना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सरल साधन है। देवता का ध्यान करना ही उपासना का मुख्य उद्देश्य है।[13] तद्विषयक ग्रन्थों में मूर्ति तथा मूर्ति पूजा का प्रचुर उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता में मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में यज्ञ के संबंध में मूर्ति का उल्लेख है। यज्ञ की रक्षा के लिए वह एक सुवर्णमय मनुष्य की स्थापना करता है। अथर्ववेद संहिता में देवालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों में भी मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आपस्तम्बगृहासूत्र (6/20) में भी ईशान भीदुषी तथा जयन्त की मूर्तियों के उल्लेख मिलते हैं।[14] वैदिक साहित्य में मूर्ति और प्रतिमाओं के उदाहरण हमें मिलते नहीं है।

आगम तथा तंत्र साहित्य में वैष्णव शैव तथा शक्त सम्प्रदायों को फैलाया और अनेक देव प्रतिमाओं की उपासना होने लगी।

सैन्धव–सभ्यता से ही जन साधारण में मूर्ति–पूजा प्रचलित थी यह परम्परा वैदिक काल में भी विकसित होती रही और लुप्त न हुई। मौर्यकाल में उसे पुनः विकसित होने का अवसर मिला और लोक–धर्म में भृण्यमूर्तियों का निर्माण हुआ। वैदिक काल में यक्ष'–पूजा और नागों के संबंध में विवरण मिलता है। मौर्य काल में इसी से प्रेरित होकर यक्ष–यक्षणियों की अनेक प्रतिमाएँ निर्मित हुई जिसमें मूर्तिकाल के विकास में सहयोग प्रदान किया। मौर्यकालीन शिल्प की शैली संरचना और भावों के अंकन का अध्ययन करने के लिये आनन्द कुमार स्वामी[15] ने इसे दो भागों में विभाजित किया–

1. राजकीय कला,
2. लोक कला।

राजकीय कला के अंर्तगत धौली की गज मूर्ति और अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर निर्मित पशु आकृतियॉ हैं लोक कला में यक्ष मूर्तियॉ एवं सामान्य जनों की मूर्तियॉ आती हैं।

शीर्ष स्तम्भ पर निर्मित आकृतियॉ मौर्यकालीन शिल्प उनके विशाल साम्राज्य, राजकीय वैभव एवं प्रतिष्ठा को मूर्तिमान करती है। इसलिये मौर्यकालीन राजकीय कृतियॉ अपेक्षाकृत अधिक महत्व रखती हैं। दूसरे शब्दों में अशोक के स्तम्भ शीर्ष पर निर्मित शिल्प मौर्यकालीन शिल्प कला का प्रतिनिधित्व करती है। अशोक कालीन शिला स्तम्भ और सिरे का भाग पत्थर की मूर्तियॉ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये स्तम्भ एकाश्मक अर्थात् एक ही प्रस्तर से निर्मित गोलाकार नीचे मोटे और ऊपर पतले हैं। शीर्ष भाग पर सुन्दर आकृतियॉ अंकित है। अब तक 30 या 40 पाषाण स्तम्भ सम्पूर्ण भारत में बिखरे हैं। इनमें सारनाथ, सांची, दिल्ली, कौशम्बी, लुम्बिनी, वैशाली, लौरियानन्दन आदि विशेष महत्व के हैं। अशोक स्तम्भों में सर्वाधिक कलात्मक भाग उसका शीर्ष ही है। जिस पर पशु आकृतियॉ निर्मित हुई जो अत्यन्त सुन्दर है। स्तम्भ के शीर्ष पर उल्टे कमल के आकार की आकृति उसके ऊपर वर्गाकार या त्रिभुजाकार गोलाकार पीठिका है पीठिका के कोरों को अनेक रूपों में अलंकरित किया गया है। पीठिका पर तृतीय आयाम में खड़ी या बैठी पशु आकृति तक सम्पूर्ण रचना एकाश्मक मिलती है और पशु मूर्तियॉ एकांकी (गज, अश्व, सिंह, वृषभ) कुछ संयुक्त (मूर्तियों के पृष्ठ भाग जुड़ा) भी है। संयुक्त पशु आकृतियों की पीठ एक दूसरे से सटी है। पशु–मूर्तियों में अधिकांशतः सिंह, गज, अश्व तथा वृषभ का अंकन हुआ, उन्हें चारों ओर से गढ़ा गया है (स्वतंत्र रूप) मौर्य काल के जिन स्तंभों में शिल्प की उत्कृष्टता दिखाई देती है उनमें निम्न प्रमुख हैं–

1. वैशाली (वखिरा स्तंभ
2. लौरिया नन्दन स्तंभ
3. रमपुरवा स्तंभ
4. संकिशा का गज शीर्ष स्तंभ
5. सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ।

कला विचारकों ने स्तम्भ की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। रायकृष्ण दास मानते है कि इनमें ''कहीं भी लवरपन बोदापन भद्दापर नही है न तो एक छेनी कम न एक छेनी अधिक है।16 मार्शल के अनुसार सारनाथ की मूर्ति यद्यपि अद्वितीय तो नहीं तथापि तृतीय शताब्दी ई0पू0 की समस्त विकसित कलाओं में सर्वाधिक विकसित कला है। इसके कलाकार को पीठिका का अनुभव प्राप्त था इसे देखकर आदिम शिल्प का कोई भी चिन्ह ढूँढ़ा जा सकता।[17] वासुदेव शरण अग्रवाल ने मत व्यक्त किया है कि शिल्पकृति रूप संपुजन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है इसके विविध अंगों के विकास की कल्पना चार दिशाओं को आधार बनाकर की गई है। जिन्हें गूथकर शिल्पी ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आनन्द कुमार स्वामी इसमें वास्तविक रूपांकन और उत्तम तकनीक की सराहना की है।[18] निहार रंजन राय ने शैली और तकनीक की दृष्टि से इसे सर्वोत्तम मानते हैं।[19]

शुंग काल की कला भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो अपनी विशिष्ट उपलब्धिस की दृष्टि से मूर्ति और वास्तुकला में दर्शनीय है। इस काल में मूर्तिकला के कई केन्द्र विकसित हुये जिनमें सांची, भरहुत, बोधगया और मथुरा आदि केन्द्र उल्लेखनीय है।

शुंगकालीन मूर्तियॉ बड़ी सादगी और प्राणदत्ता के साथ निर्मित की गई हैं। जो धार्मिक भावनाओं और विश्वास तथा शिष्टाचार संबंधी व्यवहारों को सूचित करती है। शुंगकालीन स्थापत्य चित्रों के उत्कीर्ण करने का उद्देश्य जनता को महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों से परिचित करना था। शुंगकालीन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता प्रतीकात्मकता हैं जिसमें प्रतीक रूपों में श्री लक्ष्मी, धर्मचक्र, त्रिरत्न, कल्पवृक्ष, कमर, कच्छप, यक्ष–यक्षिणियॉ नाग और नागिन वृक्ष, स्तूप, विभिन्न पशु का अंकन मूर्ति में उल्लेखनीय है। शुंगकालीन मूर्ति शिल्प में ऐसी अनेक आकृतियॉ उत्कीर्ण है जिनको अग्रवाल महोदय ने विभिन्न प्रतीकों के रूप में स्वीकार कर व्याख्या प्रस्तुत की है।[20] शुंगकालीन मूर्तियों का उदाहरण भरहुत, सांची, बोधगया, भाजा, उदयगिरि, खण्डगिरि आदि स्तूपों चैत्यों और गुफाओं में प्राप्त होता है। मौर्य तथा शुंग काल में यक्ष देवों की स्वतंत्र प्रतिमाऍ भी निर्मित होने लगी।[21] क्योंकि या पूजा की परम्परा अति प्राचीन है, शुंगकाल में स्तूपों पर भी यक्षों का अंकन है। सॉची स्तूप के तोरण पर यक्ष मूर्तियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। देवी–देवताओं में गज–लक्ष्मी, किन्नर, नाग आदि का अंकन तोरण पर किया गया है अन्य छोटी–छोटी लक्ष्मी की आकृति भी सॉची के तोरण पर किया गया है। अन्य छोटी–छोटी लक्ष्मी की आकृति भी सॉची के तोरण पर दिखाई देती है।[22]

कुषाणकालीन प्रतिमाऍ सम्मुख दर्शन से बनायी गयी और साथ ही पार्श्वगत एवं पृष्ठगत तथा नवीन मुद्राओं का प्रयोग किया गया। शुंगकालीन चपटापन इस काल में समाप्त हो गया। इस काल की प्रतिमाओं के प्राकृतिक अंकन के साथ ही सुडौल और मॉसल युक्त दिखाया गया। भारी वस्त्रों के स्वरूप पर हल्के वस्त्र और सामान्यतः सभी देव प्रतिमाओं के दाहिने कंधे वस्त्र विहीन मूर्ति में भी ऐसा ही चित्रण देखने को मिलता है। इस

काल में मथुरा एवं गांधार विशेष रूप से मूर्ति प्रतिमा निर्माण के केन्द्र थे। कुषाणकालीन प्रतिमाओं में विष्णु, शिव, सूर्य, कार्तिकेय, बलराम, गणपति, लक्ष्मी, कुबेर आदि ब्राम्हण देवी–देवताओं का अंकन शिल्पियों ने बनाना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिमाओं की भुजाओं (दो, चार आठ) आदि के साथ ही आयुध युक्त रूप में दिखाना प्रारंभ हुआ। सभी देवताओं को वाहन एवं आयुध के साथ उत्कीर्ण किया गया। कुषाणकालीन मथुरा के एक अभिलेख का उल्लेख वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है, जिसमें वसु नाम के एक व्यक्ति द्वारा वासुदेव के लिये एक मंदिर का तोरण और वेदिका निर्मित कराये जाने का उल्लेख हुआ।[23] मथुरा की प्राचीन कुषाणकालीन सूर्य प्रतिमा का उल्लेख कुमार स्वामी ने किया है, जिसमें सूर्य चार अश्वों से जुते हुये रथ पर आरूढ़ है, उनकी दाहिनी भुजा में कमल और बायी भुजा में खड्ग है उनके पीछे प्रभावती है और वे तोलक एवं जूते धारण किये हुये हैं।

गुप्तकालीन प्रतिमा निर्माण कला का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि गुप्त शासकों द्वारा ब्राम्हण धर्म को संरक्षण मिलने के कारण अन्य अनेक देवी–देवताओं की कल्पनाओं को मूर्ति रूप दिया गया। गुप्तकाल में प्रमुख रूप से (मथुरा) भिल्सा के समीप उदयगिरि, देवगढ़, प्रयाग, विदिशा, भूमरा, पटना आदि प्रतिमा निर्माण कला के केन्द्र थे। इस काल में प्रभाव मंडल को वृत्ताकार वेल–बूटों से अलंकृत बनाया गया है। देवी–देवताओं की मूर्ति आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गयी। शिल्पी का उद्देश्य इन मूर्तियों द्वारा धार्मिक साधना को सरल रूप में प्रस्तुत करना था। इसी कारण इस काल की प्रतिमाओं में आध्यात्मिक भाव और आंतरिक शांति का समन्वय मिश्रित है। इस काल के शिल्पी ने शारीरिक सौन्दर्य की अपेक्षा आंतरिक सौन्दर्य की प्रधानता की इस कला की प्रतिमाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं– देवगढ़ की कुण्डली मारे नाग पर बैठे विष्णु मूर्ति में लक्ष्मी को उनका चरण दबाने की मुद्रा प्रदर्शित किया गया है।[24] आर0डी0 बनर्जी ने भूमरा से मिल एक ऐसी सूर्य मूर्ति का उल्लेख है, जिसमें हाथों में सनाल पद्म अंकन है। वृत्ताकार प्रभामण्डल दिव्यता का सूचक सिरे के पीछे उत्कीर्ण हैं, रथ पर आगे सारथी अरूण और सूर्य के दोनों पार्श्व में पिंगल, हार आदि आभूषणों से सुशोभित किया गया है। गुप्तोचर कालीन प्रतिमा निर्माण कला शैली में कोई विशेष मौलिक परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होती है। साथ ही ब्राम्हण देवी–देवताओं की मूर्तियों को उत्कीर्ण करने में शिल्पियों ने पौराणिक एवं शिल्प शास्त्रीय नियमों का यथावत पालन किया।

पालकालीन देवी प्रतिमाओं में आभूषणों की भरमार दिखाई गई है। साथ ही बुद्ध मूर्तियों को भी आभूषणों से सुशोभित किया जाने लगा। इस काल में शिव की कल्याण सुन्दर एवं आलिंगनबद्ध प्रतिमा भी निर्मित होने लगी। मध्यकाल तक आते'–आते प्रतिमा कला को अभूत पूर्व विकास हो चुका था। इस काल में बुन्देलखण्ड में स्थित खजुराहों एक कला केन्द्र के रूप में विशेष उल्लेखनीय है यहॉ वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन सभी धर्म के देवी–देवताओं की प्रतिमाएॅ निर्मित की गई हैं। सभी ब्राम्हण प्रतिमाओं को प्रतिभा शास्त्रीय लक्षणों एवं नियमों के अनुसार निर्मित होने के साथ ही उनमें मानवीय सौन्दर्य और

अलौकिक शक्ति का सहज रूप परिलक्षित हुआ। उदाहरण के लिए एक मूर्ति का उल्लेख रामाश्रय अवस्थी ने किया जो चतुर्भुज मंदिर (खजुराहो में स्थित) चतुर्भुज विष्णु की विशाल प्रतिमा है।[25] जिसमें शास्त्रीय नियमों के निर्वाह के साथ ही रचना सौष्ठव की दृष्टि से यह प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा में सुंदर अलंकरणों से सुशोभित आंतरिक शांति के साथ मुख मण्डल में गंभीर समन्वित भावों को शिल्पी ने सनिविष्ट किया है।

प्रतिमा निर्माण परंपरा का विकास क्रम चंदेल या कल्चुरी काल तक आंका जाना ही उपयुक्त है क्योंकि हमारा शोध प्रबंध कल्चुरी कालीन देवी प्रतिमाओं का अध्ययन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, वा0श0 इण्डिया, आ0 पृ0 25
2. मार्शल मोहन जोदड़ो एण्ड हिन्दुज शिवलाइजेशन, फलक, 1, पृ0 44.
3. डी0एच0आई0, पृ0–52
4. मार्शल ऊपर उद्धत, फलक 1, पृ0 52
5. जोशी नी0पू0प्रा0 भा0मू0वि0 पटना 1976 पृ0 8
6. ऋग्वेद, 6, 7, 14, 1, 11, 5, 1
7. मैक्समूलर– चि0ज0व0वा0 1 पृ0 38.
8. विल्सन, एच0–वि0पु0 भूमिका पृ0 2.
9. महाभाष्य 3, 84, 102.
10. महाभाष्य 3, 84, 103–104
11. बाल्मीकीय रा0 उत्तरकाण्ड 91, 525 'कांचनी मम पत्नी च दीक्षायज्ञाश्च कमणि।'
12. महा0 स्त्रीपर्व 12, 23 पृ0 4393, आयसी प्रतिमा ह्रोषात्वया निष्पादिता विभो।'
13. मत्स पुराण (मोर), 527–22, पृ0 717
14. मालवीय बद्रीनाथ, श्री विष्णुधर्मोत्तर में मूर्तिकला, पृ0 15
15. पारस्करगृहसूत्र, पाद टिप्पणी, पृ0 69.
16. कुमार स्वामी ए0के0 हिस्टी ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ0 16–17.
17. रायकृष्ण दास, भारतीय मूर्तिकला, पृ0 42.
18. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृ0 111, चित्र सं0, 167.
19. दा ऐज ऑफ इपिरियल यूनिटी, पृ0 507.
20. कुमारस्वामी ए0के0 हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ0 18 फलक–4, फिगर–12.
21. अग्रवाल भारतीय कला, दि0सं0, पृ0 150–159.
22. अग्रवाल बी एस, स्टडीज इन इण्डियन आर्ट, पृ0 58–61.
23. जे0यू0पी0 ऐच0एस0, 22 (1–2) पृ0 14–42.
24. कुमारस्वामी आनन्द ए0के0 हिस्ट्री ऑफ इण्डियन इंडोनेशियन आर्ट 67.
25. बनर्जी, जे0एन0डे0हि0आ0, पृ. 407.

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारत में सामाजिक समरसता

डॉ0 महेन्द्र मणि द्विवेदी*

समाज सुधार का रास्ता भारत में किसी भी दृष्टि से कठिनाइयों से भरा होता है। इस देश में समाज सुधार के मित्र कम और आलोचक अधिक है। भारत में सदियों से समाज सुधार का जब–जब कोई आन्दोलन शुरू होता हैं या कोई विचारधारा अपनी जमीन खोजती है, तब–तब लोग सुधारों की गति आगे न बढ़ने देने में अपनी शक्ति लगा देते है।

विश्व का इतिहास गवाह है कि जो वर्तमान की जमीन पर खड़ा होकर आने वाले कल के लिए जीता है, 'कल' का रास्ता बताता है, उसका लोग हर तरह से विरोध करते है। यहॉ यह भी सत्य है कि ऐसे समाज सुधारको का जितना विरोध होता है, उतनी ही शक्ति और गति से समाज सुधार के कार्य मूर्त रूप लेने लगते हैं। नये लोग इन विचारों से जुड़ने लगते है और कॉरवा आगे बढ़ता चला जाता है।

प्राचीन काल में समाज के सदस्यों को विभिन्न सामाजिक कार्य सौपे गए थे, परन्तु ये कार्य विभिन्न वर्गो के प्रतीक बन गए। आगे चलकर समाज के विभिन्न वर्गो ने जाति का रूप लेकर समाज को विभाजित सा कर दिया, इससे दूरियॉ बढ़ती गयी। जाति का विकृत रूप बस यही से शुरू हुआ। इन दूरियों से समाज कमजोर ही नही हुआ, वरन् एक बहुत बड़ा भाग अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा। इस उपेक्षा, तिरस्कार, और अमानवीय व्यवहारों ने इस वर्ग को चेताया भी और अपने लिए तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा भी दी।

जातिवाद का दुष्प्रभाव जिसने शताब्दियों से भारत को कमजोर बनाया है, उससे आज भी भारतीय जीवन ग्रसित है।

मानव सभ्यता का अतीत शानदार था, लेकिन उसमें अनेक कंलक भी है। प्राचीन, यूनानी, रोमन और इस्लामिक राजाओं और सामन्तों के यहॉ गुलाम रखने की प्रथा थी। ये गुलाम उनके यहॉ सभी प्रकार के छोटे और गन्दे काम करते थे। अमेरिका में सन् 1860 तक गुलामी की प्रथा विद्यमान थी और वह शायद और अधिक चलती रहती यदि अब्राहम लिंकन जैसे महान नेता के नेतृत्व में लड़े गए गृह युद्ध की सफलता के साथ उसे समाप्त न कर दिया गया होता। इसी तरह भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक अस्पृश्यता अथवा छुआछूत की प्रथा रही है, जो कि जाति प्रथा के चलन का परिणाम है।

एक आम आदमी जो अपने माहौल के प्रति थोडा भी जागरूक है, के दिमाग में अक्सर यह सवाल कौधता है कि क्या वजह है कि आजादी के लगभग 6 दशक बाद भी हम अपने

प्राध्यापक, इतिहास, शा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

मुल्क में एक दूसरे के नजदीक आने की जगह, एक दूसरे से दूर होते जा रहे है। इन दशकों में सड़क, रेल, हवाई और संचार के कारण यद्यपि हमारे बीच स्थानीय दूरिया घटी है, तथापि जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्रीय स्वार्थो के चलते हममें सामाजिक दूरियॉ बढ़ी है। हम अपने को पहले हिन्दू, मुस्लिम, सिख या इसाई मानते है, ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहते है, मराठी, कन्नड़, तमिल, अथवा सिन्धी बताते है, राजस्थानी, बिहारी, गुजराती या कश्मीरी कहते है, अर्थात हम अपने को सब कुछ पहले मानते है, केवल भारतीय बाद में।

व्यक्ति अपने युग और समाज की देन होता है। युग और समाज की सीमाओं में जीना उसकी नियति होती है। किन्तु प्रत्येक समाज और युग में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते है जो ऑख मूदकर समाज के साथ नही चलते। ये सामाजिक व्यवस्थाओं के भागीदार बन उससे लाभ उठाने के स्थान पर उसमें निहित विरोधाभाष, शोषण व अन्याय के विरूद्ध संघर्ष का आव्हान करते है, तथा सम्बद्ध विचारधारा एवं मूल्यों के वाहक बनने के स्थान पर उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन के सूत्रधार बनते है।

भारतीय समाज और संस्कृति अति प्राचीन तथा गौरवपूर्ण रही है। इसका 'जियों और जीने दो' तथा 'बसुधैव कुटुम्बकम्' में हमेशा से विश्वास रहा है। समाज में व्यवस्था के निर्धारण के लिए चार आश्रम और 4 वर्ण निरूपित किए गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा –''चातुर्वण्य मया ज्येष्ठं गुण कर्म विभागशः'' अर्थात सारी व्यवस्था गुण कर्म के अनुसार बनायी गयी है, जन्मना नही। महाभारत के शान्ति पर्व में एक श्लोक आता है–'' जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्चयते'' अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है और संस्कार से द्विज उच्च होता है। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म। अर्थात जो संस्कारों से वंचित रह गए वे द्विज नही रहे, शूद्र रह गए लेकिन अश्पृश्य नही। कुछ समाज सुधारकों ने इसकी व्याख्या अलग ढ़ग से की है कि द्विज का जन्म दो बार होता है, एक मॉ के गर्भ से, दूसरा उपनयन से और शूद्र उपनयन का अधिकारी नही है। जबकि भारतीय व्यवस्था में शूद्र को कभी अस्पृश्य नही माना गया। श्रम की महत्ता भारत में प्राचीन काल से थी। यहॉ तक कि श्रम के देवता विश्वकर्मा को भारत में भगवान माना गया है। संसार में यदि कोई हीन है तो उसे श्रेष्ठ बनाना हमारी संस्कृति है। आर्य समाज का अछूतोद्वार (शुद्धि आन्दोलन) यही था। अम्बेडकर ने भी माना है कि वेदो में छुआछूत का उल्लेख नही मिलता। दरअसल यह गुलामी व मजबूरी में स्वीकार किया गया सामाजिक कलंक है, हमारी समाज व्यवस्था तो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः'' पर आधारित है, इसीलिए कहा गया है कि –

''यूनान, मिश्र, रोम सब मिट गए जहॉ से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नही हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहॉ हमारा''

जाति व्यवस्था का विकृत रूप अश्पृश्यता रहा है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने भी लिखा है कि –

''यद्यपि दुःख दारून जग नाना।
सबसे कठिन जाति अपमाना''।।

मुस्लिम आक्रमणों से पहले भारतीय सामाजिक सुधार आन्दोलनों में कही भी छुआछूत का उल्लेख नही मिलता। बौद्ध और जैन आन्दोलन में भी सामाजिक जन्मना व छुआछूत का उल्लेख नही है। मुस्लिम शासनकाल में भी सभी सामाजिक, धार्मिक आन्दोलनों में इस सामाजिक बुराई को दोषी माना गया और इसे दूर करने का प्रयास किया गया। पर्व स्नान परम्परा में अस्पृश्यों को स्नान करने के लिए कही अलग से घाट नही है। चार धाम, बारह ज्योर्तिलिंग तथा वामन शक्तिपीठ अति प्राचीन काल से भारत में स्थित है, लेकिन यहॉ कोई अस्पृश्यता नही है। सन्त परम्परा में यह अस्पृश्यता नही है।

भक्ति काल में तथाकथित पिछड़ी अस्पृश्य तथा दलित जातियों के लोग बड़ी संख्या में संत के रूप में हिन्दू धर्म, समाज एवं भारतीयता की रक्षा के लिए सामने आए। इनमें संत रविदास, कबीर, धन्ना, महात्मा फूले, नरसी मेहता, जीवनदास, कुम्बन इत्यादि कुछ उदाहरण है। दरअसल मध्यकाल में मुस्लिमों ने जिन बन्दी बनाये गए लोगों से गंदा काम करवाया, उन्हें भंगी कहा गया, अतः उन्हें म्लेच्छो के सम्पर्क में रहने के कारण समाज ने भी उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया। बेगारी के कारण भी यह अस्पृश्यता आयी। अनेक जातियों को सुरक्षा कारणों से मजबूर होकर घुमक्कड़ जीवन स्वीकार करना पड़ा, इससे खान–पान की मर्यादा समाप्त हो गयी, जो मिला वही खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस कारण भी अनेक जातियॉ अस्पृश्य हो गयी। रहन–सहन गंदा होने के कारण लोग अस्पृश्य हो गए। दरअसल इस सामाजिक धब्बे के पीछे अपवत्रिता की धारणा भी है, जो कालान्तर में जन्मजात हो गयी। प्रायः सभी समाजों में कुछ घटनाएॅ अपवित्र मानी जाती है। इनमें से कुछ घटनाए तो व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार ही घटित होती है, जबकि अन्य एक से अधिक बार घट सकती है। जन्म, किशोरावस्था और मृत्यु ऐसी घटनाए है, जो किसी व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार ही घटित होती है, किन्तु मॉ के लिए शिशु को जन्म देना एक से अधिक बार संभव है।

इसी प्रकार एक परिवार में जन्म और मृत्यु का घटनाक्रम चलता रहता है। शिशु के जन्म के समय मॉ अपवित्र हो जाती है। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु अन्य सदस्यों को अपवित्र कर देती है। कुछ वस्तुऐ जैसे मल, मूत्र, गन्दे जानवर जैसे सुअर तथा मृत शरीर आदि अपवित्र होते है, इन वस्तुओं के स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। कतिपय विशेष दशाओं के होने पर एक सामान्य व्यक्ति अशुद्ध माना जाता है, जब तक वह शुद्ध नही हो जाता, उसका स्पर्श नही किया जाता। जैसे शव यात्रा में सम्मलित व्यक्ति तब तक शुद्ध नही माने जाते जब तक कि शव को जलाने के पश्चात् वे स्नान कर वस्त्र नही बदल लेते। शूद्र शब्द को अस्पृश्यता के साथ अंग्रेजों ने जोड़ा। वर्ण में व्यवस्था शब्द लगा है, इसलिए यह जन्मना नही थी। कर्म प्रधान समाज को जन्म प्रधान समाज में षड्यंत्रपूर्वक परिवर्तित किया गया।

मध्यकाल में इस्लाम राज्य धर्म रहा। राजनीति धर्म से संचालित रही। इस्लामिक समाज व्यवस्था में खलीफा को प्रमुख स्थान प्राप्त था। कुरान की व्याख्या कुछ इस तरह की गयी थी कि मुस्लिम शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य मूर्तिपूजकों के विनास के लिए जिहाद (धर्मयुद्ध) करना था। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाहे बाबर राणासांगा का संग्राम हो या बाजबहादुर हुमायू का प्रसंग हो, हेमू अकबर का प्रसंग हो, अकबर राणा प्रताप का संदर्भ हो सभी में यही 'जेहाद' देखने को मिलता हैं। हिन्दुओं को 'इस्लाम या मृत्यु' में से एक का वरण करने के लिए कहा जाता था। दारूल हर्ब से दारूल इस्लाम में परिवर्तित करना प्रत्येक मुस्लिम शासक अपना कर्तव्य समझता था। हिन्दू (जिम्मी) जजिया देने वाले और द्वितीय श्रेणी के नागरिक माने जाते थे। धर्म परिवर्तन कर लेने पर हिन्दुओं को जागीर, सरकारी पद, सम्मान और जजिया से मुक्ति प्राप्त होते थे। मंदिरों को तोड़ना उनकी मूर्तियों को नष्ट करना प्रत्येक मुस्लिम शासक अपना कर्तव्य समझता था, और समाज में उलेमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।

मुसलमानों के इस्लामीकरण के बाद भारतीय सामाजिक समरसता को सबसे अधिक नुकसान अपनी 'फूट डालो ओर शासन करो; की नीति के द्वारा अंग्रेजों ने पहुंचाया। सर सैय्यद अहमद खॉ द्वारा चलाया गया मुसलमानों के लिए अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजों की इसी नीति का परिणाम था। उसने अनन्त मुस्लिम साम्प्रदायिकता को जन्म दिया। सैय्यद अहमद खॉ ने कहा था कि 'हिन्दू और मुस्लिम दो पृथक–पृथक राजनीतिक इकाइयॉ है, जिनके हितों और दृष्टिकोणों में बहुत अन्तर है।'' और अन्ततः 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। दरअसल अंग्रेजों की नीति में व्यापक परिवर्तन 1870 में लिखी गयी डब्लू0एच0 हंटर की पुस्तक ''दि इण्डियन मुस्लिमस'' के बाद हुआ।

इसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा आदिवासी जनजाति के बारे में भी करना प्रासंगिक होगा। भारत की जनता आर्य, द्रविड़, मंगोल, सीथियन, आदि प्रजातीय तत्वों से बनी है। भारत को प्रजातियों का अजायबघर माना गया है। पहली बार इस पिछड़े वर्ग को आदिवासी नाम 1931 की जनगणना में अंग्रेजों द्वारा दिया गया। इस बात के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण है कि इन्हें विदेशी मुस्लिम आक्रान्ताओं की क्रूरताओं के कारण जंगलों में जाने को मजबूर होना पड़ा, और वही से लगातार विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते रहने के बाद भी उन्होंने हार नही माना। इन बनवासियों के लागातार विद्रोह को सर्वदा के लिए कुचलने की इच्छा से 1994 में ''प्रथम वन अधिनियम'' बनाकर ब्रिटिश सरकार ने वनों पर कब्जा कर लिया। जंगलों में इतने जुल्म ढ़ाए गये कि लोग सदा के लिए मानसिक गुलामी और अत्याचार सहते रहने के आदी बन गए। इस तथाकथित आदिवासी वर्ग ने 1778 से 1945 तक स्वतंत्र रूप से अनगिनत लड़ाइयां अग्रेजों के खिलाफ लड़ी। जो राजा बिदेशियों से पराजित हुए उन्होंने अपनी सेना ओर साथ जा सकने वाली प्रजा के साथ जंगलों में शरण ली और वही से आतताइयों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। इस तरह इन वनवासियों ने देश के गौरव और मान की रक्षा की है, अतः यह सम्मान पाने के पूर्ण अधिकारी है।

अतः हम सभी बुद्विजीवियों, इतिहासकारों, समाज वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों और समाज सेवियों तथा आम आदमी का भी कर्तव्य है कि ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाक्रमों के गूढ़तम रहस्यों में न जाकर सामाजिक समरसता के लिए वैचारिक चिंतन करें, और उसे व्यावहारिक रूप दें, जिससे उपेक्षित, दलित, शोषित, बेसहारा तथा आदिवासी एवं गिरिवासी बन्धुओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें अपने घर वापस बुलाया जा सके, ठीक उसी तरह जिस तरह सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाय तो उसे भूला नही कहते।

''**शोध-चेतना**'' रिसर्च जनरल का अगला अंक अप्रैल, 2015 में प्रकाशित होगा। उक्त अंक के प्रकाशन में आप अपना ''**शोध पत्र**'' भेजकर **हिन्दी भाषा** *(कृति देव फान्ट एवं टाइप साइज 14)* **व अंग्रेजी भाषा** *(टाइम्स न्यू रोमन एवं टाइप साइज 12)* में प्रकाशित करवा सकते हैं।

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

कला का समाज पर प्रभाव

डॉ0 महेन्द्र मणि द्विवेदी

समाज के साथ ललित कलाओं का विशेष सम्बंध है। किसी समाज की बौद्धिक स्थिति इस बात पर निर्भर है कि उसमें साहित्य और ललित कलाओं का विकास किस रूप में हुआ। कलाएँ समाज के रहन–सहन, वेशभूषा और आचार विचार को परिष्कृत करती है। वे जीवन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करती है। अनेक प्राचीन देशों को सभ्य बनाने में ललित कलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। भारत, यूनान, ईरान, रोम आदि के अनेक मनीषियों ने देश के उत्थान के लिए जिन बातों पर बल दिया उनमें स्वतंत्रता, अखंडता, आर्थिक निर्भरता और प्रशासनिक न्याय के साथ ज्ञान–विज्ञान की उन्नति सम्मिलित है। ललित कलाओं का यथोचित विकास ज्ञान–वृद्धि का प्रमुख अंग था। राज्य और जनता दोनो का कर्तव्य था कि वे जीवन में सौदर्य, सौहार्द तथा शांति के लिए ललित कलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दें।

समाज का रूप परिष्कृत होने पर वह इस स्थिति में होता था, कि साहित्यकारों, कलाकारों और शिल्पियों को उचित दिशा–निर्देश दिया जा सके। उनके लिए विविध प्रकार की प्रशिक्षण–व्यवस्था का निर्माण हुआ। ऋषियों के आश्रम, बौद्धों और जैनों के मठ और शिल्पियों के प्रशिक्षण केन्द्र इसका निर्वहन करते थे। भारतीय साहित्य और पुरालेखों से ज्ञात होता है कि ये केन्द्र भारत के विभिन्न भागों में थे और उनकी व्यवस्था सुदृढ़ थी। इसके परिणामस्वरूप साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला चित्रकला, संगीत और नाट्य की अनेक विधाओं में कल्याणकारी सृजन हुए। साहित्य और कलाओं के बहुसंख्यक प्रवीण सर्जकों ने अपनी कृतियों में विविध मौलिक तत्वों की सृष्टि की, ये तत्व नैतिक आधार पर निर्मित हुए और उनमें सौदर्य और चारूता के भावों को समाहित किया गया।

भारत में धर्म का स्वरूप व्यापक था। नैतिक पृष्ठभूमि पर, विचारपूर्वक किया गया कर्तव्य ही धर्म था। यह धर्म मानवता के उच्च आदर्शो– सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार आदि– का पोषक था। इसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना निहित थी, जिसके अनुसार सारे संसार के जन एक परिवार–जैसे है।

भारतीय कला की क मुख्य विशेषता उसका सर्वजनीय रूप है। लोक–जीवन से भारतीय कला को कभी पृथक नही माना गया। विभिन्न भारतीय धर्मो और समुदायों से सम्बंधित सहस्त्रों मूर्तियों का निर्माण प्राचीन भारत में हुआ, परन्तु उन्हें जनजीवन की पहुँच

प्राध्यापक, इतिहास, शा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

के बाहर नही रखा गया। जहॉ हमारी प्राचीन कला में पूजा की भावना व्याप्त है वहॉ जीवन के मनोहर एवं कल्याणप्रद रूप की अभिव्यक्ति भी है। भारहुत, सॉची, सारनाथ, बोधगया, मथुरा, अमरावती आदि स्थानों में जो कलावशेष मिले है, उनमें लोक–जीवन की मधुर झॉकी मिलती है। विविध वर्गो के स्त्री–पुरूषों का, उनके आचार–विचार, खान–पान, परिधान तथा मनोविनोदों का जीता जागता चित्रण भारतीय कला में उपलब्ध है। बौद्वों और जैनों के प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं में तथा कौशाम्बी, राजघाट, मथुरा, अहिच्छत्र आदि स्थानों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों में जीवन के विविध मनोरंजक दृश्य मिलते है। इनमें नृत्य–गीत, स्नान, उद्यान क्रीड़ा, धार्मिक और सामाजिक उत्सव, प्रसाधन आदि अनेक दृश्य उत्कीर्ण है। इन कृतियों से प्राचीन भारत की सामाजिक दशा पर बड़ा प्रकाश पड़ा है।

भारतीय कला की एक अन्य विशेषता प्रकृति के साथ मानव–जीवन का तादात्म्य है। प्राचीन साहित्य की भॉति भारतीय कला में भी प्रकृति को विशिष्ट स्थान दिया गया है। चाहे हम प्राचीन मंदिरों या स्तूपों को देखें या पाषाण, मिट्टी या धातु की प्रतिमाओं को अथवा अजंता, बाघ आदि स्थानों की चित्रकला को, हम सर्वत्र प्रकृति का बहुमुखी रूप पायेगें। कलाकारों ने पर्वत, वन, विविध लता–वृक्ष सरोवर, नदी आदि तथा इन सबमें सानन्द विचरण करने वाले पशु–पक्षियों एवं जंतुओं को प्रभावोंत्पादक ढंग से चित्रित किया है। उदाहरणार्थ, अजंता के भित्तिचित्रों से हम मानव–जीवन के साथ–साथ विविध पशुओं और पक्षियों का अंकन पाते है। 'कही वे जलाशयों में क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं वृक्षों पर चढ़े फलों का आस्वादन कर रहे हैं, तो कहीं घने जंगल में निर्भय विचरण कर रहे है। सांची, भरहुत, मथुरा, अमरावती, बादामी, तंजावुर, हलेवीड आदि की मूर्तियों में भी इस प्रकार के रोचक दृश्य मिलते है।

कला में अलंकरण की भावना भारतीय कला में विशेष मिलती है। इसके लिए कमल, कदम्ब, चम्पा, आम्र, कदली आदि पुष्प एवं फल, विविध प्रकार की लताएॅ, पशु–पक्षी तथा जल–जंतु मुख्य रूप से चुने गए। मध्यकालीन कला में अलंकरण की मात्रा अधिक मिलती है। खजुराहों, भुवनेश्वर, कोणार्क, एलोरा, एलीफेंटा आदि स्थानों में तथा दक्षिण के मदुरै, कांची, बेलूर आदि के विशाल मंदिरों में सजावट की ओर ध्यान दिया। पूर्वोक्त प्राकृतिक उपकरणों के अतिरिक्त अनेक देवी–देवताओं, यक्ष–यक्षणियों, नागों, सुपर्णो तथा अप्सराओं को भी अलंकरणों के रूप में चुना गया। उनकी बहुसंख्यक प्रतिमाएॅ उक्त तथा अन्य स्थानों में मिली है।

धार्मिक तथा लौकिक कथाओं को कला के माध्यम से सुगम बनाने की परिपाटी हमारे कलाकारों ने अपनाई। उन्होंने रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं एवं बौद्ध जातकादि कथाओं को अपनी कृतियों द्वारा भारत में ही नही दक्षिण एशिया तथा मध्य एवं पश्चिम एशिया के कुछ भागों में भी अमर कर दिया। एलोरा का कैलाश मंदिर तथा जावा और बोरोबुदूर एवं पश्चिम एशिया के कुछ भागों में भी अमर कर दिया। एलोरा का कैलाश मंदिर तथा जावा का बोरोबुदूर एवं कम्बोडिया का अंकोरबाट मंदिर इसके ज्वलंत उदाहरण है।

राष्ट्रीय एकता में भारतीय कला का व्यापक योगदान रहा है। इस देश में तथा वृहत्तर भारत में जिन स्तूपों, बिहारो, मंदिरो और मूर्तियों का निर्माण हुआ, उन सबमें प्रायः एकता की भावना ओत–प्रोत मिलती है। यद्यपि इन कलाकृतियों का निर्माण अनेक धर्मो और सम्प्रदायों द्वारा सम्पन्न हुआ और उनमें उन धर्मो और संप्रदायों की कतिपय विशेषताऍ भी दृष्टव्य है, तथापि मूल रूप से उनमें एक ही विचारधारा व्याप्त मिलती है, जिसे भारतीय अध्यात्मिक सौदर्य के नाम से अभिहित किया जा सकता है।

भारतीय कला के इतिहास में यह विशेष रूप से दृष्टव्य है कि यहॉ साहित्य, वास्तु, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और नाट्य कलाओं में परस्पर प्रगाढ़ सम्बंध रहे है। ललितकलाओं में किसी एक के स्वरूप की सम्यक् अवधारणा के लिए यह आवश्यक माना जाता था कि अन्य कलाओं की भी यथोचित जानकारी प्राप्त की जाये। जब हम भरत मुनि, वात्स्यायन, कालिदास या बाणभट्ट आदि के ग्रंथों को पढ़ते है और उनके समय की कलाओं का अवलोकन करते है तो यह बात स्पष्ट होती है कि विभिन्न ललितकलाओं के बीच प्रमुख अन्योन्याश्रय सम्बंध विद्यमान था। यह बात मध्यकाल में भी जारी रही। जबकि मंदिर, मूर्तियों, चित्रकला, संगीत और नाटक साहित्यिक धारा से समवाय स्थापित करते हुए दिखायी पड़ते है।

गीत, बाद्य, नृत्य और नाटक का आरंभ भारत में अति प्राचीनकाल में हुआ। बेतवा–नर्मदा–चंबल आदि अनेक नदियों की घाटियों में कुछ प्राक् ऐतिहासिक चित्र मिले हैं, जिनमें विविध नृत्य मुद्राओं में स्त्री–पुरूषों को दिखाया गया है। अनेक चित्रों में वंशी, ढोल आदि बजाते हुए आदिम जन दिखाये गये है।

नाट्य के सम्बंध में सबसे प्राचीन उल्लेख मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले में अंबिकापुर से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम स्थित रामगढ़ नामक स्थान के एक शिलागृह में मिला है। यह शिलागृह पहाड़ की चट्टानों को काटकर एक नाट्यशाला के रूप में बनाया गया था। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उल्लिखित रामगिरि यहीं था, जहॉ से संदेश–वाहक के रूप में मेघ को दशार्ण, अवंति आदि देशों से हेतु हुए अलका नगरी भेजा गया। यहॉ की नाट्यशाला मुनि भरत द्वारा उनके ''नाट्यशास्त्र'' में वर्णित नाट्यगृह से बहुत मेल खाती है। नाट्यशाला में मंच, प्रसाधन–कक्ष, तिरस्कारिणी (पर्दा) लगाने का स्थान तथा दर्शकों के बैठने के लिए नीचे चट्टान काट कर बनायी गयी सीढ़िया उल्लेखनीय है। नाट्यशाला की एक दीवार तथा छत पर मौर्यकालीन ब्राम्हीलिपि में उत्कीर्ण कई लेख आज भी सुरक्षित है। सबसे बड़ा तथा स्पष्ट लेख प्राकृत में तीन पंक्तियों में लिखा है, जो इस प्रकार है–

शुतनूक नाम देवदसि, तां कमयिथ
बलनशिये शिरि देवदिनो नाम लुपदखो।

लेख में सुतनुका नामक देवदासी तथा उसके प्रेमी वाराणसी निवासी देवदत्त के नाम लिखे हैं। देवदत्त को रूपदक्ष (नाट्य कला में प्रवीण) कहा गया है। इस तरह गुहा के अन्य

लेखों से ज्ञात होता है कि उक्त नाट्यशाला में ईसवी पूर्व तीसरी दूसरी शती में नाट्यमंचन होता था, जिसमें देवदत्त तथा सुतनुका मुख्य रूप से भाग लेते थे। ''देवदासी'' शब्द का यहॉ प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिला है।

भारतीय संगीत के युग–प्रवर्तक भरतमुनि का समय ईसवी प्रथम तथा तीसरी शती के बीच माना जाता है। इनका नाट्यशास्त्र का रचना–काल से लेकर 'संगीत–रत्नाकर'' के रचयिता शार्डदेव के समय (ईसवी तेरहवीं शती का मध्य) तक भारतीय संगीत अपने विविध रूपों में विकसित और समृद्ध होता गया।

रामगढ़ की जिस बड़ी गुहा में नाट्यमंडप का निर्माण किया गया, उसे अब सीतामढ़ी कहते है। यह मान्यता है कि श्रीराम वनवास के समय कुछ दिन सीता, लक्ष्मण के साथ यहॉ रहे थे। सीता वाली गुहा सीतामढ़ी कही गयी। सीतामढ़ी की लम्बाई 46 फीट तथा चौड़ाई 24 फुट है। गुफा के भीतर प्रवेश के लिए बाई ओर से सीढ़ियॉ बनी है। इनका निर्माण स्पष्टतः पात्रों के रंगमंच पर जाने के लिए किया गया था। गुफा का भीतरी भाग रंगमंच के लिए प्रयुक्त होता है। मंचों का निर्माण तीन मेधियों पर किया गया है। प्रत्येक मंच साढे सात फुट चौड़ा है और तीनों की सतह एक दूसरे से ढ़ाई फुट ऊॅची है। मंचों को ढलुआं रूप में बनाया गया है। चबूतरों के सामने दो छेद हैं इनमें लकड़ी या बांस के खम्भे डालकर पर्दे लगाए जाते थे। नाट्य–मंडप पर इस प्रकार पर्दा या तिरस्करिणी रखने की प्रथा बहुत पुरानी है।

गुफा के सामने दर्शकों को बैठने का सीढ़ीनुमा स्थान है, जिसकी तुलना प्राचीन यूनानी ऐंफीथियेटर से की जा सकती है। सीढ़ियों पर लकड़ी के पटरे रखकर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गयी होगी। सीतामढ़ी के सामने प्रेक्षागृह में लगभग पचास दर्शक आराम से बैठ सकते थे। हाल में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नागार्जुनीकोंडा नामक स्थान की खुदाई से जो प्रेक्षागार प्रकाश में आया है वह आकार–प्रकार में बहुत बड़ा है।

भारत में नाट्यशास्त्र में कई प्रकार के नाट्यमण्डपों का विवरण दिया है। उन्होनें एक स्थान पर पहाड़ की गुफा के आकार वाले द्विभूमि–नाट्य मण्डप की चर्चा की है।

इससे हम अनुमान कर सकते है कि भरत को इस रचना के पहले पर्वत गुफाओं में नाटक खेले जाते थे, जिनके आधार पर भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में गुफा कृति वाले नाट्य–मंडप के निर्माण की व्यवस्था दी। नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसवी दूसरी शती माना जाता है। अश्वघोष, कालिदास आदि लेखकों की रचनाओं में तथा पुराणों में पर्वत–गुफाओं या शैल–गृहों में नृत्य आदि मनोरंजन के उल्लेख प्राप्त होते है। कालिदास ने विदिशा के पास की उन पहाड़ियों का उल्लेख किया है जो सुन्दरियों की नूपुरध्वनि से पूर्ण रहती थी। रैवतक पर्वत आदि में भी ऐसे मनोविनोदों के वर्णन मिलते हैं। हो सकता है कालिदास, भास, शूद्रक, भवभूति आदि प्रख्यात कवियों के नाटक एवं लोक नाट्य शैल गृहों में भी खेले जाते रहते हों। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सीतामढ़ी, जोगीमढ़ा, उड़ीसा की हाथी गुफा तथा नासिक के पास पुलुभई नामक गुफा में जिन नाट्य मण्डपों

का रूप मिलता है वे भारत के आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे। आर्यो ने उनके स्थान पर खुले नाट्य–मण्डपों का प्रयोग किया, जो आकार में बड़े होते थे। राजाश्रय में नगरों में इन बड़े आकार वाले रंगमंच की उन्नति हुई। काशी, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र आदि नगरों में ऐसे रंगमंचों की चर्चा साहित्य में बहुत मिलती है।

भरत ने निर्देश दिया है कि मनुष्य को चौसठ हाथ से अधिक लम्पा मण्डप न बनाना चाहिये क्योंकि बड़े आकार वाले मण्डप में भावभंगी ठीक नहीं दिखाई देती तथा उसमें शब्द भी स्पष्ट नही सुनाई देते। वास्तव में भरत के समय में आजकल के लाउडस्पीकर तथा अन्य यांत्रिक योजनाएँ उपलब्ध न थी। रंग–मण्डप या रंगभूमि को भरत ने दो भागों में बांटने का विधान किया है– एक कलाकारों के लिए दूसरा दर्शकों के लिए। एक भाग में नेपथ्य की तथा दूसरे में प्रदर्शन की व्यवस्था रहती थी। भरत ने लिखा है कि इस प्रकार का नाट्यमंडप दीवाल से घिरा होना चाहिए और मंडप के धारण हेतु खम्भे होने चाहिए। उन्होंने दर्शकों के बैठने के लिए ''सोपानवतपीठकम्'' का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि बैठक को सीढ़ीनुमा बनाया जाय। ऐसा सुविधा की दृष्टि से आवश्यक था। प्रत्येक आगे वाली सीढ़ी की अपेक्षा पीछे की सीढ़ी करीब एक हाथ ऊँची रहती थी। यदि इन बातों का मिलान सीतामढ़ी–जोगीमढ़ा से करते हैं तो पाते हैं कि भरत के विकृष्ट नाट्यमण्डप का प्रतिनिधित्व ये मंत्र बड़ी खूबी से करते है।

इस प्रकार नाट्य–मण्डपों में खंभा को भी सीध में लगाया जाता था। इससे दर्शकों को नाट्य देखने में कठिनाई न होती थी। पश्चिम भारत के प्रसिद्ध कार्ले चैत्य के खम्भों का विधान इसी ढंग पर मिलता है।

सीतामढ़ी गुफा में पर्दे की स्पष्ट व्यवस्था मिलती है। नेपथ्य के दोनों दरवाजों पर भी पर्दे रहते थे, जिन्हें हटाकर नाटक के पात्र रंगपीठ पर उपस्थित होते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ''मृच्छकटिक'' में कर्ण पूरक आदि पात्रों द्वारा पर्दे को झटके से हटाकर रंगमंच पर प्रविष्ट होने का उल्लेख मिलता है। नाट्य–शाला की सजावट की ओर ध्यान दिया जाता था। नाट्यशास्त्र में मंडप के वहिरंग को अनेक अलंकरणों से सुसज्जित करने का विवरण मिलता है। उसी प्रकार मण्डप की भित्ति पर लेप का विधान है। प्रायः यह लेप, मिट्टी, गोबर, पत्थर का चूरा आदि से बनाया जाता था। सीतामढ़ी जोगीमढ़ा, अजंता आदि की गुफाओं में, यह भित्तिलेप आज भी देखा जा सकता है। नाट्यमण्डप को अनेक दीपकों से आलोकित किया जाता था। मशालों से भी कभी–कभी काम लिया जाता रहा होगा।

बौद्ध जातकों और निकाय–ग्रंथों में ''नट–नाटक'', ''नटगामिनी'' आदि शब्द मिलते है। जैन ग्रंथ ''रायप्रसेणिय सुत्त'' में नाट्यगृह का रोचक वर्णन उपलब्ध है। इन गृहों को ''प्रेच्छाघरमंडप'' (संस्कृत–''प्रेक्षागृहमण्डपं'') कहा जाता था। इनमें कई वेदियां होती थीं और वे अनेक खंभों तथा अर्धचन्द्रकार तोरणी से सुसज्जित रहते थे। उन पर शालभंजिकायें बनाई जाती तथा अन्य अलंकरण किए जाते थे। इन भवनों की चिकनी दीवालों पर चित्र–रचना की जाती थी। रंगद्वार पर तोरण बनाए जाते थे तथा द्वार के प्रत्येक ओर

चन्दन से सुगंधित जलपूर्ण कलश रखे जाते थे। रंगमंच के सामने रंगीन पर्दे डाले जाते थे, जिनमें छोटी धंटियॉ लटकती थी। पर्दा खोलने के समय वे मधुर ध्वनि में बज उठती थी।

जहॉ तक रंगमंच के स्वरूप का सम्बंध है, सीतामढ़ी जोगीमढ़ा के अवशेष, भारतीय रंगमंच के सबसे प्राचीन प्रत्यक्ष उदाहरण कहे जा सकते हैं। इनके देखने से ''नाट्यशास्त्र'' आदि ग्रंथों में वर्णित नाट्यमंडपों का जीता–जागता स्वरूप सामने आ जाता है। समाज के लिए इस प्रकार के नाट्यमण्डप अनिवार्य थे।

इस्लाम का सबसे अधिक प्रभाव कला के क्षेत्र में पड़ा। मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद हिन्दू–मुस्लिम कला तत्वों का सम्मिश्रण हुआ। पहले भारत की कला बहुत उन्नत थी, परन्तु जब पठान भारत में आए तब यहां कला का पूर्ण ह्रास हो चुका था। आरम्भ में इस्लाम में मूर्तिपूजा सबसे भयानक शिर्क मानी जाती थी। 12 वीं सदी के लेखक मौलवी नवी ने लिखा है कि इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर–सृष्टि का अनुकरण कर तस्वीरें बनाना गुनाह का काम है। इस निषेघ के परिणामस्वरूप मुस्लिम–सभ्यता में मूर्ति–शिल्प और चित्रकारी को कभी प्रधानता नहीं मिली। बाद में ईरान के प्रभाव से इस्लाम में उदारता आई मुस्लिम समाज भी कलाओं की ओर आकृष्ट हुआ। मुगलकाल तक भारत में हिन्दुत्व का प्रभाव भी इस्लाम की उदारता का कारण हुआ।

अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में समन्वय का आरंभ किया था। अकबर के समय में मुगल कला ने प्रगति की, जहॉगीर के समय वह बढ़ी और शाहजहॉ के समय में वह चरम सीमा पर पहुॅच गई। वृन्दावन के अनेक मंदिर, बीकानेर, दतिया और डीग के हिन्दू राजाओं के महल भी मुस्लिम–स्थापत्य से प्रभावित है। इसी प्रकार जोधपुर और ओरछा के किले के महलों पर भी मुस्लिम स्थापत्य का प्रभाव लक्षित होता है। मुस्लिम प्रभाव के सम्बंध में एम. मुजीब का कथन है कि "The first Musli work of art, the Qutub Minar, is a tower so named and so constructed as to present the typical muslim values and aspirations" मुस्लिम वास्तुकला की विषेषता है बारीकी। उसमें सौदर्य का सम्मोहन है। दिनकर ने कहा है कि ''विश्वकर्मा के समान विराट निर्माण करने की क्षमता हिन्दुओं में थी और जौहरियों के समान समाप्त करने में मुसलमान प्रवीण थे। यहां एक बात ध्यातव्य है कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले भी भारत में स्थापत्य कला अत्यधिक उन्नत थी, परन्तु मुसलमानों के आने से उनकी स्थापत्यकला का भी हमारी इस कला पर प्रभाव पड़ा था। खजुराहों, भुवनेश्वर, तंजौर, महाबलीपुरम् आदि के मंदिर भारतीय शैली पर बने अति सुन्दर मंदिर थे। हिन्दू स्थापत्यकला में मेहराब मुस्लिम स्थापत्यकला की देन है। हिन्दू–मुस्लिम कलाओं के सम्मिश्रण से भवन–निर्माण के नवविकसित रूप को इण्डोसारसैनिक या पठान कला के नाम से जाना जाता है। कुछ उदाहरण तो ऐसे भी मिलते है कि हिन्दुओं की इमारतों पर मुसलमानों ने थोड़े परिवर्तन के साथ मस्जिदें बना ली। अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसका ज्वलन्त उदाहरण है। यह पहले सरस्वती मंदिर था, जिसे पहले चौहान सम्राट बीसलदेव ने बनवाया था। धारानगरी की यज्ञशाला का भी यही हाल हुआ।

चित्रकला के क्षेत्र में भी मुस्लिम कला का प्रभाव पड़ा। वास्तुकला की भांति भारतीय चित्रकला की भी पुरानी परम्परा है। गुप्त काल के बाद हमारी चित्रकला का धीरे–धीरे ह्रास हुआ। जब पठान देश में आए तब कला का ह्रास हो चुका था। पठानों ने चित्रकला के पुनर्जन्म में कोई रूचि नहीं ली। चित्रों की ओर सबसे पहले ध्यान हुमायूँ ने दिया था और कुरान के चित्र विरोधी शिक्षा का तर्कसम्मत खण्डन अकबर ने किया था। मुगल चित्रकला की उतपत्ति ईरानी कला की प्रेरणा से हुई थी। मुगल काल में ईरानी कला और भारतीय कला का मिश्रण हुआ था। इस प्रकार भारत में मुगल काल में दो प्रकार की कलाओं के मेल से एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे हम ''मुगल कलम'' या शैली कह सकते है। इस शैली या इस कला का औरंगजेब की कट्टरता के कारण पतन हुआ था। यदुनाथ सरकार के कथन से भी यह स्पष्ट है कि भारत की चित्रकला पर मुगलकाल में बाहर प्रभाव पड़ा था, "The art of painting in Mughal age though persian in origin, was actually the joint product of Hindu and persian ideas and developed into two schools of painting known as Mughal and Rajput" मुगल काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएँ है –''वैयक्तिक चरित्रों में गहरी दिलचस्पी, संश्लेषण के स्थान पर विश्लेषण की प्रमुखता तथा सन्तों और महात्माओं की जगह पर राजाओं और दरबारियों से प्रेम।''

इस्लाम का भारतीय संगीत कला पर भी प्रभाव पड़ा। इस्लाम के आगमन के साथ भारत में ईरानी संगीत कला का प्रवेश हुआ। ईरानी संगीत शैलियों ने भारत की प्राचीन संगीत कला पर प्रभाव डाला जिससे संगीत का नया रूप अस्तित्व में आया। इस दिशा में अमीर खुसरों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 'ध्रुपद'' मेल से ''ख्याल'' संगीत चलाया। इसी प्रकार दोनों प्रकार ईरानी और भारतीय संगीत के मेल से कई रागनियॉ प्रचलित हुई जैसे – मुजीर, ऐमान, साजगरी, तराना, कौल, निगाद, वसिद और जिल्फ आदि। भारतीय प्राचीन वीणा और ईरानी तम्बूरे के मिश्रण से सितार का अविष्कार हुआ। मृदंग को तबले का रूप अमीर खुसरों ने दिया। मुसलमान स्वभाव से ही थोडे बहुत संगीत प्रेमी थे। उनके प्रभाव से भारत में कब्बाली, गजल, ठुमरी, दादरा आदि अब भी चल रही है। साम्राट अकबर संगीत प्रेमी था। उसके दरबार में बड़े अच्छे गायक विद्यमान थे। अबुल फजल ने उसके दरबार के छत्तीस प्रसिद्ध गायकों का उल्लेख किया है। इन्हीं दरबारी गायकों में अत्यन्त प्रसद्ध गायक तानसेन थे। तानसेन अपने समय का सबसे प्रसिद्ध गायक था। मुगल काल में संगीत क्षेत्र में जो वाद्ययन्त्र थे वे या तो मुसलमानों के ही साथ भारत में आए थे या उनका नामकरण मुसलमानों ने किया था। ऐसे वाद्ययन्तों में तबला, सितार, दिलरूबा, शहनाई, सरोद, नक्कारा का नाम लिया जा सकता है। चित्रकला की भॉति संगीत कला का पतन भी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ।

बागवानी या उद्यान कला भी मुसलमानों के आगमन से काफी प्रभावित हुई थी। प्रसिद्ध कला–पारखी ई.बी. हैवेल ने तो भारतीय कलाओं में बागवानी को मुगलों की सबसे बड़ी देन बताया है। मुगल बादशाहों को जिस प्रकार सुन्दर इमारते बनवाने का शौक था उसी प्रकार

सुन्दर ढंग से बागवानी कराने का भी शौक था। शाहजहॉ द्वारा बनवाए गए दिल्ली के सुन्दर लाल किले में एक शेर लिखा हुआ था कि ''मगर फिदौस बररूए जमीनस्त' 'हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो' अर्थात् यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह यही है, ऐसी सुन्दर इमारतों के सौदर्य का कारण सुन्दर उद्यान, फब्बारे, सुन्दर कृत्रिम सरोवर आदि भी थे। मुगल बादशाहों ने भारत में ईरान तथा तुर्किस्तान की उद्यान कला के ढंग के बाग बगीचे लगवाए थे। दिल्ली के लाल किले के कई बागों में सबसे सुन्दर बाग हयात बाग था। इसी प्रकार जहॉगीर और शाहजहॉ के शासन काल में अन्य प्रसिद्ध बागों में श्रीनगर का शालीमार और निशात बाग है। ऐसे उद्यानों और बागों में कृत्रिम नहरे, उथले सरोवर, फब्बारों की कतारें, खुले मण्डप और फूलों की क्यारिया दर्शकों का मन मोह लेती थी।

इस्लामी प्रभाव भारत की अन्य कलाओं पर भी देखा जा सकता है। यो तो भारतीय राजपूत जाति वीरता के क्षेत्र में संसार में अपना सानी नहीं रखती फिर भी भारतीय युद्ध कला पर कुछ इस्लामी प्रभाव भी पड़ा ही था। मुगलों ने ही भारत में तोप, बन्दूक ओर बारूद का प्रचलन किया था। मुगलों के प्रभााव से भारतीय युद्ध कला में सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। यहॉ की किलेबन्दी की प्रणाली प्रभावित हुई। सेना में अनुशासन पर अधिक जोर दिया जाने लगा। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा पद्धति का आरंभ किया। इसके अलावा चॉदी–सोने की मीनाकारी का काम किनखाब, जिल्दसाजी आदि की कला इस्लामी प्रभाव से प्रचलित हुई थी।

संदर्भ :–

1. आइडियल्प आफ इण्डियन आर्ट, हैवैल, लंदन 1911,
2. आर्ट आफ इण्डिया, सी. शिवराम मूर्ति, बम्बई 1974,
3. आर्ट आफ इण्डियन एशिया, बिलियम्स 1982,
4. इण्डियन आर्कीटेक्चर (हिन्दू एण्ड बुद्धिस्त) पर्सी ब्राउन बम्बई, 1956,
5. इण्डियन आर्ट–बासुदेवशरण अग्रवाल, वाराणसी, 1965,
6. प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, उदयनारायण राय, इलाहाबाद, 1965,
7. भारतीय कला, वासुदेवशरण अग्रवाल, वाराणसी, 1966,
8. भारतीय कला, ए.एल. श्रीवास्तव, इलाहाबाद, 1988,
9. भारतीय वास्तुशास्त्र, डी.एन. शुक्ल, लखनऊ, 1955,
10. भारतीय वास्तुकला का इतिहास, के0डी0 बाजपेयी, लखनऊ, 1972,
11. मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, हरफूल सिंह आय,
13. संस्कृति के चार अध्याय, दिनकर, पृष्ठ 348,
14. Islamic Influence on Indian society, M. Mujeeb, Page 170.
15. Influence of Islam on Indian culture Page 137.

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारतीय स्वतंत्रता में राष्ट्रवाद की भूमिका

डॉ. पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

सारांश

किसी भी राष्ट्र के स्वतंत्र होने व विकास करने में वहॉ के लोगो में राष्ट्रवाद की भावना का विशेष योगदान होता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास मुख्य रुप से परतंत्रता के काल में हुआ। इसने आम जन मानस को अंदर से झकझोर कर रख दिया तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए अनेक संगठन बने तथा तनाव भी बढ़ा। उदारवाद, उग्रवाद व क्रांतिकारी गतिविधियॉ सामने आयी। अंततः किस प्रकार राष्ट्रवाद ने भारत की स्वतंत्रता में भूमिका निभाई, इन्हीं बातों का समावेश इस शोध पत्र में किया गया है।

राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, जिसमें व्यक्ति की भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण की उच्चतम स्थिति राष्ट्र के प्रति होती है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दिसंबर, 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रीय चेतना ने एक मूर्त स्वरूप ग्रहण कर लिया। जिन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करने के लिए नरम नीति पर चल रही थी, उन्हीं दिनों उन्नीसवीं सदी के अंत से लेकर 20 वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक राष्ट्रवादियों का एक अन्य भाग विदेशी आधिपत्य से मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लक्ष्य से काम कर रहा था, इनके विचार क्रांतिकारी तथा चरमपंथी थे। इस चरमपंथी राष्ट्रवाद का पहला चिन्ह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बंबई में पहले पहल प्रकट हुआ। 1897 ई. में राजद्रोह के आरोप में तिलक को कैद की सजा मिलने पर देशभर में राष्ट्रीय भावना पर गंभीर प्रभाव पडा। '' भारतीय राष्ट्रीयता आधुनिक चमत्कार है यह ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आई है तथा ब्रिटिश प्रशासन व विश्व शक्तियों के प्रभाव से भारतीय समाज में जन्मे विभिन्न बाहरी व आंतरिक तत्वों तथा शक्तियों की क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का परिणाम है।''1 ऐसी ही कई घटनाओं और विचारों से भारतीय जनता के दिलों मे राष्ट्रीय प्रेम जागने लगा जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया।

* *प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)*
** *शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)*

भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख कारक

19वीं शताब्दी में भारत में अनेक सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए जिन्होंने हिन्दू धर्म में सुधार किए उसी प्रकार मुसलमानों, सिक्खों तथा पारसियों में भी सुधारवादी संस्थाएं बनी।[2] इन आंदोलनों ने क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर भी लोगों को प्रभावित किया। बंबई, बंगाल, पंजाब और मद्रास के हिन्दू आपस में मिलने लगे और अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करने लगे, इससे समाज में एक सांस्कृतिक जागृति आई। समानता के भाव ने जन्म लिया भारत के राष्ट्रवाद में इस सांस्कृतिक जागृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पूॅंजी व्यवस्था को अपनाया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था केन्द्रीकृत होती चली गई, उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था ने गांव की संप्रभुता को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे दादाभाई नारौजी, आर.सी.दत्त, गोविन्द रानाडे और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि को यह विश्वास हो गया है कि भारत की गरीबी उसका आर्थिक पिछड़ापन और विकास से उसकी विमुखता की मुख्य वजह भारत में ब्रिटिश शासन का होना है।

अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। यह सत्य है कि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का प्रचार अपने स्वार्थों के लिए किया, पर इस शिक्षा के परिणामस्वरुप भारतीय बर्क, मिल और मैकाले के विचारों से परिचित हुए तथा ग्लैडस्टन व ब्राइट जैसे लोगो की संसदीय बहस को सुना।[3] इस तरह पश्चिमी शिक्षा से बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग सृजित हुआ जो इतिहास की दृष्टि में 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम के समय के नेतृत्व से अधिक प्रगतिशील था। सैन्य सुरक्षा, कुशल प्रशासन तथा ब्रिटिश मालों को यहॉ बेचने और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत के यातायात तथा संचार के माध्यम विकसित किए जाए।4अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और परिवहन के आधुनिक साधनों को लागू किया। इसी व्यवस्था के कारण विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, वर्गो और नस्लों के लोग एक दूसरे के करीब आए। इसी दौर में लोगों ने अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करना शुरु किया।

राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने में प्रेस तथा साहित्य ने भी प्रेरक कार्य किया। इंडियन मिरर, हिन्दू पेट्रियट, सोम प्रकाश, केसरी, मराठा, अमृत बाजार पत्रिका और साथ ही लेखक जैसे दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र सेन, बंकिमचन्द्र चटर्जी, रमेशचंद्र दत्त आदि लेखकों ने राजनैतिक जागृति उत्पन्न की।[5] लोगों में मानवता, स्वतंत्रता, भाईचारा और देश के प्रति वफादारी की भावना उभरी। बंकिमचंद्र द्वारा 1882 ई. में लिखी गई आनंदमठ और उसमें लिखे गए एक गीत वंदे मातरम ने लाखों लोगों को भारत की आजादी के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतनी ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रुप में

खड़ा हो सके। कांग्रेस की स्थापना के पहले भी अनेक संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी। राजा राममोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होनें भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया।[6] 1838 में जमींदार एसोसिएशन, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1852 में बंबई एसोसिएशन व 1876 में इंडियन एसोसिएशन आदि की स्थापना अलग–अलग उद्देश्यों के आधार पर की गई। ये सभी राष्ट्रीय संगठन पढ़े लिखे राष्ट्रवादियों को एक साझे मंच पर लानें में सफल रहे और अंततः 1885 ई में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने स्वयं की थी और इसका उद्देश्य आम जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पनपते असंतोष को कम करना था। वास्तव में देखे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कलकत्ता और बंबई के बुद्धिजीवियों के एक नये वर्ग की मुख्य भूमिका थी। भारतीयता का एहसास और भारतीयों में एकता की भावना को जगाना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस ने शुरु से ही अपनी धर्मनिरपेक्ष पार्टी की छवि बनाए रखी। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी चक्रण के आधार पर देश के विभिन्न भागों में होता रहा व आम जनता का झुकाव उसकी ओर बना रहा जिसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया।

उदारवादी दौर व राष्ट्रीयता

भारत में राष्ट्रवाद ने कभी एक अंखडित शक्ति का रुप धारण नहीं किया। कांग्रेस के इतिहास के प्रथम बीस वर्षो को उदारवादी दौर के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य नेता मुख्यतः बंबई, मद्रास और बंगाल से थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश राज को ईश्वर का वरदान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश राज में भारत एक विकसित एवं सम्पन्न देश के रुप में उभरेगा। कांग्रेस केवल जमीदारो, पूजीपतियों और अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोगो के बारे में ही नही सोचती थी बल्कि उनकी दृष्टि समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर थी। उदारवादी नेता भारत मे राजनीतिक जागृति लाने मे सफल रहे। प्रारंभिक उदारवादी नेता इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 पारित कराने में सफल रहे।[7]

हिंदुस्तान में बीसवीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा है। नयी सदी के साथ जमे इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला। 19वी सदी ज्यों–ज्यों ढलती जा रही थी भारत में राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही थी – इस चेतना का केन्द्र था बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुस जापान युद्ध(1905) ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अंग्रेजों ने भारतीय चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बटवॉरे का निर्णय लिया। उस समय के वायसराय लार्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना था, बंगाली आबादी का बॅटवारा करना था। एक ऐसे केन्द्र को समाप्त करना था जहॉ से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था, साजिशें रची जाती थी।[8] बंगाल का विभाजन कर दिया गया। दूसरी राष्ट्रव्यापी असंतोष की भावना भड़क उठी।

भारतीय राष्ट्रवाद पर धार्मिक आदर्शवाद की गहरी छाप थी। अरविंद इसके मंत्रदाता, पुरोधा थे। भारतमाता की पूजा इसका प्रतीक बन गई। भारतीय राष्ट्रवाद के इस चरण के संदर्भ में श्री अरविंद के महत्व का विपिन चंद्रपाल ने इस प्रकार उल्लेख किया है – भारत को विदेशी आधिपत्य से अपने आप को मुक्त कराना ही होगा। उन्होने नवीन भारत का जो स्वप्न देखा था उसकी उपलब्धि के लिए उन्होने देशवासियों को अपने को विदेशी शासन के बंधनों से मुक्त होने का आह्वान किया। इस प्रकार अपने राष्ट्र के प्रति जनता को अरविंद ने जगाने का कार्य किया।

उग्रवादी दौर व राष्ट्रीयता

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई राजनीतिक विचारधाराऍ पनपी। उनमें एक उग्रवादी विचारधारा थी जिसका उदय बहुत ही स्वाभाविक क्रम में हुआ और उस समय की परिस्थितियों मे बहुत हद तक अनिवार्य भी था। उग्रवाद की जड़ में दो मुख्य कारक काम कर रहे थे– उपनिवेशवादी शासन की नीतियॉ और उदारवादी नेताओं की असफलताऍ जिसनें आम नागरिकों को उग्रवादी नीतियॉ अपनाने के लिए बाध्य किया। विपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपतराय, बालगंगाधर तिलक, खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी आदि इसी सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे ने भी उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेदों को और बढाने का प्रयास किया पर सच्चे अर्थो में उग्रवादी राष्ट्रवाद की बुनियाद बालगंगाधर तिलक ने रखी। उन्होने भारतीय राजनीति का लक्ष्य निर्धारित किया। तिलक ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होने स्वराज की मॉग स्पष्ट रुप से की उनके शब्दों में ''स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मै इसे लेकर रहॅूगा।''[9] 1909 ई. का भारत परिषद अधिनियम उग्रवादी नेताओं का प्रयास था।

उग्रवाद का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में परिवर्तन

सर्वप्रथम क्रांतिकारी समूहों की स्थापना 1902 ई. में मिदनापुर व कलकत्ता में हुई। जब बंबई और बंगाल मे उग्रपंथी राजनैतिक नेता कांग्रेस के भीतर से संघर्ष कर रहे थे, उन्ही दिनों बंगाल में कुछ चरमपंथी राष्ट्रवादियों वारीन्द्र कुमार घोष व भूपेन्द्रनाथ दत्त के नेतृत्व में एक दल संगठित किया। इसका उद्देश्य था गुप्त कार्यवाहियों के द्वारा क्रांति करके स्वतंत्रता की प्राप्ति। इनके सदस्य बमकाण्ड तथा अत्याचारी सरकारी अधिकारियों को डराने धमकाने अथवा उनकी हत्या करने जैसे तरीकों में विश्वास करते थे। इनमें अनेको का चरित्र महान था उन्हे स्वतंत्रता का तो नही पर शहादत का ताज अवश्य मिला। 1908 ई. में हेमचंद्र कानूनगो के स्वदेश लौटने के बाद कलकत्ता के माणिकतल्ला में बम बनाने के कारखानें में नेताओ की लापरवाही से पूरा समूह पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा केनेडी महिलाओं की हत्या के कुछ घंटों बाद हुई।10कैनेडी महिलाओं की मृत्यु गफलत में हो गई क्योंकि बम चलाने वालो ने इसे किंग्ज फोर्ड की गाडी समझ लिया था। इसी प्रकार की अनेक घटनाऍ घटित हुई तथा भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहॅुच गया।

राष्ट्रवाद से संबंधित सारी घटनाओं ने एक साथ मिलकर भारतीय जनता के मन में पूर्ण रुप से राष्ट्र प्रेम उत्पन्न कर दिया। अब क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद का उदय हो चला था, सारे देश की जनता अब गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना चाहती थी। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पडे वे सब देने को तैयार हो गए। धीरे–धीरे परिवर्तन साफ नजर आने लगा जहॉ कही भी सम्मेलन होता जनता की भागीदारी अधिक रहती। भारतीय राजनीति में गॉधीजी का आगमन, नील विद्रोह का होना, अहमदाबाद के मिल मजदूर, जालियावाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन आदि जनता में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का ही परिणाम था राष्ट्रवाद की भावना ने धीरे–धीरे ही सही पर एक दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिला ही दी व भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्रा, डॉ उर्मिला प्रकाश, भारत का इतिहास, 1858 से 1950 तक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007, पृ. 39
2. ग्रोबर, बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र. दिल्ली, 2008, पृ. 294
3. शुक्ल, आर.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली वि.वि. 2006, पृ. 467
4. शर्मा, डॉ. ब्रजकिशोर, भारत का वृहद इतिहास 1750–1950, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2005, पृ. 431
5. भार्गव, डॉ.बी.एस., भारत का इतिहास एवं आधुनिक विश्व का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ. 131
6. विपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, , ओरियंटल ब्लैकस्वान, दिल्ली 2010, पृ. 199
7. शुक्ल, आर.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली वि.वि. 2006, पृ. 492–493
8. विपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंटल ब्लैकस्वान, दिल्ली 2010, पृ. 84–85
9. ग्रोबर, बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र. दिल्ली, 2008, पृ. 331
10. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2010 पृ. 142

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

साहित्यशास्त्र का सामाजिक वैशिष्ट्य

श्रीमती क्षिप्रा सिंह
डा.के.पी. सिंह

वेद को अपौरूषेय विद्या का श्रोत माना गया है। काव्यालंकार शास्त्र (साहित्य) का बीज भी इन्ही वेदों मे खोजा गया है। राजशेखर के काव्य मीमांशा में काव्यालंकार शास्त्र के उद्‌भाव के सम्बंध में रोचक जानकारी के साथ उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। जिसके अनुसार शिव ने परम उपदेश ब्रम्हा आदि चौसठ शिष्यों को दिया। और स्वयंभू ब्रम्हा ने अपने मानस शिष्यों को दिया। उनमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरूश भी एक था इन्ही काव्य पुरूश को ब्रम्हा ने तीनों लोको में काव्यालंकार शास्त्र (साहित्य शास्त्र) के प्रचार के लिये नियुक्त किया तथा इसको विभिन्न अधिकरणों में विभक्त कर अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन आचार्यों मे अधिकांश आचार्यों के अस्तित्व का पता नहीं चलता। जिसमें से भरत और नन्दिकेश्वर का नाम प्रथम है। अलंकारिको के अनुसार संस्कृत काव्य की आत्मा रस है।

रस का उन्मीलन श्रोता और पाठक के हृदयों को आनन्द से परिपूरित कर देता है तथा उसके माध्यम से संस्कृत के शास्त्रों में औचित्य रीति, गुण तथा अलंकार आदि काव्यांगों की विवेचना होने पर भी रस की विवेचना ही मुख्यातया प्रतीत होती है जो अन्य भारतीय समाज का मेरूदण्ड है। गृहस्थाश्रम तथा अन्य आश्रमों की स्थिति गृहस्थाश्रम के ऊपर ही निर्भर करती है। इस भारत देश का सम्पूर्ण समाज गृहस्थ धर्म को पूर्ण महत्व प्रदान करता है। तथा इसमें सांगोपांग मानव जीवन के विभिन्न तत्व संस्कृत साहित्य में निहित है। साहित्य शास्त्र का आदि काव्य बाल्मीकीय रामायण हो या महाकवि कालिदास का रशुवंश या मेघदूत। जिसमें भारतीय गार्हस्थ धर्म के विभिन्न अंगों के आराधनीय आदेशों की मनोरम अभिव्यक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। संस्कृत के काव्यों में भले ही राजा–महाराजाओं के व्यक्तित्वों एवं दरबारों का वर्णन प्राप्त होता हो लेकिन समाज व्यवस्था के नियमों को विवेचित कर उनके गुण एवं दोशों की विवेचना प्रस्तुत कर उन्हें बर्बरता से उन्मुक्तकर सभ्य और शिष्ट समाज बनाने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय संस्कृत साहित्य जहाँ एक प्रकार समाज को एक नई चेतना प्रदान करता है वहीं हमारे संस्कृत साहित्य भारतीय धर्म के आधार पर पीठ की भाँति भी प्रतीत होते हैं। भारतीय प्राचीन साहित्य भगवान के चरणारबिन्द में अपने आप को लुटा देने में ही जीवन की सार्थकता का अनुभव करता है।

दक्षिणी करौंदिया (माँरिशन पब्लिक स्कूल के सामने, सीधी) जिला–सीधी (म.प्र.)

संसार के विविध तापों का निवारण तब तक सम्भव नहीं है जब तक भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होती। तभी तक पैरों की वेणी है जब तक जीव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता ह। कहा भी गया हैः–

तावद्रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं।
तावन्मोहोन्घृनिगडोयावत् कृष्णन ते जनाः।।

हृदय की दीनता आत्म–निवेदन अपराध स्वीकार आदि कोमल भावों की विशाल राशि प्रस्तुत करने वाला यह साहित्य शास्त्र बेजोड़ है। तथा संस्कृत भाशा के श्लाघनीय तत्व इसमें विद्यमान हैं। जो कोमल कान्त पदावली के साथ–साथ हृदयाह्लादकारी, मनोमुग्धकारी के भाव प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। साहित्य शास्त्र के ऊपर यद्यपि विभिन्न आलोचकों ने विशेश दोशारोपण किया है। परन्तु उनका दोशारोपण निरर्थक और अनर्थोत्पादक है। हमारे साहित्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार की सभ्यता आजकल ऊँची सभ्यता पर गर्व करने वाली जातीय तथा समाज के विभिन्न वर्गों समुदायों को उपेक्षित एवं सम्माननीय मनोगत भावों को प्रगट करने वाली तथा उस समय अथवा उससे भी बहुत पहले हमारे आर्य लोगों के पूज्यनीय संकल्पों एवं चरित्रों का वर्णन शास्त्रों में निहित हैं। उस समय ऋचाओ ंका उच्चारण सरस साम का गायन तथा आध्यात्मिक जगत की समस्याओं को सुलझा कर अपने उन्नत मस्तिष्क का परिचय दिया है। हमारे आदि ग्रंथ वेदों में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का विस्तृत तथा विविध इतिहास प्रस्तुत करने वाले इतिहास पुराणों की रचना इसी संस्कृत की परिनिष्ठित भाशा में की गई है। आर्यों की प्राचीन रीतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं का प्रसस्त तथा सर्वांगीण वर्णन करते हुये समाज के अभ्युदय तथा पारलौकिक निःश्रेयस की सिद्धि इसमें निगूहित है।

यह संस्कृत साहित्य सर्वांगीण तथा परिपूर्ण है मानव जीवन के लिये चतुर्वर्ग प्राप्ति का साधन है। इसमें न केवल धर्मग्रंथों का बाहुल्य है प्रत्युत भौतिक जगत साधन भूत साधन अर्थशास्त्र कामशास्त्र आदि विशयों की विस्तृत विवेचना मिलती है तथा राजनीति शास्त्र के भी सर्वांगीण परिचय प्राप्त होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या वात्स्यायन मुनि का कामशास्त्र हो ये दोनों जीवन की पूर्णता को सम्पूर्ण दृष्टि से आलोकित करते हैं। इनमें विज्ञान, ज्योतिश, वैदिक–स्थापत्य, पशु–पक्षी सम्बंधी लक्षण ग्रंथ संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। जीवन को सुखमय बनाने वाली विद्याओं का तो अधिक वर्णन है ही हृदय को विकसित करने तथा अध्यात्म विशय की विवेचना वर्णित है। जबकि पाश्चात्य में ऐसी विवेचना नहीं है।

भारतीय साहित्य शास्त्र में जितना महत्व अथवा तत्वज्ञान एवं धर्म का प्रतिपादन काव्य एवं कथा साहित्य से प्राप्त होता है। तथा उससे अधिक भारतीय संस्कृत साहित्य में शैली–विन्याश की भी विवेचना प्राप्त होती है। कुछ आलोचकों ने यद्यपि इसको कृत्तिम और दोशपूर्ण कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने संस्कृत काव्य एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन स्वाभाविकता के साथ नहीं किया है। संस्कृत भाशा में निवद्ध काव्यों मे हृदय के

भावों की अभिव्यक्ति उतनी ही स्वाभाविक प्रतीत होती है जितनी किसी प्रौढ़ साहित्य के काव्यों में हमारे संस्कृत के कवि एवं लेखक मानव हृदय के सच्चे पारखी थे। उन्होने सच्ची अभिव्यंजना के लिये अन्तर्दृष्टि के पथ का अनुगमन कर साहित्य की रचना किया। संस्कृत के आलोचकों की आलोचना पद्धति का विश्लेशण करते हुये भामह ने तर्क प्रधान शास्त्र से भावप्रधान का विभेद दिखाते हुये काव्य को स्पष्टतः (आविद्वदंगनावाल प्रसिद्धार्थ) लिखा है। काव्य केवल विद्वानों के दिमाग की उपज ही नहीं बल्कि यह शास्त्र अनभिज्ञ स्त्रियों और बच्चों की समझ में आने वाली वस्तु है। जिसके श्रवणमात्र से हमारे समस्त अन्तस्तन्तु भी किलोल करने लगते हैं। इसलिये यह संस्कृत भाशा विश्व की समस्त भाशाओं मे सर्वश्रेष्ठ है। हमारा समस्त संस्कृत साहित्य सभ्य साहित्यों से प्राचीनता व्यापकता, अभिरामता में सबसे बढ़कर है। संसार मे ंसभी जातियों रूढ़ियों, परम्पराओं को उद्‌देश्य कर सिद्धि के साधक जितने ज्ञान और विज्ञान हैं, जितने शास्त्र पुराण है, वे सभी परम्परा विधाओं का मनोगार हैं। यह संस्कृत भाशा में उपनिबद्ध प्राचीन शास्त्र भारत वर्श के अलावा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। कहा भी गया है–

साहित्य पाथेमन्थनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हेकवीन्गाः।
यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थ चौराः प्रमुखी भवन्ति।।

(सा.द.1.1.11–1)

बाल्मीकीय रामायण में तो विभिन्न धार्मिक अर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक विशिष्टताओं का विवेचन महर्शि बाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है। (संस्कृतनाम दैवी वागान्वाख्याता महाशिभिः) यह भाशा जहां उपरोक्त कथन का विवेचना करती है वहीं लोक व्यवहार में प्रचलित अनेक घटनाओं का सम्यक समाधान भी प्रस्तुत करती है। यह भाशा लोक से परलोक घरा से धाम तक का समाधान प्रस्तुत करती है। इसी भाशा के समर्थन में महर्शि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना कर शब्द शास्त्र के माध्यम से सामाजिक जीवन का अपने सूत्रों के माध्यम से अनेकानेक जाति, क्षेत्रफल, मापयंत्र, परिमाण नदी एवं भौगोलिक सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को विश्व के सामने रखकर उदात्त उदाहरण प्रस्तुत किया है जो विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य में ही महर्शि पतन्जलि ने समान संगठन, कुल तथा अंग भेद, संयुक्त कुल एवं कुलाचार विद्या सम्बंधी अनेक सूत्रों पर भाष्य लिखकर नवीन निधि प्रदान की है हमारे संस्कृत ग्रंथों में भाशा में चार वर्ण वेदों में चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों का उल्लेख है। जिनमें क्रमशः चातुर्वेद्य, चातुर्वर्ण्य, चातुराश्रम कहते हैं। भाष्य का ब्रम्हणार्दिगण तथा इन सबकी विभिन्न कर्मों की भी विवेचना प्रस्तुत की गयी है। प्राचीन काल के सामाजिक जीवन में कार्पास, उमा, गंगा कौसेय उशा के तन्तुओं से वस्तु बनाये जाते थे। तथा संस्कृत साहित्यीय सामाजिक वैशिष्ट्य में कई पीढ़ियों के संयुक्त परिवार रहते थे तथा आपस में मिलजुलकर बड़ी से बडी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करते थे जिससे चतुर्दिक प्रसन्नता का वातावरण सदा ही बना रहता था।

हमारे संस्कृत साहित्य के काव्यो मे हृदय के भावो की अभिव्यक्ति तथा स्वाभाविकता का साम्राज्य परिलक्षित होता है इन कवियो ने मानव हृदय के सच्चे भावों को परखा और उन्हे सच्ची अनुभूतियों की अभियंज्जना से रसमयी बनाया। बाल्मीकि, व्यास, कालिदास तथा अश्वघोष सभी ने रस एवं अलंकारो की सजावट से समाज को अपनी शैली से चमत्कृत किया।

ये साहित्य हमारे मानव जीवन को प्रभावित कर हमे समग्रदृष्टि से प्राचीनता व्यापकता तथा अभिरामता से ओत–प्रोत करते है। जितने भी शास्त्र इतिहास पुराण एवं कर्मकाण्ड है ये सभी संस्कृत भाषा मे ही है। जिसका तात्पर्य ये संस्कृत साहित्य परम्परा की विद्याओ का मनोरम भंडार है जो संस्कृत भाषा के माध्यम से विद्यमान होते हुये हमारे जीवन को रसमय तथा धन्य बनाती है।

सन्दर्भ–

1. साहित्य दर्पण–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
2. तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन 1966 डॉ0 राम प्रकाश अग्रवाल–प्रकाश प्रतिष्ठान मेरठ।
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
4. अलंकार सार मंजरी–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
5. सरस्वती सुषमा–सं. वि. वि. वाराणसी।
6. रामायण मीमासां–स्वामी करपात्री जी–सं. वि.वि. वाराणसी।
7. भक्त माल–नाभादास कृत–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
8. भाषा तत्व एवं व्याकरण–डॉ0 सत्यकाम वर्मा–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
9. भारतीय दर्शन–युधिष्ठिर मीमांसक–चौखम्बा प्रकाशन

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

सतना जिले के कृषि ऋण की पूर्ति में निजी बैंकों की भूमिका

राम पवित्र गौतम*
डॉ. बृजेश उपाध्याय**

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की एक निर्णायक भूमिका होती है, बैंकिंग प्रणाली उद्योग एवं व्यापार के चक्रों को निरन्तर प्रगतिशील रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है साथ ही विकास के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करना होता है। अर्थव्यवथा में साख के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकों की स्थापना की गई जिनके प्रमुख कार्यो में से कृषि वित्त प्रदान करना भी है।भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर कृषि पर आधारित है अतः अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिये कृषि के विभिन्न स्रोतों का विकास आवश्यक है। कृषक समुदाय को उत्पादक और गैर उत्पादक दोनों प्रयोजनों से विभिन्न प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है।

देश के आर्थिक विकास मे कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, वन, बागवानी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन आदि को शामिल किया जाता है। इसमे प्राकृतिक पदार्थो के निष्कर्षण, परिष्करण एवं प्रजनन से संबंधित कार्य को शामिल किया जाता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग इसलिये कहते है कि ये आर्थिक विकास की प्रथम अवस्था के उद्योग होते हैं तथा इनका उत्पादन अन्य उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री का कार्य करता है। निर्माणी उद्योग इन्हीं प्राथमिक उद्योगों के उत्पाद पर विकसित एवं आधारित होते हैं। प्राथमिक उद्योगों में मुख्यतः स्थानीय साधनों का ही उपयोग किया जाता है पिछड़े हुए देशों में ये उद्योग राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन होते हैं। ये अर्थिक प्रगति का मूलाधार होते हैं क्योंकि इनसे प्रगति का नवीन मार्ग प्रशस्त होता है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विस्तार में सहायक होते हैं। इसके प्रथम अवस्था में उपभोक्ता की प्रधानता रहती है तथा इनका उत्पादन पूँजीगत उद्योगों की तुलना में औसतन पाँच गुना रहता है इन व्यवसायों को प्राथमिक इसलिये कहा जाता है कि इनका उत्पादन मानव अस्तित्व के लिये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है तथा इन व्यवसायों को मुख्यतः प्रकृति के सहयोग से चलाया जाता है। सतना जिले मे कुल तीन निजी बैंक हैं। जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

(1) यूटीआई बैंक जिसका वर्तमान नाम एक्सिस बैंक है।

(2) एच.डी.एफ.सी. बैंक

---

* *(पी.एच.डी स्कालर) म.गा.चि.ग्रामोदय, वि.वि.चित्रकूट, सतना*

** *(एसोसियेट प्राध्यापक), म. गा. चि. ग्रामोदय, वि.वि.चित्रकूट, सतना*

(3) आई.सी.आई.सी.आई बैंक

ऋण (अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन), आय, किसान क्रेडिट कार्ड।

शोध क्षेत्र :– सतना (म.प्र.)

शोध विधि :–

कृषि ऋण की आवश्यकता का अध्ययन विवरणात्मक स्वभाव का है। इसलिए आकड़ों के संकलन मे द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है। जो अग्रणी बैंक द्वारा जारी लक्ष्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन पर आधारित हैं।

कृषि ऋण की आवश्यकता :

सतना जिले की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर है। लोगो कि आर्थिक उन्नति हेतु कृषि का विकास आवश्यक ही नहीं बल्कि आज की आवश्यकता मान कर करना है। कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति कृषक कहलाता है। और यह समुदाय कृषि कार्य हेतु ऋण लेता है। ऋण की आवश्यकता विविध प्रकार एवं व्यापक किस्म की होती है। कोई भी संस्था अकेले इस ऋण की पूर्ति नहीं कर सकती चाहे वे सार्वजनिक बैंक हों, सहकारी बैंक हो या अन्य कोई अतः इस विविधता वाले देश में कृषि ऋण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई वित्तीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंको की एक निर्णायक भूमिका होती है। बैंकिंग प्रणाली उद्योग एवं व्यापार के चक्रों को निरन्तर प्रगतिशील रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है साथ ही विकास के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करती है। अर्थव्यवथा में साख के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्‌देश्य से बैंकों की स्थापना की गई जिनके प्रमुख कार्यो में से कृषि वित्त प्रदान करना भी है।

(अ) प्रत्यक्ष कृषि ऋण मदें एवं विवरण

प्रत्यक्ष कृषि ऋण के अन्तर्गत, ऋण सीधे ऋणियों को उनकी उत्पादक एवं विकास आवश्यकताओं के लिये उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि प्रयोजनों के लिये प्रदान किया जाता है। अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण में फसल ऋण शामिल होता है। मध्यावधि व दीर्घावधि में कृषि उपकरण खरीदने, भूमि अधिग्रहण कृषि संभाविताओं के विकास, कृषि भवन एवं संरचनाओं के लिये, फसलों के संकट, बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण सिंचाई के लिये किया जाता है। ऐसे ऋण निम्न है–

1. फसल उत्पादन ऋण
2. भूमि सुधार और विकास
3. कृषि मशीनीकरण

(ब) अप्रत्यक्ष या परोक्ष कृषि ऋण मदें–

अग्रिम ऋण, जो रासायनिक खाद, पशु खाद तथा कृषि संबंधी निर्विष्ट वस्तुओं के व्यापारियों, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं या समितियों को दिये जाते हैं। अप्रत्यक्ष ऋण कहलाते हैं। जो इस प्रकार के है।

(1) बीज रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं के लिये ऋण।

(2) विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण।

(3) ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी अंचलों के नलकूपों की शक्ति बढ़ाने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगमों के लिये दिये जाने वाले ऋण।

(4) बिजली बन्द रहने की स्थिति में व्यक्तिगत किसानों को नलकूपों के लिये बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की व्यवस्था में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ती हेतु ऋण।

(5) कृषि यंत्र तथा अन्य उपकरणों के वितरण के लिये किराया खरीद योजना को वित्त पोषण हेतु ऋण।।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पैदावार के लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत समिति को ऋण।

(7) उत्पादन वाले इलाकों में भण्डारण, बाजार केन्द्रों, गोदाम हेतु ऋण।

(8) छिड़काव कार्यकलापों के लिये ऋण।

(9) ट्रेक्टर, बुल्डोजर, खुदाई के उपकरण, थ्रेसर हेतु ऋण।

कृषि क्षेत्र के समुचित विकास हेतु अग्रणी बैंक नें कृषि क्षेत्र को निम्न वर्गो में वर्गीकृत किया है–

(1) कृषि,

(2) सिंचाई एवं सिंचाई के विभिन्न साधन,

(3) जोत पशु एवं जोत यंत्र (ट्रेक्टर, बैल, थ्रेसर, गाड़ी),

(4) भूमि विकास,

(5) बागवानी एवं वृक्षारोपण

(6) कृषि सम्बद्ध उद्योग या सहकृषि कार्य (डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, बायोगैस, गोबर गैस, बकरी पालन एवं सुअर पालन)

सार्वजनिक, सहकारी व निजी बैंकों को कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लक्ष्य दिया। ताकि कृषि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

बागवानी, वानिकी एवं वृक्षारोपण हेतु प्रदत्त ऋणों का वर्षवार ब्यौरा

तालिका क्रमांक :– 1 **राशि – लााख रुपये में**

बैंक का नाम	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HDFC	822	1237	2023	2664	3276	11768
ICICI	6580	5916	4969	5167	7247	9034
AXIS	6042	5759	4663	3872	2500	4911

स्त्रोतः– अग्रणी बैंक –इलाहाबाद बैंक सतना

तालिका क्रमांक 1 पर प्रदर्शित निजी बैंकों में प्रदत्त राशि का विगत 6 वर्षों (2008-13) के आंकडों के आधार पर सबसे कम औसत एच.डी.एफ.सी. बैंक का और सबसे अधिक आई.

सी.आई.सी.आई बैंक का था। अर्थात् ऋण प्रदान करने में निजी बैंकों में आई.सी.आई.सी.आई बैंक ने अपना योगदान अन्य बैंकों की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से अधिक दिया है।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में प्रदत्त ऋणों का वर्षवार ब्यौरा

तालिका क्रमांक :– 2 राशि लाख रुपये में

वर्ष	HDFC	ICICI	AXIS
2008	90.08	731.94	341.97
2009	257.55	668.09	181.51
2010	330.90	900.63	416.19
2011	470.46	811.14	301.36
2012	644.02	896.16	441.33
2013	1921.31	1598.89	525.41

स्त्रोतः– अग्रणी बैंक –इलाहाबाद बैंक सतना

तालिका क्रमांक 2 में वर्णित सतना जिले के कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों को दिये गये ऋण का वर्षवार विवेचन करने के बाद आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का रूझान अन्य निजी बैंकों की तुलना में 1.5 गुना से 3 गुना तक अधिक रहा अर्थात् कृषि की उन्नति में आई.सी.आई.सी.आई बैंक अधिक सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। सतना जिले के निजी बैंकों में एच.डी.एफ.सी. बैंक नें 2008 से 2013 तक लगातार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में प्रदत्त ऋण की राशि गत वर्षों से 2 गुना से लेकर 3 गुना तक वृद्धि किया है, जबकि ऐक्सिस व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा इस जिले में लगातार ऋण की राशि की वृद्धि नहीं हुई। किसी वर्ष अधिक तो किसी वर्ष कम व किसी वर्ष पूर्व वर्ष के अनुसार दी गई।

ऋण वितरण मे आने वाली समस्याएँ :–

(1) राजनीतिक दखलन्दाजी
(2) डूबत ऋण की अधिक मात्रा
(3) सरकार की ऋण माफी योजना
(4) ऋण जमानत की राशि

सुझावः–

(1) आपसी सहयोग एवं समन्वय की भावना जगाकर
(2) सरकारी सहायता की प्राप्ति (ऋण माफी एवं डूबत ऋण के संबन्ध मे)
(3) राजनीतिक दखलन्दाजी पर रोक हेतु कानून का निर्माण

निष्कर्ष :–

सतना जिले के कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों को दिये गये ऋण का विवेचन करने पर यह देखा गया कि निजी बैंक भी अन्य बैंको के समान सक्रियता के साथ कार्य कर रहे है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में प्रदत्त ऋण की राशि विगत वर्षों से 2 गुना से लेकर 3 गुना

तक बढी है जो इस ओर अच्छे नतीजे दे रहे हैं। और सतना जिले के किसानो की आर्थिक उन्नति हुई है।

सन्दर्भ :–

(1) डॉ.मामोरिया – भारत में नियोजन एवं आर्थिक विकास, 1990 संस्करण
(2) डॉ.के.एल.गुप्ता – भारतीय अर्थशास्त्र, विकास, समस्यायें एवं नियोजन, 1990 संस्करण नवयुग साहित्य सदन प्रकाशन
(3) डॉ.व्ही.सी.सिन्हा, कृषि ग्रामीण अर्थशास्त्र पब्लिशिंग हाउस आगरा
(4) सुधा एवं गुप्ता – औद्योगिक संगठन 1988 संस्करण
(4) मध्यप्रदेश विकास वार्षिकी – कृषि का विस्तार
(5) श्री के.सी.भंडारी – भारत में आर्थिक नियोजन
(6) वार्षिक प्रतिवेदन अग्रणी बैंक इलाहाबाद सतना
(7) Gnanasekaran. E. Research Methods in Business, Anuratha publications, Chennai, 2010,
(8) Kothari C.R. Business Research methods, Vikas Publications, New Delhi, 2010.
(9) Dr. Mamoria, C.B. Rural credit and agricultural co-operation in India publication Allahabad: Kitab Mahal,1983
(10) Bhasin, Niti, Financial Institutions and Markets in India New Century Publication. New Delhi 2010.
(11) Sami Uddin & Mahfoozur Rahman, Co-operative Sector in India publicationNew Delhi: S. Chand & Co.,1983
(12) Bhole, L M-, Financial Institutions and Markets publication TataMcGraw-Hill, New Delhi, 2004
(13) Brahmananda, P R- Money Banking, Prices in 19th Century India, Himalaya Publishing House, Delhi,23001
(14) Tapiawala M P, Banking Reforms And Productivity In India, New Century Publication. New Delhi, 2007
(15) Internet

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

रामवृक्ष बेनीपुरी की 'नई नारी' और बदलते जीवन-मूल्य

संजय कुमार त्रिपाठी*
डॉ. राम मूर्ति त्रिपाठी**

सारांश

इस विवेचन के आधार पर नारी के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जीवन–मूल्य निरंतर बदल रहे हैं। शिक्षा, तकनीक एवं जागरूकता ने नारी को स्वाबलम्बी एवं स्वतंत्र सोच प्रदान किया है। प्राचीन काल पुरूषों ने स्त्रियों से धर्म की आड़ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार छीन लिये थे उन्हें वापस प्राप्त करने का समय आ गया है। विज्ञान के विकास के कारण आदमी औरत के बीच की खाई अब लगभग पट गई है। विज्ञान ने औरतो को पुरूषों के समानान्तर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पुरूषों को चाहिए कि वह महिलाओं से समानता का व्यवहार करें, उन्हें भी अपने समान ही प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता दें चाहे वह पति से सतुष्ट न होने पर किसी और के साथ संसर्ग करना ही क्यों न हो अन्यथा पति हर हालत में पत्नी को यौन–सुख से संतुष्ट रखे। इतना ही नही जीवन के सभी कार्यों में आज की नारी समानता का एवं भेदभाव रहित व्यवहार चाहती है। यदि पतियों ने ऐसा नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब औरते अपना मार्ग अलग चुनने को मजबूर हो जाएँगी।

वर्तमान समय में समाज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तकनीक एवं शिक्षा ने समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। नारी जो कि देश की आधी आबादी है ऐसे उसकी स्थिति में क्या कोई बदलाव हो रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः समाज में होने वाले परिवर्तनों से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहा सकता है। सबसे विचारणीय बिन्दु यही है कि आजादी के बाद जबकि सब कुछ बदल रहा है फिर नारी की दशा में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? आज के बदलते माहौल में और समाज में आ रहे मानवीय मूल्यों में विघटन के विषय में धर्मवीर भारती जी ने लिखा है कि – ''सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्व के विघटन की जो बात बहुधा उठायी जाती रही है। उसका तात्पर्य यही रहा है कि वर्तमान युग में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है जिसमें अपनी नियति के, इतिहास–निर्माण के सूत्र मुनष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं– मनुष्य दिनोंदिन निरर्थकता

* पीएच.डी. स्कालर, म. गाँ. चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, म.प्र., मो. 9200977955
** एसोसिएट प्राध्यापक एव गाइड, म. गाँ. चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, म.प्र., मो. 9584356239

की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है।''[1] इसका एक प्रभाव हमें स्त्री–पुरूष के सम्बन्धों में भी दिखाई देता है। आज हमारा समाज इक्कीसवीं सदी में पहुँच गया है। हमने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है किन्तु नारी की दशा और दिशा में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? हमारा देश विदेशियों की गुलामी से तो आजाद हो गया है किन्तु हमारी औरतें अपनों के कैद से क्यों आजाद नहीं हो पा रही हैं? निश्चय ही ये एक प्रबल विचारणीय प्रश्न हैं।

जीवन–मूल्यों में व्यक्ति–स्वातंत्र्य ऐसा मूल्य है जो हमारे समाज और परिवार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के महत्त्व को स्वीकारते हुए हुकुमचंद्र पाल ने लिखा है–''उन्हें हम किसी सीमा में बाँध सकते हैं, क्योंकि देश–काल के अनुसार उन जीवन–मूल्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। परन्तु कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन्हें देशकाल अथवा परिवेश की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। व्यक्ति स्वातंत्र्य ऐसा ही मूल्य है जिसे सभी स्वीकार करते हैं।''[2] हमारे समाज में नारी को इस मूलभूत मूल्य से वंचित किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे विकसित संस्कृतियों में से एक रही है। फिर ऐसी संस्कृति में नारी की यह दुर्दशा क्यों है यदि इसपर विचार किया जाए तो कही न कही इसका कारण हमारे समाज का पुरूष प्रधान होना है। समाज द्वारा युवाओं को विवाह के विषय में अनके तरह के दकियानूसी सलाह दिये जाते हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्व नामक ग्रथ में युवाओं को विवाह के विषय में परामर्श देते हुए लिखा है–''एक तो यह कि अपनी स्थिति से ऊँची स्थिति में विवाह मत करिये। ज्यादा पढ़ी–लिखी अथवा सुन्दर लड़की पर मत जाइये। बहुत से लोग प्रतिष्ठा, सहारा अथवा दहेज के लालच में बड़े परिवारों में विवाह कर बैठते हैं, किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होती, उन्हें एक ज्यादा खर्चीली लड़की गले बँध जाती है।''[3]

कॉलेज जाने वाली लडकियों के प्रति हमारा समाज क्यों आशंका भरी निगाह से देखता है। समाज के इस दृष्टिकोण पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी 'कॉलेज की लड़कियाँ ' नामक लेख में लिखते हैं–''निस्संदेह उन्हें लोगों की नजरों से गिराने की ही नीयत से–कि ये अच्छी पत्नियाँ नहीं हो सकतीं, तो मुझे आनन्द इस बात का होता है कि ओहो, हमारी पढ़ी–लिखी बहनों ने, इतने थोड़े दिनों में ही, अपने स्वतंत्र–व्यक्तित्व, अपनी आजाद तबियत की ऐसी धाक जमा दी है कि हम पुरूषों को उनसे डर–सा लगने लगा है, हम स्त्रियों पर के अपने एकाधिपत्य के साथ ही अपने पैर के नीचे की ज़मीन भी खिसकती हुई देखने लगे हैं।''[4]

किसी भी समाज या परिवार की बुनियाद एक स्त्री और पुरूष का सम्बन्ध ही है। दुनिया के सभी धर्मों में प्रायः यह बात सर्वमान्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक नर और नारी से हुई है उसे अलग–अलग धर्मों में, अलग–अलग नामों से जाना जाता है हिन्दू धर्म में

उन्हें मनु–सतरूपा, इस्लाम में आदम–हव्वा और ईसाई धर्म में उन्हें ही ऐडम और ईव के नाम से जाना जाता है। इनकी सन्ततियों से ही मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। सृष्टि के प्रारंभ में स्त्री और पुरूष की सामाजिक स्थिति में कोई अन्तर था। दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि समाज में पुरूष शक्तिशाली होता चला गया और स्त्री कमजोर होती चली गई इस हद तक की वह अबला बन गई? बेनीपुरीजी ने अपने निबन्ध 'नारी जागरण और विवाह बन्धन' में इस विषय पर कहते हैं–''नर और मादा, इन दो विभागों का विकास मानवी रचना के पहले ही हो चुका था। मादा के हिस्से में सन्तानोत्पत्ति का वास्तविक भार पड़ा। फल यह हुआ कि बार–बार गर्भधारण करने और सन्तान पैदा करने के कारण उसकी शक्ति क्षीण होती गयी।''[5] इस प्रकार जंगल का सिद्धांत आदमी औरत के रिश्ते में आ गया। आदमी शिकार करके, खा पीकर कर बलिष्ठ बन गया। जबकि बच्चों को पैदा करके और उनके लालन–पालन में औरत लगातार कमजोर और अबला बनती गई। इस अवसर का लाभ पुरूषों ने अपने वर्चस्व के लिए किया और औरतों को हमेशा–हमेशा के लिए ऐसी गुलामी में जकड़ दिया गया जिससे निकल पाना महिलाओं के वश में नहीं रह गया। दास्य प्रथा से स्त्री की परतंत्रता की तुलना करते हुए बेनीपुरी जी ने बहुत सटीकता से इस सर्वस्वीकृत सिद्धांत 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की बात करते हुए 'वेश्या बनाम सती' निबंध में लिखते हैं– ''अतः गुलामी की ज़ंजीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि गुलाम के दिमाग और हृदय पर आप ऐसी छाप बिठा दें कि वह अपने को सदा आपसे नीच–पतित समझे, आपकी सेवा करना अपना परम–धर्म जाने, यही नहीं अपनी सारी साधनाओं का केन्द्र आपको ही माने।.........अतः उन्होंने शास्त्रों में, धर्म पुस्तकों में ऐसे वचन गढ़–गढ़कर घुसा दिए जिससे स्त्रियाँ अपने को पतित समझें, अपने पति को ही अपनी मुक्ति का आधार मानें, उनके प्रति सदा वफ़ादार बनी रहें, आदि–आदि।''[6] वहीं बड़ी चतुराई से पुरूषों को भी थोड़ी–सी नसीहत दे दी गई कि वे स्त्री को जरूरतों को पूरा करें, उसका सम्मान करें इत्यादि। इस प्रकार पुरूषों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए स्त्रियों को धर्म के बन्धन में बाँध कर दास बना लिया और पुरूषों को उनके कर्त्तव्यों का भान कराकर ही इति कर दिया।

हमारे शास्त्रों में नारी की महिमा में बहुत–सी बातें कही गई हैं। जैसे– मनु ने अपने ग्रंथ में लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे ही छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है–

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।''

अतः एक ओर तो हम नारी को श्रद्धा के योग्य बताते हैं वही उसका पूरी तरह से उपभोग करने या फिर कहा जाए कि शोषण करने से बाज नहीं आते हैं। मनुष्य के प्रारंभ की कहानी में श्रद्धा जैसी सुंदर सुशील स्त्री के होते हुए भी कामुकता के वशीभूत होकर

राजा मनु अपनी पुत्री इड़ा से संसर्ग करने नहीं चूकते, जिसका वर्णन प्रसाद जी ने कामायनी में किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी दौर हो कैसी भी परिस्थितियाँ हों औरतों के लिए एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है उसका शोषण होना। कोई न कोई किसी न किसी रूप में अवसर पाने पर नारी को दुरूपयोग करने से बाज नहीं आता है। तुलसी बाबा जैसा महान कवि भी कहीं न कहीं इसी मानसकिता से ग्रसित दिखते हैं जब वे कहते हैं–

ढोल गँवार शूद्र पशु नारी।। सकल ताड़ना के अधिकारी।।

या फिर

'नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं।। अवगुण आठ सदा उर रहहीं।।''[7]

रामचरितमानस में एक पतिव्रता नारी को जो उपदेश दिया गया है निश्चय ही यदि आज की कोई पढ़ी लिखी महिला इसे पढ़ती होगी तो वह क्या सोचेगी। तुलसीदास जी औरतों को किसी भी परिस्थिति में पति के साथ रहने और उसकी सेवा करने का उपदेश देते हुए कहते हैं–

''वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना।। अंध बधिर क्रोधी अतिदीना।।
ऐसेहु पति कर किए अपमाना।। नारी पाव जमपुर दुख नाना।।''[8]

शायद इसी धार्मिक शिक्षा का प्रतिफल है कि भारतीय नारी अपने पति को अपना सौभाग्य मानती है, और पति चाहे जितना भी नीच या दुश्चरित्र हो उसे जन्मजन्मातर तक अपने पति के रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज जैसा कठोर व्रत रखती हैं। इस मानसिक गुलामी की प्रवृत्ति पर ही सवाल उठाते हुए बेनीपुरी जी 'नई–नारी' के अन्तर्गत लिखे अपने लेख 'ज़ंजीरें और दीवारें' में हथकड़ी की तुलना चूँड़ियों से करते हुए लिखते हैं–''एक (हथकड़ी) जबरदस्ती डाली गयी है, दूसरी अपनी पसन्द से पहनी गयी है। किन्तु ज़रा यह तो बताइए कि जब यह अपनी पसन्द से पहनने की चीज़ है तो फिर ऐसी नेत्र रंजन चीज़ से उन लक्ष–लक्ष बहनों को भरी जवानी में वंचित क्यों कर दिया गया है, जिन्हें आप विधवा कहते हैं?''9 इसी विषय में चूड़ियों की तुलना गुलामी से करते हुए बेनीपुरी जी बड़े सटीक उदाहरण द्वारा कहते हैं–''पशुओं के ख़रीदार अपने ख़रीदे हुए पशु के गले में धागे बाँध देते हैं, पहचान के लिए! तुम अब किसी की बीवी बन चुकीं या बननेवाली हो–इसलिए डाल लो हाथ में चूड़ियाँ! और संयोग, अब वह चल बसा, तो तोड़ो इन चूड़ियों को। तुम्हें इसके पहनने का हक़ नहीं? तुम अभागिनी, ऐसी ख़ूबसूरत चीज़ अपने हाथ में रखने का तुम्हें हक़ है?''[10]

सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सिद्धांत कठोपनिषद् के श्लोक से भली भाँति अभिव्यक्त होता है–

''ओम् सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै।
तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै।।''[11]

इसी प्रकार जीवन–मूल्यों में त्याग के महत्त्व को प्रतिपादित करतु हुए ईसावास्योपनिषद् में वर्णित है–

''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्याचिद् धनम्।।''[12]

हमारा सनातन धर्म प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णु रहा है। इसीलिए तो अथर्ववेद में ऋषियों ने कहा–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

सनातन धर्म में नारी को सर्वोच्च पद प्रदान किया गया है। एक श्लोक जो बहुत से हिन्दू परिवारों में प्रातः स्मरण में पढ़ा जाता है वह है–

''अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी।
पंचकन्या स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम्।।''[13]

इन प्रातः स्मरणीय कन्याओं में एक बात जो सभी में समान है वह है इन पाँचों का सांसारिक दृष्टि से किसी न किसी प्रकार के अवैध अथवा संसार में उचित न माने जाने वाली गतिविधियों में लिप्त होना। फिर इन्हें हमारे सन्तों ने प्रातः स्मरणीय के साथ ही महापाप को नाश करने वाला क्यों बताया है। जब हम इस मर्म को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा धर्म व्यक्ति के द्वारा समाज को दिए गए योगदान को महत्त्व देता है तथा सन्तानोत्पत्ति के लिए स्थापित किए गए यौन सम्बन्धों को करने को पाप नहीं समझता है। यदि ऐसा न होता तो इन्द्र के साथ संसर्ग के बाद अहिल्या को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। द्रौपदी का पाँच पुरूषों को पति मानना किसी से छुपा नहीं है। इसी प्रकार बालि की पत्नी तारा द्वारा सुग्रीव को पति स्वीकार करना हो या बृहस्पति की पत्नी तारा का शिष्य चंद्रमा के साथ संसर्ग करके बुध को जन्म देना हो इसी प्रकार इन पंच कन्याओं में कुन्ती ने सूर्य से दैहिक सम्बन्ध स्थापित करके कर्ण को जन्म दिया तथा विवाह के उपरांत युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन को जन्म दिया और मंदोदरी रावण की मृत्यु के उपरांत विभीषण की पत्नी बनी। बेनीपुरी जी के शब्दों में कहा जाए जो–''मन्दोदरी जिसने मेघनाद ऐसा पुत्र पैदा किया, इन्द्र को जिसने जीता, लक्ष्मण को धाराशायी करने वाला..... भला वह मन्दोदरी संसार की महिला मणि क्यों न समझी जाए?.........कुन्ती के वे प्रतापी पुत्र, जिनके बिना महाभारत रचा नहीं जा सकता था.........अंगद की माँ तारा भी क्यों न पूजी जाए, जिसके पद–भार को लंकापति तक नहीं उठा सका?.........बुध ऐसे जाज्ज्वल्यमान पुत्र की माँ तारा प्रातःस्मरणीय क्यों न हो?..........द्रौपदी स्वयं वीर नारी थी, पाँचों पाण्डवों की प्रेमिका।........ ....अहल्या जिसके सौंदर्य ने स्वर्गाधीश इन्द्र को पृथ्वी पर घसीटा, आकाश के चाँद को ज़मीन पर उतारा.........नहीं स्मरण करना तो प्रकृति की इतनी बड़ी विभूति का अपमान करना होता!''14 वास्तव में हमारा धर्म कभी भी संकीर्ण विचाराधाराओं में जकड़ा हुआ नहीं था किन्तु कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कि उनके नपुंसक होने पर भी उनकी पत्नी

पर उनका एकाधिकार बना रहे, उन्होने औरतों पर एक ही पुरूष के साथ जीने मरने की बाध्यता लाद दी। महाभारत काल के अधिकांश ऋषि और योद्धा अपनी पिता की संतान नहीं थे किंतु उन पर हमारे धर्म में कभी भी प्रश्न नहीं उठाया गया। पराशर ऋषि ने नन्दिनी के साथ संसर्ग करके व्यासदेव को उत्पन्न किया था यदि आज ऐसा होता तो इसे संस्कृति विरूद्ध कहा जाता। प्राचीन काल में आपसी सहमति से यौन सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्रता स्त्री और पुरूष को एक समान प्राप्त था, लोग अपनी रूचि और प्रवृत्ति के अनुसार जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र थे। माता सीता ने दुःख सहते हुए सारा जीवन एक पति पर बलिदान कर दिया तो इसके विपरीत द्रौपदी ने पाँच पतियों से यौन सुख का भरपूर आनन्द लिया। 'सीता और द्रौपदी' नामक निबन्ध में बेनीपुरी जी लिखते हैं– सीता के लिए लंका काण्ड हुआ, लेकिन उसका प्रारम्भ या तो रावण ने किया या राम ने। लेकिन महाभारत की सोलह आने जिम्मेदारी द्रौपदी पर है। उसी ने दुर्योधन से वह अपमानजनक उपहास किया, उसी के चीरहरण ने आग में घी का काम किया।..........यों सीता और द्रौपदी दोनों ही एक सभ्यता की पुत्री, एक पत्नी लेकिन दोनों में कितना अन्तर! एक की जिंदगी, एक पर निर्भर रहकर रोते कटी, एक जिन्दगी को पाँच पर न्योछावर करके मौज उड़ाती रही!'' 15 इस प्रकार जो लोग मर्यादा, पर्दा प्रथा के नाम पर औरतों पर वर्जनाएँ लगाते हैं उन्हें इतिहास का पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है।

नए परिवेश और परिदृश्य में बेनीपुरी जी भारतीय महिलाओं को पुरूषों की मानसिक गुलामी से मुक्त होने का आह्वान करते हुए 'जंजीरें और दीवारें' लिखते हैं– ''बहनों के लिए अगर अपनी कोमल कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाना लाजिमी समझा जाए, तो भाइयों को भी अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए फौलादी कड़ियाँ डालकर उन्हें झनझनाते, खनखनाते चलना लाजिमी करार दिया जाए! नही ंतो इन चूड़ियों का सम्बन्ध पति से हटा देना चाहिए। यह बहनों की रूचि पर छोड़ा जाए कि वे चूड़ियाँ पहनें या नहीं पहनें।''16

सन्दर्भ

1. मानव मूल्य और साहित्य, धर्मवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दूसरा संस्करण सन् 1990 पृष्ठ– आमुख।
2. आधुनिक काव्य में नवीन जीवन–मूल्य, हुकुमचन्द, राजपाल प्रकाशन, पृष्ठ 77
3. भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्व, श्रीराम शर्मा आचार्य, अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा, द्वितीय संस्करण 1998, पृष्ठ 4.62
4. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 577
5. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 566
6. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 559

7. रामचरितमानस, तुलसीदास, लंकाकाण्ड, 16 क, गीताप्रेस गोरखपुर, 23वां संस्करण, पृष्ठ 507
8. रामचरितमानस, तुलसीदास, अरण्यकाण्ड, 5 क, गीताप्रेस गोरखपुर, 23वां संस्करण, पृष्ठ 407
9. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 556
10. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 556
11. कठोपपिषद् शांतिपाठ।
12. ईसावास्योपनिषद् – 2
13. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 548
14. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 552
15. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 547
16. रामवृक्ष बेनीपुरी रचना संचयन, मस्तराम कपूर, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण 2000ई. पृष्ठ 557

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान (महिला के संदर्भ में) सशक्तीकरण

डॉ0 पूनम तिवारी*
डॉ0 संजय शंकर मिश्र**

भारतीय इतिहास के पन्ने स्त्रियों के गौरव से परिपूर्ण है। प्राचीनकाल से ही भारत में विदेशियों के आक्रमण होते हैं, प्राचीन काल में एक, यहूदी, हूण आदि विदेशी जातियाँ भारतीय सभ्यता में आत्मसात हो गई, इसी प्रकार यदि हम मध्यकाल की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति हालांकि खास अच्छी नहीं थी। घर की चारदीवारी में ही अधिकतर स्त्रियाँ अपना समय व्यतीत कर देती थी, किंतु फिर भी समय पड़ने पर भारत की अन्यान्य वीरांगनाओं ने अपने जौहर से देश के गौरव की रक्षा की, जैसे रानी दुर्गावती एक वीर स्त्री थी, उसने बाज बहादुर के विरूद्ध अनेक युद्ध लड़े और उनमें सफलता प्राप्त की।

बीसवीं शताब्दी में सम्पूर्ण विश्व में उदारवाद व लोकतंत्र की लहर से भारत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। समाज सुधार के अनेक प्रयासों, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित आदर्शो तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पारित अनेक कानूनों ने स्त्रियों को पुरूष वर्चस्व से मुक्त होने में सहायता दी जिसकी वजह से महिलायें स्वतंत्र होकर निर्णय लेने में सक्षम बनी। इसी संदर्भ में विवेच्य विषय है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की थी। वस्तुतः स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मागाँधी तथा अन्य नेताओं की प्रेरणा से भारी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया।

स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ भारत के बेटों ने कष्ट उठाया, जेल गए फाँसी चढ़े वहाँ भारत की बेटियाँ भी पीछे नहीं रहीं। अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार प्रत्येक मोर्चे पर उन्होंने काम किया। स्वतंत्रता संग्राम में मलिाओं के योगदान का अवलोकन करना आवश्यक भी है और समयोचित भी। आज जब महिलायें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो उन्हें इतिहास की रचना करने वाली वीरांगनाओं का भी पूरा परिचय होना चाहिए। यहाँ उन कुछ महान् महिलाओं का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है। जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जो इस प्रकार है।

स्ववित्तीय शिक्षक (इतिहास), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

रानी लक्ष्मीबाई

महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन् 1835 में मोरोपंत और भागीरथी बाई के यहाँ हुआ। उनका बचपन का नाम मनु था। बचपन ही में उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने ही मनु का पालन–पोषण किया। तलवार और बंदूक चलाना उनकी शिक्षा का एक अंग था। सन् 1842 में मनु का विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गरीब ब्राहमण की पुत्री झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। लक्ष्मीबाई अल्पकाल जीवित रहीं, पर वीरता का जो उदाहरण उन्होंने उपस्थित किया, वह इतिहास के पन्नो में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।

अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण वर्चस्व था। भारतीयों में स्वतंत्रता – प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। अंग्रेजी शासन और झाँसी के मध्य संधि की जो शर्ते निश्चित हुई थीं, उनमें दो शर्ते प्रमुख थीं। एक तो यह कि अंग्रजों को जब भी सैनिक सहायता आवश्यकता पड़ेगी, झाँसी उसकी सहायता करेगा। दूसरे, झाँसी का शासक मनोनीत करने का अधिकार अंग्रेजों को होगा। सन् 1838 में अंग्रेजो ने ही गंगाधर राव को झाँसी का शासक बनाया था। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो दुर्भाग्य से जीवित नहीं रहा। वृद्ध गंगाधर राव ने भविष्य में संतान–प्राप्ति की ओर से हताश होकर सन् 1852 में दामोदर राव नामक बालक को गोद ले लिया। उन्होंने कंपनी को लिखा कि दामोदार राव को उनका उतराधिकारी मनोनीत किया जाए। 1854 में डलहौजी ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो कंपनी ने झाँसी को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। जिसके फलस्वरूप रानी कमर कस कर मैदान में आ गई। उसने घोषणा कर दी, "मैं अपनी झाँसी नहीं दूंगी।" झाँसी की इस चुनौती को कंपनी ने स्वीकार कर लिया। सर हयूरोज सेना लेकर झाँसी पहुँचा। उसने रानी को संदेश भेजा कि किले से बाहर आकर उससे भेंट करे। रानी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

23 मार्च, 1858 को सर हयूरोज ने युद्ध की घोषणा कर दी। रानी ने जंमकर सामना किया, पर उसकी हार हुई। रानी को झाँसी छोड़कर भागना पड़ा। बाकर नामक अंग्रेजी अधिकारी ने उसका पीछा किया। कालपी पहुँचकार रानी ताँत्या टोपे और राव साहब से मिली। हयूरोज ने कालपी को घेर लिया तो रानी ग्वालियर चली गई। ग्वालियर का महाराजा जया जी राव सिंधिया, जो भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया था, अंग्रेजी सेना के साथ वापस आया। युद्ध प्रारम्भ हो गई गया। हयूरोज की सेना बहुत बड़ी थी। रानी को पुनः पीछे हटकर भागना पड़ा। स्वर्ण–रेखा नदी पार करते हुए उसकी जाँघ में गोली लग गई। उसका दाहिना गाल चिर गया। घायल रानी को उसके वफादार सेवक रघुनाथ सिंह, रामचन्द्र देशमुख और गुल मुहम्मद ने किसी प्रकार बाबा गंगादास के मठ पर पहुँचाया, जहाँ वीर रानी ने अंतिम साँस ली।

अंग्रेज जनरल सर हयूरोज ने, जिसने रानी से युद्ध किया और उसे पराजित किया, रानी की महानता का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया, "इंकलाबियों में सबसे बहादुर

और सबसे अजीम सेनपति थीं महारानी लक्ष्मीबाई – लक्ष्मीबाई को' 1857 की हीरोइन' कहा जाता है।1

महारानी अवंतीबाई

16 अगस्त, 1831 को मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के राव जुझारू सिंह और सुमित्रा के यहाँ एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम 'मोहिनी' रखा गया। मोहिनी को पूर्ण सैनिक शिक्षा दी गई। 17 वर्ष की आयु में मोहिनी का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मणसिंह' के पुत्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। ससुराल में मोहिनी को 'अवन्तीबाई' नाम दिया गया।

लक्ष्मणसिंह के निधान के पश्चात् विक्रमादित्य रामगढ़ के राजा बने। कुछ समय बाद ही उनकी मानसिक दशा बिगड़ गई। कंपनी सरकार ने अवसर का लाभ उठाया। सन् 1851 में उन्हें विक्षिप्त करार देकर रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वाड्र्स' के अधीन कर दिया गया। रानी मजबूर होकर रह गई, पर विवश थी। वह अपने अर्द्धविक्षिप्त पति और अल्पवयीन उत्तराधिकारी अमानसिंह की ओर से राज्य का काम–काज चलाती रही।

अवंतीबाई को जब क्रांतिकारियों की ओर से स्वंतत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का संदेश मिला तो उसने सहर्ष स्वीकार का लिया। वह अंग्रेजों के र्क्वस्व से अप्रसन्न थी। अंग्रेज सरकार ने रेजीडेंट नियुक्त कर उसके राज्य पर कब्जा कर रखा था। सन् 1858 में कंप्तान वाडिंग्टन ने रामगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। किला बहुत मजबूत था और रानी के हौसले जवान थे। फिर भी रानी को हार का मुँह देखना पड़ा। अंग्रेज सेना ने किले को ध्वस्त कर दिया और शाही खजाना लूट लिया।

रानी ने भागकर देवरागढ़ के जंगलों में शरण ली। सेना ने रानी का पीछा किया। रानी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा गया, जिसे रानी ने अस्वीकार कर दिया। सेना ने आक्रमण कर दिया। निरंतर अठारह दिन तक छापामार युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन कप्तान वाडिंग्टन और लेप्टिनैंट कॉक वर्न ने दोनों ओर से घेरकर रानी को घायल कर दिया। रानी ने उमरावसिंह से तलवार लेकर अपनी छाती में भोंक ली। उसे सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने इस संसार से विदा ली। रानी ने अंत समय तक अंग्रेजों का सामना किया और लड़कर ही प्राण दिए।

मैना

सन् 1857 में अंग्रेजों की विजय के पश्चात् नाना साहब पेशवा को बिठूर छोड़ना पड़ा। उनकी प्रिय पुत्री मैना उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। "मैं अपनी इज्जत की रक्षा करना जानती हूँ। आप मेरी चिंता न करें, जाएँ मै यहाँ रहकर क्रांतिकारियों को सूचानाएँ पहुँचाती रहूँगी।"

मैना कुछ क्रांतिकारियाँ के साथ पीछे रह गई। अंग्रेजों ने आक्रमण करके इन क्रंतिकारियो को कैद कर लिया। मैना उनके हाथ नही लगी, यद्यपि वह महल में ही थी। अंग्रेज सेना ने महल पर तोप के गोले बरसाना शुरू कर दिए। मैना को विवश होकर शरणस्थल से बाहर आना पड़ा।उसे गिरफ्तार करके जनरल आकटरम के सम्मुख पेश किया गया।

जनरल ने उससे नाना साहब और उनके साथियों के पते पूछे। न बताने पर जीवित जला देने की धमकी दी, बता देने पर बड़े इनाम का प्रलोभन दिया।

मैना ने निर्भीकता से कहा; मेरा बलिदान ही मेरा पुरस्कार होगा। यह भी निश्चित है कि मेरी मृत्यु अंग्रेजों के पतन का कारण बनेगी।

जनरल ने मैना के उत्तर से क्रोधित होकर उसी समय चिता तैयार कराई और मैना की जीवित अग्नि के हवाले कर दिया। देश की बेटी ने देश के लिए प्राण अर्पण कर दिए। उसकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अंग्रेजों का पतन होकर रहा।

अजीजन बाई

अजीजन बाई कानपुर की प्रसिद्ध नतर्की थी। वह नृत्य और संगीत से लोगों का दिल बहलाती थी। वह अत्यंत रूपवती व उत्तम गायिका थी। चरित्रवान भी थी। नमाज पढ़ती और रोजे रखती थी।

क्रांतिकारी त्रिभुवन सिंह की प्रेरणा से वह ताँत्या टोपे से जाकर मिली तथा उनसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। ताँत्या टोपे ने उसके व्यवसाय को दृष्टि में रखते हुये उसके लिए जासूसी का कार्य निश्चित किया।

उनके निर्देशानुसार अजीजन बाई ने कानपुर छावनी के अंग्रेज अधिकारियों से संपर्क बना लिया। वह छावनी में नृत्य और संगीत की महफिलें सजाती। अधिकारी जब मदिरा पीकर मदहोश हो जाते तो वह उनसे सैनिक राज उगलवाकर क्रांतिकारियों तक पहुँचा देती थी। जिससे ताँत्या टोपे साथियों सहित घात लगाते और सत्रुओं का सफाया कर देते।

शीघ्र ही अंग्रेजों को अजीजन पर संदेह हो गया और वे उस पर दृष्टि रखने लगे।

एक दिन अजीजन बाई रंगे हाथो गिरफ्तार कर ली गई। उसे एक खंभे से बाँधकर चांरो ओर आग जला दी गई। उससे उसके साथियों के नाम पूछे गये, पर अजीजन ने जबान नहीं खोली। आखिर उसे गोलियो से भून दिया गया।

वेंदकुमारी, आज्ञावती और मेमोबाई

वेंदकुमारी स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री थीं। वह आज्ञावती के साथ सन् 1900 में बंगाल–विभाजन आंदोलन में सम्मिलित हुई। इन दोनों ने महिलाओं को एकत्र करके संगठन बनाए और पुरूषों के जलसों में भाषण देकर उनका उत्साह बढ़ाया। फलस्वरूप सन् 1820–21 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन में दिल्ली की प्रसिद्ध समाज कार्यकर्ता मेमोबाई भी उनके साथ सम्मिलित हो गई। तीनों ने मिलकर धरने और जुलूसों के माध्यम से आजादी के आंदोलन को गति दी

लाडोरानी जुत्सी

लाडोरानी का जन्म सन् 1882 में लाहौर में हुआ। वह सन् 1918 में गाँधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुई। विशेष रूप से मद्य–निषेध के लिए काम किया और शराब की दुकानों और विदेशी वस्तुओं के विक्रय की राशि को जब्त किया। इस राशि से

जलियाँवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित लोगों की सहायता की। अंग्रेजों ने उनकी गतिविधियों के बारे में जानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर अत्याचार किए.... परंतु वह अपने मार्ग से नहीं हटीं और महिलाओं को आगे लाकर काम करने के लिए प्रेरित करती रहीं।[3]

सरलादेवी चौधरी

सरलादेवी चौधरी का जन्म सन् 1872 में हुआ। देशभक्ति से ओंतप्रोत सरलादेवी ने सन् 1919 के आरंभ में वंदेमातरम्' का नारा लगाया और गाँधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ कार्य आरंभ किया तथा अंत समय तक अर्थात् सन् 1945 तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुडी रहीं। वह बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के मध्य संपर्क बनाये रखने का कार्य करती थीं। विदेशी सामान का बाँयकाट करके देशी वस्तुओं का प्रचार करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी भंडार की स्थापना की और स्त्री महामंडल स्थापित करके महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार किया।

बी अम्माँ

बी अम्माँ का पूरा नाम अमानी नानो बेगम था। महान् क्रांतिकारी मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की माता थी। वह स्वयं देश–प्रेम से परिपूर्ण थीं और उन्होंने अपने पुत्रों को भी देशभक्ति की शिक्षा दी थी। बी अम्माँ ने सन् 1920 और 1922 के मध्य खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गाँधी जी इन पर इतना विश्वास करते थे कि एक बार जेल जाते हुए उन्होंने निर्देश दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य बी अम्माँ को गिरफ्तार न होने देने के लिए विशेष निर्देश दे रखे थे और स्वयं भी खयाल रखा था कि वह गिरफ्तार न होने पाएँ।

बी अम्माँ ने परदा छोड़ दिया था और शहर–शहर दौरा करके लोगों तक एकता का संदेश पहुँचाती थी। सितंबर, 1922 में उन्होंने शिमला की फैशनेबले महिलाओं को प्रेरित करके खादी पहनने के लिए राजी कर लिया था। फलस्वरूप उनसे प्रेरित हुई वे महिलाएँ खादी के वस्त्र धारण करने लगी थीं।

मनमोहिनी सहगल

लाडोरानी जुत्शी की सुपुत्री मनमोहिनी सहगल स्कूल के समय से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड, गई थीं। उन्होंने कई जलसों और धरनों की अगुवाई की। सन् 1930 में जब भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी दी गई तो अंग्रेज शासन के विरूद्ध प्रदर्शन करने वालों में वह सबसे आगे थी। अंग्रेज उनसे घबराते थे तथा उनकी निर्भीकता और वीरता को स्वीकार करते थे।

अतरी देवी

अतरी देवी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होकर निरंतर अपने उत्साह का प्रदर्शन करती रहीं। सन् 1941 में उन्हें डेढ़ वर्ष की सजा हुई। 26 जनवरी को दिल्ली की सेंट्रल

जेल में उन्होंने तिरंगा फहराया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उनकी खूब पिटाई की तथा लाहौर जेल में स्थानांतरित कर दिया। वहाँ से छूटने के पश्चात् वह पुनः आंदोलन में सक्रिय रूप से कार्य करने लगी और अंतिम समय तक करती रहीं। 5

इस शोध–पत्र से युवा वर्ग को सेनानी महिलाओं के जीवन और कार्यों की जानकारी तो मिलेगी, जिन्हें इतिहास में उजागर तो किया गया है लेकिन इनमें से कुछ ऐसी महिलायें भी है जिन्हें कम प्राथमिकता दी गई है। यह शोध पत्र किशोरियों को उनके बारे में जानने, शोध करने व उनमें देशभक्ति की भावना की जाग्रत करने में सहायता करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बाला, ऊषा, 1997, 'भारतीय संस्कृति के विकास में महिलाओं का' योगदान
2. कुमार प्रवीण, 2000, 'स्वतंन्त्र्य दीवानी बेगम मजरत महल'
3. कृष्ण कुमारी, 1997, 'नारी चेतना का ऐतिहासिक संदर्भ और स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की भूमिका'
4. समीउद्दन, आबिदा 1990 हिंदुस्तान की जंगे–आजादी में मुस्लिम ख्वातीन का हिस्सा
5. संहगल, लक्ष्मी 1997 'सबसे बढ़कर आजादी' बाल भारती नई

ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA Vol.-II

Comming in APRIL, 2015

A National Registered Research Journal

Quaterly Bilingual (English/Hindi)

We are provide a plateform for the publication of original unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Thesis and Book.

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

बुन्देलखण्ड का भौगोलिक इतिहास एवं संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय

डॉ. पूनम मिश्रा*
जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वर्तमान में मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जिसका विस्तार 230–240 उत्तरी अक्षांश से 260–50′ उत्तरी अक्षांश तथा 770–520 से 800 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।[1] इतिहास कार जयचन्द्र विद्यालंकार ने ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बुन्देलखण्ड का सीमांकन इस प्रकार किया है– बेतवा धसान, केन के भू–भाग, नर्मदा का ऊपरी भाग और पंचमढ़ी से अमरकंटक तक पूर्वी सीमा, से टौस नदी तक का विस्तृत क्षेत्र बुन्देलखण्ड के अंतर्गत था।

पं. गोरलाल तिवारी[2] ने बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक में बुन्देलखण्ड की सीमा–उत्तर में यमुना, पश्चिम में चम्बल, और सिंध, दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में बघेलखण्ड को माना है। इसके अतिरिक्त यदि ब्रिटिश कालीन बुन्देलखण्ड पर प्रकाश डाला जाऐ तो उत्तरप्रदेश के झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन व ललितपुर तथा मध्यप्रदेश के सामगर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, दतिया व टीकमगढ़ कुल 11 जिले एवं भिण्ड जिले की लहार तहसील के भाग इस क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते थे। बुन्देलखण्ड के सीमाकंन और विस्तार से संबंधित कुछ जनश्रुतियाँ भी प्रचलित है जो इसके सीमांकर पर प्रकाश डालती है जैसे–

महाराजा छत्रसाल के समकालीन प्रचलित जनश्रुति[3]–

छत्रा रेगे राज में धक–धक धरती होय।
जित–जित घोड़ा मुख करे तित–तित फते होय।।
इत जमुना, उत नर्मदा, इत चम्बल, उत टोंस।
छत्रसाल सौ लडन की, रखी न काहू हौस।।

इसी प्रकार–

भैंस वंधी है ओरछा, पड़ा हुसंगावाद
लगवैया है सागरै, चपिया रेवा पार

---

* प्राध्यापक इतिहास, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
** शोधार्थी इतिहास, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

इस प्रकार साक्ष्यों के आधार पर बुन्देलखण्ड में उत्तरप्रदेश के–जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी, महोवा, चित्रकूट, ललितपुर तथा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर एवं भिंड जिले की लहार तहसील आते है।

जहाँ तक बुन्देलखण्ड शब्द की उत्पत्ति का प्रश्न है डॉ. विद्यानिवास मिश्र बुन्देलखण्ड की व्युत्पत्ति विन्ध्य से मानते है वे विन्ध्य का अर्थ व्याध और किरात बताते है जो इस क्षेत्र में निवास करते थे ओर विन्ध्यवासिनी देवी के भक्त थे। जबकि डॉ. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी ने बुन्देख शब्द की व्युत्पत्ति पुलिंद से बताई हैं सम्भवतः यह कर्त इसलिये दिया जाता है। क्योंकि आटकिव प्रदेश के आदिवासियों को पुलिंद कहा जाता था।

जहाँ तक बुन्देलखण्ड की प्राचीनता का प्रश्न है प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र के लिए अनेक नाम प्रचलित थे जैसे–चेदि प्रदेश, दशार्ण प्रदेश, जुझौती प्रदेश, चन्द्रवती, आटविक प्रदेश, जैजाकभुक्ति प्रदेश।

महाभारत काल में यह क्षेत्र चेदि प्रदेश के नाम से विख्यात था4 जहाँ का शासक दमघोष था जिसके साथ श्रीकृष्ण की बुआ का विवाह हुआ था शिशुपाल जिसका पुत्र था महाजनपद काल में ही इस क्षेत्र का एक अन्य नाम दशार्ण देश की मिलता है जो सम्भवतः इस क्षेत्र में प्रवाहित दस नदियों–बेतवा, घसान, चम्बल, सिंध, केन, टौंस, यमुना, नर्मदा, पहुज और पैसुनी के कारण पड़ा होगा।

स्कंद पुराण के अध्याय–30 में बुन्देलखण्ड का एक अन्य नाम जुझौती प्रदेश भी मिलता है डॉ. अयोध्या प्रसाद पाण्डेय ने इसकी सीमाऐं कांतिपुरी (कुतवार) चेदिप्रदेश तथा मालवा को माना है।

इब्नवतूता ने अपने भ्रमण काल में यहां का दौरा किया और इस क्षेत्र में खजूरों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को खजुरा नाम से सम्बोधित किया इब्नवतूता का कथन संभवतः खजुराहों के लिऐ था।

गुप्तकाल में इस क्षेत्र का नाम आटविक प्रदेश मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशसित की 11वीं पंक्ति में इसका विवरण मिलता है। जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा इस क्षेत्र को विजित किये जाने का उल्लेख है फलीट के अनुसार उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर, मध्यप्रदेश के जबलपुर के वन प्रदेश आटविक नाम से प्रसिद्ध थे गुप्त शासकों के पश्चात् इस क्षेत्र पर हूणों का आधिपत्य स्थापित हो गया ग्वालियर तथा ऐरण से प्राप्त अभिलेखों में हूणों के आधिपत्य का वर्णन मिलता है।

उत्तर गुप्त काल में यहाँ की राजनैतिक स्थिति के विषय यें बहुत कम साक्ष्य मिलते है किन्तु खजुराहों स्थित हनुमान की विशाल प्रतिमा के पाद पीढ़िका पर हर्ष सम्वतः 306 का एक लेख उत्कीर्ण है जिससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन बुन्देलखण्ड शासक हर्ष की प्रभुता को स्वीकार करता था हर्ष चरित के अनुसार हर्ष अपनी बहन को ढूंढता हुआ विन्ध्याटवी प्रदेश गया था जहां के आटविक शासक ने उसकी सहायता की थी।

हर्ष के पश्चात् इस क्षेत्र पर राजपूत शासक गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो गया क्षेत्र से 838 ई. तिथि अंकित वराह ताम्रपत्र कालिंजर से विदित है साथ ही दूसरा अभिलेख 886 ई. तिथि युक्त देवगढ़ (ललितपुर) से प्राप्त है जो इस क्षेत्र में प्रतिहारों की सत्ता प्रमाणित करता है नवीं सदी के प्रथम चरण में दक्षिणी बुन्देलखण्ड में नन्नुक के नेतृत्व में चंदेलवंश का उदय हुआ इसके पुत्र जयशक्ति और विजय शक्ति हुऐ, जयशक्ति के नाम पर इस क्षेत्र का एक अन्य नाम जैजाक भुक्ति पड़ा5 धंग इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ उसने प्रतिहारों से ग्वालियर दुर्ग छीन कर लड़खड़ाती प्रतिहार शक्ति को आघात पहुँचाया इसी प्रकार धंग के पुत्र गण्ड ने महमूद का सफल प्रतिरोध किया। चंदेल शासक मदन वर्मा के समय यह क्षेत्र समृद्धशाली और उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था मदन वर्मा के पश्चात् यशोवर्मा उत्तराधिकारी बना जिसका राजस्व काल अत्यल्प रहा। यशोवर्मा का पुत्र परमार्दिदेव चंदेल वंश का विख्यात शासक था सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में उसकी वीरता का बखान आल्हाखण्ड के माध्यम से किया जाता है। सन् 1182–83 में वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ।

चंदल शासकों के उपरांत इस क्षेत्र पर गौड राज्य के राजा प्रभावशाली हो गये। अबुल फजल की आइन–ए–अकबरी, पृथ्वीराज रासो तथा बुन्देलखण्ड से प्राप्त कुछ अभिलेखों से इसकी पुष्टि होती है। तत्कालीन गोड़वाना राज्य में 24 सूबे आते थे बुन्देलखण्ड जिसका एक हिस्सा बन गया था।

चंदेलवंश की पतनावस्था में विन्ध्यभूमि में बुन्देला शासकों का आविर्भाव हुआ ये मूलतः कन्नौज के गहड़वालों की एक शाखा थे इन्हीं के नाम पर विंध्य भूमि बुन्देलखण्ड कहलाई।6 बुन्देला शासकों की गणना राजपूतों के छत्तीस कुलों में होती है। मध्य युगीन फारसी श्रोतों के अनुसार बुन्देला एक बांदी और गहड़वाल राजपूतों के वंशज है बांदी से उत्पन्न होने के कारण इन्हें यह नाम मिला। जबकि बुन्देल परिवार स्वयं को राजा पंचम का वंशज बताते है। एक कथानक के अनुसार राजा पंचम अपने पुत्रों के द्वारा ही पदच्युत होने के बाद अपनी कुल देवी विंध्यवासिनी के मंदिर में कठोर तप करने लगा और जब कोई परिणाम न निकला तो उसने निश्चत किया कि वह अपना सिर तलवार से काट कर देवी की अर्पित कर देगा जैसे ही राजा ने तलवार से वार किया देवी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर बरदान दिया किन्तु तब तक राजा पंचम सिंह की गरदन से रक्त टपकने लगा था। इन्हीं टपकती बूंदों के कारण उनके वंशज बुन्देला कहलाये।

बुन्देला शासकों ने 16वीं शती के मध्य से अठारहवीं शती तक अवाध रूप से शासन किया और क्षेत्र में अनेक स्थापत्यगत निर्माण कराये। इस वंश में प्रथम शासक राजा रुद्र प्रताप हुये जिन्होंने इस क्षेत्र में बुन्देला राज्य का विस्तार किया राजा रुद्र प्रताप के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र भारतीचन्द्र शासक बना जिसे शेरशाह सूरी का प्रबल प्रतिरोध सहना पड़ा। किन्तु बुन्देला राजपूत अपनी वीरता के दम पर सफल हुये और ओरछा को स्थाई राजधानी बना दिया गया। 1554 ई. में भारतीचन्द्र की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई

मधुकर शाह शासक बना जो अकबर के समकालीन था। अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते मधुकरशाह और मुगल सूवेदार सादिक खां का संघर्ष हुआ जिसमें मधुकरशाह का पुत्र मारा गया अंततः 1578 में मधुकरशाह को मुगलों से एक कूटनीतिक संधि करनी पड़ी। मधुकरशाह का द्वितीय युद्ध शहजादे मुराद के साथ हुआ इस वार भी मधुकरशाह को पराजय का मुख देखना पड़ा और उसके दूसरे पुत्र को बंदी बना कर मुगल दरवार में पेश किया गया किन्तु उसे माफ कर दिया गया।7

मधुकरशाह के काल में स्थापत्य कला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला ओरछा में भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ। 1592 में मधुकरशाह की मृत्यु के पश्चात रामशाह सिंह जूदेव ने सत्ता संभाली किन्तु वह इसे अक्षेण्य न रख सका। इसके पश्चात् वीरसिंह जूदेव (प्रथम) ने मुगलों का सफल प्रतिरोध किया यह प्रतिरोध कूटनीतिक अधिक था जिसमें उसके विश्वसनीय सेनापति कृपाराम गौड़ का बहुत बड़ा हाथ था। वीरसिंह देव महान योद्धा, एवं सेनानायक के साथ–साथ कुशल प्रशासक और धार्मिक व्यक्ति था जिसने ओरछा और उसके आप–पास अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उनका काल बुन्देलखण्ड का स्वर्ण काल कहा जाता है।

वीरसिंह देव ने अपने राजत्व काल में ही अपने ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जुझार सिंह का काल अत्यल्प रहा लाला हरदौल उनका छोटा भाई था जिसे मुगलों ने एक षडयंत्र के तहत जहर दिलवा दिया था यह कथा अंचल में हरदौल लीला के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय तक बुन्देलखण्ड पर मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी थी।

इसी समय पन्ना क्षेत्र में महाराज छत्रशाल ने मुगलों का प्रबल प्रतिरोध किया उन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किये और सभी में विजय हासिल की। इधर ओरछा में मुगल शासक शाहजहां ने अब पृथ्वीराज सिंह को शासक नियुक्त किया जो अल्प वयस्क था जिसके कारण क्षेत्र में अराजकता व्याप्त हो गई जिसका लाभ उठा कर चम्पतराय बुन्देला शासक बन बैठा चूंकि चम्पतराय मुगलों की इच्छा के विरुद्ध शासक बना था अतः मुगल विरोधी होना स्वभाविक था इसी बीच घरेलू षडयंत्रों के चलते पहाड़ सिंह जू देव ने चम्पतराय को खाने में जहर देकर मारना चाहा किन्तु गलती से चम्पतराय के छोटे भाई की मृत्यु हो गई। पारिवारिक कलह और षड़यंत्रों से बचने के लिये चम्पत राय ने मुगलों से संधि कर ली और पहाड़ सिंह को राजा घोषित कर दिया जो अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। पहाड़ सिंह के पश्चात् सुजान सिंह शासक बना जिसके काल में अनेक निर्माण कार्य हुये जिनमें तालाब और घाट प्रमुख है।

सुजान सिंह के पश्चात् उनका भाई इंद्रमणि सिंह शासक बना जिसके समय में मालबाग, आनंद मण्डल, प्रेतों की बगिया, तथा दो मकबरों का निर्माण कराया गया। इंद्रमणि सिंह के पश्चात् क्रमशः जसवंत सिंह तथा भगबंत सिंह शासक हुये जिनके काल में सत्ता स्थिर रही। भगवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजमाता अमर कुवरि ने उद्वेत सिंह को

गोद लेकर सिंहासन पर बैठाया जो अत्यंत प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुआ इसी के समय ओरछा का शीश महल, तथा वरुआ सागर तालाव का निर्माण कराया गया। महाराज उद्वेत सिंह के पश्चात् महाराज पृथ्वी सिंह, महाराज सामंत सिंह तथा महाराज विक्रमाजीत सिंह ने शासन किया और इन्हीं के शासनकाल में बुन्देलखण्ड की राजधानी ओरछा से हटा कर टीकमगढ़ को बना दिया गया।

इस प्रकार इस क्षेत्र में लगभग 18 बुन्देला शासकों ने शासन किया और राजधानी ओरछा में अनेक भव्य महल, कोठियां, हवेलियां, तालाब, एवं मदिरों का निर्माण कराया गया।8

इस प्रकार हम देखते है कि आदि काल से ही विंध्य भूमि महापुरुषों महावीरों एवं लड़ाकों की भूमि रही है जहाँ एक ओर सत्ता प्राप्ति और अधिकार के युद्धों के लिए बुन्देलखण्ड प्रसिद्ध है वहीं सामाजिक उत्थान और संस्कृति की झलक हर युग में देखने को मिलती है।

बुन्देलखण्ड की संस्कृति :–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मानव क्रिया कलापों के प्राचीनतम उदाहरण पन्ना जिले के शैलाश्रयों में शैलचित्र कला के रूप में मिलते है जिसमें गहरीघाट, बराछ (03 शैलाश्रय) छापानाला (09 शैलाश्रय) अकोला (06 शैलाश्रय) सीरापहाड़ शैलाश्रय (04 शैलाश्रय) ब्रहस्वतिकुण्ड शैलाश्रय आदि प्रमुख है6 ये सभी शैलाश्रय पन्ना जिले से प्राप्त है इन शैलचित्रों में पशुपक्षियों को प्रमुखता से दिखाया गया है। साथ ही मानव अंकनों में भी कलात्मकता देखने को मिलती है इन चित्रों में बच्चे, कामकाजी महिलाएँ, एवं गर्भवती महिला को भी प्रदर्शित किया गया है इसके अतिरिक्त नृत्य करते दृश्य, शिकार के दृष्य, भारवाहक तथा कामक्रीड़ा के चित्र भी मिलते है। युद्ध के चित्रणों में मानव आकृतियों के हाथों में आयुध प्रदर्शित किये गये है। इसी प्रकार भारवाहक दृश्यों में कंधे पर कांवर के समान कुछ रखे प्रदर्शित किया गया है। सम्भवतः प्राचीन काल में सामान लाने ले जाने के लिये यही साधन रहा होगा। धार कुण्डी शैलाश्रय के शैलाश्रय क्रमांक एक छः बारह, सोलह, में ये चित्रण मिलते है जो हल्के रक्ताभ एवं हल्के लाल रंग के है। एक चित्रण में भारवाहक टोकरी में शिकारी द्वारा मारे गये पशुओं को ले जाते दिखाया गया है। सामाजिक चित्रणों में स्त्रियों तथा बच्चों को सामूहिक रूप में दिखाया गया है। गहरी धार शैलाश्रय से ही एक गर्भवती स्त्री का चित्रण मिलता है जिसके साथ एक अन्य स्त्री भी प्रदर्शित है जो उसके प्रसव में सहायता कर ही है और बच्चे को उल्टा लटकाये हुए है।10 अगले क्रम में कुछ स्त्रियों को वजन सिर पर उठाये प्रदर्शित किया गया है जो वजन के कारण आगे की ओर झुकी हुई है। साथ ही मोर को नाचते हुऐ प्रदर्शित किया गया है।

जहाँ तक इन शैलचित्रों की तिथि का प्रश्न है। प्रारम्भिक चित्रण मध्यापाषाण काल से संबंधित है। जिनमें पशु पक्षियों के रक्ताभ चित्र प्रमुख है द्वितीय चरण के चित्रों में कूवड़दार बैल, वाणाग्र और भाले आदि इस वर्ग शामिल किये जाते है। जिसकी तिथि ताम्रपाषाण

काल रखी जाती है। इसके अतिरिक्त श्वेत एवं पीले रंग से निर्मित चित्रों को ऐतिहासिक श्रेणी में रखा गया है जिसमें घोड़े और घुड़सवारों के चित्र प्रमुख है।

महाभारत काल में यह क्षेत्र जहाँ कृष्ण और शिशुपाल की कर्मस्थली रहा वहीं महाजनपद युग में यह क्षेत्र बौद्ध धर्म स्थली भी रहा। दतिया से प्राप्त गुजर्रा अभिलेख इसका प्रमाण है। गुप्त काल में यह क्षेत्र कला के क्षेत्र में योगदान देता रहा लगभग 9वी से 12वीं शती ई. के मध्य चंदेल शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया गया जिसमें ब्राह्मण धर्म, वैष्णव, शाक्त, शैव तथा जैन धर्म से संबंधित मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण कराया गया। खजुराहों, दतिया, ओरछा टीकमगढ़, झांसी आदि स्थानों पर इसके प्रमाण देखे जा सकते है। इनमें खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चर्तुभुज मंदिर, बराह मंदिर, जहाँ अपनी कामुक कलाकृतियों के लिये विश्व प्रसिद्ध है वहीं ओरछा में बुन्देला संस्कृति से परिपूर्ण श्री राम मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधिका विहारी मंदिर, आध्यात्मिक मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते है। मंदिरों के अतिरिक्त इन शासकों ने राजप्रसाद, हबेलियाँ, कोठियाँ और स्मारक के रूप में छत्रियों का निर्माण भी कराया जो तत्कालीन शासकों की वैभव गाथा का गान करते है।

संदर्भ ग्रथ सूची :–

1. नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पृ. 32
2. तिवारी, गोरेलाल–बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास पृ. 12
3. वही पृ. 24
4. हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ. 189
5. एपि. इंडिका जिल्द–1 पृ. 221
6. बुन्देलखण्ड की लोक संस्कृति–मुकेश कुमार लघुशोध प्रबंध पृ. 31
7. वही पृ. 34
8. तिवारी, गोरेलाल–बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास पृ. 23
9. सतना एवं पन्ना जिले की शैलचित्र कला–पुष्पेन्द्र कुमार नंदन (अप्रकाशित शोध प्रबंध) पृ. 246
10. वही पृ. 282

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली म.प्र. की महिलाओं का योगदान

डॉ. सुशील कुमार दुबे*
जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय**

गांधीजी द्वारा चलाये गये असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोगात्मक रुख अपनाना था। गांधीजी ने इस हेतु संपूर्ण भारत का दौरा प्रारंभ किया। इसी तारतम्य में गांधीजी ने मध्यप्रदेश में भी असहयोग आंदोलन का प्रसार किया तथा देशवासियों से आह्वान किया कि जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। परिणाम स्वरूप सभी वर्गों के लोगों ने इसमें बढ़–चढ़कर भाग लिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, सरकारी स्कूल, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें बंद करवाई गईं। इस प्रकार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। मध्यप्रदेश की महिलाएं भी गांधीजी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयीं। गांधीजी के भाषण से प्रभावित होकर महिलाएं गांव–गांव जाकर असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगीं।[1]

असहयोग आंदोलन में रायपुर की महिलाओं ने जुलूस निकालकर धरना दिया प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां भी दीं जिनमें प्रमुख श्रीमती भागीरथी तथा श्रीमती रुक्मणी बाई थी। श्रीमती भागीरथी बाई स्वतंत्रता के इस आंदोलन में कार्य करते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ती रहीं। वहीं श्रीमती रुक्मणी बाई का भी योगदान कम नहीं था।

श्रीमती रुक्मणी बाई ने इस आंदोलन में अपना सहयोग देते हुए अनेक जुलूसों का नेतृत्व संभाला, जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। कारावास से रिहा होने के बाद रुक्मणीबाई पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। रायपुर जिले की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राधा बाई जन जागरण कार्य में सम्मिलित हो गई थी। महात्मा गांधी ने मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों का दौरा करते हुए जबलपुर पहुंचे। गांधीजी के प्रभावशाली भाषण सुनकर महिलाओं की भीड़ एकत्रित हो गई। सभा में गांधीजी ने महिलाओं से 'तिलक स्वराज्य फंड' हेतु गहने मांगे तो उन्हें काफी मात्रा में गहने प्राप्त हुये। जबलपुर की इस यात्रा से गांधीजी को बीस हजार रुपये की दान राशि प्राप्त हुई।[2]

प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष इतिहास, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
शोधार्थी इतिहास, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कवियित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता– ''खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।'' ने महिलाओं में नयी चेतना को जागृत किया। अपनी ओजस्वीपूर्ण कविता के माध्यम से भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीमती गुजरिया बाई एवं श्रीमती तुलसा बाई का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया और शराब की दुकानों पर धरने दिये, विदेशी वस्त्रों की होली जलायी। इन्होंने भारत छोड़ों आंदोलन में भी भाग लेकर सहयोगात्मक कार्य किया। श्रीमती तुलसाबाई कटनी की निवासी थी। उनके पति रामकृष्ण दुबे ने आंदोलन में भाग लेकर सहयोग प्रदान किया।[3]

सन् 1921 में 'प्रिंस ऑफ वेल्स' का भारत आगमन हुआ था, उस समय संपूर्ण देश में उत्तेजना फैल गई तथा इसके विरोध में अनेक प्रदर्शन किये गये। महिलाओं ने भी विशाल जुलूस निकाला। इसी समय गांधी जी भोपाल पहुंचे। भोपाल के लोगों ने तिलक कोष के लिये 1035 रुपये भेंट की। महिलाओं में बाई अम्मान का महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रचार गांव–गांव जाकर किया। महिलाओं में जागृति उत्पत्र करने का महत्वपूर्ण कार्य किया इस प्रकार असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने अपना सहयोग प्रदान किया एवं जगह–जगह महिलाओं ने महिला परिषद का गठन किया। जुलूसों का आयोजन किया। कई बार कारावास भी गईं। ''इस तरह मध्यप्रदेश की महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि नारी केवल लज्जाशील पत्नी, प्रेमिका, बेटी या बहू मात्र नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह रण क्षेत्र में चंडी की तरह लक्ष्य प्राप्त करना भी जानती है।'' इस बात की पुष्टि सतना के बिनेका गांव की श्रीमती तुलसी बाई ने कर दी, जिसने असहयोग आंदोलन में जुलूस निकालकर धरने देने तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और स्वतंत्रता संग्राम, सैनिकों की गुप्त रूप से मदद देने के कारण एक वर्ष की जेल की सजा काटी। सतना की ही श्रीमती वीर कुंवर तथा श्रीमती शांति बाई ने भी असहयोग सत्याग्रह में योगदान दिया।[4]

असहयोग आंदोलन का प्रभाव मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में पड़ा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर खादी उत्पादन केन्द्र स्थापित कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इस आंदोलन में प्रत्येक वर्ग के लोगों ने भाग लेकर अपना सहयोग प्रदान किया।

मध्यप्रदेश का विन्ध्य क्षेत्र राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत रीवा में जनजाग्रति तीव्रगति से हुई। रीवा क्षेत्र से लोगों ने 1857 से 1942 तक स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। जिसमें ठाकुर रणमत सिंह, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का नाम उल्लेखनीय है। श्री ब्रजराज सिंह तिवारी, गोविन्द नारायण, राजा शमशेर सिंह सूर्यप्रसाद सिंह, कमलेश्वर सिंह, तथा दिनेश प्रसाद पाण्डे का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है महिलाओं में राज कुमारी देवी, श्रीमती कृष्णा कुमारी चम्पादेवी, तारादेवी मिश्रा, सावित्री देवी, उर्मिला सिंह, आदि महिलाओं नाम भी उल्लेखीय है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा महिला जन जागरण हेतु प्रयासरत रहीं। राजकुमारी

देवी का नाम अहिंसा आन्दोलकारियों में सबसे उल्लेखनीय था। राजकुमारी देवी की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही हो पायी थी। इसके पश्चात इनका विवाह श्री मुंशीसिंह के साथ हो गया। श्रीमती राजकुमारी देवी ने सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया। महिला संगठन का कार्य किया। राष्ट्रीय भावना इनके अंदर विद्यमान थी जिससे इन्होंने राष्ट्रीयता का खूब प्रचार–प्रसार किया तथा निरंतर गतिविधियों का संचालन करती रही। इस कारण इन्हें कई बार जेल की सजा काटनी पड़ी। किन्तु वे देश की आजादी के लिये संघर्ष करती रहीं। इस प्रकार मध्यप्रदेश की नारियों ने अपना घर–गृहस्थी त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। गांधीजी द्वारा चलाये गये असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर लोगों को जागृत किया। राष्ट्रीय आंदोलन में वे अग्रणी थे। इस प्रकार मध्यप्रदेश के विंध्यप्रदेश रीवा क्षेत्र की महिलाओं का योगदान भी कम नहीं था। जिसमें चम्पादेवी एवं श्रीमती शिवराज कुमारी ने भी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। पुरुषों के साथ–साथ इन महिलाओं ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। रीवा के सिरमौर की चम्पादेवी ने इस क्षेत्र की महिलाओं को जाग्रत किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सभाओं का आयोजन किया एवं जुलूस निकाला इस कारण इन्हें कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। चार माह का कारावास तथा 500 रुपये का अर्थ दंड मिलने के बाद भी चम्पादेवी ने भारत छोडों आंदोलन में भाग लेकर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। जेल की सजा काटने के पश्चात् भी चंपादेवी ने जन–जागरण का कार्य करना बंद नहीं किया। वे महिलाओं को आजादी की इस लड़ाई के लिये निरंतर जाग्रत करती रहीं। इसी प्रकार रीवा की श्रीमती शिवराज कुमारी का योगदान भी कम नहीं था।

स्वतंत्रता के इस आंदोलन में नीमच की महिलाओं ने भी अपनी शक्ति दिखाई। नारी लज्जाशील पत्नी या बेटी नहीं किन्तु रणक्षेत्र में चंडी का रूप धारण कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। श्रीमती चम्पादेवी यादव, जानकी देवी और कमला बाई ने नीमच में असहयोग आंदोलन में खुलकर सहयोग प्रदान किया। सेठ नथूमल चौरड़िया तथा मूलचंद अग्रवाल के प्रयासों से नीमच में आंदोलन को गति मिली थी। आंदोलन में मैहर की महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया जिनमें श्रीमती शांति बाई का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में अन्य नारियों को भी सक्रिय कर अमूल्य योगदान दिया। सतना में रघुवंश प्रताप सिंह ने 'पूर्ण स्वाधीनता दिवस'' का आयोजन कर क्रांतिकारी समाचार पत्रों को प्रसारित किया। उनका उद्देश्य भारतीयों में राजनैतिक चेतना जागृत करना था। श्रीमती उर्मिला देवी को नागौद कारावास भेज दिया गया था। इसके बाद बिनेका गांव में जुलूस निकाला गया। यहां महिलाओं ने धरने देकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। रीवा में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष श्री लाल यादवेन्द्र सिंह, मंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष श्री राजभान सिंह तिवारी, सदस्य श्री शम्भूनाथ शुक्ल हुए।[5] असहयोग आंदोलन की चिनगारी सारे देश में फैल गयी। जनता राष्ट्रीय

संगठन के साथ जुड़कर प्रतिशोध के लिये तैयार थी। रीवा निवासी श्रीमती विष्णुकांत देवी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस कारण उन्हें तीन साल तथा आठ महीने की सजा काटनी पड़ी।[6] इस प्रकार मध्यप्रदेश की सभी क्षेत्र की महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इतिहास में अमर हो गयीं।

श्रीमती गुजरिया बाई का जन्म 1894 में मध्यप्रदेश के जिला सतना, मरजूबा नामक गांव में हुआ था। पिता श्री बाबादीन उमराव थे। गुजरिया बाई प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पायी थी। किंतु वह बुद्धिमान थी। राष्ट्र प्रेम की भावना उनके ह्रदय में कूट—कूट कर भरी हुई थी। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन मे उन्होंने अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में अत्यधिक रुचि लेती थी। मध्यप्रदेश की गुजरिया बाई ने भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। शराब की दुकानों पर धरना दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलायी। अंग्रेजों के अत्याचार भी सहे। परन्तु वे अपने कार्यों को गति प्रदान करती रहीं।

असहयोग आंदोलन के दौरान गांधीजी सन् 1921 में भोपाल आये उनके साथ मीराबेन, श्री पी.एफ. एण्डूज तथा महादेव भाई देसाई थे।[7] यहां पर गांधीजी ने अपने भाषण में हिंदू—मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। भोपाल में लोगों ने आंदोलन में काफी संख्या में भाग लिया।

शालिनी सक्सेना ने लिखा है—''यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अपना योगदान तो दिया है किन्तु खुलकर वे सन् 1930 से 1947 तक ही अपना सकारात्मक योगदान दे सकीं।''

भोपाल की महिला ''बाई अम्मान'' का प्रमुख योगदान रहा है। बाई अम्मान ने चतुराई पूर्ण कार्य किया अंग्रेजों को धोखा देकर असहयोग का गुप्त संदेश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तक पहुंचाया। महिलाओं में जागृति उत्पत्र की। भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अथक प्रयास करने के साथ साथ पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक भारत की आजादी के लिये सबका ध्यान आकृष्ट किया। मौलाना के दिल में अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ने का जज्बा मौजूद था। उनका विचार था— ''हिन्दुस्तान में रहकर आजादी की लड़ाई कारगर तरीके से नहीं लड़ा जा सकता।'' अतः सन् 1883 में उन्होंने भोपाल ही छोड़ दिया। 27 दिसम्बर 1927 को उनकी मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में पुरुषों ने ही नहीं बल्कि प्रदेश की महिलाओं, बच्चों सभी वर्गों के लोगों का बलिदान जुड़ा हुआ है।

इस प्रकार असहयोग आंदोलन में मध्यप्रदेश की नारियों का अमूल्य योगदान रहा है वही भारत के अन्य प्रदेशों की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़—चढ़कर अंग्रेजी शासन का विरोध किया है। आंदोलन के दौरान उन्हें अंग्रेजों के अनेको अनेक अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और दृढ़तापूर्वक कार्य किया। वासन्ती देवी— सी.आर.दास की धर्मपत्नि थीं। 1920—22 ई. के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे भी अपने पति के साथ गिरफ्तार की गई थीं।

इसी प्रकार प्रभावती देवी – जयप्रकाश नारायण की पत्नि थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रभावती देवी गांधीजी के आश्रम में रहती थीं और अपना सहयोग प्रदान करती थीं।[8]

संदर्भ ग्रन्थ

1. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, रायपुर संभाग पृष्ठ 76
2. शालिनी सक्सेना– पृष्ठ 42–43
3. भारत का राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक विकास और संविधान पृष्ठ 126–127
4. प्रो. अमरसिंह उद्दे– मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन (1857–1947) पृष्ठ 271
5. प्रो. राधेशरण विंध्य क्षेत्र का इतिहास पृष्ठ 406
6. डॉ. हंसा व्यास, मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम, 1857–1947, पृ. 141
7. मध्यप्रदेश और गांधी – पृष्ठ 22
8. प्रतियोगिता दर्पण/दिसंबर/199 पृ. 812

''**शोध-चेतना**'' रिसर्च जनरल का अगला अंक अप्रैल, 2015 में प्रकाशित होगा। उक्त अंक के प्रकाशन में आप अपना ''**शोध पत्र**'' भेजकर **हिन्दी भाषा** *(कृति देव फान्ट एवं टाइप साइज 14)* **व अंग्रेजी भाषा** *(टाइम्स न्यू रोमन एवं टाइप साइज 12)* में प्रकाशित करवा सकते हैं।

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

''गुप्त कालीन सामाजिक जीवन''

डॉ. आर.पी. दुबे*
श्रीमती निशा तिवारी**

जिस प्रकार लम्बे बौद्ध प्रभाव के बाद शुंगों के समय में वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर समाज का संगठन करने का प्रयास किया गया था उसी प्रकार लम्बे विदेशी आक्रमण, संघर्ष और प्रभाव के अनन्तर गुप्त युग में भी भारतीय ढंग से समाज का फिर से संगठन किया गया। इसके साथ ही गुप्तों की दिग्विजय के फलस्वरूप भारत के सामाजिक जीवन में एक नयी स्फूर्ति आयी। इस काल में जाति–व्यवस्था की मान्यता कम होने लगी थी। गुप्तकाल के उत्कीर्ण लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों के उल्लेख अधिक मिलते हैं। वर्णों का आदर उनके अपने कर्त्तव्यपालन के कारण था। समाज में ब्राह्मणों का आदर सबसे अधिक था। क्षत्रिय भी अपना कर्त्तव्य पूरा करते थे। उन्होंने प्रत्येक समय प्रजा की रक्षा का भार अपने ऊपर उठा लिया। वैश्य भी व्यापार एवं वाणिज्य की ओर विशेष ध्यान देने लगे। उनके प्रयत्नों से इस काल में वाणिज्य–व्यापार की विशेष उन्नति हुई। समाज में विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः मधुर और सौहार्द्र पूर्ण थे। चाण्डालों और शूद्रों को छोड़कर अन्य जातियों में परस्पर खान–पान का व्यवहार होता था, परन्तु जैसा हम देख चुके हैं, यद्यपि शूद्रों को सवर्ण लोगों के साथ भोजन–पान का अधिकार प्राप्त न था तथापि उनकी स्थिति अन्य युगों की अपेक्षा अधिक उत्तम थी। अन्तर्वर्णीय विवाहों के प्रचलन से यह सिद्ध होता है कि अभी समाज में जातियों के सामाजिक सहवास पर कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं लगने पाया था। समाज में ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनको कुछ विशेष सुविधाएँ भी प्राप्त थीं जो अन्य जातियों के लिए नहीं थीं। 'मृच्छकटिकम्' नाटक से पता चलता है कि न्यायालय में यद्यपि चारुदत्त को हत्याश सिद्ध कर दिया जाता है तथापि उसे उसके ब्राह्मण जन्म के कारण मृत्यु–दण्ड से मुक्त कर दिया जाता है। अपने चरित्र की उत्कृष्टता और पांडित्य के कारण ब्राह्मण सब जातियों के द्वारा सम्मानित किये जाते थे। समाज में क्षत्रियों का भी पर्याप्त सम्मान होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जातियाँ सम्पूर्ण समाज की श्रद्धा और सम्मान की अधिकारिणी समझी जाती थीं। वैश्य लोग अपनी दानशीलता के लिए विख्यात थे।

ऐसा प्रतीत होता कि गुप्त–युग में शूद्रों की स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ अधीन सन्तोषजनक थी। शूद्रों के विषय में इस काल के स्मृतिकारों का दृष्टिकोण काफी उदार

---

* *प्राध्यापक इतिहास, शा.टी.आर.एस., महाविद्यालय रीवा*
** *शोध छात्र*

प्रतीत होता है। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की अनुमति दी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शूद्रों ने इस सुअवसर से अवश्य लाभ उठाया। कुछ शूद्रों ने सैन्य वृत्ति को भी अपनाया था और कुछ तो सेना के पदाधिकारी भी हो गये थे। शूद्रों के राजा होने का प्रमाण भी मिलता है। हवेनसांग ने लिखा है कि मतिपुर का राजा शूद्र जाति का था।

अस्पृश्यों की गुप्तकालीन हिन्दू–समाज में बड़ी शोचनीय अवस्था थी। समाज में उनकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती हैं कि छुआछुत का विचार समाज में अवश्य विद्यमान था। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शूद्र और अछूत एक ही जाति के नहीं थे वरन् भिन्न–भिन्न होते थे। शूद्रों की स्थिति गुप्त काल में उतनी बुरी नहीं थी, जितनी अछूतों को लोग छूना तक अपराध समझते थे। फाहियान ने अछूतों अथवा चाण्डालों के लिए नगर के बाहर निवास का उल्लेख किया है। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने के लिए लकड़ी से ढोल बजाते चलते जिससे लोग उनके मार्ग से हट जायँ ता उनका स्पर्श बचाकर चलें।

गुप्तकाल में बहुत–सारी उपजातियों का भी विकास हुआ। मगध, रथकार, कर्मकार, चर्मकार, मणिकार, गोपाल, वणिक आदि बहुत–सी ऐसी जातियों का विकास हुआ जो स्पष्टतया किसी वर्ण के अन्दर नहीं आ सकती थीं।

विवाह–प्रथा :–

तत्कालीन लेखों और साहित्य से उस समय की वैवाहिक प्रथा का भी पता चलता है। राजवंशों में अन्तर्जातीय विवाह होते थे। क्षत्रिय गुप्तों का विवाह सम्बन्ध ब्राह्मण, वाकाटक और नाग राजाओं के साथ था। विधवा–विवाह और सती प्रथा का भीा प्रचलन था। कालिदास के नाटकों और मृच्छकटिक में सती–प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो विधवा पुनर्विवाह नहीं करती थीं वे अत्यत्त सादा और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। आभूषण और विलास की सामग्रियों का वे कभी प्रयोग नहीं करती थीं। बहु–विवाह की प्रथा का भी प्रचलन था। अनुलोभ व प्रतिलोभ विवाहों का भी उदाहरण मिलता है ऊँची जाति के पुरुष नीची जाति की स्त्रियाँ और नीची जाति के पुरुषों में भी सम्बन्ध हो सकता था। ऐसे विवाह को प्रतिलोम कहा जाता था। ऐसा विवाहों के भी उदाहरण इस युग में मिलते हैं। कदम्ब राजा ब्राह्मण थे किन्तु उनकी कन्याएँ गुप्त परिवार में व्याही गयी थीं।

पारिवारिक–जीवन :–

संयुक्त परिवार प्रथा युद्ध काल में विद्यमान थी। ऊपर गुप्त–काल का हिन्दू समाज आधारित था। इस काल के स्मृति ग्रन्थों में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा को प्रशंसनीय बताया गया है और पिता के जीवन–काल में परिवार के विभाजन की निन्दा की गयी है। गुप्तकालीन अभिलेखों से भी सम्मिलित कुटुम्ब के अस्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। एक लेख से हमें पता चलता है कि एक दानकर्त्ता अपने, अपनी माँ, पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री,

दो भतीजों और भतीजियों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए दान करता है। इससे इस स्पष्ट होता है कि पिता की मृत्यु के बाद भाई पूरे परिवार के साथ ही रहा करते थे।

गुप्तकालीन समाज में विषमताएँ तक पर्दा प्रथा भी विद्यमान थी। अभिजात कुल की स्त्रियाँ घरों से निकलने पर घूँघट अथवा पर्दे का प्रयोग करती थीं। पिता कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समझा जाता था। लेकिन भाइयों तथा पुत्रों का भी हिस्सा होता था। इस युग में मिताक्षर नियम प्रचलित था जिसके अनुसार पुत्र को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। विधवाओं को केवल जीवन–वृत्ति मिलती थी। कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में भाग नहीं मिलता था।

स्त्रियों की स्थिति :–

इस युग में स्त्रियों की स्थिति अधिक अच्छी न थी। स्मृतिकारों ने उन्हें सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया था। संयुक्त परिवारों की विधवाओं को केवल जीवन–वृत्ति मिलती थी, किन्तु यदि किसी स्त्री का पति अपनी मृत्यु के समय संयुक्त परिवार का सदस्य न होता था तो उस स्त्री का पति की सम्पत्ति पर जीवन भर के लिए अधिकार मान लिया जाता था।

बाल–विवाह की प्रथा बढ़ रही थी दस या बारह वर्ष की आयु तक तक कन्याओं का विवाह हो जाया करता था। इससे अधिक अवस्था तक अविवाहित रहने वाली कन्याओं के संरक्षकों की समाज में बड़ी निन्दा होती थी और उन्हें नरक का अधिकारी माना जाता था। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार नहीं था, वे वेद का अध्ययन नही कर सकती थीं। बाल–विवाह के कारण उनकी साधारण शिक्षा में भी रुकावट पड़ती थी।

दास–प्रथा :–

संसार के अन्य देशों की भाँति भारत में भी घरेलू ढंग की दास–प्रथा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही थी। महाजनपदों के काल से ही दास प्रथा उल्लेख मिलता हैं। आश्चर्य की बात यह है कि विदेशी यात्रियों द्वारा इसका जिक्र नहीं किया गया है। युद्धबन्दियों, कर्जदारों और हारे हुये जुआड़ियों को बहुधा दासता स्वीकार करनी पड़ती थी कभी–कभी अकाल के समय गरीब लोग अपनी इच्छा से धनी लोगों की दासता स्वीकार कर लेते थे, जिससे उन्हें जीवन–निर्वाह के लिए भोजन आदि मिल जाता था, किन्तु भारतवर्ष में दास–प्रथा यूरोपीय देशों की भाँति नहीं रही। दास स्वतंत्र भी हो सकते थे। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अधिकतर उन्हें घरेलू काम–धन्धे ही करने पड़ते थे। पुराने यूनान अथवा रोम की भाँति हम हजारों की संख्या में दासों को खेतों पर काम करते हुए नहीं पाते।

रहन–सहन :–

अधिकांश जनता का भोजन साधारण तथा सात्विक था। लोग ज्यादा शाकाहारी थे; लेकिन मांसाहारियों की भी कमी नहीं थी। फाहयान का यह कथन कि ''बाजारों में मांस और मदिरा की दूकाने नहीं हैं; लोग सूअर तथा मुर्गियाँ नहीं पालते, प्याज–लहसुन नहीं

खाते तथा शराब नहीं पीते; केवल चाण्डाल ही इसका सेवन करते थे'' ठीक नहीं प्रतीत होता है। सम्भवतः फाहियान ने यह उस जगह के लिए लिखा हो जहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बियों की संख्या अधिक रही होगी। मांस और शराब का प्रचलन था और इसके दृष्टांत हमें समकालीन ग्रन्थों में खूब मिलते हैं। कालिदास के ग्रन्थों में आमिषाहार का उल्लेख मिलता है। 'शकुन्तला' नाटक में माढव्य भुने हुए सुअर का मांस खाता है, यद्यपि वह जाति का ब्राह्मण है। लोग मांस तथा मछली का भक्षण करते थे और इस सम्बन्ध में समकालीन स्मृति–ग्रन्थों में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वृहस्पति का कथन है कि केवल प्रोषितभर्तृकाओं (जिन स्त्रियों के पति विदेश चले गये हैं) को मांस–मदिरा के प्रयोग से अलग रहना चाहिये। वृहस्पति के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ भी इस समय सुरा और मांस का प्रयोग करती थीं। 'कालिदास' के ग्रन्थों में स्त्री–पुरुषों के सुरा–सेवन की चर्चा मिलती है। 'मालविकाग्निमित्रम्' 'रघुवंश' तथा 'कुमारसम्भव' तीनों में स्त्रियों के मधुपान का जिक्र किया गया है। मालविकाग्निमित्रम् की रानी इरावती तो इतनी अधिक शराब पीती है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। रघुवंश में नगर के बाह्योद्यानों में नागरिकों के भोजन–उत्सवों तथा सुरापान का उल्लेख किया गया है। श्राद्ध के अवसरों पर मांस–भक्षण लोग अवश्य ही करते थे।

जनता साधारण वस्त्रों का प्रयोग करती थी। साधारण श्रेणी के लोग सूती वस्त्र और उच्च श्रेणी के लोग रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषणों का बड़ा चाव था। तरह–तरह के सुन्दर आभूषण प्रयोग में लाये जाते थे। स्त्रियाँ कानों में जड़ाऊ और बालियाँ, गले में मोतियों की मालाएँ और हार, हाथों में रत्नजड़ित, चूड़ियाँ कंगन और कड़े, अँगुलियों में अँगूठियाँ और कमर में करधनी पहनती थीं। पैरों में पायजेब भी पहने जाते थे। स्त्रियाँ केश–सँवार में विशेष रुचि लेती थीं। उस काल में केस–विन्यास के नमूने अजन्ता की चित्रकारी में दिखाये गये हैं। ये नमूने बड़े ही आकर्षक हैं। कालिदास के मेघदूत से विदित होता है कि केशों में मन्दार के फूल लगाकर स्त्रियाँ उनको सुगन्धित करने का प्रयास करती थी।। बाघ–गुफाओं की चित्रकारी में गायिकाओं के चित्र मिले हैं जिनके सिर के पीछे ग्रन्थि–युक्त केश है जो श्वेत पुष्पों की मालाओं से गूँथे तथा विभूषिया हैं। पुरुष भी गले में मालाएँ, कानों में कुंडल, हाथ में कड़े और अँगुलियों में अँगूठियाँ पहनते थे। मुख और होंठों की सुन्दरता के लिए रंगों, सुगन्धित पाउडरों का प्रयोग किया जाता था। विलासिता की वस्तुएँ उस समय के समाज में अधिकता से प्रयोग की जाती थीं।

स्त्रियों को पोशाक गुप्तकाल में बहुत कुछ आज जैसी ही थी। साड़ी तथा पेटीकोट का प्रयोग सामान्य था। कहीं–कहीं एक लम्बी साड़ी से ही दोनों परिधानों का काम चल जाता था। जैकेट, ब्लाउज और फ्राकों का प्रयोग विदेशी सीथियन नारियाँ ही करती थीं, लेकिन भारतीय नारियों में यह लोकप्रिय न थीं। बाघ की गुफाओं में अनेक स्त्रियों के चित्र बने हैं जिनमें स्त्रियों को साड़ी और चोली पहने हुए दिखाया गया है। अजन्ता के चित्र में एक स्त्री छींट की अंगिया पहने हुए चित्रित की गयी है।

मनोरंजन :–

गुप्तकालीन भारतीयों का जीवन आमोद–प्रमोद के विभिन्न साधनों से परिपूर्ण था। इस काल के साहित्य और कला से जीवन के इस पक्ष पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। गुप्त सम्राटों को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वे बड़ी तैयारियों के साथ शिकार में जाया करते थे। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं में बाघ का शिकार करता हुआ दिखलाया गया है।

समाज में खेलकूद और मनोरंजन के साधनों का यथेष्ट प्रचार था। स्त्री–पुरुष दोनों ही चौपड़ और शतरंज खेलते थे। मृच्छकटिक में द्यूतक्रीड़ा का उल्लेख है। रघुवंश के एक श्लोक में द्यूतक्रीड़ा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। मृच्छकटिक से पता चलता है कि भेड़ों, भैंसों तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का उस समय काफी प्रचार था और इन लड़ाइयों को देखने से लोगों का मनोविनोद होता था। समारोहों और उत्सवों के अवसर पर स्त्रियाँ गाती, बजाती, नाचती और गेंद के कई प्रकार के खेल खेलती थीं। बालकों को गेंद और आँख मिचौनी के खेलों में अभिरुचि थी।

नाटक तथा खेल–तमाशे मनोरंजन के दूसरे साधन थे। वस्तुतः गुप्तकाल में इतने अधिक नाटकों का प्रणयन हुआ कि आज भी उनकी संख्या किसी भी युग के साहित्यिक विकास की दृष्टि से गौरव का कारण समझी जा सकती है। संस्कृत के सभी नाटक अभिनेय हैं और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अभिनीत होते रहे होंगे। उस युग के समाज में धार्मिक उत्सवों का विशेष प्रचार था। जनता उत्सवों में बड़ी रुचि रखती थी। इनमें सम्मिलित होकर वह आनन्द प्राप्त करती थी। रथों की दौड़ और रथयात्रा का अधिक प्रचार था जिसमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती थीं। रथयात्रा का विवरण देते हुए फाहियान ने लिखा है– ''प्रति वर्ष रथयात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरे मास की आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह पूस पर ठाटी जाती है जिसमें धुरी तथा हमें लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। विविध प्रकार की रंगाई की जाती है। सुवर्ण, रजत और स्फटिक की भव्य देव–प्रतिमाएँ निर्मित की जाती है। रेशम की पताकायें और चाँदनी लगायी जाती हैं। चारों कोनों में कलंगियाँ लगायी जाती हैं। रथों की संख्या बीस होती है। रथ एक–से–एक सुन्दर, आकर्षक और भड़कीले होते हैं। गाने–बजाने वाले भी सम्मिलित होते हैं। बारी–बारी से लोग प्रवेश करते हैं। गाना, बजाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही किया जाता है।'' ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पर्वों पर भी इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा होगा। यह उत्सव मनोरंजन और आमोद–प्रमोद का ऐसा साधन था जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते थे। उस समय समाज में गणिकाएँ थी जो नाच–गाकर लोगों का मनोरंजन किया करती थीं। गणिकाएँ विविध प्रकार की विलास सामग्रियों का प्रयोग करती थीं।

जन–जीवन :–

गुप्तकालीन जनता समृद्धि–सम्पन्न और सुखी थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेकों समृद्धिपूर्ण विशाल नगर अपनी अद्‌भुत आभासे साम्राज्य की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। साम्राज्य की जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ती जा रही थी जिसका प्रमुख कारण जनसाधारण के सुखमय जीवन, भोजन, आवास तथा वस्त्रा–भूषणों की बहुलता पर आधारित था। चीनी यात्री फाहियान ने भारतीय के सदाचार और नैतिक गुणों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। वह लिखता है, ''लोगों का आपसी व्यवहार बड़ा सुन्दर था। वे प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। समाज में नैतिकता की भावना प्रबल थी। समृद्ध लोग मुक्तहस्त से दीन व्यक्तियों की सहायता करते और मन्दिर, धर्मशालाएँ बनवाने तथा प्याऊ आदि लगवाने में भारी धनराशि व्यय करते रहते थे। धनवानों की ओर से धर्मार्थ औषधालय एवं अन्न क्षेत्र खुले हुए थे जिनमें रोगियों का इलाज होता तथा भूखे–प्यासे और अपाहिजों को भोजन कराया जाता था। बाजारों में दूकानों पर आवश्यकता की कभी वस्तुएँ विक्रयार्थ रखी रहती थी।''

पर राजाओं और सामन्तों का जीवन अधिकतर भोग–विलास का जीवन था। इस काल के दो ग्रन्थों–श्रृंगारशतक तथा ऋतु संहार से –गुप्तकाल के विलासमय जीवन का विवरण प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्यतः एक सामन्ती सभ्यता थी जिसमें भोगविलास के पक्ष पर काफी जोर दिया जाता था। इसी कारण आनन्द कुमार स्वामी ने गुप्तकालीन संस्कृति को ''विलासमयी अभिजात्य संस्कृति'' (स्न्रनतपवने ंतपेजवबतंजम बनसजनतम) कहा है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. डॉ. विमल चंद पांडे–प्राचीन भारतीय इतिहास
2. डॉ. उदय नारायण राय–गुप्त सम्राट और उनका इतिहास
3. डॉ. आर.सी. वर्मा–प्राचीन भारतीय संस्कृति।
4. डॉ. जी.पी. पांडे–बौद्ध दर्शन
5. विद्याधर महाजन–भारतीय संस्कृति
6. डॉ. विमल चंद्र पांडे–प्राचीन भारत का इतिहास।
7. सत्यकेतु विद्य–प्राचीन भारतीय संस्कृति
8. डॉ. कैलाश चन्द्र गुप्त–प्राचीन भारतीय सामाजिक आर्थिक स्थिति
9. डॉ. जय शंकर मिश्र–प्राचीन भारत का सामाजिक जीविन

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

''अशोक का धम्म'' (धर्म)

डॉ. आर.पी. दुबे*
उदित नारायण रवि**

संसार के इतिहास में अशोक का यश उसके राज्य–विस्तार और शासन की क्षमता के कारण नहीं, अपितु उसके उच्च धार्मिक आदर्श, उसके प्रति अशोक की अनुपम आस्था और उसको व्यवहार में लाने के लिए और योग्य व्यवहार पर अवलम्बित है। अशोक का धर्म क्या था, यह एक अत्यन्त ही विवादास्पद प्रश्न है और विभिन्न इतिहासकारों ने इसपर अपने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। हेरास का कहना है कि अशोक ब्राह्मणधर्म का अनुयायी था। डॉ. टॉमस का कथन है कि वह जैनधर्म में विश्वास करता था। डॉ. फ्लीट के अनुसार, उसका धर्म राजधर्म था। सेनार्त तथा भण्डारकर महोदय का विचार है कि वह बौद्धधर्म को माननेवाला था। डॉ. स्मिथ तथा डॉ. आर.के. मुखर्जी ने उसके धर्म को सार्वभौम धर्म माना है, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे–अच्छे गुण सन्निहित थे और जो किसी भी एक धर्म की सीमा में नहीं समा सकता था।

वास्तव में अशोक का धर्म कोई संकीर्ण तथा साम्प्रदायिक धर्म नहीं था। ऊपर जिन विभिन्न मतों का उल्लेख किया गया है, उन सभी में सत्य का थोड़ा–बहुत अंश विद्यमान है; लेकिन सबसे अधिक सत्य कौन–सा मत है, इसका पता लगाने के लिए अशोक के धार्मिक विचारों के क्रमागत विकास का पता लगाना पड़ेगा। वस्तुतः अशोक के धार्मिक विचारों में धीरे–धीरे परिवर्तन हुआ था। अतएव शुरू से अन्त तक उसके धार्मिक कार्य–कलापों का अध्ययन करने के पश्चात् ही हम उसके वास्तविक धर्म को जान सकते हैं।

अशोक के धार्मिक जीवन और विचारों पर कलिंग के युद्ध का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का अशोक के हृदय पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसका धर्म ही बदल गया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसके पूर्व अशोक शैव था और उसे नर–संहार तथा पशु–बलि से कोई विरोध नहीं था। हजारों की संख्या में निरीह पशु उसकी पाकशाला के लिए नित्य मारे जाते थे। राजतरंगिणी के लेखक–कल्हण ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि अशोक आरम्भ में हिन्दू धर्मानुयायी था। वह ब्राह्मणों का आदर–सत्कार करता था और उनमें भारी श्रद्धा रखता था। सम्राट् बनने के आठ वर्ष बाद तक उसकी धार्मिक स्थिति यथावत रही थी।

---

* *प्राध्यापक इतिहास, शा.टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा*
* *शोध छात्र*

राज्यारोहण के नवें वर्ष उसने कलिंग के शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण किया। भीषण संग्राम और भयानक नर–संहार के पश्चात् उसे विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में लगभग एक लाख व्यक्ति मारे गये, डेढ़ लाख लोग बन्दी बनाये गये और सहस्त्रों घायल हुए। घायलों की चीख–पुकार, विधवाओं के विलाप और अनाथ बालकों के करुण क्रन्दन अशोक के हृदय पर भारी प्रभाव पड़ा। उसका हृदय करुणा से चीत्कार कर उठा। उसने इस भीषण रक्तपात और नर–संहार का प्रमुख कारण स्वय को ही माना तथा भविष्य में युद्ध न करने का दृढ़ निश्चय किया। इसके कुछ समय पश्चात् ही अशोक बौद्ध–भिक्षु उपगुप्त के सम्पर्क में आया। भिक्षु उसकी आचरण की पवित्रता, विचारों तथा महानता से अशोक प्रभावित हुआ। उसके संसर्ग से बौद्ध धर्म में अशोक की रुचि बढ़ गयी और उसने बौद्ध मत ग्रहण कर लिया। पहले कुछ इतिहासकारों को अशोक को बौद्ध धर्मावलम्बी होने में सन्देह था। किन्तु उसके बौद्ध होने के कई स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उसी लेखों से स्पष्ट है कि वह एक बड़ा ही उत्साही बौद्ध था। बौद्ध ग्रन्थ दीपवंश और महावंश में स्पष्ट कहा गया है कि अशोक ने एक बाल पण्डित से बौद्ध धर्म की दीक्षा किया है। भाब्रू के लेख में उसने अपने को बौद्ध धर्म तथा संघ का भक्त बतलाया है। सारनाथ के लेक में उसने अपने को संघरक्षक कहा है और संघ में फूट डालने वालों के लिए दण्ड निश्चित किया है। एक स्थल पर कहा गया है कि दो वर्ष तक अशोक ने केवल उपासक की भाँति जीवन व्यतीत किया और धर्म के कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद वह बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया। इसके बाद ही उसने बौद्ध तीर्थ–स्थानों की यात्रा की, स्तूप बनवाने का कार्य शुरू किया, यज्ञादि बन्द करवा दिये तथा बौद्ध धर्मावलम्बिकों की एक सभा का आयोजन किया। इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म का पक्का उपासक था।

अशोक के बौद्ध होने का स्पष्ट प्रमाण हमें उसके चतुर्दश शिलालेखों में से तेरहवें शिलालेख में मिलता है। उस शिलालेख में यह घोषणा अंकित है–''कलिंग युद्ध के बाद शीघ्र ही देवानाम्प्रिय अशोक धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश के प्रति उत्साहित हो उठा।'' इस प्रकार अशोक ने बौद्ध मत के व्यावहारिक पक्ष के समर्थक सिद्धान्तों का प्रचार आरम्भ किया। उसने जिस धर्म का प्रचार किया वह ''अशोक का धम्म'' कहा जाता है।

अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार–बार हुआ है। धम्म शब्द के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। दूसरे स्तम्भ लेख में अशोक की जिज्ञासा इस प्रकार है– ''कियं चु धम्मे'' (धम्म क्या हैं ?) इस प्रश्न का उत्तर भी अशोक देता है अपासिनवे, बहुकयाने, दया दाने, शचे, शोचये। अर्थात् पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्यता और शुद्धि ही धम्म है। भाब्रू अभिलेख को छोड़कर कहीं भी उसने 'धम्म' का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया है। बौद्ध धर्म के लिए 'सद्धर्म' या 'संघ' शब्द का प्रयोग हुआ है।

अशोक के धर्म का रूप :–

अशोक का यह धम्म क्या था? अशोक का धम्म तत्कालीन सभी धर्मों का सार था। उसपर सभी धर्मों का प्रभाव था। जिस धर्म में अशोक को जो सिद्धांत अच्छा लगा वही उसने उस धर्म में से चुन लिया। इस प्रकार चुने हुए धार्मिक सिद्धान्तों की गणना द्वितीय स्तम्भ लेख, सप्त स्तम्भ लेख तथा सप्तम शिलालेख में करायी गयी। यह गणना इस प्रकार है– ''संयम, भाव–शुद्धि, दृढ़ भक्ति, शौच, साधुता, कृतज्ञता, दया, दान, सत्य, माता–पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा–सुश्रुषा तथा बन्धु–बान्धवों, ब्राह्मणों, श्रमणों, दीन–दुखियों आदि के प्रति दान तथा उचित आदर–सत्कार।'' वस्तुतः अशोक ने जिस धर्म को अपनाया और प्रचार किया वह सर्वहितकारी तथा लोक–कल्याणकारी धर्म था। उसने ऐसे नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार किया जिन्हें प्रत्येक जाति, धर्म तथा देश के व्यक्ति मान सकते थे। उसका धर्म वास्तव में सब धर्मों का सार था उसे हम विश्व धर्म कह सकते हैं। राधाकुमुद मुखर्जी के अनुसार ''अशोक का धर्म जीवन तथा विचारों के आधारभूत सिद्धान्तों का समन्वय था जो आज भी सर्वमान्य है तथा जिन्हें समस्त मानवता पर लागू किया जा सकता है।'' प्रसिद्ध इतिहासकार भंडारकर के अनुसार ''अशोक किन्हीं विशेष नियमों और व्रतों को यन्त्रवत केवल दिखाने के लिए पालन नहीं करता था। उसने इन तथ्यों को अपनाया था जो आत्मा को ऊँचा उठाते हैं तथा जिनमें वास्तविक विकास के बीज निहित रहते हैं। सम्राट् अशोक के धर्म के सम्बन्ध में सेनार्ट ने भी लिखा है कि ''अशोक का धर्म केवल आचार–सम्बन्धी सिद्धान्तों का समूह था। उसमें बौद्ध धर्म के विशेष तथा गूढ़ तत्वों पर बहुत कम ध्यान दिया गया था।''

अशोक की धर्म की विशेषताएँ :–

अशोक ने धार्मिक क्रिया–कलाप, कर्मकांड और अनुष्ठानों पर जोर नहीं दिया। उसने चरित्र तथा आचरण की शुद्धता और कर्म की पवित्रता पर जोर दिया। एक लेख में उसने इन्द्रिय–विजय, विचारों की शुद्धता, कृतज्ञता और दृढ़–भक्ति पर बल दिया है। एक अन्य लेख में दया, दान, सत्य, शौच को श्रेष्ठ बतलाया गया है। इसी प्रकार उसने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि कुवृत्तियों का दमन करने का उपदेश दिया है। किन्तु अशोक का धर्म कोरे सिद्धान्त तक ही सीमित नहीं था। उसने धर्म के व्यावहारिक रूप को भी सामने रखा। माता–पिता, बन्धु–बान्धव, मित्र–साथी, गुरु, नौकर, दास सभी की सेवा तथा भक्ति उसके धर्म के मूल मंत्र थे उसका उपदेश था कि गृहस्थों को चाहिए कि वे ब्राह्मणों तथा श्रमणों का आदर करें तथा पशुओं तक के साथ दया का बर्ताव करें।

अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता सहिष्णुता की भावना थी। वह संसार की सभी जातियों और धर्मों में समन्वय स्थापित करना चाहता था। उसका बारहवाँ शिलालेख इसी बात का प्रमाण है। उसने पारस्परिक सहिष्णुता तथा श्रद्धा पर विशेष जोर दिया और इस भावनाओं के उत्थान के लिये चार तरीकों का प्रतिपादन किया। वे थे – (प) सभी धर्मों के मूल तत्त्वों की अभिवृद्धि करना, (पप) किसी धर्म की निन्दा नहीं करना और सभी धर्मों की

आधारभूत एकता पर जोर देना। (पपप) विभिन्न धर्म के लोगों को परस्पर मिलना और आपस में विचार–विनिमय करना। (पअ) अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अन्य धर्मों के ग्रन्थों का अनुशीलन करना।

अशोक के एक लेख पर निम्न वाक्य अंकित किये गये हैं– ''जो अपने धर्म का सम्मान करना है और दूसरे धर्मों का निरादर करता है और इस प्रकार अपने धर्म का यश बढ़ना चाहता है वह वास्तव में अपने धर्म को ही हानि पहुँचाता है। ऐसे मनुष्य में धर्म की वास्तविकता की कमी है। सब धर्मों का सार है कि दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए।''

अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उपदेश तक ही सीमित नहीं रखा वरन् उसे अपने निजी जीवन में चरितार्थ भी किया। उसने ब्राह्मणों, आजीविकों, निर्ग्रन्थों आदि सम्प्रदायों का भी आदर किया और सभी के हितों को ध्यान में रखा। उसने बाराबर की पहाड़ी में आजीविका सम्प्रदाय के सन्यासियों के लिए गुफाएँ बनवायीं।

अहिंसा अशोक के धर्म का अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष था। उसका कहना था कि जीवन के सभी रूप पवित्र हैं। उसकी अहिंसा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी; पशु–पक्षियों के जीवन को भी उसने पवित्र माना। शाही भोजनालय के लिए सैकड़ों पशुओं का वध होता था, अशोक ने उसे उसने बन्द करवा दिया। अहिंसा के सिद्धांत को उसने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी उसको कार्यान्वित करके दिखा दिया। कलिंग विजय के उपरांत उसने युद्ध तथा साम्राज्य–विस्तार की नीति को सदैव के लिए त्याग कर धम्म विजय के द्वारा विश्व विजय का नाम दिया। संसार के इतिहास में इस प्रकार का अन्य उदाहरण मिलना असम्भव है। इन्हीं अभूतपूर्व गुणों के कारण अशोक को इतिहास में अशोक महान की संज्ञा दी गई है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. डॉ. जी.पी. पांडे–बौद्ध दर्शन
2. विद्याधर महाजन–भारतीय संस्कृति
3. डॉ. विमल चंद्र पांडे–प्राचीन भारत का इतिहास।
4. सत्यकेतु विद्य–प्राचीन भारतीय संस्कृति
5. डॉ. कैलाशचन्द्र गुप्त–प्राचीन भारतीय सामाजिक आर्थिक स्थिति
6. डॉ. जयशंकर मिश्र–प्राचीन भारत का सामाजिक जीविन
7. बौद्ध धर्म का उत्थान व पतन–डॉ. वाय.एम. कुलश्रेण
8. बौद्ध धर्म का उदय व विकास–डॉ. वी.वी. मणि

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

कांग्रेस का अभ्युदय एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन

डॉ. पूनम मिश्रा*
करुणा पति त्रिपाठी**

सारांश

भारत की जिस वर्तमान स्थिति को देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते है, वह हमें ऐसे ही प्राप्त नही हुई है। पूर्व वर्षों में यह स्थिति भिन्न थी क्योकि वह ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का एक अंग था जिसमें उसका अत्यधिक शोषण किया गया। इस स्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में निहित था। जिस दिशा में कई व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा सार्थक प्रयास किया गया। इस कृतित्व की कड़ी में एक अहम योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा है। इसके अभ्युदय एवं कृतित्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके गौरवशाली अतीत का अध्ययन करना होगा। महात्मा गॉधी की मंशा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस संस्था को समाप्त करने की थी किन्तु उस संस्था के अन्य सदस्यों द्वारा उसके अस्तित्व को बनाए रखा गया। प्रस्तुत शोध पत्र में इस संस्था के अभ्युदय तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन किया गया है।

भारत सदैव से ही अपनी संपन्नता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है जिसके फलस्वरुप विश्व के लोगो का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में व्यापार करके अधिकाधिक लाभ कमाने की आकांक्षा से हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों ने इन कंपनियों को भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने की इजाजत दी तथा इन कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा। उनके बाद के मुगल शासक स्वार्थी एवं अयोग्य साबित हुए जो इन कंपनियों पर अपना प्रभावपूर्ण नियंत्रण कायम रख सकने में असमर्थ रहे। जिसके परिणामस्वरुप इन कंपनियों ने तीव्र विस्तारवादी क्रियाओं को अंजाम दिया जिसमें उनके स्वयं के हित आपस में टकराने लगे। इन कंपनियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा प्लासी और बक्सर के परिणाम ने उनको व्यापारी से शासक की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने भारत को एक औपनिवेशिक साम्राज्य में तब्दील कर दिया।

प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शोषण का दौर प्रारंभ हुआ। कृषि तथा दस्तकारी उद्योग जो भारत में साथ–साथ चलते थे, उनको पंगु बना दिया गया। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के पश्चात कृषि पर अत्यधिक दबाब पड़ा। प्रो. विपिन चन्द्र के अनुसार – कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाब, अत्यधिक भू–राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढती हुई दरिद्रता के फलस्वरुप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहॉ तक कि उसका अपकर्ष होने लगा। धन का निगर्मन भी बडी मात्रा में इग्लैंड में किया जाने लगा था। "यह आका गया है कि 1757 ई0 से 1780 ई0 तक जितनी रकम बंगाल से इग्लैंड खीची गयी, वह करीब तीन करोड़ अस्सी लाख पौंड स्टर्लिंग के बराबर थी। इन 23 वर्षो के दौरान बंगाल करीब 60 करोड़ रुपयों से वंचित होकर अधिक दरिद्र बन गया।"[1]

इस प्रकार कंपनी के अत्यधिक शोषण के फलस्वरुप भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न हुआ जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रुप में परिणित हुआ। यह संघर्ष अपने वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा क्योंकि इसमें कुछ वर्गो की अनुपस्थिति, सुनियोजित योजना तथा कुशल नेतृत्व का अभाव, अनुशासनहीनता की कमी जैसे तत्व मौजूद थे। इस आंदोलन ने दोनो पक्षों को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों ने जहॉ अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करते हुए कई संरक्षात्मक उपाय अपनाए तो वही दूसरी ओर भारतीय प्रबुद्ध वर्ग भी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर जनता की समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष न्यायोचित ढंग से रख सकने में सक्षम हो सका। उसने कई संस्थाओं का निर्माण इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया। इसी क्रम में बंगाल में इंडियन लीग 1875 ई0, इंडियन एसोसिएशन 1876 ई0, बंबई में पूना सार्वजनिक सभा 1870 ई0, बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन 1885 ई0, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा 1884 ई0 की स्थापना की गई। इसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुडे शिक्षित वर्ग ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते थे जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अपनी गतिविधि संचालित कर सके।

इंडियन एसोसिएशन ने 1883 और 1885 ई0 में दो राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया।2 इस योजना को क्रियान्वित कराने का श्रेय सेवानिवृत्त ब्रिटिश नागरिक ए. ओ. ह्यूम को जाता है। उन्होने 1883 ई. में कलकत्ता वि.वि. के स्नातकों को एक पत्र लिखा – "बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते है। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की।"[3] ह्यूम ने शिक्षित नवयुवको को संबोधित करते हुए लिखा कि यदि आप अपने सुख चैन का परित्याग नही कर सकते तो कम से कम वर्तमान समय में हमारी प्रगति की संपूर्ण आशाऍं व्यर्थ है और यह कहना होगा कि भारत वास्तव में वर्तमान सरकार से उचित शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है। ह्यूम ने भारतीय लोगो के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पुनर्जन्म के लिए 50

स्वयंसेवको की मॉग की। इसी समय उसने लार्ड डफरिन से विचार–विमर्श किया। लार्ड डफरिन ने ह्यूम से कहा कि "उसे जनता की वास्तविक इच्छाओं का निश्चय करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी और यह सार्वजनिक लाभ की बात होती यदि कोई जबाबदेह संगठन होता जिसके सहारे सरकार सर्वोत्तम भारतीय लोकतंत्र के संबंध में सूचित होती रहती।"[4] ह्यूम ने इग्लैंड जाकर डलहौजी, जॉन बाइट, रिपन एवं स्लेग आदि राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार–विमर्श किया। उन्होने इग्लैंड में भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश संसद के सदस्यों को जागरुक करने के लिए 'भारत संसदीय समिति' का गठन किया। भारत पहुॅचने पर बंबई में इंडियन नेशनल यूनियन की 25 दिसंबर 1885 की बैठक में व्यापक विचार विमर्श कर उसका नाम बदलकर 'इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' रखा गया।

28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें कांग्रेस के उद्‌देश्यों को बतलाया गया जिसमें देश के हितो की रक्षा करने वाले भारतीयों के मध्य संपर्क तथा मित्रता को बढावा देना, देश प्रेमियों के मध्य जाति सम्प्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना तथा आगामी वर्षो में भारतीय लोकहित के कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादाभाई नारौजी की अध्यक्षता में 1886 में हुआ जिसमें 436 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या बढती–घटती रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने एवं उनको कांग्रेस से जोडने के लिए 1888 ई. में एक विधेयक लाया जिसके तहत वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव तथा विधेयक को मंजूरी नही देगी जिससे मुस्लिमों की भावना को ठेस पहुॅचती हो। 1889 ई. में एक अल्पसंख्यक अनुच्छेद लाया गया जिसमें क्षेत्र की अल्पसंख्यक जनता को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1887 ई. में दो लोकप्रिय पर्चे निकाले गये जिनका 12 प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया।

कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख प्रारंभ में नरम रहा। डफरिन ने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ई. में सम्मिलित सभी प्रतिनिधियों को भोज दिया। इसी प्रकार 1887 ई. के मद्रास अधिवेशन में भी सम्मिलित प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से सुविधाएॅ दी गई। धीरे–धीरे जैसे ही कांग्रेस ने अपनी मॉंगों को बढाना प्रारंभ किया, सरकारी रुख भी कठोर होता गया। तत्कालीन वायसराय डफरिन ने शिक्षित समाज को अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक दल बताया। "1890 में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की आज्ञा नही रही।"[5] लार्ड कर्जन ने 1890 ई. में यहॉ तक कह दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महल चरमरा रहा है, और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मै शांति के साथ इसकी मृत्यु में सहयोग दे सकूॅं।

कांग्रेस में शुरुआती वर्षो में उदारवादियों का प्रभाव रहा जिन्होने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी गतिविधियों को संचालित किया किन्तु इसका खास प्रभाव अंग्रेजों पर न पड़ा। "1892 ई. का इंडिया कौंसिल एक्ट परोक्ष रुप से कांग्रेस की एक सफलता है।"6 उदारवादियों से अनुत्साहित कांग्रेस के अंदर एक उग्रवादी गुट उभरा जो दृढ दबाब द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उत्साहित था। इनमें बंकिम चन्द्र चटर्जी, अरबिन्द घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय आदि थे। इन दोनो गुटों का लक्ष्य एक था किन्तु इसकी प्राप्ति के साधनों को लेकर मतभेद था जो कांग्रेस के 1907 ई. के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया और कांग्रेस का दो हिस्सों में विभाजन हो गया। इस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया है। इसके पूर्व वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की विभीषका का अध्याय लिखा जा चुका था जिसके प्रतिरोधात्मक स्वरुप कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन की नीव रखी गई।

इसी दरम्यान 1906 ई. में मुस्लिम लीग नामक नये संगठन की नीव रखी गई जिसने तीव्रता से मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर कांग्रेस के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि दोनो गुटों में मतभेद विद्यमान थे तथापि परिस्थितिवश दोनो ने सामंजस्य स्थापित करते हुए 1916 ई. में लखनऊ पैक्ट को संपादित किया जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अति प्रतिनिधित्व की मॉग को स्वीकार कर लिया। इसी दौरान कांग्रेस द्वारा होमरुल आंदोलन चलाया गया जिसमें डोमीनियन स्टेट की मॉग रखी गई।

भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन महात्मा गॉधी के कांग्रेस से जुड़ने के फलस्वरुप देखने को मिला। उन्होने भारतीय राजनीति को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान की। अभी तक कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर के अस्पष्ट मुद्दों को उठाती रही थी, जबकि गॉधीजी ने स्थानीय स्तर के मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया। वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफलतम प्रयोग कर चुके थे और उसी अनुभव का अनुप्रयोग चम्पारण, अहमदाबाद और खेड़ा में भी दिखाई दिया। जनसाधारण वर्ग के मुद्दे उठाने से उसका झुकाव कांग्रेस की ओर होने लगा था वही दूसरी ओर रॉलेट एक्ट के निर्माण से सरकार की मानसिकता उजागर हो चुकी थी जिसका भारतीयों द्वारा घोर प्रतिरोध किया गया। सरकार की दमनात्मक कार्यवाही की चरम स्थिति जालियॉवाला बाग हत्याकांड के रुप में सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जॉच के लिए मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसके दो सदस्य महात्मा गॉधी और मोतीलाल नेहरु थे।

तुर्की में खलीफा की स्थिति ने मुस्लिम लीग में सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया और उसने खिलाफत करने का निर्णय लिया जिसमें कांग्रेस को भी भागीदार बनाया गया।1 अगस्त 1920 ई. से असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया जिसमें उपाधियों को वापस लौटाने, शिक्षण संस्थाओं और न्यायालयों के बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाने तथा

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की भी स्थापना की गई किन्तु बाद में यह आंदोलन हिंसात्मक हो उठा फलतः गॉधीजी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस में भी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो गुटों का निर्माण हो गया। परिवर्तनवादी गुट चुनाव में भाग लेने को इच्छुक था किन्तु अपरिवर्तनवादी इसके खिलाफ था। स्वराज पार्टी प्रारंभ में जरुर प्रभावी रही किन्तु बाद में उसकी स्थिति अच्छी नहीं रह गयी।

संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवम्बर 1927 ई. को की गई जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नही था। फलतः कांग्रेस ने दिसंबर 1927 ई. के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपतराय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई। कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 ई. का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रुप में मनाया गया। फरवरी 1930 ई. में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गॉधीजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दे दी। गॉधीजी ने इस संबंध में 2 मार्च 1930 को वायसराय लार्ड इर्विन के सामने पत्र द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मॉगे रखी किन्तु वायसराय पर इसका कोई असर न हुआ। गॉधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गुजरात के नादिया जिले के दांडी नामक गॉव में समुद्र में नमक बनाकर करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 ई को गॉधीजी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। रास्ते में किसान, मजदूर उनसे जुड़ते चले गये और उनकी संख्या हजार तक पहुॅच गई। दांडी पहुॅचकर कर 6 अप्रैल 1930ई. को नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इसका असर संपूर्ण भारत पर हुआ, दक्षिण भारत में यह आंदोलन राजगोपालाचारी के नेतृत्व में लड़ा गया। उन्होने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। मालावार तट पर के माधवन ने कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा की। बंगाल क्षेत्र में मानसून के कारण यूनियन बोर्ड द्वारा वहॉ पर रोको आंदोलन चलाया गया। बंबई में धरासना नामक तट पर सरोजनी नायडू, इमाम साहब तथा मणिलाल गॉधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया।

साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का दौर चला किन्तु इससे किसी को कुछ प्राप्त न हुआ। भारतीयो द्वारा की जाने वाली साम्प्रदायिक मॉगों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा 14 अगस्त 1932 ई. को मैकडोनाल्ड अवार्ड लाया गया जिसमें अल्पसंख्यक तथा विशेष हित वाले सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे वहाँ उन्हें जनसंख्या से भी अधिक अनुपात में आरक्षण दिया गया किन्तु जिन प्रांतों में हिन्दू अल्पसंख्यक थे, उन्हें ऐसी सुविधा से मोहताज रखा गया। कांग्रेस ने इस अवार्ड पर गहरी नाराजगी जताई। गॉधीजी ने अछूतों को हिन्दुओं से पृथक कर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने पर 18 अगस्त 1932 ई. को मैकडोलाल्ड को पत्र लिखकर कड़ा असंतोष जताया और इसको खत्म

न किए जाने पर 20 सितंबर 1932 ई. से आमरण अनशन की धमकी दी। उन्होने आमरण अनशन किया भी किन्तु उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अंबेडकर ने 26 सितंबर 1932 ई. को पूना पैक्ट कर लिया। कांग्रेस ने 1937 के मंत्रीमंडल चुनावों में उल्लेखनीय जीत दर्ज की। 11 में से 7 प्रांतों में उनकी सरकार बनी तथा शासन अच्छा होने से उसकी लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ। "उसकी सदस्य संख्या 1936 के प्रारंभ में पॉच लाख से कम थी, यह बढ़कर 1939 के अंत तक पचास लाख हो गई।"[7] शीघ्र ही कांग्रेस में वाम पक्ष प्रभावी होने से उसके प्रभाव में गिरावट आयी। कांग्रेस ने अब निर्णायक लडाई का मन बना लिया तथा 1942 ई में भारत छोड़ो आंदोलन की नीव रखी। उसने भारतीय जनमानस को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलित किया और जिसका असर ब्रिटेन में भी दिखाई देने लगा। इस प्रकार भारत को सत्ता हस्तांतरण का मार्ग तो सुलभ हुआ, किन्तु इसने देश का विभाजन भी करा दिया। इस दौरान घटे साम्प्रदायिक दंगों ने आजादी के जश्न को कलंकित कर दिया।

इस प्रकार यह तो नहीं कहा जा सकता कि देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस के प्रयत्नों से ही हासिल हुई, किन्तु उसके योगदान को कमतर नहीं आका जा सकता। महात्मा गॉधी की मंशा देश की स्वतंत्रता के पश्चात इस संस्था को समाप्त करने की थी किन्तु उनकी मंशा के विपरीत यह संस्था आज तक विद्यमान है। इसलिये वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, इस संदर्भ में आजादी के बाद की परिस्थितियों का अध्ययन करना उल्लेखनीय होगा। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। उन्होने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की कृषि तथा उद्योगों को मजबूती प्रदान की। उन्होनें दो गुटों में सम्मिलित होने की दौड से भारत को दूर रखा तथा निष्पक्षता की नीति को अपनाया। नेहरु कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों तथा दल के चलन पर अप्रसन्न थे। उन्होने 1957 में कांग्रेस दल के सदस्यों को यह कहा : "कांग्रेस शिथिल होती जा रही है। हमारा सशक्त बिंदु तो हमारा भूतकाल ही है.....जब तक हम वर्तमान ढर्रे से नहीं उबरेंगे तब तक हमारे दल का विनाश निश्चित है।"[8] यद्यपि चीन के साथ भारत का पंचशील समझौता 1954 ई. में नेहरुजी के प्रयासों से संपादित हो चुका था तदापि चीन ने भारत की पीठ पर छूरा घोपते हुए 1962 ई. में आक्रमण कर दिया तथा लद्दाख के 32, 260 वर्ग कि.मी. और अरुणांचल प्रदेश के लगभग 5180 वर्ग कि.मी. पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार नेहरु की विदेश नीति को तगड़ा झटका लगा। 1964 ई. में उनकी मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस के ही सदस्य थे। उनके समय में 1965 में भारत–पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिसमें भारत विजित हुआ। उन्होनें जय जवान–जय किसान का नारा दिया। ताशकंद में 1965 ई. में उनकी मृत्यु के पश्चात इंदिरा गॉधी प्रधानमंत्री बनी।

राममनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरु के कट्टर विरोधी थे। उन्होनें लोगों से कहा कि कांग्रेस देश की हालत सुधारनें में नाकाम रही है और कांग्रेस हटाओं तथा देश बचाओ का नारा दिया। 1967 ई. के आम चुनावों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और देश के 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, उडीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हुई और राममनोहर लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता एवं सूत्रधार बने। 1971 में कांग्रेस को बडी सफलता प्राप्त हुई किन्तु जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गॉधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रान्ति का नारा दिया। इस आंदोलन को भारी जनसमर्थन मिला और इंदिरा गॉधी ने आपातकाल लागू कर दिया और विरोधी नेता जेलों में बंद कर दिये गये। इसका आम जनता ने कड़ा विरोध किया जिसका प्रतिफल 1977 ई. के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के रुप में देखने को मिला। जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनी किन्तु वह अधिक समय तक न चल सकी। 1981 के चुनावों में कांग्रेस पुनः विजित हुई किन्तु 1984 ई. में इंदिरा गॉधी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हुए चुनावों में कांग्रेस को अपार सफलता प्राप्त हुई और उसे 415 सीट तथा 49.01 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जो अभी तक कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। निःसंदेह यह सफलता इंदिरा गॉधी की मृत्यु की सहानुभूति के रूप में प्राप्त हुई थी। वर्तमान में कांग्रेस की लोकसभा में 545 में से 44 सीटें तथा राज्य सभा में 245 में से 70 सीटें है। यह उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। लोकसभा के चुनावों में वह 10 प्रतिशत सीट भी हासिल नहीं कर पायी और उसका वोट प्रतिशत भी सिमटकर 19.3 प्रतिशत रह गया।

कांग्रेस की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसका गंभीरता से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इसके लिए वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन, सुनियोजित योजना एवं उसके क्रियान्वयन का अभाव, शाहीबर्ताव, जनता के प्रति बेरुखी, संदीजगी का अभाव, खोखले वादे, शक्ति का गलत दुर्पयोग एवं सांप्रदायिक दंगे जिम्मेदार रहे है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके गरिमामय अतीत के अंत का आकलन करना जल्दबाजी होगी। इसके पहले भी कई दफा कांग्रेस पराजित हुई है किन्तु उससे उबर कर उसने उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। अगर वह अपना अस्तित्व बचाये रखना चाहती है तो उसे इतिहास से सबक लेना होगा वर्ना वह स्वयं इतिहास बनकर रह जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ

1. मजुमदार, रायचौधुरी, दत्त, भारत का वृहद इतिहास, भाग–3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, मद्रास, 1989, पृ. 175
2. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 106
3. ग्रोबर, बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र. दिल्ली, 2008, पृ. 299

4. मजुमदार, रायचौधुरी, दत्त, भारत का वृहद इतिहास, भाग–3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, मद्रास, 1989, पृ. 259
5. ग्रोबर, बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र. दिल्ली, 2008, पृ. 301
6. मजुमदार, रायचौधुरी, दत्त, भारत का वृहद इतिहास, भाग–3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, मद्रास, 1989, पृ. 262
7. वही, पृ. 353
8. ग्रोबर, बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र. दिल्ली, 2008, पृ. 486

ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA Vol.-II

Comming in APRIL, 2015

A National Registered Research Journal

Quaterly Bilingual (English/Hindi)

We are provide a plateform for the publication of original unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Thesis and Book.

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

वर्दी राज्य की भौगोलिक स्थिति : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ0 गिरीश चतुर्वेदी

वर्दी राज्य सीधी एवं सिंगरौली जिला के अन्तर्गत है। अतः सबसे पहले इस जिला से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह जिला बघेलखण्ड की उत्तरी–पूर्वी द्वार है, जहाँ से उत्तरप्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से आवागमन होता है। इसके उत्तर में उत्तरप्रदेश का सोनभद्र और मिर्जापुर जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ का जिला सरगुजा तथा कोरिया, पूर्व में सोनभद्र, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, पश्चिम में सतना तथा पश्चिमोत्तर में रीवा जिला है। जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 95 कि0मी0 तथा पूरब से पश्चिम 155 कि0मी0 है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 कि0मी0 है। सीधी जिला में 9 तहसीले और 8 विकासखण्ड हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं– (1) गोपद बनास (2) देवसर (3) सिंगरौली (4) मझौली (5) चितरंगी (6) सिहावल (7) कुसुमी (8) रामपुर नैकिन और चुरहट। विकासखण्ड निम्नांकित हैं– (1) सीधी (2) रामपुर नैकिन (3) मझौली (4) सिहावल (5) चितरंगी (6) बैढ़न (7) कुसुमी और (8) देवसर। वर्दी राज्य का विस्तार देवसर और चितरंगी तहसीलों में था।

वर्दी राज्य का प्राकृतिक स्वरूप

पूर्वदक्षिणतः गोपद, पश्चिममात् सोठा संगमें।
वरदात्री प्रतिष्ठाष्य, वर्दी दूर्ग प्रतिष्ठतः।।

पूर्व और दक्षिण भाग से गोपद नदी और पश्चिम दिशा से आती हुई सोन नदी का जहां संगम होता है, उसी स्थान पर वरदायिनी देवर दुर्ग के मंदिर की स्थापना की गई और इस निर्मित दुर्ग का नाम वर्दी रखा गया है। जो चन्देलों की राजधानी है।

नामकरण

वर्दी राज्य के नामकरण के सम्बन्ध में अनेक मत व्यक्त किये गये हैं। पहले मत के अनुसार वर्दी नामकरण कवर शासनकाल में हुआ। वर्दी एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। यहां पर दूर–दूर से व्यापारी लोग अपना माल बैलों (बर्दा) पर लाद कर लाते थे। विभिन्न विक्रय वस्तुओं की मण्डी होने के कारण यहां पर हजारों की संख्या में बर्दा एकत्र हो जाते थे। अतः बर्दों के नाम पर इस मण्डी का नाम बरदही मण्डी हो गया। यही बरदही शब्द विकृत होकर बर्दी हो गया। दूसरे मत के अनुसार कंवर वंश बरदेश्वरी दुर्गा के उपासक

जन भागीदारी शिक्षक (इतिहास) शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

थे। अतः बरदेश्वरी के नाम पर इसका नाम बर्दी पड़ गया। तृतीय मत के अनुसार देवी ने चन्देलों से प्रसन्न होकर एक वर दिया था। यही वरदिया शब्द वर्दी बन गया।

वर्दी राज्य का सीमा विस्तार

वर्दी राज्य के अभिलेख के अनुसार इसकी सीमा पूर्व में चेर राज्य, अगोरी, बड़हर और दुद्दी पश्चिम में रामपुर, ब्यौहारी, चुरहट, उत्तर में गहरवार, सेंगर, चुनार राज्य तथा दक्षिण में सरगुजा के कुडपा और पिण्डारी के क्षेत्र स्थित थे। संक्षेप में कहे तो वर्दी राज्य पूर्व में बरवाडीह से लेकर पश्चिम में नरकुई नदी तक और उत्तर में सकलिन से लेकर दक्षिण में सरगुजा राज्य के सिंगरौली तक विस्तृत था। इसका इस राज्य की चौड़ाई 150 मील और लम्बाई 163 मील और क्षेत्रफल 14, 450 वर्ग मील था।

भू–संरचना

भू–संरचना के आधार पर वर्दी राज्य के पांच भाग हैं। इनका वर्णन इस प्रकार हैं–

(1) बेलन घाटी एवं कोरावल पठार–यह उत्तरी कैमूर पहाड़ से लेकर मिर्जापुर जिला तक फैला है। वर्तमान समय में शासन ने यहां कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्थापित किया है। इसमें पिपरा, मनिगडा, बगदरा, बरौंधा आदि ग्राम सम्मिलित हैं।

(2) सोनतरिया घाटी–इसे सोन घाटी भी कहते हैं। यह सोन नदी के उत्तर और कैमूर के दक्षिण का समतल उपजाऊ मैदान है, जो कानपुर मैदान के नाम से विख्यात है। यह घाटी जैसे–जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है, वैसे–वैसे संकरी होती जाती है। घाटी का ढाल पूर्व की ओर है। इसका विस्तार अगोरी तक है। इसमें गऊघाट, सोनवर्षा, सिहावल, वर्दी, खटाई, खैड़ार, देउरा और धरैली ग्राम स्थित हैं।

(3) देवसर की पहाड़ियाँ–ये पहाड़ियां देवसर तहसील के अधिकांश भाग, सिंगरौली की उत्तरी और पश्चिमी भाग पर फैली हैं। इन्हें देवसर की पहाड़ियां कहा जाता है। ये पहाड़ियां मुख्य रूप से कम विस्तार वाली और गोलाकार हैं। इनकी औसत ऊँचाई 300 से 470 मीटर तक है। इनके मध्यवर्ती भाग पर छोटे–छोटे पाट तथा गहरे नाले हैं। इन पाटों में नौगई तथा खड़ौली के नाले प्रमुख हैं। इन पहाड़ियों की मिट्टी रेतीली तथा पथरीली है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच–बीच में कुछ उपजाऊ भूमि है, जिसमें खेती होती है।

(4) सिंगरौली का मैदान–सिंगरौली तहसील का दक्षिणी पूर्वी भाग ढलान वाला है। इसे सिंगरौली का मैदान कहते हैं। यह क्षेत्र दुद्दी के मैदान से जुड़ा हुआ है। यहां मिट्टी दोमट है। इस भाग से होकर रिहन्द नदी बहती है। इसी नदी पर पन्त सागर बांध बनाया गया है। इस क्षेत्र में कोयले के विशाल और समृद्ध भण्डार है।

(5) ठाढ पाथर चारिगोड़ा क्षेत्र–यह धरी ग्राम के दक्षिणी भाग का जंगली क्षेत्र है, जो अब सरगुजा जिला (छत्तीसगढ़) में सम्मिलित हो गया है। यहां की मिट्टी बलुआर है, जिससे इस क्षेत्र मे प्रचुर मात्रा में धान पैदा होता है। बलुआर के अतिरिक्त यहां पथरीली मिट्टी भी मिलती है। इस क्षेत्र में जनकपुर, भरतपुर और महोबा के परगने सम्मिलित हैं।

वर्दी राज्य के पहाड़

वर्दी राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी है। कैमूर पर्वतमाला की श्रेणियाँ इस क्षेत्र में दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर समानान्तर रूप से फैली है। इन श्रेणियों के मध्यवर्ती भाग में अनेक घाटियाँ और उपजाऊ मैदान है। यहां की पर्वत श्रेणियों का वर्णन इस प्रकार है–

विन्झ

झुकेही रेलवे स्टेशन के समीप से कैमूर पर्वत श्रृंखला विन्ध्यक्षेत्र में प्रवेश करती है और यहां से उत्तर–पूर्व की ओर आगे बढ़ जाती है। गोविन्दगढ़ से 20 कि0मी0 आगे बड़ा घाट नामक स्थान से यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। ऊपरी शाखा का स्थानीय नाम विन्झ पहाड़ है। यह पश्चिमाभिमुख होकर अन्ततः पर्वत श्रृंखला से संयुक्त हो जाता है।

बमना

यह मीनार के समान शिखरयुक्त पर्वत है। देवसर करथुआ के बीच हथिओदरा पाट इसकी प्रमुख श्रेणी है। इसी श्रेणी को बमना चोटी अथवा पहाड़ कहते हैं। इस चोटी से उत्तर में कैमूर और दक्षिण में कारी पहाड़ का अवलोकन किया जा सकता है।

कारी

यह पहाड़ देवसर और झुरही के मध्य स्थित है। इस पहाड़ के पठारी भाग पर एक तालाब और एक परकोटा के अवशेष विद्यमान हैं। अनुश्रुति है कि यहां पर बालन्दजन निवास करते थे। इसके अतिरिक्त इस पहाड़ के अनेक छोटे बड़े शिखर हैं, जिनकी रचना पिरामिडनुमा है। पहाड़ी शिखरों के नाम मालवा, भटिया और डांगा है।

नदियाँ

किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की धरातलीय आकृति और जलवायु से प्रभावित होता है। बघेलखण्ड भी इसका अपवाद नहीं है। यहां का जलप्रवाह तंत्र गंगा नदी से सम्बद्ध है। और यहां सारा जल बंगाल की खाड़ी मे गिरता है। सोन यहां की सबसे बड़ी नदी है जो उत्तरी भाग से उत्तर–पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त गोपद, बनास, महान, रेही आदि अनेक छोटी–बड़ी नदियाँ हैं, जो इस क्षेत्र की धरातलीय बनावट के अनुरूप बहती हैं। इस क्षेत्र की प्रायः सभी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बह कर गंगा नदी में मिलती हैं। यहां की नदियों का विवरण इस प्रकार है–

शोण (सोन)

रामायण[1], में इसका नाम शोणभद्र दिया गया है। राम और लक्ष्मण ने मिथिला जाते समय इसके तट पर निवास किया था।[2], बाणभट्ट[3], ने शोणनद का रोचक वर्णन किया है। मेगस्थनीज[4], एरानोबोअस और सोनस नामक नदियों का उल्लेख करता है। उसका यह लिखना उपयुक्त है कि पाटलिपुत्र एरानोबोअस और गंगा के तटों पर स्थित था। प्रबोधशिव के चन्द्रेह अभिलेख[5], में इसे शोणनद कहा गया है।

सोन नदी अनूपपुर जिला में स्थित अमरकण्टक पठार के सोनमूड़ा स्थान से निकलती है। उदगम स्थल से आगे बढ़ने पर यह नदी शहडोल जिला के मध्य से प्रवाहित होती है। सीधी जिला के भंवरसेन मे इसका संगम बनास नदी से होता है। यह नदी वर्दी और रीवा राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। आगे चलकर यह नदी पटना (बिहार) में गंगा नदी में मिल जाती है।

सोन की सहायक नदियाँ

गोपद

यह नदी सोन की प्रमुख सहायक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कठनौना ग्राम से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई और सरगुजा की भरतपुर तहसीलों का सीमांकन करती है। वर्दी में यह दो भागों में विभाजित होकर सोन नदी मे मिल जाती है। नदी का प्रवाह क्षेत्र ऊबड़–खाबड़ है। यह नदी देवसर और गोपदबनास तहसीलों का भी निर्धारण करती है।

बनास

बनास नदी जिला और गोपदबनास तहसील की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला की मनेन्द्रगढ़ तहसील से है। उद्गम स्थल से यह नदी उत्तर–पश्चिम दिशा में बहकर सरगुजा और शहडोल की सीमा बनाती है। तत्पश्चात् वह चक्कर काटकर उत्तर की ओर 50 कि0मी0 तक शहडोल और सीधी की सीमाओं पर बहती है। इसके बाद यह डिम्बा नामक स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है। मुवही कोरमार और महान इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसके दायें तट पर मिलती है और ओदरी तथा झांपर बायें तट पर मिलती है।

महान

जिला के दक्षिण–पूर्व में मोहन पहाड़ी से निकलकर मझौली–देवसर तहसीलों के मध्य बहती हुई महान नदी चितरंगी तहसील के कर्थुआ के समीप रेही नामक स्थान पर गोपद नदी में मिल जाती है।

रिहन्द

यह नदी जिला के दक्षिण–पूर्व में बहती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहाड़ियों से निकलकर इसका प्रवाह उत्तर–पूर्व की ओर है। आगे चलकर यह बिहार में पटना के पास सोन में मिल जाती है। रिहन्द बाँध इसी नदी पर बनाया गया है।

रेही (कुढेरी)

यह नदी कैमोर पर्वत श्रृंखला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई घोघरा के चाण्डी देवी मन्दिर के समीप से गुजरती है।

जलवायु

मानव जीवन प्राकृतिक तथा स्थान विशेष की जलवायु से प्रभावित होता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहीं पर गर्मी में अधिक गर्मी और जाड़े में अधिक जाड़ा पड़ता है। झुलसा देनेवाली लू चलने लगती है। शीतकाल में सामान्य से अधिक ठण्डक हो जाती है। मुख्य रूप से पौष और माघ में अधिक ठण्ड़ी पड़ती है। साधन विहीन मनुष्यों के लिए यह समय अत्यंत कष्टमय होता है। शीतकाल मे वर्षा बहुत कम होती है।

समुद्र तट से इस प्रदेश की दूरी अधिक है और यहां के पहाड़ों की ऊँचाई भी कम है। अतः यहां वर्षा होती है। यहाँ की वर्षा का सामान्य औसत 30 से 45 इंच तक है।

वन सम्पदा

वर्दी राज्य घने वनों के मध्य में स्थित है। यह राज्य विन्ध्याटवी का भाग है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में यहां की अटवी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। वे एक वनग्राम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ''यह बस्ती जंगल को साफ कर बनाई गई थी। घर एक दूसरे से अलग–अलग बने थे। लोग कुदाली से धरती को खोद कर खेती करते थे। उनके पास हल–बैल नहीं थे। भूमि काँस से परिपूर्ण थी। जंगली जानवरों के उपद्रवों से वे बड़े परेशान रहते थे। वे प्रायः जानवरों का शिकार कर या फल–फूल खाकर जीवन निर्वाह करते थे। वे वनोपज को बाजार में बेंचते थे। जंगली बस्ती के चारों ओर कांटेदार बाड़े बनाये जाते थे, जिससे लोग अपनी तथा अपने पशुओं की रक्षा जंगली जानवरों से कर सके। लुहार, बढ़ई आदि गांव में रहते थे। लोगों ने धीरे–धीरे अपने खेत बना लिए। जंगल और बस्ती के मध्यवर्ती भागों में पौशाला का प्रबंध था। प्याऊ के मृदमाण्डों को गेहूं के तिनकों के आवरण से ढ़का जाता था। जल को सुगन्धित करने के लिए ढ़क्कनों पर पाटल पुष्प रखे जाते थे। बाहर से आने वाले के लिए ठण्डा पानी उपलब्ध रहता था। वाण ने गांव के शिकारियों का भी मनोरम वर्णन किया है। वे विचित्र तरीकों से शिकार करते थे।''[6]

विन्ध्याटवी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वाण ने जंगलों में होने वाले वृक्षों का वर्णन किया है। इस वर्णन में इन वृक्षों का उल्लेख है– कर्णिकार चम्पक, नमरू, सल्लकी, नारिकेल, नागकेसर (हरिकेसर), सरल, कुरबक, रक्ताशोंक, बकुल, केसर, तिलक, हींग, सुपारी, प्रियंगु, मुचुकुन्द, तमाल, देवदारू, नागवल्ली (तांबूली), जामुन, जम्भीरी, नीबू, जंबीर, धूलि कदम्ब (गर्मी में फलने वाला विशेष प्रकार का कदम्ब) कुटज, पीलु, शरीफा (सदाफल), कटहल, शेफालिका, लवलील, लकुच (बडहर), जायफल (जातिफल) आद।ख्7, अब ये सभी वृक्ष समाप्त हो गये हैं। विन्ध्याटवी का प्राचीन स्वरूप पूर्णरूपेण नष्ट हो चुका है। अधिकांश वृक्षों का पुनर्जनन नहीं हो रहा है। पिछले दशकों की वन प्रबंधक प्रणाली ने वनों को काष्ठ फसलों में बदल दिया है। वनों के स्तर और उनके जैव रूप नष्ट हो गये हैं। जो वन बचे हैं, वे वन्य जीवन विहीन हैं। वन औषधियां नष्ट हो गई हैं और वन भूमि पर माफियाओं का राज्य स्थापित हो गया है। वर्तमान समय में वर्दी राज्य के उत्तरी–पूर्वी वन क्षेत्र में बांस, साजा, सरई, तेन्दू, खैर आदि के ही वृक्ष पाये जाते हैं। इसके दक्षिण में कहीं–कहीं साल और सरई,

बीजा, महुआ, हल्दू, हर्रा, शिरीष, पलाश, कुसुम, अमलतास, कुल्लू, अचार, बेल, बेर आदि के वृक्ष पाये जाते है। झाड़ियों में करौंदा, मुकुइयां, झरबेर, बरारी आदि पाये जाते हैं।

जीव जन्तु

वर्दी राज्य का वनक्षेत्र जीव–जन्तुओं से भरा पड़ा है। यहां की प्राकृतिक संरचना, वनस्पति की विविधता और पर्वतमालाओं से घिरा होने के कारण विविध पशुओं और जन्तुओं का चारागाह बन गया है। इस अंचल मे मध्यप्रदेश शासन द्वारा बगदरा अभ्यारण्य स्थापित किया है। दुर्गम पर्वतों, गहन वनों और नदी–नालों के शीतल कगारों में पशुओं के प्राकृतिक शरण स्थल बन गये हैं। यहीं हिंसक पशुओं की अनेक प्रजातियां निवास करती हैं, यहीं बाघ की बहुतायत है। इसके अतिरिक्त चीता, भालू, तेंदुआ, रोझ, सांभर, सोनहा और जंगली भैंसे पाये जाते हैं। हिंसक पशुओं में तेंदुआ सबसे घातक होता है। सामान्य पशुओं पर इनका धावा दूसरे–तीसरे दिन होता रहता है। ग्रामीणजनों का कथन है कि प्रायः गर्मी के दिनों में इनका आतंक ज्यादा होता है। ये जंगल के सुनसान स्थानों में निवास करते हैं। रीछ के बालों से यहां अच्छी प्रकार के ब्रुश बनाये जाते हैं। इससे यहां के निवासियों को रोजगार मिलता है।

छोटी श्रेणी के हिंसक पशुओं में यहां सुअर, भेड़िया, गीदड़ आदि पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त नील गाय, हरिण, छिकरा, सांभर आदि के झुण्ड भी यदा–कदा दृष्टि गोचर हो जाते हैं। अन्य जंगली पशुओं में बंदर, लंगूर, लोमड़ी, खरगोश, नेवला तथा विषैले जीवों में नाना प्रकार के सर्प, बिच्छू आदि की यहां बहुतायत है।

वर्दी राज्य में सोन–गोपद का संगम होने के कारण जलचर जीवों की भी कमी नहीं है। इनमें कछुआ, मगर, घड़ियाल, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आदि सम्मिलित हैं। यहां की कुछ जातियाँ यथा मुसलमान, कोल, गोंड़ आदि अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के मांस और दूध देने वाले पशुओं का पालन करते हैं। दुधारू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी आदि उल्लेखनीय है। यहां पर पक्षियों की भी कमी नहीं है। इनमें मोर, तीतर, गुरेला, लावा, बटेर, लाल मुनैया, कौआ, कबूतर, हाडिल आदि की गणना की जा सकती है।

भूगर्भिक सम्पदा

भूगर्भिक पदार्थों की दृष्टि से वर्दी राज्य अत्यधिक समृद्ध रहा है। रत्नगर्भा होने के कारण यह राज्य तो अमीर है, किन्तु यहां की जनता गरीब है। यहां की भूमि पहाड़ों तथा पठारों से बनी है तथा शेष भाग घने वनों से आच्छादित है। इन वनों में धातु, पत्थर और बहुमूल्य खनिज पदार्थों का भण्डार उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली अनेक प्रकार की सामग्री विद्यमान है। राज्य में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ इस प्रकार हैं–

कोयला

शक्ति (ऊर्जा) के साधन के रूप में कोयला शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। बघेलखण्ड क्षेत्र के सीधी सिंगरौली और शहडोल जिलों में कोयला के अपरिमित भण्डार हैं। यहां की

कोयला खदानें सोन नदी के बेसिन में स्थित है। वर्दी राज्य सिंगरौली क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। यह उत्तरी सीधी जिला से दक्षिणी मिर्जापुर तक 2330 कि0मी0 के क्षेत्र में फैला है। यहां कोयले की कई परतें मिलती हैं। इस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला मिलता है।

कुरून्द

यह हीरे के बाद दूसरे क्रमांक का बहुमूल्य खनिज सिंगरौली तहसील के पिपरा और करकोटा ग्रामों में बहुतायत में मिलता है। इस समय इसका उत्खनन बन्द कर दिया गया है।

लौह अयस्क

वर्दी राज्य में पाया जाने वाला लौह अयस्क हैमेटाइट प्रकार का है। यह सीधी सिंगरौली जिला के देवसर तहसील में मिलता है। अयस्क में अभ्रक और सिलिका की अधिकता होने के कारण यह निम्न कोटि का है। अतः इसका उत्खनन नहीं किया जाता है।

चूना पत्थर

यह निर्माण, रसायन और धात्विक उद्योगों का मूल पदार्थ है। विन्ध्यक्षेत्र में चूना पत्थर के विपुल भण्डार हैं। ये भण्डार विन्ध्यनयुगीन शैल समूहों और क्रिटेशियस शैलों में संचित है। यह बघमदवा, चितरंगी के पास नौगई और कैमूर में केराईघाट में मिलता है।

अभ्रक

रेड़ नदी के समीप पीपरा के पास एक स्थान पर अभ्रक की विद्यमानता के संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार देवसर तहसील के बैगवार ग्राम के समीप एक स्थान पर नीस जाति की चट्टानों की परतों में सुरमें के पत्थर की भी एक परत पड़ गई है। रियासत के समय इसके उत्खनन का प्रयत्न किया गया था। किन्तु अलाभकर होने के कारण इसे बन्द कर दिया गया है।

सिलिका

यह चिंतरंगी से नौगई मार्ग तक मात्र एक कि0मी0 तक फैली पहाड़ी में बहुतायत से पाया जाता है।

उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त गोंडवाना लमेटा चट्टानों से उच्च कोटि की चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहीं पर प्राचीन पौधों के फासिल्स भी पाये जाते हैं।

आवागमन के मार्ग

मध्यकालीन के मार्ग

(1) वर्दी से सरगुजा जाने के लिए बिजौरा, सरई और समूद होकर एक मार्ग था। (2) वर्दी से सीधी के देवघटा–सिहावल से एक मार्ग या (3) वर्दी से सिंगरौली के लिए बिजैरा, बरिगवां होकर एक मार्ग था। उपर्युक्त मार्गों के अतिरिक्त अन्य आवागमन के स्थल मार्गों का अभाव था।

आवागन के आधुनिक मार्ग

आधुनिक काल में आवागमन के मार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है– (1) जिला मुख्यालय सीधी से वर्दी जाने के लिए कर्थुआ के समीप हरफरी से मार्ग है। (2) सीधी से बगदरा पहुँचने पर दक्षिण की ओर सोन नदी पार करनी पड़ती है। तब वर्दी पहुचा जा सकता है। सोन नदी पार करने के लिए पुल नहीं है। किन्तु यहां नाव की सार्वजनिक व्यवस्था है। (3) एक मार्ग देवसर तहसील मुख्यालय से भी है। वर्दी जाने का सबसे सुगम मार्ग हरफरी से है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त शेष सभी ऋतुओं मे यह मार्ग आवागमन के योग्य रहता है।

जल मार्ग

वर्दी सोन और गोपद नदियों के संगम पर बसा है। अतः प्राचीन काल से ही व्यापारिक और सैन्य अभियानों के लिए इसका उपयोग होता रहा है। वर्दी में सोन नदी पार कर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सुगम मार्ग है। इसके अतिरिक्त हनुमना, मऊगंज जाने के लिए अमिलिया सोन चिरइया घाट पार करके एक मार्ग है। अब इस मार्ग पर एक पुल का निर्माण हो गया है। जिससे आवागमन सरल हो गया है। इसी सोन नदी पर ओड़नी के पास मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक और पुल का निर्माण 2013 में किया गया है। जिससे क्षेत्र के लगभ 84 गाँवों की जनता को बनारस, मिर्जापुर, घोरावल, उत्तर प्रदेश, व विहार आदि स्थानों पर जाने में सरलता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

रामायण (बाल, अयोध्या तथा किष्किन्धाकाण्ड)–ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, 1960–65

महाभारत–भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना, 1923–66

मनुस्मृति–सं. जयन्तकृष्ण हरिकृष्ण दवे, मुम्बई, 1975

मनुस्मृति–सं. जमनालाल गौतम, संस्कृति संस्थान, बरेली, 1982

मनुस्मृति–चौखम्भा, बनारस, वि.सं. 2036

याज्ञवल्क्य स्मृति–सं. नारायण शास्त्री, चौखम्भा, वाराणसी, अनुवादक– उमेशचन्द्र पाण्डेय, द्वि. संस्करण, वाराणसी, 1977

विक्रमांकदेव चरित्र–विल्हण, मूलपाठ और अंग्रेजी अनुवाद, ब्यूलर, जान, 1875

विक्रमांकदेव स्मृति–मूलपाठ और हिन्दी अनुवाद विश्वनाथ शास्त्री, भारद्वाज, 3 जिल्द, वाराणसी 1954

प्रबोध चन्द्रोदय–कृष्ण मिश्र, बनारस, 1955

वीरभानूदय काव्य–माधव उख्य, रीवा, 1938

1. 1. 34. 1. 4
2. बही
3. हर्षचरित, पृ0 19

4. मेगस्थनीज एण्ड एरियन, पृ0 191–92
5. कर्पस खण्डन, पृ0
6. हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ0 186–87
7. हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ0 187–88

''**शोध-चेतना**'' रिसर्च जनरल का अगला अंक अप्रैल, 2015 में प्रकाशित होगा। उक्त अंक के प्रकाशन में आप अपना ''**शोध पत्र**'' भेजकर **हिन्दी भाषा** *(कृति देव फान्ट एवं टाइप साइज 14)* **व अंग्रेजी भाषा** *(टाइम्स न्यू रोमन एवं टाइप साइज 12)* में प्रकाशित करवा सकते हैं।

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

वर्दी राज्य में बगदरा एवं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का सर्वेक्षण

डॉ. गिरीश चतुर्वेदी

कृष्ण मृगी की क्रीड़ा स्थलि बगदरा अभ्यारण्य सीधी सिंगरौली जिले में विद्यमान है। जैसा की नाम से ही पता चलता है। बगदरा का अर्थ है, बाघ का दर यानी स्थान, जहां बाघ रहता हो, इससे पता चलता है कि बगदरा अभ्यारण में बाघ भी पाये जाते थे। जो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आने वाले पर्यटकों के लिए, कृष्ण मृगों कि धमाचौकड़ी प्रमुख आकर्षण होती है, खासकर बगदरा अभ्यारण्य में झुण्ड के झुण्ड कृष्ण मृग ही चित्ताकर्षक लगते हैं। यही वजह है कि जिला मुख्यालय से 75 कि0मी0 दूर व दुर्गम रास्ते के बाद भी लोग बगदरा जाते ही है। जिले में बगदरा अभ्यारण्य का गठन ढ़ाई दशक पहले किया गया यह विन्ध्य पर्वत मालाओं की कैमोर श्रृखला में स्थित है। यह क्षेत्र कृष्ण मृगों की क्रीड़ास्थली है। स्वछन्दरूप से विचरण करते हुए कृष्ण मृगों की कुलान्चे मनोहारी लगती है। सुरम्य पहाड़ियों से सोन नदी का विहंगम दृश्य अपने आप में अनूठा है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिला मुख्यालय से 75 कि0मी0 एवं सिगरौली जिला मुख्यालय से 60 कि0मी0 पूर्व की ओर सिहावल तहसील से प्रारंभ होता है। निकटतम हवाई अड्डा बनारस से इसकी दूरी 170 कि0मी0 है तथा रेल्वे स्टेशन मिर्जापुर 100 कि0मी0 व रीवा 170 कि0मी0 है। बगदरा अभ्यारण्य में वन्य प्राणी गणना 1999 के अनुसार– चितल 34, सांभर 94, बारहसिंघा 22, माउसडिपर 74, कृष्ण मृग लगभग 2500 (ढाई हजार) और बहुत कम संख्या में बाघ, तेंदुआ, चिकारा नील गाय, सांभर है। अभ्यारण्य में सबसे अधिक कृष्ण मृग ही हैं। जिन्हे कही भी देखा जा सकता है। वह भी एक दो नहीं झुण्डों में, बाकी वन्य प्राणी यदा–कदा ही दिखेंगें बाघ, भालू इक्के–दुक्के ही दिखते हैं। नील गाय जरूर दिखती है। वह भी कृष्ण मृगो के अनुपात में नहीं यानी बगदरा अभ्यारण में कृष्ण मृगों की भरमार है। बगदरा अभ्यारण्य मे कृष्ण मृगों की धमाचौकड़ी 1 नवम्बर से 30 जून तक देखी जा सकती है। यानी यही समय उपयुक्त हैं। बाकी अन्य समय मे भी देखा जा सकता है। लेकिन इसमें असुविधा ज्यादा होगी खासकर बरसात के समय तो वहां तक पहुचना ही कठिन होगा। सीधी से बीछी बगदरा मार्ग में बने गड्ढ़े और कच्ची सड़क से इस मौसम मे रास्ता पार कर पाना टेढ़ी खीर ही होता है। इसलिए वहां कोई जाना चाहे तो नवम्बर से लेकर जून महीने के बीच ही जाये अभ्यारण्य मे जाने पर रूकने के लिये वहां दो कमरे का वन निरीक्षण

टी.आर.एस. कॉलेज, रीवा (म.प्र.)

कुटीर मिलेगा इसके अलावा सिहांवल लौट कर आने पर लोक निर्माण विभाग का रेस्टहाउस रूकने के लिऐ उत्त्ज्ञाम रहेगा। बगदरा अभ्यारण्य घूमने के लिए निजी वाहन का होना आवश्यक है। वाहन नहीं होने पर फिर पैदल ही चलना होगा। हाँ यदि कोई भी वी.आई.पी हुआ तो उसे वाहन मिल सकता है। लेकिन उसकी भी कोई भी गांरटी नही है। इसलिए कृष्ण मृगो की धमाचौकडी देखने के लिए आवश्यक होगा कि खुद का वाहन हो। बगदरा अभ्यारण्य कृष्ण मृग देखने जाने वाले लोग रास्ते में पडनें वाली सोन नदी में घड़ियालों का दर्शन कर सकते हैं।

वर्दी राज्य में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य

बहरी के आगे उत्तर की ओर मुडने पर जोगेदहा में सोन घड़ियाल दर्शन की व्यवस्था है। यहाँ सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की तरफ से दूरबीन आदि का प्रबंध किया गया है जहां जाने पर सोन के किनारे खड़ें होकर घड़ियालों को देखा जा सकता है गर्मी के मौसम में घड़ियाल बिना दूरबीन के ही दीख जाते है नदी के किनारे रेत में धूप का आनंद लेते घड़ियालों का दर्शन रोमांचक होता है हलाकि वहां आदमी के आने की आहट पर घड़ियाल बाद में पानी में कूद जाते है फिर भी ऐसा नही है कि चार–छः घड़ियाल न दिखे फिल हाल सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का गठन भी ढाई दशक पहले हुआ था, जब से अभ्यारण्य का गठन हुआ तब से घड़ियालों के संरक्षण एवं सवंर्धन के लिऐ विशेष कार्य हुआ। मसलन अभ्यारण से जहां रेत निकासी प्रतिबंधित की गई है। वहीं मत्स्याखेट आदि पर भी प्रतिबंध है। फिर घड़ियालों के सवंर्धन के लिए शासन हर वर्ष लाखों रूपए खर्च करता है। ताकि इन्हें बचाया जा सके और इनके वंश विलुप्त न हो। खैर जोगदहा के पास घड़ियाल दर्शन के बाद यदि कोई आराम करना चाहे तो वहीं पास में ही जोकहा में रेस्टहाउस मिल जाऐगा। जहां थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे की यात्रा कि जा सकती है। कुल मिलाकर बगदरा अभ्यारण्य जाने पर कृष्ण मृगों की कुलांचे तो दिखेंगें ही, रास्ते में घड़ियालों के दर्शन हो जाऐंगें मार्ग में स्थति घड़ियाल अभ्यारण्य के कारण ही बगदरा की यात्रा यादगार हो जाती है। वैसे भी जो कोई जाता है तो वह निश्चित तौर पर दोनो स्थान पर जाता है, खासकर बाहरी पर्यटक तो इन सबका आनंद लेकर ही जाते है। जो भी हो यहां अभी तक केवल प्रकृतिक सौंदर्य ही पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केन्द्र है, शासकीय तौर पर अभी ऐसा कुछ भी नही किया गया जिससे कुछ अलग से दिखे जाहिर है इस ओर पर्यटन विभाग कुछ करे तो निश्चित ही यह क्षेत्र बाहरी पर्यटको को आकर्षित करने में काफी हद तक सफल हो सकता है। गिरीश चतुर्वेदी के साथ श्री शिवकेश द्विवेदी, लौकेश ओझा, शालिक राम द्विवेदी, एवं गणेश द्विवेदी भी साथ में बगदरा एवं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का भ्रमण करे थे। और घड़ियालों को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सिंह, कु. अनिता–सीधी जिला में. सती व्रत प्रतिमाओं का एक ऐतिहासिक अध्ययन, (अप्रकाशित)

चौहान, सन्तोष सिंह–वर्दी राज्य इतिहास के झरोखे में, दैनिक जागरण, 4 अगस्त 1998 सितम्बर सन्तोष सिंह–सीधी इतिहास के आइने में, नवभारत,

संतोष सिंह चौहान–अनिल कुमार सोनांचलम् नमामि, सीधी 2003

द्विवेदी, महेन्द्रमणि–बघेलखण्ड की दुर्ग निर्माण कला, इलाहाबाद, 2006

गौड़, रामभद्र–बघेलखण्ड का इतिहास, शहडोल

ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA Vol.-II

Comming in APRIL, 2015

A National Registered Research Journal

Quaterly Bilingual (English/Hindi)

We are provide a plateform for the publication of original unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Thesis and Book.

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

पं0 केशरी नाथ त्रिपाठी की काव्य-रचना

डॉ. अजय शुक्ल

गरिमा मण्डित जिन्दगी, तालमेल विख्यात।
यू.पी. में अध्यक्ष थे, विधानसभा सु ज्ञात।।

सु नवम्बर चौतीस में, तिथि दस अतिशय धन्य।
जन्म इलाहाबाद में, महापुरुष अतिमन्य।।

सचमुच प्रतिभा पुरुष हैं, मानवता की शान।
लघु से लघु भी व्यक्ति का, करते हैं सम्मान।।

पाँच बार सु सदस्य थे, विधानसभा सु ज्ञात।
विधिवेत्ता विख्यात अति, कीर्ति परम अवदात।।

राज्यपाल हैं इस समय, शुचि पश्चिम बंगाल।
परम दिव्य व्यक्तित्व है, प्रतिभा बड़ी विशाल।।

कवि, लेखक के रूप में इनका अति सम्मान।
हिन्दी, अंग्रेजी उभय, के प्रसिद्ध विद्वान।।

हरिश्चन्द्र जी पिता थे, शिव देवी माँ जान।
अद्‌भुत उनकी साधना, का फल तनय महान।।

पत्नी सुधा सु धन्य है, बच्चे उनके तीन।
नमिता, नीरज, निधि, सु क्रम बच्चे दम्भ विहीन।।

नीरज भी हैं पितावत्, विधिवेत्ता विख्यात।
मौलिक चिन्तक दिव्य अति, प्रतिभा अति अवदात।।
राष्ट्र समर्पित व्यक्ति को मेरा अनत प्रणाम।
सहृदय प्रतिभा के धनी कीर्तिमूर्ति सु ललाम।।

कह सकना सम्भव नहीं निष्कलंक गुणगान।
यशस्विता, विद्या धनी-शब्दातीत बखान।।

सहायक प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (झारखण्ड)

गौरववान विवेक है अनुशासन की मूर्ति।
सागर अक्षयकीर्ति के अमर रहेगी कीर्ति।।

जीवन कर्मठता भरा-अति अद्‌भुत सम्मान।
परम पुंज आलोक के को करि सकै बखान।।

सक्रियता शुचि सौम्यता-कठिन साधना शान।
मानवता उत्थान के परम सरस इंसान।।

विद्वता, सौहार्द तथा अपूर्व शालीनता की प्रतिमूर्ति पं0 केशरी नाथ त्रिपाठी राजनीतिक चिन्तक के साथ सहज दिव्य कवि भी हैं। काव्य सृजनानुभूति भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। मनोनुकृति सन् 1999, आयु पंख सन् 2001 तथा चिरन्तन सन् 2003 के उनके त्रय प्रतिष्ठित काव्य ग्रंथ हैं। इसके साथ ही साथ उन्मुक्त और निर्मल दोहे भी उनके काव्य संग्रह हैं।

राजनीति, न्याय और समाज-सेवा में सफल एवं सक्रिय दायित्व निर्वहन करने वाले त्रिपाठी जी काव्य प्रणयन में विशिष्ट स्थान रखते हैं। मनोनुकृति 1999 उनकी प्रथम काव्य संग्रह कृति है। मनोनुकृति अर्थात् मन की अनुकृति करना कोई सहज कार्य नहीं है। पं0 केशरी नाथ त्रिपाठी ने मनोनुकृति में मन के सूक्ष्म कार्य व्यापारों की जीवन्त झाकियाँ प्रस्तुत किए हैं। अनुभूति के झंझावातों का जिस खूबी के साथ उनकी रचना में चित्राङ्कन है वह हर सहृदय को प्रभावित करने में सहज समर्थ है। आप के व्यक्तित्व और रचनाओं में अनूठी पारदर्शिता दृष्टिगत होती है। इस सन्दर्भ में अधोलिखित पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं।

माटी की दीवार पर,
टपकटा हुआ छप्पर,
इसे महल कहें या मड़ैया
यह स्थिति का अन्तर।
साँचे में ढली पकी मिट्‌टी
महलों में अटारियों में,
जब चुन जाती है,
उसकी सुगन्ध खो जाती है,
जहाँ रिश्ते तो बनते हैं
पर अपनापन पराया है।

यह रचना समूचे युग के समाज में व्याप्त विसंगतियों से जुड़ी हुई है। मर्म स्पर्शी सृजक की अतीव सूक्ष्म अनुभूतियाँ बहुत गहरी है। इस सन्दर्भ धुआँ रचना का एक अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

पर भूख की आग
पेट को जलाती है,
धुआँ नहीं बनाती
कभी घर से बेघर

कभी लावारिस बनाती है,
जिसका चूल्हा नहीं होता,
उसे चिता नहीं जला सकती
नियति उसकी लाश को
नदी नाले में बहाती है।

मनोनुकृति कृति में रचनाकार राजनीति में रहकर भी उसी के खिलाफ मोर्चाबन्दी कर अपूर्व साहस का परिचय देता है।

मानवीय मूल्यों के प्रति उदात्त समर्पण इस महामानव की बड़ी ऊँची उपलब्धियाँ हैं। यह रचना सूक्ष्म दृष्टि और युगीन विसंगतियों से जुड़ी हुई है। कवि का मन मनोनुकृति के 'क्षुधित' अंश में हमारी व्यवस्थाओं की विसगंतियों को झकझोर देने में अपूर्व समर्थ है-

भले हिमालय कितना भी ऊँचा उठता हो
कुछ का चिपका पेट अभी तो खाली है
हो न सकी जो शान्त उदर की अन्तर्ज्वाला
बड़ी योजना मुद्रित शब्दावलि खाली है

(क्षुधित-मनोनुकृति)

कवि युग द्रष्टा मनोनुकृति में निष्ठुर कविता के माध्यम से मानव जीवन की सफल त्रासदी उकेरी गई है। देखें

यह दीवारें यह छत
मेरे साथ रोई हैं
मैंने अपनी लाश
अपने कन्धों पर ढोई है।

निष्ठुर मनोनुकृति समाज विरोधी, स्वार्थी व्यक्तियों से संघर्ष करने वाले लोगों को वेदमंत्रों में सूर्य कहकर सम्बोधित किया गया है।

''असौ का आदित्यः कविः''

शतपथ ब्राह्मण 6-7-2-40 ऋग्वेद में भी कवि को अपूर्व ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है-

कवयः कान्त दर्शिनोऽध्ववादयः।

(ऋगवेद 3.8.4)

गीता में तो कवि को सर्वज्ञ कहकर सम्बोधित किया है। गीताकार के अनुसार

कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः।
सर्वस्य धातारयचिन्त रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।।

गीता अध्याय 8 श्लोक 9

दिव्य ग्रंथ गीता के व्याख्याकारों ने कवि का अभिप्राय 'सर्वज्ञ' निर्दिष्ट किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वार्जन को भोगता है। अस्तु पण्डित जी का मानवता वादी होना उनके पूर्वार्जनांत वर्तमान के दिव्य कर्मों का फल है।

धुआँ शीर्षक में कवि का अन्तर्मन देखें-

धुआं कहीं का हो
चिता का या चूल्हे का
जलन की पीड़ा है......

अन्तिम दो पंक्तियों में दिव्य समाधान देखें-

तो ढूढ़ें कोई उपचार
ताकि कोई न मरे बेघर-बार

संवेदना उदात्त नैसर्गिक तत्त्व है। अन्तः करण से सम्बन्धित होने के इसका असर सीधे-सीधे हृदय से जुड़ जाता है। मानव को सही अर्थों में मानव बनाने में संवेदना ही समर्थ हैं। समग्र विश्व में व्याप्त संवेदनाशून्यता की दुःखदायी विडम्बना में आज मानव किस प्रकार की जिन्दगी जी रहा है-उसकी अनूठी पकड़ कवि के शब्दों में यहाँ द्रष्टव्य है।

''मैने नहीं देखा
कि मानवता पारदर्शी है
संवेदना की मार
यहाँ दुनिया प्रियदर्शी है
नींव के पत्थर
इमारतों का बोझ सहते हैं
स्वर उनकी कराहों के
कभी नहीं उभरते हैं।

मैं वह इन्सान हूँ
जो रोज मर जाता हूँ
और श्मशान पर जाकर
रोज जी जाता हूँ
फिर भी बार-बार गुनगुनाता हूँ
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।

(कर्मण्येवाधिकारस्ते-मनोनुकृति)

मनोनुकृति के 'क्षुधित' अंश में अतीव सुकोमल कवि का मन हमारी व्यवस्थाओं की विसंगतियों को झकझोर देने में परम समर्थ हैं-

भले हिमालय कितना भी ऊँचा उठता हो
कुछ का चिपका पेट अभी भी तो खाली है
हो न सकी जो शान्त उदार की अन्तर्ज्वाला
बड़ी योजना मुद्रित शब्दावलि खाली है

वस्तुतः सच्चा कवि शिववत् आशुतोष होता है। भौतिक रूप से चाहे उसके पास देय वस्तु कुछ न हो परन्तु मानवता की ऐसी अमूल्य वस्तु का दान करता है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती है।

गीत है अर्पण तुम्हें
यह अर्चन के फूल जैसा
लो तुम्हीं को यह तुम्हारे
शब्द अर्पित
भाव अर्पित

(अर्पण-मनोनुकृति)

चिरन्तन—कवि की अपनी प्रियकृति चिरन्तन में, सामाजिक विकृतियों विखण्डित अभिव्यक्तियों और राजनीतिक विषमताओं का सहज गहन स्वरूप विद्यमान है। यह कृति आत्मा परमात्मा की अभेदता, असार भौतिक युगीन मानवीय संवेदनाओं का क्षरण, मानवीय मूल्यों का लोप एवं जीवन की विकृति का चित्रण है। ऐसी ही मानवीय विकृति का चित्रण यहाँ अवलोकनीय है-

आदमी इतना प्रदूषित हो गया है
भेड़िये खाने से कतराने लगे हैं।

कवि निर्मल मन का हिमायती है। इस सन्दर्भ में उनका एक दोहा-प्रस्तुत है।

मन को अपने स्वच्छ कर सभी स्वच्छ हो जाय।
कलुष अगर मन में रहें, तभी तमस हो जाय।

यही नहीं कवि ने असमानता, विषमता और भरी युगीन अव्यवस्था को भीतर से देखा है-

''मुझ को भी अच्छा लगता है-कर्मों की परिणति में फलना।''

(चिरन्तन)

त्रिपाठी जी सहज मानवीय संवेदना के कवि हैं। उनकी प्रवाह, प्रवेग और प्रेषणीयता से परिपूरित कविताओं में सर्वत्र भाषिक सौन्दर्य है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति गहन लगाव तथा स्नेह है साथ ही साथ वे मानवता के प्रति सर्वभावेन समर्पित साहित्यकार हैं। आप की विचार धारा राजनीति से कुण्ठित नहीं है। यही कारण है कि आप बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। त्रिपाठी जी के अन्दर तर्क एवं भाव का अपूर्व अन्योन्याश्रित संयोजन है।

राजनीतिक अशान्ति उनके सर्जक कवित्व पक्ष को कभी बाधित नहीं करती है। वस्तुतः त्रिपाठी जी में जन्मजात काव्य प्रतिभा का गुण हैं जो पूर्वाजन की थाती है। शरीर से कृश काय होते हुए मानसिक रुप से आप दृढ़ हैं। अपने अतीव व्यस्त क्षणों में भी काव्य सृजन उनकी अनोखी उपलब्धि है। उनका यह प्रदेय हिन्दी साहित्य को आलोकित करता रहेगा। तर्क प्रधान में संवेदनशीलता के अभाव को उनका व्यक्तित्व सर्वथा खारिज करने वाला व्यक्तित्व है। मृदुता इनकी जैसे शाश्वत जीवन्त धरोहर है। मृदुवादी और शालीनता के उत्कृष्ट समन्वयमूर्ति हैं। त्रिपाठी की सर्जनात्मक अनुभूति को जब अभिधा नहीं सम्भाल पाती है तो सद्यः वहाँ लक्षणा और व्यंजना को उतरना पड़ता है। राजनीति का लाशों पर इठलाना उनके लाक्षणिक विम्ब का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप कविताओं में सर्वत्र छन्द का अनुशासन सहज रूप से विद्यमान है। मनोनुकृति उनके मन के दर्पण पर पड़ने वाली आकृति प्रकृति की सुसफल प्रतिछाया है।

आयु पंख-आयु पंख में 51 रचनाएँ हैं। यह उनका दूसरा काव्य संकलन है। कवि के अन्तर मन को खुले आकाश की ओर अग्रसरित करने वाली उत्कृष्ट कृति है। यद्यपि इसका रचना संसार विचित्र

विविधता से भरा हुआ है जिसमें कहीं अर्न्तदर्शन, कहीं वाल्य तारुण्य और कुछ वार्धक्य की स्मृतियों से सजी हैं, जिसमें उनका विशिष्ट दृष्टिकोण है। कवि के स्मृति लोक में रसीले विम्ब विराजमान है। यह राष्ट्रीय चिन्तन संयुक्त कविता संग्रह है। इसमें राष्ट्रीय चरित्र के खोखलेपन के प्रति चिन्ता जतायी गई है। इस कृति में कवि सनातन मूल्यों के अवमूल्यन पर अपार दुःखी दृष्टिगत होता है। कवि के शब्दों में, ''जीवन मूल्यों की ध्वजा लिए दशरथ का वह राम कहाँ है? जकड़ रही है यहाँ नग्नता नारी का सम्मान कहाँ है? शील धारिणी, जनक सुता, वैदेही का वह मान कहाँ है?

कवि की बलिदानी-शहीदों से घनी आस्था है। उनकी इन्हें दी गई श्रद्धाञ्जलि अपने अध्येताओं को झकझोर कर तुरंत किंकर्त्तव्यविमूढ़ कर देती है।

सुभाष, भगत, आजाद, लाहिड़ी
बिस्मिल, राजगुरू, बंकिम की
सौगन्ध शहीदी रक्त बूँद की
विश्व मंच के हर कोने पर
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्
वन्देमातरम् हम गायेंगे।

''शोध-चेतना'' रिसर्च जनरल का अगला अंक अप्रैल, 2015 में प्रकाशित होगा। उक्त अंक के प्रकाशन में आप अपना **''शोध पत्र''** भेजकर **हिन्दी भाषा** *(कृति देव फान्ट एवं टाइप साइज 14)* **व अंग्रेजी भाषा** *(टाइम्स न्यू रोमन एवं टाइप साइज 12)* में प्रकाशित करवा सकते हैं।

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

सभी धर्मो के प्रति दारा शिकोह का समभाव

डॉ. सुधा सोनी

दारा शिकोह का जन्म सन् 1615 में अजमेर में हुआ था। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था और वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। दारा के बचपन में शाहजहां ने उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। जब दारा अठारह वर्ष का हुआ तब शाहजहां ने उसे सन् 1633 में 12000 जात और 6000 सवार का मनसबदार बना दिया। दारा के कार्यो और स्वभाव से खुश होकर शाहजहां ने सन् 1657 ई0 में उसे 60000 जात और 40000 सवार का मनसबदार बना दिया। अभी तक ऐसी पद की उन्नति और इतना ऊंचा मनसब किसी भी मुगल राजकुमार या सम्राट के सम्बन्धी को प्राप्त नहीं हुआ था।

दारा को मनसबदार बनाने के अलावा शाहजहां ने उसे विभिन्न प्रांतों का सूबेदार भी वियुक्त किया था। सन् 1645 में सम्राट ने उसे इलाहाबाद का, सन् 1647 में पंजाब प्रांत का, सन् 1649 में गुजरात प्रांत का और सन् 1652 में मुलतान और काबुल प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। सन् 1655 में शाहजहां ने दारा शिकोह को ''शाह बुलन्द'' की उपाधि दी।[1]

दारा शिकोह का हिन्दू धर्म वेदांत और हिन्दू संतों के प्रति भी झुकाव था। वह ब्राहमणों और योगियों के सम्पर्क में रहा करता था। अपनी अंगूठी पर उसने अल्लाह के पवित्र नाम की अपेक्षा, हिन्दुओं के पवित्र नाम ''प्रभु'' को लिखवाया था। इन कारणों से कई कट्टर मुसलमान उसे ''काफिर'' और ''मुलहिद'' कहने लगे थे।[2]

दारा शिकोह बहुत ही सुशिक्षित, सुसंस्कृत विद्यानुरागी और विद्वान था। वह फारसी, अरबी, तुर्की, हिन्दी और संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत के अनेक ग्रंन्थों का उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। उसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था और ''सिर-उल-असरार'' नाम से 50 उपनिषदों का भी अनुवाद तैयार करवाया तथा गीता पर एक टिप्पणी भी लिखी थी। वह सभी धर्मो के प्रति उदार और सहिष्णुता की भावना रखता था। वह बपने पूर्वज अकबर महान की उदारता तथा मानवीयता नीति का अनुयायी था। यद्यपि वह इस्लाम धर्म की रस्में निभाता था परन्तु वह हिन्दुओं के साथ हिन्दू और ईसाइयों के साथ ईसाई के समान व्यवहार करता था। वह पादरी बुश की बातें श्रद्धापुर्वक सुनता था तथा ईसाई धर्म के बाइबल को भी बड़ी रूचि के साथ सुनता था। उसने इस्लाम, हिन्दू, ईसाई तथा यहूदी धर्म की ग्रंथों का अध्ययन किया तथा सब धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों का ज्ञान होने के कारण उसका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार और व्यापक हो गया था।[3]

दारा का उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों तथा हिन्दू अनुयायियों के बीच प्रेम शंति की स्थापना कर हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच की खाई को पाटना था। वह दोनों धर्मों से ऊपर उठ चुका था उसने कहा

प्राध्यापक (इतिहास), शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कि ईश्वर के नाम के जो अनाम है, परन्तु जो किसी अभष्ट नाम से अपने को प्रकट करता है, उस प्रियतम की असीम स्तुति की जाये जो अनुपम सुन्दर मुख पर हिन्दू धर्म और इस्लाम को धारण किये हुये हैं। जो दो अभिमुखी बिन्दुओं की भाँति एक-दूसरे के विपरीत है, जो परमात्मा इन दोनों में से किसी को अपने मधुर मुख पर आवरण नहीं बनने देता है। हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों उसकी खोज में है दोनों यह घोषित करते हैं कि वह एक अद्वितीय है, वह सर्वत्र विराजमान है, वह आदि है, वह अन्त है और उसके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं है।[4]

1. बहुत्व में एकत्व का सिद्धांत

दारा विभिन्न धर्मों के एकत्व का समर्थक था वह विभिन्न धर्मो की एकत्व की बातों का चिंतन करता था। उसके मतानुसार उसके दार्शनिक अन्वेषण धार्मिक उपासना का अंग था। ईश्वर मनुष्यता में साकार है सभी ग्रंथ उसकी प्रार्थनाये हैं। उसको विश्वास था कि तौहीद अर्थात् अद्वैतवाद ने शुद्ध जल की भाँति विभिन्न पात्रों में विभिन्न रंग धारण कर लिये हैं अर्थात् विभिन्न धर्मों में जो केवल बाहर से भिन्न है परन्तु जो सार रूप से पूर्णतया एक है। उसका उद्देश्य था कि यह महान सत्य जन विख्यात हो जाये। उसे इस बात का भी विश्वास था कि इस सिद्धांत से धार्मिक कलह का जो भाव मनुष्य जाति के मर्म स्थलों का नाश कर रहा है भर जायेगा।

2. विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को अन्वेषण एवं इस्लाम के साथ उनका सामंजस्य

दारा शिकोह की रचनाओं से उसके दार्शनिक विशिष्टताओं का पता चलता है। दारा शिकोह की रचनाओं में दो पृथक-पृथक काल है। वह 1647 तक सूफी सिद्धांतों के अध्ययन चिन्तन में व्यस्त रहा।[5] दारा के धार्मिक विचार उदार एवं प्रगतिशील थे और उसकी निष्ठा सर्वेश्वरवाद दर्शन में थी। वह सूफी मत में विश्वास करता था और सूफी संतों का बड़ा आदर और सम्मान करता था। साधु संतों और दरवेशों की संगत में उसकी बहुत अधिक रूचि थी। उसके आश्रय में बड़े विद्वान और पंडित रहा करते थे जिन्हें वह अच्छा वेतन देता था। अपनी उदारता और नम्रता के कारण वह अधिक लोकप्रिय था।[6]

वह 1647 से 1657 तक विभिन्न धर्मों के अध्ययन एवं उनके अन्तर्गत निहित सिद्धांतो और इस्लाम के विश्वासों से उनके सामंजस्य में व्यस्त रहा। उसने अन्य धर्मों के मूल स्रोंतों का गंभीर अध्ययन किया तथा उनको फारसी में अनुवाद करके मुसलमानों के सम्मुख उसने प्राकृतिक शास्वत सत्य को प्रश्न के रूप में उपस्थित किया। उसने भगवतगीता को 78 अध्यायों में विभजित किया।

हिन्दी धर्म और इस्लाम धर्म का तुलनात्मक अध्ययन

दारा शिकोह को गंभीर अध्ययन के पश्चात इस बात का पता लगा कि हिन्दू और मुसलमानों में ईश्वर प्राप्त करने तथा ज्ञान के संबंध में उपायों और साधनों में अंशमात्र का भेद था। भाषा और अभिव्यक्ति का ही झगड़ा था। इस खाई को पाटने के लिये उसने (दो सागरों का सम्मिलन) मुज्जुअ-उल-बहरैन नामक ग्रंथ में सृष्टिवाद के उन मूल सिद्धांतों का संकलन किया जो ब्राम्हण धर्म और इस्लाम के समान है। डॉ0 कानूनगो लिखते हैं कि - 'भारत के दोनों आध्यात्मिक तत्वों का पारस्परिक बोध और उनकी दानों स्पष्टतया विरोधी संस्कृतियों के विवेचनात्मक अध्ययन के विभिन्न नवीन प्रयास आवश्यक है क्योंकि भारत का भाग्य इस पर निर्भर है।[7]

एकेश्वरवाद का सिद्धांत

दारा कहता है कि उसकी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा अत्यन्त उग्र थी और वह ऐकेश्वरवाद, तौहीद तथा कुरान के अनेक रहस्यों को समझना चाहता था। इसके लिये उसने इसाई धर्म ग्रंथ उलटे पलटे लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिली इसलिये उसने उन हिन्दू धर्म ग्रंथों का अन्वेषण किया जिसमें एकेश्वरवादी व्याख्या का संग्रह में है। इसलिये बनारस के सन्यासियों की सहायता से उसने इसका अनुवाद किया। उसने लिखा है कि अगर कोई भी कठिन समस्या उसके मन में आती थी जिसका निराकरण पूरी चेष्टा के बाद भी वह नहीं कर पाता था तो उसकी गुत्थी को इस प्राचीन ग्रंथ की सहायता से सुलझाने में वह समर्थ हो पाता था। उसका ग्रंथ ''सिरे अकबर या सिर्रूल अकबर'' एकेश्वरवाद के महासागर का उद्‌गम स्थल है।[8]

सुलह-ए कुल (सर्व शांति)

प्रशासन में शाहजहां धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाये हुआ था। इसके विपरीत दारा शिकोह ने अपने पितामह अकबर की ''सुलह-ए-कुल'' की नीति अपनायी।[9]

दारा की नीति अकबर की नीति की पोषक थी। वह केवल कुरान को ही नहीं अपितु वेदों को भी 'ईश्वर वाक्य' कलामें इलाही मानता था। उसका धर्म कलाओं, विद्याओं का स्वस्थ ज्ञान का तथा निष्पाद आनन्द का प्रवर्तक था।

दारा लिखता है—''तू काबा में है और तुम सोमनाथ के मंदिर में है तू चेत्यालय में है, तू सराय में है। तू ही एक ही समय में प्रकाश भी है और पतिंगा भी है तू ही हाला और प्याला, तू ही ऋषि और मूख मित्र और अपरिचित व्यक्ति भी है।''[10]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बी0 एन0 लुनिया, मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (भाग-2) (सन् 1605 से 3707 तक) पृ0 218-219
2. बी0 एन0 लुनिया, मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (भाग-2) (सन् 1605 से 3707 तक) पृ0 220
3. बी0 एन0 लुनिया, मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (भाग-2) सन् 1605 से 3707 तक) पृ0 220
4. कानूनगो, के0 आर0 पृ0 60
5. कानूनगो, के0 आर0 पृ0 60
6. बी0 एन0 लुनिया, मुगलकालीन भारत का राजनितिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (भाग-2) पृ0 220
7. कानूनगो. के0 आर0 पृ0 68
8. कानूनगो, के0 आर0 पृ0 68
9. बी0 एन0 लुनिया, मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अनुवाद पृ0 220
10. तरीकुल हकीकत।

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

भारतीय संस्कृति और नारी

सोनी कुमारी

प्राचीन काल से भारत की संस्कृति उच्च्व कोटि की मानी जाती है। इसके लिए इतिहास साक्षी है, धार्मिक ग्रंथ प्रेरणा का स्रोत है अथवा इसकी अच्छाई को बताने के लिए खड़ा है। भारतीय संस्कृति में नारी को शुरू से उच्च्व स्थान मिला है। वेदों में नारी को समान अधिकार मिला है कहीं-कहीं नारियाँ तो पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ पूज्यनीय माता और अधिष्ठात्री बनकर आयी है। चाहे वह गायत्री का रूप हो, लक्ष्मी का रूप हो, आदिशक्ति का रूप हो या किसी देवी का रूप हो हर जगह वह पूज्यनीया रूप में हमारे समक्ष आयी है। शायद इसीलिए लोगों ने उसे माता की संज्ञा दी है, देवी की संज्ञा दी है, पूज्यनीया बनाया, गृहिणी, लक्ष्मी सब कुछ बना दिया है। सतयुग में रेणुका हरिश्चन्द्र की पत्नी एक उच्च्व विचार की नारी है जिसने अपना सब कुछ देकर भी, कष्ट सहन कर भी सत्य की रक्षा करना उचित धर्म समझा। उसने कभी भी अपने पति को धन-दौलत, राजपाट अथवा कष्ट के लिए शिकायत नहीं की। इसी कारण वह उच्च्व कोटि की नारी बनी रही।

ठीक उसी प्रकार सती सावित्री ने अपने काल में सत्यवान को मन से स्वीकार कर लेने के बाद उसकी मृत्यु निकट समझ कर भी उसे स्वीकार किया, उसने अपने भाग्य को कोसा और उसने धार्मिक अनुष्ठान के बल पर, अपनी ईश्वरीय प्रार्थना के बल पर पति को मृत्यु की मुख से छीन लिया, वह कभी अधीर नहीं हुई, उसने अपनी लगन, निष्ठा और श्रम से यमराज को भी हरा दिया, भगवान से वैचारिक युद्ध किया और उन्हें भी वचन से परास्त करके पति को बचाकर ले आई। ऐसी थी आदर्श नारी सावित्री। शायद इसी कारण भारत की महिलाएँ उसकी कृति को भूल नहीं पाई, उसी के संस्कार को अपनाने का बार-बार प्रयास किया और उसी के समान बनने की इच्छा प्रकट की और उसकी याद में पर्व-त्योहार करना भी स्वीकार किया। ऐसे सतयुग में और बहुत-सी ऐसी ही नारियाँ है। जिसने अन्तिम समय तक अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, चाहे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों न हो जाए। परन्तु वह अपना संस्कार नहीं भूल पाई। उसी प्रकार की नारियों में सुदामा की पत्नी सुशीला का भी नाम लिया जा सकता है। जिसने अभावग्रस्त जीवन व्यतीत किया, पीड़ाग्रस्त जीवन काटा परन्तु कभी घबराई नहीं, ऐसी भारतीय नारियाँ जिसने अपने संस्कार को कभी भुलाने की भूल नहीं की है। ऐसी ही नारियों में रूक्मिणी, जामवन्ती, सत्यभामा,

---

शोधार्थी, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (झारखण्ड)

द्रौपदी, विदुर की पत्नी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। गंधारी भी एक आदर्श नारी थी जिसने अपने पति के साथ-साथ अपना जीवन भी अन्धकारमय बना लिया लेकिन अपने सुन्दर नारी संस्कृति का सुन्दर परिचय दिया है। ऐसी ही है हमारे देश की नारियों की स्थिति, नारियों का चारित्रिक भावनाएँ और नारी सोच, जिसे हम कदापि नहीं भूल सकते।

मध्यकाल में आकर नारियों के चरित्र में कुछ विशेष परिवर्त्तन दिखाई पड़ता है। उसमें अपनी निष्ठा रक्षा की भावना जाग पड़ती है, शायद इसी कारण द्रौपदी बार-बार अपने प्रतिद्वन्द्वि, दुष्ट, दुर्जन इत्यादि को फटकार बताती है, परन्तु अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेती है। कई बार दुर्योधन, कर्ण और जयद्रथ ने द्रौपदी को पतिता बनाने का दुःसाहस किया परन्तु हर-बार वह उसकी सत्यनिष्ठा, पतिव्रता धर्म के समक्ष नहीं टिक सका। इसी प्रकार इन्द्र ने अहिल्या को भ्रष्ट करने का प्रयास किया था परन्तु वह भी अपनी पतिव्रता के कारण भ्रष्ट होने से बच गई और इन्द्र को शाप दे गई परन्तु अपनी प्रतिष्ठा का हनन नहीं होने दिया। मध्यकाल में ही सीता भी श्रेष्ठ नारियों में गिनी जाती है। सीता उच्च्व विचार की संस्कारित महिला थी जिसने जीवन में कभी भी राम के सिवा किसी गैर के सम्बन्ध में, सपने में भी नहीं सोचा था परन्तु रूपवती होने कारण शक्तिशाली रावण ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया और विनाश के कगार पर जाकर रहा। ठीक इसी समय बालि पत्नी तारा और रावण पत्नी मन्दोदरी भी उच्च्व कोटि की संस्कारवती नारी थी ऐसे मेधनाद की पत्नी भी पतिव्रता नारी मानी जाती है। इन सब नारियों ने कभी भी अपने संस्कार को भुलाने का प्रयास नहीं किया। मध्यकाल की नारियाँ सत्ययुग की नारियों से कुछ विशेष क्रान्तिकारी दिमाग की प्रतीत होती है परन्तु अपनी विनयशीलता, भद्रता और सज्जन स्वभाव के कारण कभी भी संस्कार हीनता का परिचय नहीं दिया है। फिर भी सतयुग की नारियों से त्रेता और द्वापर की नारियाँ थोड़ी भिन्न प्रतीत होती है। स्वाभाविक है मनुष्य को समय के अनुकूल बदलना पड़ता है। मानव में दुर्जनता जैसे - जैसे बढ़ती गई, वैसे-वैसे नारियों में स्वरक्षा हेतु आन्तरिक भावनाओं में विशेष परिवर्त्तन होता गया। यह समय की माँग थी, रक्षा की पुकार थी और नारी भावना का उच्च्व आदर्श जब मनुष्य सहन करते-करते ऊब जाता है तो उस समय उसमें एक प्रकार का बदलाव आता है। वही बदलाव समय के साथ नारियों के स्वभाव में भी आया। इसे उसका दोष नहीं कहना चाहिए, बल्कि आत्मरक्षा की विशेष गुण कहना चाहिए। महाभारत काल में नारियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ उसका मूल कारण एक मात्र दुर्योधन था, गलत भावना सिर्फ मन में ही नहीं बिठाया बल्कि अपने अनुयायियों के दिमाग में भी बिठा दिया था जिसके कारण नारियों से फटकार और शाप का भागी बनना पड़ा। यह उचित ही था कि नारियों ने अपने बल पर, अपनी रक्षा, अपने संस्कार से कर लिया अन्यथा वह भ्रष्ट हो जाती।

एक दूसरी तरफ मध्यकाल में नारी ने सहन की भी सीमा को भी तोड़ दिया। ऐसी नारी में कृष्ण माता देवकी का नाम लिया जा सकता है। बहुत सोचने की बात है। आखिर वह कितनी सहनशीलता नारी थी जिसने अपने नवजात शिशु को अपनी आँखों के सामने पत्थर पर पटक कर मारने की पीड़ा भी सहन कर ली। धन्य है वह सहनशीलता की देवी जिसने अपने कलेजे पर धैर्य का कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। दुनिया की बहुत कम ऐसी नारियाँ है, जो इतनी बड़ी पीड़ा को सहन कर पाएगी। फिर भी उस माता ने अपनी संस्कृति विशेष का परिचय दिया था जिसके कारण कभी-कभी कंस को भी हैरत होता था। धन्य है ऐसी नारियाँ जिसने इतना बड़ा कष्ट सहन कर लिया।

इसी काल में अन्य नारियों में कुन्ती, माद्री, गंधारी और अन्य नारियों के संस्कार में कुछ विशेष परिवर्तन हुआ। मानव स्वभाव स्वार्थ का पुतला होता है जो स्वार्थ के कारण कुछ अच्छा-बुरा कदम भी उठा लिया करता है। उन्हीं नारियों में कुन्ती माद्री इत्यादि अनेक नारियों का नाम आता है। ये नारियाँ शैव्या की तरह सहनशीलता, विनम्र कष्ट साधक नहीं है। धीरे-धीरे मानव की बुद्धि में परिवर्तन तो हुआ ही है जिसमें इन नारियों का विकास भी शामिल है। ये सारी बातें नारी संस्कृति को दर्शाती है, उनका परिचय देती है और भिन्न-भिन्न समय में नारियों के संस्कार को बताती है।

आज नारी स्वतंत्रता की खोज में दिग्भ्रमित है। भारत का दुर्भाग्य है कि नारी नये किस्म से पराधीन हो रही है। समकालीन समाज में नारी प्रतिभा को विकास की कसौटी माना गया है। परन्तु कितना दुर्भाग्य है, जो नारी जितना ही देह प्रदर्शन कर सके, वह उतनी ही प्रतिभावान है। आज नारी देह प्रदर्शन उद्योग का दर्जा ले लिया है। यही उसका आदर्श बनता जा रहा है। मॉडलिंग चाहे, साबुन ही का हो, निरमा, टूथपेस्ट हो या चाय सभी में शिक्षित नारी उपयोग की जा रही है। नारी में पश्चिमी सभ्यता का बढ़ता प्रभाव, विलासिता, धन लिप्सा स्वच्छन्दता जैसे दोष बढ़ते जा रहे है। आश्चर्य की बात है कि ये दोष अशिक्षित नारी की तुलना में शिक्षित नारी में अधिक है। आज हर लड़की मिस यूनिवर्स मिस इण्डिया का सपना देख रही है। प्रतिभा के इस नये मानक के खिलाफ नाजोगी बुल्फ ने जेहाद छेड़ा है कि "यह नारी की समूची क्षमताओं की देह तक सीमित करने वाली खतरनाक साजिश है।"

आज भारत में मॉडल नारी की नहीं स्वच्छन्द नारी की नहीं, वरन एक आदर्श, विचारशील, मर्यादित, आदर्श परायण, शिक्षित, नारी की जरूरत है। यही नारी की वास्तविक स्वतंत्रता है। नारी को इस प्रकार जीवन जीने की जरूरत है, जिससे वह आत्मा का यंत्र बन सके। उसमें शील, नेतृत्व, वीरता, ऊँचे आदर्शो, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है सभी परिवार, समाज, देश विकास की दूरी तय कर सकेगा। भारत में अनेक महिला संगठन, संस्थाएँ, नारी मुक्ति, उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। सरकार भी

महिला शिक्षा व साक्षरता का अभियान चला रही है। आवश्यकता, अभियान की नहीं यथार्थ की है। नारी विभिन्न विज्ञापन, मॉडल आदि में दुरूपयोग पर प्रतिबंध की आवश्यकता है। शिक्षित नारी स्वतंत्रता के पथ पर चले, किन्तु पथ भ्रष्ट, धर्म लिप्सा से ग्रसित, उपभोक्तावाद संस्कृति के उपयोग की वस्तु न बने, बल्कि चरित्रवान बनकर समाज, परिवार, देश के विकास में सहयोग प्रदान करें।

नारी, नारी होकर भी मातृत्व व पत्नीत्व की भूमिका निभाते हुए सर्वप्रथम मनुष्य है, मानवी है। मानवता के अधिकार, व दायित्व को संभाले तथा आने वाले भविष्य व नई पीढ़ी को बेहतर, मानवीय मूल्यों, संस्कारों से समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करें। भारत में शिक्षा अभियान के नये यथार्थ की जरूरत है। अगर इसे वास्तविक रूप में लागू कर अमल में नहीं लाया गया तो महिला शिक्षा मात्र राजनैतिक स्तर बन कर रह जायेगी। यह प्रोग्राम भी साक्षरता अभियान की तरह, मात्र औपचारिकता बन कर रह जायेगा। कागजी आंकड़ो में हो लाभ मिलेगा परन्तु वास्तविकता कोसो दूर दिखेगी। अतः समाज, परिवार और देश के हित में यही है कि सर्वप्रथम समाज को शिक्षित किया जाय, विशेष रूप से महिलाओं को, तो इससे देश का सर्वांगीण विकास होगा।

संदर्भ

1. नासिरा शर्मा — औरत के लिए औरत, सामयिक प्रकाशन 3320-21 जटवाड़ा, नेताजी, सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, 2007
2. रमेश एवं संज्ञा उपाध्याय — आज की स्त्री आन्दोलन, शब्द संधान प्रकाशन उपाध्याय, संज्ञा दिल्ली, 2004
3. डॉ0 चन्द्रमोहन अग्रवाल — भारतीय नागरी : विविध आयाम, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा-1, उ0प्र0 संस्करण, 1994
4. रत्नशंकर प्रसाद — प्रसाद वाङ्मय, द्वितीय खण्ड, प्रसाद प्रकाशन, प्रसाद मंदिर, वाराणसी, 1990-91
5. प्रो० कुसुमलता केडिया एवं प्रो० रामेश्वर प्रसाद मिश्र — स्त्रीत्व धारणाएँ एवं यथार्थ, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2004

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

संस्कृतनाटकेष्वन्यतमं 'प्रसन्नराघवम्'

डॉ. उमाकान्त मिश्र

नाटकं नाम काव्यविशेषः। काव्यं खलु कविकर्म। कविशब्दस्य कोऽर्थः इति विचारणायां कवते कौति कुवते (=शब्दायते) इति कविरिति वैयाकरणी निरुक्तिः। उपनिषदि च परमात्मनः कृते 'कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू' रिति वर्णनं दृश्यते। युक्तं च एतल् लोकोत्तरप्रतिभाऽन्वितस्य वेदरूपस्य शब्दराशेः सम्पादकत्वेन जगदीश्वर एव अनुपमः कविः।

तच्च कविकर्मरूपं काव्यं द्विविधं भवति — दृश्यं श्रव्यं चेति। तस्य च अभिनीयमानस्य दृश्यकाव्यस्य पुना रूपकोपरूपकभेदेन द्वैविध्यम् अवलोक्यते। तत्र रूपकं नाटकादिभेदेन दशविधं भवति उपरूपकं तु नाटिकादिभेदेन अष्टादशविधम्। पुरातनभारते स्मरणाऽतीतकालादेव नाटकं लब्धप्रचारम् इति अर्थं केऽपि बुधवरा द्वापरपरा न भविष्यन्ति इति आशासे।

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यौ गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि।।

इत्थं नाट्यशास्त्रे भरतमुनिर् वेदचतुष्टयान् नाटकोपकरणनिर्माणं स्फुटीचकार। तत्रैव - शिवस्ताण्डव-नृत्यं भवानी लास्यं विष्णुश्च नाट्यरीतिं प्रददौ, भरतमुनिश्च नाट्यशास्त्रं प्रणीय नरलोके अस्य प्रचारम् अचीकरद् इति वर्णितं वर्तते।

प्रकारद्वयसमन्विते काव्ये नाटक एव अभिनीयमानत्वेन गद्यपद्यमयत्वेन संगीतसमन्वितेन च काव्यद्वयस्यैव आस्वादः अनुभूयते। तत्राऽपि अभिनेयाऽर्थस्य लोचनगोचरत्वेन नाटकस्य एव प्रमाणे प्रभावविशेषोत्पादकत्वम्। एतद्वैपरीत्येन श्रव्यकाव्ये तु श्रुतिमात्रविषयत्वेन अनुमानस्य इव न तथाविधप्रभावाऽतिशयव्यञ्जकत्वम् आस्वाद्यते। अतएव उक्तं लोकविश्रुतैः अभियुक्तैः — 'काव्येषु नाटकं रम्यमि'ति। संस्कृतवाङ्मये मर्यादापुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य पवित्रं चरित्रम् अवलम्ब्य सन्ति भूयांसि नाटकानि तानि यथा — महावीरचरितम्, उत्तररामचरितं, कुन्दमाला, अनर्घराघवं, बालरामायणं चेत्यादीनि। तेष्वेव अस्य प्रसन्नराघवाऽभिधानस्य नाटकस्य अन्यतमं स्थानम्। अत्र कमनीयं कल्पनाकौशलम् असमानं रसनिवेशनं च कस्य सहृदयस्य हृदयं न आवर्जयति? यथा उत्तररामचरिते चित्रदर्शन द्वारा रामवनवासचरितं प्रदर्शितं तथैव अत्राऽपि बालिसुग्रीवकथा गंगायमुनासरयूसंवादतो निबद्धा, रामचन्द्रकर्तृक हिरण्यहरिणाऽनुसरणं हंसवर्णनतो निदर्शितम्। एवं च गोदावरी सागरसंलापप्रसङ्गितो जानकीहरणं जटायुहननम् ऋष्यमूकपर्वते मैथिलीकृतं भूषणमोचनं च सूचितम्।

अस्य नाटकस्य भाव-कला-अभिख्ययोर् उभयोरपि पक्षयोः परमरमणीयत्वेन उत्तरकालोद्भूतैः कलाकारैः आलङ्कारिकैश्च अनुकरणोद्धरणकरणैः स्वस्वकृतयः समलङ्कृता इत्ययं विषयः साहित्यपरिशीलनविपश्चितां कवीनाम् अतिरोहितः। तथाऽपि द्वित्रैर् उदाहरणैः अस्य असाधारणता अत्र स्फुटीक्रियते।

विभागाध्यक्ष - संस्कृत, शा.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

लोकोत्तरप्रतिभाप्रकाशेन रामचरितमानसकारेण तुलसीदासेन बहुषु स्थलेषु अस्य अनुकरणं व्यधायि। तद्यथा — पुष्पवाटिकायां सीतारामयोः मिथः साक्षात्कारो भार्गवलक्ष्मणयोः उक्ति प्रत्युक्तयः। एवमेव पद्येऽपि द्वयोः ग्रन्थयोः उदजीव्योपजीवकभावः कुत्रचिद् दृश्यते।

यथा प्रसन्नराघवे—

(1) चन्द्रहास! हर मे परितापं, रामचन्द्रविरहाऽनलजातम्।
त्वं हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्णं, धारया वहसि शीतलमम्भः।। (प्रसन्न. 6-33)
रामचरितमानसे–चन्दहास! हरु ममतापं, रघुपतिविरह अनल संजातम्।
शीत निशा तव असिवरधारा, कह सीता हरु मम दुखभारा।।

(2) **प्रसन्नराघवे–**उदर्कभूतिमिच्छद्भिः सद्भिः खलु न दृश्यते।
चतुर्थी चन्द्रलेखेव परस्त्रीभालपट्टिका।। (प्रसन्न. 7-1)
रामचरितमानसे–'सो परनारि लिलार गोसाई,
तजहु चौथ चन्दा की नाई।।'

(3) **प्रसन्नराघवे–**यस्मादेकगुणं शरासनमिदं सुव्यक्तमुर्वीभृता-
मस्माकं, भवतां पुनर्नवगुणं यज्ञोपवीतं बलम्।।
रामचरितमानसे—
देव एक गुन धनुष हमारे।
नवगुन परम पुनीत तुम्हारे।।

(4) **प्रसन्नराघवे–**बाणस्य बाहुशिखरैः परिपीड्यमानं
नेदं धनुश्चलति किञ्चिदपीन्दुमौलेः।
कामातुरस्य वचसामिव संविधानै-
रभ्यर्थितं प्रकृतिचारु मनःसतीनाम्।।
रामचरितमानसे–भूपसहसदस एकहिं बारा/लगे उठावन टरइ न टारा।
डगइ न संभु सरासन कैसे/कामी बचन सतीमन जैसे।।
एवमेव आचार्यकेशवदासेनाऽपि
'रामचन्द्रिका'-इत्यस्थां स्वीयरचनायां
खलूपजीव्यत्वेन स्वीकृत्य प्रसन्नराघवं समधिगता कृतार्थता। यथा—

(1) **प्रसन्नराघवे**–"अङ्गैरङ्गीकृता यत्र षड्भिः सप्तभिरष्टभिः।
त्रयो च राजलक्ष्मीश्च योगविद्या च दीव्यति।"
रामचन्द्रिका–अंग छ सातक आठक सौ भव तीनिहु लोक मे सिद्ध भई है।
वेद त्रई अरु राजसिरापरिपूरनता सुभ जोग मई है।

(2) **प्रसन्नराघवे**–यः क्राञ्चनमिवात्मानं निक्षिप्याग्नौ तपोमये।
वर्णोत्कर्षं गतः सोऽयं विश्वामित्रो मुनीश्वरः।।
रामचन्द्रिका–जिन अपनो तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि में
कीन्हो उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्राये।।

(3) **प्रसन्नराघवे**–कान्ते नाथ प्रणयमधुरं किञ्चिदाचञ्चलेन
श्रान्ता श्रान्ता जनकतनया वल्कलस्याञ्चलेन।
चक्रे वीतश्रमजलकणस्निग्धमुग्धाननश्रीः
श्रान्तः श्रान्तः स पुनरनया लोचनस्याञ्चलेन।।
रामचन्द्रिका–मग कौ श्रम श्रीपति दूर करै सिय के,
सुभ बारकल अंचल सों।
श्रम तेऊ हरैं तिनकौ कहि केशव
चञ्चल चारु हगंचल सों।।

एतच्च दिग्दर्शनमात्रं, बहुषु काव्येषु अस्य प्रभावो व्यापकरूपेण विततः, परं समुचिताऽवकाशाभावेन अत्र बाहुल्येन न प्रतन्यते। साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथकविराजेन अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्वनेः उदाहरणत्वेन प्रसन्नराघवस्य श्लोकोऽयम् उदाहृतः—

कदली कदली, करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः
भुवनत्रितयेऽपि विभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः।।
(प्रसन्न. 1-37)

इत्थमेव शार्ङ्गधरपद्दतौ रसाऽणवसुधाकरे च अस्य बहूनि पद्यानि उद्धृतानि। अत एतैः उदाहरणैः अस्य महाकवेः लोकप्रियकृतौ संशयलवोऽपि न आसाद्यते। तदस्य नाटकस्य प्रणेता किम् अभिधानः, कस्मिन् समये प्रादुरभूत, कतमं च जनपदं स्वजनुषा समलञ्चकार इति संशीतौ संक्षेपेण यथोपलब्धं कश्चित्समाधिः आधीयते।

प्रसन्नराघवस्य प्रणेता सुगृहीतनामधेयो जयदेवकविः। अन्येषां बहूनां विदुषाम् इव अस्याऽपि सविस्तरः संस्तवः अनवबोध-गर्भपतित एव संलक्ष्यते। तत्र एकस्तावद् गीतगोविन्दकारो जयदेवः, स च उत्कलदेशीय आसीत्। अयं काव्यकारः सेनवंशाऽवतंसस्य लक्ष्मणसेनस्य सभास्तार आसीद् इत्ययं विषयो निम्नस्थपद्याद् अवसीयते—

गोवर्द्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः।
कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च इति।।

बहूनां लब्धवर्णानां संरक्षणेन विश्रुतोऽयं बङ्गाऽधिप आसीत्। अयं विक्रमस्य द्वादशशतके अभूदिति विचक्षणानां परामर्शः। अनेन गीतगोविन्दकारस्य जयदेवस्याऽपि अयमेव काल आपतति। अस्य माता रामादेवी पिता च भोजदेवनामा आसीद् इत्यस्य अधस्तनपद्याद् अवबुध्यते—

श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य।
पराशरादिप्रियवर्गकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु।।' इति

द्वितीयो जयदेवः शृङ्गारमाधवीयचम्पूप्रणेता अज्ञातपितृनामकः कृष्णदास-
इति उपपदविभूषितः।

तृतीयो जयदेवः चन्द्रालोककर्ता।

चतुर्थश्च प्रस्तुतनाटकस्य प्रसन्नराघवस्य कारकः। तत्र च चन्द्रालोककर्ता जयदेवो महादेवपुत्रः सुमित्रागर्भज आसीद् इत्यथं विषयः चन्द्रालोकस्य निम्नाङ्कितपद्याद् अवगम्यते—

महादेवः सत्र प्रमुखमखविद्यैकचतुरः।
सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिहितमतिर्यस्य पितरौ।
अनेनाऽसावाद्यः सुकविजयदेवेनरचिते
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः।। (1-16)

इत्थमेव प्रसन्नराघवस्याऽपि कर्तुः पिता महादेवो माता च सुमित्रा आसीद् इति वृत्तं निम्नस्थपद्यद्वितयाद् अवसीयते—

विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः
कुरङ्गाक्षीबिम्बाऽधरमधुरभावं गमयति।
कवीन्द्रः कौण्डिन्यः स त वजयदेवः श्रवणयो-
रयासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः।। (1-14)
लक्ष्मणस्येव यस्याऽस्य सुमित्राकुक्षिजन्मनः।
रामचन्द्रपदाऽम्भोजे भ्रमद्भृङ्गायते मनः।। (1-15)

प्रसन्नराघवकविविषयके नटाऽनुयोगे प्रस्तावनायाम् इदं पद्यद्वितयमपि सूत्रधारेण पठितमस्ति। अनेन कवेः मातृपितृपरिचयो रामचन्द्रभक्तत्व कौण्डिन्यगोत्रप्रसूतत्वं च अवगम्यते। इत्थं च चन्द्रालोककारस्य प्रसन्नराघवनिर्मातुश्च उभयोरपि कविवरयो मातापित्रोः नामसादृश्येन ऐक्यं प्रतीयते। अत्र च द्वयोः ग्रन्थकारयोः पद्यशैल्याः सदृशत्वम् अपि इमं विषयं निर्विशयं प्रतिपादयति। एवं च प्रसन्नराघवकारस्य कवितातार्किकत्वम् अपि अधस्तनेन पद्येन अवगम्यते। तद्यथा—

येषा कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती
तेषां कर्कशतर्कवक्रवचनोद्गारेऽपि किं हीयते?
यैः कान्ताकुचमण्डले कररुहाः सानन्दमारोपिता-
स्तैः किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शराः।।

(प्रसन्न 1-18)

इत्थमेव चन्द्रालोककारेण अपि अप्रतीतदोषलक्षणोदाहरणाऽवसरे तर्कशास्त्रमात्रयुक्तं वीताऽनुमानादिपदं निदर्शितम् इति।

'स्यादप्रतीतं शास्त्रैकगम्यं वीताऽनुमानादिवत्' एतेन अस्य चन्द्रालोककारस्य अपि तार्किकत्वं स्मृतिपथम् आयाति इति एतावद्भिः प्रमाणैः अलङ्कारनाटककारयोः जयदेवयोः तादात्म्ये संशयलेशस्याऽपि नास्त्यवसरः। अधुना कविवर्यस्य समये सन्देहः समुपतिष्ठते।

कविवर्येण अनेन चन्द्रालोके काव्यलक्षणप्रस्तावे काव्यप्रकाशकृतो मम्मटभट्टस्य मतं खण्डितम्। स च मम्मटभट्ट उदात्तलक्षणोदाहरणे धारानगरीशं भोजनरेशम् अस्मरत्पद्येऽस्मिन्—

'मुक्ताः केलिविसूत्रव्यवहारगलिताः समार्जनीभिर्हृताः
प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थरचलद्बालाङ्घ्रिलाक्षाऽरुणाः।
दूराद्दाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केलीशुका
यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम्।।'
भोजस्य च प्रादुर्भावकालो वैक्रमद्वादशशतकम्।

एवं च मम्मटभट्टस्य वैक्रमद्वादशशतकसमनन्तरवर्तित्वं प्रतीयते। जयदेवस्य च मम्मटभट्टाऽनन्तरभावित्वं निश्चीयते।

साहित्यदर्पणकारस्य च पूर्वोदाहृतप्रसन्नराघवपद्यसमुद्धरणात् जयदेवपश्चाद् भावित्वम् अवसीयते। साहित्यदर्पणकारस्य समयस्तु विक्रमपञ्चदशशतकमितः परिगणितः। अतो विक्रमपञ्चदशशतकपूर्ववृत्तित्वं जयदेवस्य समर्थितं भवति।

शार्ङ्गधरपद्धतावपि प्रसन्नराघवस्य बहूनि पद्यानि उट्टङ्कितानि। स च ग्रन्थो विक्रमस्य विंशत्यधिके चतुर्दशशतके गुम्फितः। एवं च जयदेवेन अलङ्कारसर्वस्वकर्त्रा रुय्यकेन कल्पितस्य विकल्पालङ्कारस्य चन्द्रालोके शब्दश उल्लेखोऽकारि इत्यतो वैक्रमात्सप्तदशाऽधिक-द्वादशशतकाद् अस्य पूर्ववर्तित्वं न संभाव्यते।

एवमेव वैक्रमे सप्ताशीत्यधिकत्रयोदशशतके विद्यमानेन शिङ्गभूपालेन स्वकीये रसाऽर्णवसुधाकरे प्रसन्नराघवपद्यानि समुल्लिखितानि। एतावता प्रमाणनिकरेण विक्रमस्य त्रयोदशस्य चतुर्दशस्य च शतकस्य मध्ये अयं कविवर आविर्बभूव इति उन्नीयते।

अयं जयदेवो मैथिलब्राह्मण आसीद् इति बहूनां मैथिलविपश्चितां परामर्शः। परे त्वियं विदर्भस्य कुण्डिनपुरे वासम् अकरोद् इति ब्रुवन्ति। तस्य चाऽस्य जयदेवस्य महाकवेः 'पीयूषवर्ष' इत्यपरा अमिख्या समभूद् इति निम्नस्थेन पद्यांशेन स्फुटम् अवगम्यते—

'चन्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षःकृती।' केचित्तु अयमेव जयदेवः 'पक्षधरः' इति नामधेयमपि दधार इति वर्णयन्ति।

अस्य महाकवेः चित्रकाव्येऽपि कृतित्वम् आसीद् इति प्रथमाङ्कस्य सप्तमात् पद्याद् अवगम्यते। निम्नलिखित पद्ये कवित्वे द्रुमत्वम् आरोप्य कीदृशम् असाधारणं कल्पनाकौशलम् आकलितम्—

'बीजं यस्य चिरार्जितं सुचरितं
प्रज्ञा नवीनोऽङ्कुरः....' (प्रसन्न. पृ. 21)

कवीनां गुणग्राहकत्वं कीदृशेन चमत्काराधायकेन प्रयासेन वर्णितम्—

'अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः'
परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः।
निजघन-मकरन्द-स्यन्द-पूर्णालवालः ।।
कलशसलिलसेकं नेहते किं रसालः?।। (प्रसन्न. 1-19)

कवितायां कीमिनीत्वम् आरोप्य कीदृशः
कमनीयो वाग्विलासः प्रकाशम् आसादितो जयदेवेन—

यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः, कर्णपूरो मयूरः...
भासो हासः, कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः
केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय।। (प्रसन्न. 1-22)

एवमेव प्रथमाङ्के स्वयंवरस्य वर्णनं बन्दिरावणयोः संलापो वाणरावणयोः समरसंरम्भश्च कस्य सचेतसश् चेतश् चमत्कारचित्रितं नो विदधाति।

सीताग्रहणप्रवणचेतसो रावणस्य उद्यमे मारीचाक्रन्देन अन्तरायपाते कविना कीदृशं मतिपाटवं व्यदर्शि इति महद् एतत्प्रमोदनपदम्। द्वितीयाऽङ्के भिक्षुतापसवेषयोर्निशाचरयोः संलापः समानकार्यत्वं च चेतश्चमत्करोतितराम्। सीतावर्णनपरं रामपठितं पद्यमिदम् उक्तिपाटवेन अनुप्रासप्रकर्षेण च मानसं प्रमद पद्यायां निदधाति—

बन्धूकबन्धुरधरः, सितकेतकाभं
चक्षुर्मधूककलिकामधुरः कपोलः।
दन्तावली विजितदाडिमबीजराजि-
रास्यं पुनर्विक च पङ्कजदत्तदास्यम्।। (प्रसन्न. 2-8)

अत्र नाटके महाकविना जयदेवेन उत्तररामचरितम् एव उपजीव्यत्वेन कवित्वशैल्याम् अवलम्ब्य लेखनी प्रयोजिता इति सूक्ष्मेक्षिकया पर्यालोचनेन स्फुटं प्रतीयते। पद्येष्वपि बहुषु स्थलेषु उत्तररामचरितस्येव चमत्कारप्रकारः प्रदर्शितः। यथा तत्र विदूषकस्य उद्भावनं न तथैव अत्राऽपि यथा तत्र यज्ञियाऽश्वस्य वर्णनप्रसङ्गेन हास्यरसस्य उन्मेषः तथैव अत्राऽपि। तृतीयेऽङ्के वामनककुब्जकसंलापावसरे हास्यरसः स्फुटीकृत इत्यपि वर्णनीयो विषयः। रामे जनकमनोरमणं कीदृश्या रमणीयया विधया कविना उपस्थापितम्—

यथाऽहं निस्सीमोत्सवसुभगभोगे भवकथा-
पथातीते चेतः प्रणयिनि रमे पुंसि परमे।
तथैवाऽस्मिन् बाले! दलदमल नीलोत्पलदलो-
दरश्यामे रामे नयनपदवीमागतवति।। (प्रसन्न. 3-22)

चतुर्थाऽङ्के हरधनुर्भञ्जने परशुरामभ्रमः, परशुरामलक्ष्मणयोर् उक्तिप्रत्युक्तयः उत्तरोत्तरं मानसम् उत्कलिकाऽऽकुलं विदधति। रामप्रतिपादितं कुलक्रमागतं ब्राह्मणेष्वदण्डनं कीदृशेन वाग्विलासेन प्रसाधितम्—

हारः कण्ठं विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठारः
स्त्रीणां नेत्राण्यधिवसतु वा कज्जलं वा जलं वा।
सम्पश्यामो ध्रुवमिव सुखं प्रेतभर्त्तुर्मुखं वा
यद्वा तद्वा भवतु न वयं ब्राह्मणेषु प्रवीराः।। (प्रसन्न. 4-23)

परशुरामस्य शान्ति - आधानाऽर्थं रामस्य एतद्वचनं कीदृशं वाक्पटिमानं प्रथयति—

क्व परशुरशुभस्ते? कुत्र गोत्रं पवित्रं?
क्व धनुरिदमुदग्रं? निर्मलं कुत्र शीलम्?
घनसमरकराला कुत्र नाराचहेला?
कुशकिसलयलीला कुत्र वा पर्णशाला? (प्रसन्न. 4-32)

निम्नलिखितपद्ये मातुलकुलागतस्य भरतस्य मात्रा सह संवादे तातभ्रातृविषयकाऽनुयोगः कीदृश्या चमत्कारकारिण्या शैल्या सरयूमुखात् समुपवर्णितः—

'मातस्तातः क्व यातः? सुरपतिभवनं, हा! कुतः? पुत्रशोकात्
कोऽसौ पुत्रश्चतुर्णां? त्वमवरजतया यस्य जातः, किमस्य?
प्राप्तोऽसौ काननाऽन्तं, किमिति? नृपगिरा, किं तथाऽसौ बभाषे?
मद्वाग्बद्धः, फलं ते किमिह? तव धराऽधीशता, हा! हतोऽस्मि।

(प्रसन्न 5-18)

कीदृशी इयं जानकीकरुणापरायणता वर्णिता—

भीतं विलोक्य हरिणं करुणार्द्रचित्ता
पत्युर्निजेन पिदधे धनुरंशुकेन।
केदारसीम्नि सदयं च यवप्ररोह—
मादाय साधु विदधे श्रवणावतंसम्।। (प्रसन्न. 5-23)

षष्ठेऽङ्के त्रिजटाकृतं सीतासमाश्वासनं रावणकर्तृकं सीताऽनुनयनं सीताकृतं रावणप्रत्याख्यानं च कवेरनुपमां वाग्वैदग्धीम् आख्याति। एवमेव कोपाकुलस्य दशग्रीवस्य करतले पवनतनयसमर्पितम् अक्षकुमार कपालमपि कवेरनुपमां प्रतिभां प्रदर्शयति। सीताऽर्थं सन्देशरूपेण रामप्रेषितं निम्नस्थं श्लोकद्वयमपि कालिदासस्य मेघसन्देशं स्पर्धमानं साहित्यजगति अनुपमानं गौरवं बिभर्ति—

हिमांऽशुश्चण्डांऽशुर्नवजलधरो दावदहनः
सरिद्वीचीवातः कुपितफणिनिश्वासपवनः।
नवा मल्ली भल्ली, कुवलयवनं कुन्तगहनं,
ममत्वद्विश्लेषात्सुमुखि! विपरीतं जगदिदम्।। (प्रसन्न. 6-43)
कस्याख्याय व्यतिकरमिमं मुक्तदुःखो भवेयं
को जानीते निभृतमुभयोरावयोः स्नेहसारम्।
जानात्येकं शशधरमुखि! प्रेमतत्त्वं मनो मे
त्वामेवैतच्चिरमनुगतं तत्प्रिये! किं करोमि।। (प्रसन्न. 6-44)

तत्रैव प्रक्रान्तो विक्रान्तो विक्रान्तवरेण्यस्य हनूमतो विक्रमोऽपि चित्ते महान्तं विस्मयक्रमम् आदधाति।

सप्तमाऽङ्के पुलस्त्यशिष्यस्य माल्यवत्परिचारकस्य करालकस्य च संवादप्रसंगेन विभीषणकृतं रावणप्रबोधनं धर्मनीतिपरिपूरितं वर्तते। एवमेव प्रहस्तहस्ततो रावणकृतं रामशौर्यचरित्रस्य चित्रे दर्शनं कस्य चित्तं नाकर्षति।

अन्योक्तिरूपेण रावणप्रबोधनार्थं मन्दोदर्या अस्याम् उक्तौ कीदृशी चतुर्यचारुताम् आविष्करोति—

मा होहि णाअबइणो परिहवमेत्तेण गव्वणिव्वूढो
वसुहमिमं गिरिसंकडं महन्द! सरहस्स ठान्दणो पत्तो।
(प्रसन्न. 7-17)

नाटके युद्धदर्शनस्य निषिद्धत्वाद् विद्याधरदम्पत्योः संलापमुखाल् लङ्कासमरवृत्तान्तः कविकुञ्जरेण रमणीयप्रकारेण वर्णितः। दशवदननिधनोदन्तो विद्याधरवदनात् कविवरेण कीदृश्या मञ्जुलया शैल्या स्फुटीकृतः—

विकचकुसुमस्तोमाकीर्णे परागविभूषितः
शशिमणिशिलातल्पेऽनल्पे सलीलमशेत यः।
अयमयमसौ रोषारूढेक्षणं रघुनन्दने
भुवि दशमुखः शेते धूलिच्छटा परिधूसरः।। (प्रसन्न. 7-52)

अन्ते च रामलक्ष्मणसुग्रीव विभीषणकृतानि चन्द्रोदयादिवर्णनानि परममधुरया विधया चेतःसमाकर्षन्ति।।

अतो नाटकरत्नस्य अस्य परिशीलनेन मतिरस्माकं दृढ़ा भवति यन्महाकवेर्जयदेवस्य वाणी प्रसादगम्भीरतापरिपूरिता वर्तते। नाटकस्यास्य अवगाहेन दृश्यस्य श्रव्यस्य चोभयोरपि काव्ययोः रसः समास्वाद्यते इति।

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

स्वतन्त्रतान्दोलने आर्यसमाजस्योगदानम्

डॉ. सूर्य नारायण गौतम

यदासप्तपंचाशतोत्तररष्टादश ख्रिष्टाब्दे भारतीय वीरैः कृतः राष्टस्य स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनं असफलतामभजत्। वैदिशिकानां सत्ता भारतीयानां जनतां स्वपाशैः दृढ़बन्धनेन कृतः तदा भारत राष्टस्य स्थितिर्मृतजनमिव जाता। तदा राष्टस्य राजनैतिक विशये जनानां हृदौ नैराश्यता जाता। धार्मिक तथा च सामाजिक विशये हिन्दु धर्मावलम्बिनः पतनोन्मुखमासीत्। जनानां अशिक्षा, वालविवाहः, सतीप्रथा सदृशा कुरीतयः प्रस्फुटा च प्रसरिता आसन्। वैधव्यानां दुर्दशा अवर्णनीयासीत्, सती प्रथा प्रभृति अनेकानेक कुरीतयः राष्ट एवं राष्टीयतां पतनाय असंख्य अवैधानिक नियमाः प्रसरिताः आसन्। हिन्दुधर्मावलम्बि जनानां महती दुर्दशा जाता। तदा महर्शि दयानन्दस्य उद्भवोजातः। तेनावलोकितम् जगत्यां स्वर्गमिव मन्यमानं भारतस्य नारकीय स्थितिम्। तेन तस्मिन्नेव क्षणे समाजवादस्य स्थापनायाः दृढ़ संकल्पंकृतम्। तथा च अप्रिल मासस्य सप्त दिनांके पंच सप्ततितमे अष्टादश ख्रिष्टाब्दे मुम्बई नगरे संगठनमेकं स्थापितवान्। तस्य नामकरणं आर्यसमाजः अभवत्।

आर्य समाजस्य मुख्योद्देश्यं भारतवर्शे प्रसरिते रूढ़वादितां विनाशनं तथा च स्वस्थ्य एवं स्वाभिमानी समाजस्य स्थापनमासीत्। स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनस्य शंखनादं कृत्वा सर्वप्रथमम् भारतीय जनानां उद्बोधनम् दत्तवान् –

''विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो,
वह स्वतन्त्रता का विकल्प नही हो सकता''।

तेन अनेनैव क्रान्तिकारि विचारैः प्रभावितः असंख्य भारतीयाः तेशां अनुयायिनः संजातः। येशु लाला लाजपत राय, गोपालकृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंहः, चन्द्रशेखर आजाद, स्वमी श्रृद्धानन्द, स्वामी दर्शनानन्द, राजा महेन्द्र प्रताप, प्रभृति अनेकानेक वीराणां भूमिका अवर्णनीया चासीत्। तसिमन्नेव काले आर्य समाजस्य या गतिविधिः आसीत् तमेव भारतवर्शस्य पूर्णक्रान्तिं कथितुम् शक्नुमः। यथा–

आर्य समाजस्य राजनैतिक क्रान्तिः–

महर्शि दयानन्दस्य नेतत्वे आर्यसमाजः एकोनविंशति ख्रिष्टाब्दे स्वतन्त्रता आनदोलनं गतिं प्रदानाय, सद्यः स्वराज्य स्थापनार्थम् उद्घोशं कृतवान्। स्वराज्यस्य भावना तथा वैदेशिकानां राज्यस्य विरोधस्वरूपं सम्पूर्ण भारतीय जनानां पूर्णोत्साहेन आमन्त्रितः। आर्यसमाजस्य राष्टवादि, समाजवादि, मानववादि, प्रवचनैः आकृष्टा जनाः आबालवृद्धजनाः धन–जन–प्राणादिकं चिन्तां विहाय स्वतन्त्रता आन्दोलने निमग्नो संजाताः।

वेदाचार्य, शास.वेंकट संस्कृत महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

को न जानाति स्वनामधन्यः भगतसिंहस्याभिधानम्। मार्च मासस्य त्रयविंशति दिनांके एकविंशोत्तर उनविंशतिख्रिष्टाब्दे सार्धत्रय वर्शाणि व्यतीतानिकारागारे यदा मृत्युदण्डस्य समाचारं श्रृण्वति जनाः तदा अचेतो भवन्ति, परं च अत्र तु कथा एव अद्वितीया आसीत्। भगत सिंहः मृत्युदण्डस्य समाचारे श्रुत्वा प्रफुल्लितः हर्शितश्चासीत्। तेन सह राजगुरुः तथा च सुखदेवः आस्ताम्। त्रयो मि़त्रो मिलित्वा परस्पर हृदयालिंगनमकुर्वन् अनन्तरम् गीतमेकं गीतवान्–

दिल से न निकलेगी मरकर वतन से ये उलफत।
मेरी मिट्‌टी से भी खुक्षबू ए–वतन आयेगी।।

वन्दीगृहाधीक्षकस्य पार्श्वे गत्वा मृत्यु दण्डस्य कृष्णकपाटं उन्मीलितवान्। आभ्यान्तर लाहौरस्थानीय उपायुक्तं दृष्ट्वा किंचित् विहस्य त्रयो उक्तवान्–

“will, mr-magistrate,yau are fartunte to tha able to doy to see how indin eeylutionarise can embrace death pleasure for the sake of their supreme ideal”.

अर्थात् भो आयुक्त महोदय्! भवानसि महाभाग्याः यत् स्वचक्षुभ्यां भारतीय क्रान्तिकर्तारं प्रसन्नमुद्रायां पश्यसि। इत्थं उक्त्वा त्रयो वीराः मृत्युक्रोडे मृत्यु रज्जुं स्वकीये कण्ठे समायोजितवान्।

आर्य समाजस्य धार्मिक क्रान्ति–

महर्शि दयानन्दस्य नेतृत्वे आर्यसामाजिकाः समग्रराष्टे व्याप्त अन्धपरम्परां पाखण्डं विनष्टं कृतवान् तथा पाखण्डि जनानां सिंहनादं कृत्वा सामान्य जनेभ्यः सत्यस्य मार्गं प्रसस्त्यं कृतवान्। यथा–मूर्तिपूजा खण्डनम्, नाना संम्प्रदायेशु नाना मतावलम्बिनानां ऊर्णनाभजालमिव उंझित जनानां पाखण्डेशु वहिः कृतवान्।

आर्य समाजस्य सामाजिक क्रान्तिः–

भारतीय समाजे जातीयतानां बाहुल्यमासीत्। जाति विभेदेन समाजः विखण्डितो आसीत्। बाल विवाह, बहुविवाह सदृशाः कुप्रथाः प्रसरिताः आसन्। आर्यसमाजः अकाट्‌य वैदिक प्रामाण्यैः सामाजिक क्रान्तिं कृत्वा स्वाधीनतान्दोलने महत् योगदानम् दत्तवान्। अस्मात् कारणात् स्वतन्त्रता आन्दोलने आर्य समाजस्य योगदानम् दृष्ट्वा एनी वे सेण्ट उक्तवती–

''स्वामी दयानन्द ही वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के लिए है'' का नारा लगाया था। आर्य समाज के लिए मेरे हृदय में शुभ इच्छायें हैं और उस महान् पुरुश के लिए मेरे हृदय में सच्ची पूजा की भावना है।।

।। इति ओ३म् शम्।।

1, ऋग्वेद 10.2.17.9

2, ऋग्वेद

3, ऋग्वेद 10.9.1

4, ऋग्वेद 10.9.1

5, ऋग्वेद 10.1.2

6, ऋग्वेद 10.1.3
7, ऋग्वेद 10.1.5
8, ऋग्वेद 10.1.6
9, ऋग्वेद 10.1.9
10, ऋग्वेद 10.2.17.10
11, ऋग्वेद 10.3.30.1
12, ऋग्वेद 10.3.30.3
13, ऋग्वेद 10.3.30.5
14, ऋग्वेद 10.3.30.6
15, ऋग्वेद 10.3.30.11
16, ऋग्वेद 10.3.30.14
17, ऋग्वेद 10.6.75.5

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

''पुराणेषु नारदीयपुराणस्य वैशिष्ट्यम्''

डॉ. देवेन्द्र कुमार तिवारी

अष्टादशपुराणेषु नारदीयपुराणस्य विशिष्टं महत्वं वरीवर्ति। अस्मिन् नारदीये पुराणे समेषां वेदांगानां विस्तरेण विवेचना कृता। वेदांङ्गानां वर्णनं सरसं सरलं प्रभावोत्पादक०च विद्यते। नारदीयपुराणस्याध्ययनेन विविधज्ञानविज्ञानानां वेदवेदांगानां शास्त्राणा०च सम्यग्ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् पुराणे महर्षिणा व्यासेन समेषां महापुराणानाम् परिचयात्मकं चित्रोपाख्यापनं विहितम्। नारदीयपुराणस्य पुराणानां परिचयः प्रामाणिको विद्यते। नारदीयपुराणस्य वेदांगानां चित्रणमपि तथैव महत्त्वपूर्णं वरीवर्ति। अस्य पुराणस्य दर्शनधर्मशास्त्रादीनां सम्बन्धिविषया अपि यथास्थलं सन्निरूपिताः सन्ति। वेदांगानां यथा विस्तृततत्वात् निरूपणमस्मिन् पुराणे लभ्यते न तथाऽन्यत्र।

नारदीयं पुराणं वैष्णवं पुराणं प्रोच्यते। अस्मिन् पुराणे वैष्णवानामनुष्ठानविधेस्तथाच तत्साम्प्रदायिकदीक्षादेश्च विस्तृतं विधानं वर्णितमस्ति। नारदीयपुराणे केवलं वैष्णवागमस्यैव वर्णनं न विद्यते अपितु पा०चरात्रानुष्ठानस्यापि संकेतो विद्यते, अतः इदं वैष्णवधर्मस्य विशिष्टं पुराणमुच्यते। अस्मिन् पुराणे उत्तरभागे केवलं वैष्णवसम्प्रदायस्यैव विशेषं स्थानं विद्यते, परं पुराणस्य पूर्वभागे सम्प्रदायवादस्य चर्चाऽपि नोपलभ्यते। नारदीयपुराणे समेषां पुराणानां यथा विस्तरेणविषयानुक्रमः प्रदर्शितोऽस्ति तेन प्रतीयते यदिदं पुराणं सर्वेषां पुराणानां पूरकं पुराणं वर्तते। नारदीयपुराणस्य पूर्वभागे चतुर्णामाश्रमाणां, चतुर्णां वर्णाना०च प्रतिपादनं विहितम्। आश्रमणामाचारविचारलोकव्यवहारादीनां च चित्रणमत्र विस्तरेणोपलम्यते। नारदीयपुराणमिदं श्राद्धकर्मणो विस्तरेण विवेचनं विदधाति। महापुराणस्य श्राद्धवर्णनं लोकानुग्राहि प्रामाणिक०च विद्यते।

नारदीये पुराणे सनत्कुमारनारदसंवादरूपेण भक्तेः विविधरूपाणां विस्तरेण वर्णनं विहितम्। भक्तिकारणादेव भगवान् विष्णुः मृकण्डुमहर्षेस्तनयरूपेण प्रादुर्वभूव। मृकण्डोस्तनयो मार्कण्डेयो भगवतोऽनन्यो भक्त आसीत्। सः हरेर्लीलां द्रष्टुं स्वाभिलाषं प्राकाशयत। नारदीये पुराणे गंगाावतरणस्य कथा विस्तरेण निरूपिता। गंगाया माहात्म्य०च विस्तरेण प्रकाशितमस्ति। गंगाविविधपापानां प्रक्षालिनी विद्यते। गंगायाः स्मरणमात्रेण समस्तानि दुरितानि दूरीभवन्ति। गंगा सर्वविधानां पापिनां तारिणी विद्यते। ब्रह्महत्यासमाः पापाः अपि गंगायाः स्मरणमात्रेण नश्यन्ति, पुराणस्यास्य गंगामाहात्म्यमयन्तमहत्वपूर्णं विद्यते। गंगा माहात्म्यवर्णनं सगरस्याख्यानं विस्तरेण सन्निरूपितमस्ति। गंगावतरणमाहात्म्यमिदं षडध्यायेषु विस्तेरण सन्निरूपितम्।

अतिथि प्राध्यापक–संस्कृत–साहित्य, शास.वेकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

नारदीये महापुराणे चतुर्णां वर्णानां निरूपणमत्यन्तं समुपादेयं विद्यते। अस्मिन् पुराणे धर्माख्यानावसरे दानस्य दानपत्रस्य च यथार्थं निरूपणं विहितम्। पुराणे प्रोक्तं यद् दानं श्रद्धया सत्कर्मरताय ब्राह्मणाय स्वयं समन्विष्य श्रद्धापूर्वकं दीयते, तद्दानं सात्विकमुच्यते। स्वर्गकामनया संसारसुखाभिलाषया सत्पात्राय यद् दानं प्रदीयते तद्दानं काम्यमित्युच्यते काम्यं दानं मध्यमं दानमुच्यते। दम्भेन विधिं परित्यज्य क्रोधपूर्वक०च यद् दानं प्रदीयते तद्दानामधममुच्यते। यथा–

''यद्दानं श्रद्धया दत्तं तथा विष्णुसमर्पणम्।
याचि वापि पात्रेण भवेत्तद्दानमुत्तमम्।
परलोकं समुद्दिश्य ह्यैहिकं वापि नारद।
यद्दानं दीयते पात्रे तद्दानं मध्यमं स्मृतम्।
दंभेन चापि हिंसार्थं परस्याविधिनापि वा।
क्रुद्धेनाश्रद्धया पात्रे तद्दानं मध्यमं स्मृतम्।1

नारदीयपुराणे देवमन्दिरनिर्माणस्य विशिष्टं फलं प्रोक्तम्। पुराणे प्रोवतं यत् यश्च विष्णुमन्दिरस्य निर्माणं करोति स मातृतः पितृतः कुलैः सह लक्षकोटिवर्षं यावत् विष्णुलोके तिष्ठति। स दिव्यं स्वरूपं प्राप्य विमानमारूह्य कल्पत्रयं यावत् विष्णुलोके सुखेन निवसति। कल्पद्वयं यावत् विष्णुलोके स्थित्वा तदनन्तरं ब्रह्मलोकमवाप्नोति। यश्च दारूणां मंदिरनिर्माणं करोति तस्य द्विगुणं फलं प्रोक्तम्। यश्चेष्टिकाभिः देवायतननिर्माणं करोति सः त्रिगुणं फलमवाप्नोति। पाषणेन मन्दिरनिर्माणस्य चतुर्गुणं फलं प्रोक्तम्। स्फटिकशिलाभिर्देवायतननिर्माणस्य चतुर्गुणं फलं भवति। ताम्रपत्रैर्मन्दिरनिर्माणस्य शतगुणं फलम् प्रोक्तम्। सुवर्णेन मन्दिरनिर्माणस्य कोटिगुणं फलं प्रोक्तम्। यश्च जलाशयस्य निर्माणं करोति सः देवायतननिर्माणात् शतगुणमधिकं फलं प्राप्नोति। यश्च वापीनिर्माणं करोति सः कूपात् शतगुणमधिकं फलं लभते। कूपनिर्माणात् मन्दिरनिर्माणापेक्षया चतुर्गुणमधिकं फलं लभ्यते। पुष्पवाटिका–निर्माणेन यावत्तत्र पुष्पाणि पत्राणि रोहन्ते तावत् सः स्वर्गे सुखं लभते। वाटिकायाः संरक्षाणार्थं कंटकावरणस्य प्राकारकस्य निर्माणेन युगानामेकसप्ततिं यावत् ब्रह्मणः स्थानं लभते।

नारदीयपुराणे तुलसीरोपणस्यानन्तं फलं प्रोक्तम्। तुलसीसमारोपणात् कल्पशतं यावत् नारायणे लोके सुखेन निवसति। तुलसीपोषणस्यापि विशिष्टं फलं प्रोक्तम्। यश्च शालिग्रामशिलायां तुलसीदलं समर्पयति सः कल्पं यावत् विष्णुलोके मोदते। यश्च शालग्रामशिलास्नानं कारयति सः कल्पं यावत् विष्णु लोके महीयते, एव०च पुराणे शालग्रामपूजनस्य विशिष्टं फलं प्रतिपादितम्। यश्च विष्णवे दीपदानं करोति सः सर्वपापैर्मुक्तो भवति। तस्य सर्वे मनोरथाः सिद्धयन्ति।2

नारदीये महापुराणे धर्मशास्त्रस्य निरुपणावसाने मनुष्याणां कर्तव्यस्य विस्तरेण निरूपणं विहितम्। मानवान् पापाचारात् निवर्तयितुं नरकाणां वर्णनं विहितम्। नरकाणां वर्णनावसरे विविधानां यातनानां निरूपणं विहितम्। पुराणे नारकाणां नामान्यपि प्रदत्तानि तपन–वालुकाकुम्भे–

महारौरव–रौरव–कुम्भीपाकनिरूच्द्ववास–कालसूत्र–प्रमर्वन–असिपत्रवन–लालाभक्ष–हिमोत्कट–मूषावस्था–वासकूप–वैतरणी–प्रभृतीनां प्रमुखानां नरकाणां नामानि सन्ति। एतेषां नरकाणां यातना अपि पुराणे विस्तरेण प्रतिपादिता। नारदीये पुराणे नरककारणान्यपि विस्तेरण निरूपितानि। नरकाणां वर्णनमिदं पापाचारान्निवर्तयितुं जनान् सन्मार्गे समानेतुं च विहितम्। पुराणे महापापानामपि निरूपणं कृतम्। पुराणे प्रोक्तं यत् ब्रह्मघाती, सुरापी स्तेयी, गुरुतल्पगः एते महापातकिनः सन्ति। एते घोरे नरके यान्ति पुराणे विविधानां पापानां निरूपणमपि विहितम्। जनान् धर्ममार्गमानेतुं नरकाणां तेषां यातनाना०च विस्तरेण निरूपणं कृतम्।

नारदीयपुराणे भगीरथस्य गंगानयनं संक्षेपेण निरूपितम्। तदनन्तरं व्रातानां निरूपणावसरे विष्णुव्रतस्य प्रतिपादनं कृतम्। चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां च विस्तरेण चित्रणं कृतम्। स्मार्तधर्मस्य तत्वानां निरूपणेन सहैव श्राद्धविधीनां चित्रणं कृतम्। तिर्थानां निर्णये प्रतिपदातः समारभ्य पूर्णिमापर्यन्तं तिथीनां ग्राह्यता प्रोक्ता। व्रतविधाने विविधेषु कार्येषु तिथीनामुपयोगविषये विस्तरेण निरूपणं विहितम्। तिथीनां व्रतं कथं विधेयम्। कथां उपवासादिकं कार्यं, सर्वं पुराणे चित्रितम्। विविधानां प्रायश्चित्तकर्मणामपि निरूपणं कृतम्। पापस्य प्रायश्चित्तं कथं कार्यमिति विस्तरेण सान्निरूपितं विद्यते। प्रायश्चित्तकारणेन किं स्यादित्यपि पुराणे निर्णीतम्। प्रायश्चित्तविधीनामपि पुराणे विस्तरेण चित्रणं कृतम्। अत्र प्रायश्चित्तस्य वैदिकविधीनामपि निरूपणं विहितम्। प्रायश्चित्तेन पापास्तथैव भस्मीभवन्ति यथा अग्नौ तृणानि भस्मीभवन्ति।

नारदीयपुराणे जनान् धर्माचरणाय प्रेरणा प्रदत्ता। पापकर्मणो परावर्तितुं। यममार्गेषु जायमानानां विविधानां पीडानां वर्णनं पुराणे कृतम्। पुण्यवान् धर्मात्मा महापुरुषोऽयाममार्गे सुखेन याति, किन्तु पापकर्माणो दुराचारिणः पुरूषा यममार्गे विविधान् कष्टानि प्राप्नुवन्ति अतः आत्मकल्याणाय मानवः सदाधर्माचरणमेव विदध्यात्। धर्माचारिणो जना यममार्गे सुखेन यान्ति। पुराणे भवाटव्या अपि निरूपणं लोकान् धर्माचरणाय प्रेरयाति। पापाचरणात् जनाः भवाटव्यामितस्ततो भ्रमन्तो विविधान् क्लेशान् सहन्ते। धर्मात्मानो जना भवाटव्यां यथासुखं समेधन्ते। पुण्यात्मनो जनाः भवाटव्यां नानाविधान् भोगान् सुखेनोपभु०जते। भवाटव्यां पुण्यात्मनो सुखोपभोगाय यान्ति। यावत्तेषां पुण्यं प्रवर्तते तावत् सुखेन निवसन्ति। पुराणे जनाः धर्माचरणाय प्रेरिताः धर्माचरणेन स्वर्गादीनां दिव्यलोकानां प्राप्तिः भवति। अतः सदा धर्माचरणं करणीयम्।

नारदपुराणे हरिभक्तेर्विस्तरेण निरूपणं विहितम्। मुक्तिप्राप्तये योगमार्गस्याश्रयणं परमावश्यकं प्रोक्तम्। योगमार्गेण जना अ०जसैव सिद्धिं लभन्ते। योगस्य प्रमुखानामष्टांगानां निरूपणमपि पुराणे विहितम्। यम–नियम– आसन–प्राणायाम–प्रत्याहारा–धारणा–ध्यान–समाधयो योगस्यष्टांगानि सन्ति। अहिंसासत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहऽक्रोधाऽनुसूयाः यमा प्रेक्ताः। योगमार्गे एतेषां सेवनं परमावश्यकं विद्यते। तपःस्वाध्यायसंतोषः शोचहरिपूजन–सन्ध्योपसनाप्रभृतयो नियमाः प्रोक्ताः। चन्द्रायणादीनां व्रतानां सेवनं तपः कथ्यते। मन्त्रादीनामनुष्ठानं धर्मशास्त्राणां वेदादीना०चाध्ययनं स्वाध्यायः कथ्यते। योगमार्गस्य सेवनादेव सर्वदा सिद्धिर्लभ्यते, योगमार्गस्य संसेवना०जना मुक्तिं भुक्ति०च प्राप्नुवन्ति। आत्मकल्याणाय सदा योगमार्गस्य समाश्रयणा कार्या। योगमार्गस्य सेवनाद् विविधाः सिद्धयः स्वयमायान्ति।1

नारदीयपुराणे परमतत्वस्य ज्ञानस्यापि निरूपणम् समुपलभ्यते। जितारिषड्वर्गाः योगेनदलिताशया शान्ताः ज्ञानयोगेन ज्ञानरूपिणं हरिं साक्षात्कुर्वन्ति। तीर्थस्नानव्रतदान. तपस्यादिभिरमलान्तकरणा विशुद्धाः जना कर्मयोगेन भगवदाराधनां कुर्वन्ति। लुब्धाव्यसन–लोलुपाः ज्ञानहीनाश्च जगत्पतिं नारायणं न भजन्ति, त एवास्मिन् जगति वृथाहंकारविदूषिताः परिभ्रमन्ति।

नारदीये महापुराणे विष्णुमाहात्म्यवर्णनमतीव रोचकं विद्यते। विष्णोः स्तुतिः श्रुतिमनोहारिणी विद्यते। स्तुतीनां माधुर्यं कस्य सचेतसो मनो न हरति। विष्णुमहात्म्यं कीर्तनानन्तरं युगधर्मस्य प्रतिपादनं कृतम्।

नारदीये पुराणे सृष्टितत्वनिरूपणे स्थावरजंगात्मकस्य सृष्टेरस्या निरूपणं कृतम्। सृष्टिरेषा कथं जातेति प्रतिपादितम्। पुराणे प्रोक्तं यन्नारायणादेव जगदेव तज्जातम्। नारायणादेव समस्तानि भूतानि जायन्ते म्रियन्ते च। तस्मान्नारायणादादौ शब्दान्महानुत्पद्यते तदेव सर्वभूतधरः आकाशशव्देनोच्यते। आकाशाज्जलं जलादग्निः अग्नेश्चवायुर्बभूव। नारदीयपुराणे तापत्रयविनाशकस्य योगरहस्यस्य चर्चा कृतावर्तते। योगरहस्येन मनसो भ्रमः सन्निवर्तते। योगरहस्यप्रसंगे श्रीमद्भागवतस्य प्रसिद्धं भरतोपारव्यानम् पुराणे प्रस्तुतीकृतम्। सुखदुःखोपभोगाय जीवः शरीरं धत्ते। जीवानामुत्पत्तिकारणभूतं कर्म एव विद्यते।

वेदांगानां प्रतिपादनं विधाय पुराणमिदं शुकस्य प्रामाणिकमैतिह्यं समुपस्थापयति। शुकस्य जन्मादीनां दृष्टचरपुराणस्य वर्णनमतीव हृद्यं विद्यते। शुकस्यैतिह्यं सन्निरूप्यात्राध्यात्मतत्वस्य लोककल्याणायात्र प्रकाशनं विहितम्। अध्यात्मतत्वानामुपदेष्टा वीतरागशिरोमणिर्व्यासात्मजः शुकदेवो विद्यते। अध्यात्मज्ञानमिदमत्यन्तं सरलं हृद्यं च विद्यते। अध्यात्मजिज्ञासूनां कृते समुपादेय०च वर्तते। संयमेन वेदाध्ययनं विनाध्यात्मज्ञानं सफलं न भवतीति पुराणे सम्यक प्रतिपादितम्। सनत्कुमारस्योप देशज्ञानस्य भक्तेः कर्मणां च विशुद्धं स्वरूपं तपस्या वेदांगानां परायणं विना नोपलभ्यते, अतः गुरुमुखात् वेदा अभ्यसनीयाः।

संदर्भ स्रोत :–

1. नारदीये पुराणे अ0 12/10–21
2. नारदीये पुराणे अ0 –13/20–60

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

ऋग्वेदीय साहित्ये जलदेवता स्वरूपम्

पतंजलि कुमार पाण्डेयः

सारांशः

ब्रह्माण्डे यत्किमपि द्रव्यरूपं स्यन्दनशीलं रसवदार्द्र मृदुंचास्ति तत्सर्वं जलमयत्वादेव वर्तते। संस्कृतसाहित्ये विविधरूपेशु जलं परिभाशितम्। ब्रह्मरूपेण मधुरूपेण अमृतरूपेण प्राणरूपेण रसरूपेण द्रव्यादिरूपेण जलस्य विविध परिभाशाः निहिताः। सर्वत्र व्यापकत्वात् ब्रह्मेति प्रसिद्धेः तन्मूलतत्व रूपेण ज्ञेयं, यत्सृष्टेः कारणभूतं निरवयवमखण्डं निराकारं निर्विशेशं चैतन्यमात्रं सत्स्वरूपमस्ति। आनन्दमात्रत्वात्सुख पर्यायकमित्युच्यते। जलमपि सृष्टेः कारणभूतं ब्रह्माण्डस्य आयनभूतंच मूलतत्वम् अस्ति यत् विश्वं व्याप्य तिष्ठति। द्रवरूपत्वान्निरवयम् अखण्डं च जलं स्वयं निराकारमाकार विशेशरहितं आश्रयभेदेन तत्तद्रूपेण गृह्यते। चेतनानां चैतन्य हेतुः आनन्दप्रदात्वात्मकं जलमित्युच्यते। हिरण्यगर्भ सूक्ते यस्य देवस्योपसना विहिता तद् कं जलब्रह्मैव नापरम्। हिरण्यगर्भ रूपेण यस्य प्रथमाभिव्यक्तिः तज्जलं द्यावा पृथिव्योः अन्तरिक्षे पाताल लोके च व्याप्तमस्ति। दार्शनिक सिद्धान्त दृष्ट्या जलस्य भेदद्वयम् भवितुमर्हति। शारीरिकं मानसिकं च। शरीरं वातपित्त कफ इति त्रिदोशात्मकम् इति आयुर्विदाः कथयन्ति। एतद्दृशा उद्दीप्त त्रिदोशशान्तये यानि द्रव्याणि प्रयुज्यन्ते तेशु जलस्योपभोगः क्रियते।

स्वरूपं नाम वस्तुनिष्ठ स्वभावः। तस्य पक्षद्वयं भवितुमर्हति–आभ्यान्तरं बाह्यन्च। आभ्यान्तरं स्वरूपं वस्तुनः आत्मभूतं तत्वं भवति। बाह्यन्च व्यक्तं शरीर–भूतम् अवयवसंस्थानेन युक्तं रूपाकारवत्वम् ज्ञेयम्। जलस्वरूप निर्णये तस्यात्मतत्वं रस इति वक्तुं शक्यते। रसात्मकं हि जलमिति प्रसिद्धम्। रस तन्मात्राज्जल महाभूतस्योत्पत्तिः उपनिशत्सु सांख्यादिदर्शने च कृता। शरीरं च द्रव्यात्मकं द्रवरूपम्। जलस्वरूप विवेकाय रसद्रव्ययोः स्वरूप विश्लेशणमपेक्षणीयम्। यथा–

आपो अस्मान्मातरः पुनन्तु.............।।[1]

ऋग्वेदस्यैकस्मिन् मन्त्रे जलस्य निम्नांकित स्वरूपं दर्शयति–

''मधुश्चुतः शुचयो या पावकास्ता आपः''[2]

1. मधुश्चुतः–माधुर्यादायकाः यैः अर्काः, आसवाः, सुराः, सोमरसादयाश्च रच्यन्ते।
2. शुचयः–दोशान् मलान् वा अपाकृत्य स्वच्छता प्रदायकाः।
3. पावकाः–दोशदाहकाः, शुद्धिप्रदायकाः, पवित्रताप्रदायकाश्च।

एतेशामपि भिन्नं अन्ये स्वरूपास्सन्ति जलस्य। वेदेशु जलस्य मानवीय स्वरूपं अपि दरी दृश्यते। स मानवीय स्वरूपं आदाय विविध प्रकारेण अस्माकं उपकार कर्ता दरीदृश्यते। स

शोधार्थी

चिकित्को भूत्वा अस्मान् गात्राणि शुन्धयति। स विविध रूपेशु अस्मान्कृते सुखस्यागार रूपे तथा च इतरेतर रूपेण ममोपकारं करोति। यथा–

सुखस्यागारः–

ऋग्वेदे जलं सुखस्यागार रूपं दृश्यते। सुखस्यागार रूपं तं जलं ऋशयः स्तुतवन्तः। यथा–

''आपो हिष्ठा मयोभुवः''[3]

ऊर्जा रूपेण जलम्–

अपां ऊर्जायाः स्वरूपं अपि जानन्ति ऋशयः ते जलेन कथयन्ति–

''तान ऊर्जे दधातन''[4]

जलस्य मानवीय स्वरूपं अपि दर्शयति। यथा मानवीय माता स्व पुत्रेशु वात्सल्यमयो भूत्वा स्व रसं पाययति तथैव जलमपि स्वरसेन अस्मान् पालयति। यथा–

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः।

उशतीरिव मातरः।।[5]

जल पापनाशकः–

जल पाप नाशको अपि अस्ति। जलस्य उपयोगेन शरीरगतं पापं नष्टं भवति। यथा–

तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथं।

आपो जनयथा च नः।।[6]

जल रोगनाशकः–

ऋग्वेद वर्णनमस्ति यत् जलं रोगनाशकं भूत्वा औशध रूपमस्ति। औशध रूपेण जलस्य स्तुतिं कुर्वन् ऋशिः स्तौति–

''आपो याचामि भेशजम्''[7]

मानवानामाश्रयदाता–

ऋग्वेदे वर्णनमस्ति यत् जलमेव जीवानां आश्रयदाता तथा च समस्त काम्य पदार्थानां आश्रयमस्ति। स्वामी अस्ति इत्यर्थः। यथा–

''ईशानां वार्याणाम्''[8]

अग्नेः निवास भूमिः–

सोमस्य कथनमस्ति यत् जले अग्नेः निवास भूमिः। अतः जल अग्नेः अपि आश्रय दाता रूपेण स्तुतः। यथा–

आपो अद्यान्वचारिशं रसेन समगसस्महि।
पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा।।[9]

जल पवित्रकर्ता–

जलं स्वयं पावनमस्ति अतः स्वयं पावनो भूत्वा सर्वेशां पावयिता भवति। जलं मातृ समो पोशको अपि अस्ति। घृतस्वरूपी जलं अस्माकं शरीरे बलं ददाति। वीर्यं च धारयति। जलं पापं प्रवाहयति अतः जले स्नात्वा वयं पाप रहितो भवामि। यथा–

विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति ....।।[10]

सोमस्य वोढारः–

ऋग्वेदे वर्णनमस्ति यत् यज्ञावसरे ऋशयः कथयन्ति अयं सोम रसः शीघ्रातिशीघ्र देवताः निमित्तं जलं प्रति गमनं करोतु। जलं इमं सोम रसं नीत्वा देवतां प्रति ददातु। यथा–

प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो,

अच्छा मनसो न प्रयुक्ति।

महीं मित्रस्य वरुणस्य घासिं,

पृथु जयसे रीरधा सुवृक्तिम्।।[11]

भौतिक जलम्–

ऋग्वेदे कथितमस्ति यत् जलयुक्तेशु समुद्रेशु गमनं कुरु। तत्र गत्वा अपान्नपात् देवं हव्यं ददातु। ते तुभ्यं श्रेष्ठ ऊर्म्ययः प्रयच्छिष्यन्ति। अतः तेभ्यः हविः अर्पितं कुरु। यथा–

अध्वर्यवो अप इता समुद्रमपां नपातं हविशा यजध्वम्।

स वो ददवूर्मिमद्यां सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोतु।।[12]

सोमस्य सहचरः–

ऋग्वेदे वर्णनमस्ति यतत् जलं सोमस्य सहचरमप्यस्ति। जलेन सह सोमस्य बलम् तीव्रं भवति। जलेन सोमस्य शुद्धीकरणमपि दरीदृश्यते। यथा–

याभिः सोमो मोदते हर्शते च कल्याणीभिर्न मर्यः।

ता अध्वर्यो अपो अच्छापरेहि यदासिंचा ओशधीभिः पुनीतत।।[13]

अग्रे अपि कथितम् सोमस्य विशये यत् यथा स्त्री पुंसयोः परस्परं अनुरागं भवति परस्परं नैसर्गिक आकर्शणमपि जायते तथैव सोमस्य अपि जलं प्रति स्वाभाविकी प्रीतिः जायते। यथा–

एवं द्यूने युवतयो नमन्तु यदीमुशन्त्युशतीरेत्यच्छ।

सं जानते मनसा सं चिकित्रे ऽध्वर्यवो धिशणासश्च देवीः।।[14]

धनप्रदाता–

ऋग्वेदे जलं धनप्रदाता रूपेण स्तुतः। ऋत्विजाः धन प्रदाता रूपेण कथयन्ति भो जल! त्वं अस्मान् धनप्रापकोऽसि अतः धनं प्रदेहि। यथा–

हिनोता नो अध्वरं देव यज्वा हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्।

ऋतस्य योगे विष्यध्वमूधः श्रष्टीवरीभूतानामस्मभ्यमापः।।[15]

धनस्य आश्रयदाता–

ऋग्वेदे उक्तमासीत यत् जल धनस्य आश्रयदाता वर्तते। अयं प्राणिनां हितसाधकोऽसि। यथा–

एमा अग्मत्रे वतीर्जीवधन्याः अध्वर्यवः सादयता सखायः।
निं बर्हिशि धत्तन सोम्यासो अपां नप्त्रा संविदानास एनाः।।[16]

धारा स्परूपः–

जल धारा रूपधारी अस्ति। सृष्ट्येः आदौ जल एकरूपमेवासीत् किंच कालावच्छिन्नात् स जलधाराभिः रूपं प्राप्नोत। समुद्रीय जलं खं गत्वा पर्वतेशु अपतत् ततः सप्तधारा स्वरूपधारी भूत्वा पुनः पृथिव्यां आगतवान्। यत्र जलप्रवाहो जायते तस्याभिधानं नद्याः इति जायते। तेशु नद्येशु जलमेव प्रवाहितो जायते। तस्याभिधान पृथकं–पृथकं अस्ति। यथा–

इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमं सचते परुष्ण्या।
असिक्न्या मरुद्वृधे विस्तस्तयार्जीकीये शुणुह्या सुशोमया।।[17]

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

पर्यावरण जागरूकता : शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध की भूमिका

डॉ. शिप्रा दुवे

भूमिका–

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ रहकर बालक को शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आश्रम या गुरूकुल जाते थे। प्रकृति पढ़ने एंव सीखने की प्रयोगशाला है। जिसके द्वारा छात्र प्रकृति से जुडे रहते थे, व प्रकृति का संरक्षण व महत्व समझते थे। प्राचीन काल में पर्वत, नदियों, पेड़–पौधों को देवता तुल्य माना जाता था। किन्तु आज आधुनिक युग में नगरीकरण बहुत अधिक बढ़ गया है। नगर में बढ़ता भौतिकतावाद और औद्योगिक प्रगति, जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुन्ध दोहन हो रहा है। मानवतावाद नैतिक गुणों का ह्रास हो रहा है। यहॉ पर्यावणीय शिक्षा का भी अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। पर्यावरण जागरूकता के लिए आवश्यक है कि छात्रों को प्रारम्भिक स्तर से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाय। इसका सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा है। यदि छात्रों को प्रकृति से जोड़ा जाय तो उसमें नैतिक गुणों का भी विकास होगा। विश्वस्तरीय वैज्ञानिक 'जगदीश चन्द्र बोस' को सर्वप्रथम मॉ ने बताया था कि पेड़–पौधे भी हमारी तरह सजीव हैं उन्हें भी सुख–दुख का आभास होता है। अतः पेंड़–पौधों को हानि नही पहुॅचाना चहिए। बचपन में माता के दिए इस पर्यावरणीय जागरूकता के संस्कार ने उन्हें विश्वविख्यात वनस्पति शास्त्र का वैज्ञानिक बना दिया।

बाल्यावस्था को कुम्हार की मिट्टी की संज्ञा दी गई है। बाल्यावस्था में दिया गया अच्छा ज्ञान जीवन भर याद रहता है। प्रारम्भिक शाला के बच्चों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता आसानी से लायी जा सकती है। क्योंकि बच्चों के कोई अपने निहित स्वार्थ नहीं होते हैं। आज के बच्चे ही कल के नागरिक होंगे, जो दूसरे को भी यह ज्ञान देंगे।

पर्यावरण जागरूकता–

पर्यावरण जागरूकता से संबंधित दो बातें हैं–

1. वैचारिक या सैद्धांतिक जागरूकता।
2. अनुप्रयोगात्मक या व्यवहारिक जागरूकता।

अतिथि व्याख्याता, बी.एड. विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

वैचारिक या सैद्धांतिक जागरूकता से अभिप्राय पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों, दुष्परिणामों एंव निवारण संबंधी उपायों की जानकारी के साथ–साथ विश्व मंच पर घटित होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के दूरगामी परिणामों के ज्ञान से होता है। जबकि अनुप्रयोगात्मक या व्यावहारिक जागरूकता से तात्पर्य सैद्धांतिक जागरूकता के क्रियात्मक पक्ष से है, जिससे उस ज्ञान का लाभ मानव समुदाय को क्रियाफल के रूप में मिल सके।

जागरूकता ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के विभिन्न घटकों का संरक्षण कर सकने वाली हो मानव ने प्रकृति के द्वारा ही अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाया है। जो भी सामाजिक अर्थिक, औद्योगिक योगदान हैं। वैचारिक जागरूकता केवल अच्छे विचार उत्पन्न कर सकती हैं। यह मानव को केवल ज्ञान देती है। सभी समस्याओं का हल खोजने को प्रेरित करती है। इसके द्वारा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है जो भूत, वर्तमान, भविष्य एवं जैव जगत के लिए लाभकारी होती है। इसके लिए दो आधारी पक्ष होते हैं–

1. मानव समाज के बहुमुखी विकास के लिए विविध विकल्पों पर विचार और अनुकूलतम विधि का चुनाव, ताकि विकास और जीवन गुणवत्ता में सामंजस्य रखा जा सके।

2. मानव – प्रकृति के रिश्ते में संतुलन, जो जीवमण्डल की कुशलता का आधार हैं।

जीवन को लम्बा सुखमय बनाये रखने के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्धारण और जीवन पद्धति के मूल्यों को प्रकृतिपरक बनाना जागरूकता का मुख्य लक्ष्य हैं।

अतः जागरूकता ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरणीय विकृतियों (प्रदूषण, सामाजिक कुव्यवस्था, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग आदि) को कम करने या नियंत्रित करने में सहायक हो। इसके लिए पर्यावरण मूल्यांकन, वैज्ञानिक, बौद्धिक समायोजन, राजनीतिक–प्रशासनिक सहयोग, सामाजिक नवचेतना आवश्यक हैं। यह सब शिक्षा–प्रशिक्षण व्यवस्था और उपयुक्त तकनीकी विकास से सम्भव है। जिससे की प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन व संरक्षण किया जा सके।

इस प्रकार पर्यावरण जागरूकता एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिससे जनसाधारण को स्वतः पर्यावरणीय संरक्षण से जोड़ा जा सके। पर्यावरणीय जागरूकता मानवीय क्रिया–कलापों के नियम से लेकर पर्यावरण के तत्वों की स्वाभाविक गुणवत्ता की बहाली तक विस्तृत रूप है। पर्यावरण जागरूकता इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे वर्तमान संकटों से उबरने में मदद मिले एवं विकास की गति बनी रहे तथा प्राकृतिक संसाधनों को भी हानि न पहुँचे।

पर्यावरणीय शिक्षा :–

पर्यावरणीय शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान ढूंढ़ने और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की रोक–थाम के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग ढूँढ़ा जा सकता है और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सकता है।

पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से पर्यावरण संबंधी विषयों को सरल और सुलभ ढ़ंग से जन–जन तक पहुंचाया जा सके, और उन्हे पूरा–पूरा ज्ञात प्रदान हो सके।

पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता हालांकि मनुष्य के लिये जन्मजात आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता परिस्थितिजन्य अधिक है। पर्यावरणीय कठिनाइयाँ जो पर्यावरण के अवनयन से उत्पन्न हुई है, जीवन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी है। जाने–अनजाने पर्यावरण की उपेक्षा से जीवनदायी तत्व जैसे जल, वायु, मृदा, वनस्पति आदि नष्ट या प्रदूषित हो रहे है। अनेक बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक विपदा आदि को बढ़ावा मिल रहा है जीवन कष्टमय बन बन रहा है।

पर्यावरण शिक्षा का इतिहास 19 वीं शताब्दी के आरम्भ से शुरू होता है। 'द आउटलुक टावर' नामक संस्था की नींव रखने वाली महिला पैट्रिक गेटिस का विचार था कि पर्यावरण की शिक्षा मानव–जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। उक्त संस्था ने अपने सीमित साधनों के रहते पर्यावरण की वास्तविकता और उसके महत्व से स्कूली बच्चों की वास्तविकता और उसके महत्व से स्कूली बच्चों को पहली बार जोड़ने का प्रयास किया था संस्था के सदस्यों ने जोर दिया था पाठ्यक्रम में पर्यावरण को एक विषय के रूप में जोड़कर शिक्षा की प्रचलित व्यवस्था में सुधार लाया जाए। छात्रों को पर्यावरण के प्रति सचेत कराया जाए। जिससे कि वे वातावरण की स्वच्छता के प्रति सचेत होकर अपने जीवन को स्वस्थ व सुखी बना सकेंगे। इस प्रकार आगे चलकर रूसो, ड्यूटी तथा एडम्स आदि ने भी शिक्षा–प्रणाली से वातावरण की शुद्धता को संबंधित करने का विचार व्यक्त किया।

जार्ज पार्किन मार्श ने एक पुस्तक प्रकाशित करायी जिसका शीर्षक था, ''**मैन एंड नेचर**'' पहली बार इस पुस्तक के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। मार्श का विचार था कि प्रकृति के पास जितने साधन हैं, यदि उनकी लूट–खसोट इसी प्रकार होती रही तो एक–न–एक दिन वे समाप्त हो जायेंगे। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जायेगा व मनुष्य भी नष्ट हो जायेगा। 'अमेरिका के रूजवैल्ट' ने भी इसी प्रकार की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था– प्रकृति सुरक्षा की ओर अगर तुरंत ध्यान न दिया गया तो भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो जायेंगी। अमेरिका के कीले विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया तथा इसे पढ़ना जरूरी कर दिया गया।

विश्वव्यापी स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के कार्य रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में संगोष्ठी की गई। जिसका विषय था ''मानव और पर्यावरण'' इसमें 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण–संतुलन की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई तथा पर्यावरण जागरूकता एवं शिक्षा पर बल दिया गया। इस संगोष्ठी से प्रेरित होकर यूनस्कों (UNESCO) ने यू.एन. इ.पी. (United Nations Environmental Programme) के सहयोग से 1975 में एक

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम (IEEP) प्रारंभ किया। फलस्वरूप 1975 में एक संगोष्ठी बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में आयोजित की गई। जिसका नाम था ''अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्य गोष्ठी।'' इस गोष्ठी की उपलब्धियों को बेलग्रेड घोषणा पत्र कहा गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता को दर्शाते हुए उसके कार्यक्रम और मार्ग तय किये गये।

बेलग्रेड सम्मेलन में ''पर्यावरण का घोषण पत्र 1975'' जारी किया गया। इस घोषणा–पत्र में चार प्रमुख बातों पर जोर दिया गया– (1) पर्यावरण की स्थिति (2) पर्यावरण का उद्देश्य (3) पर्यावरण के शैक्षिक उद्देश्य (4) पर्यावरण–शिक्षा का लक्ष्य के सहयोग से आयोजित की गई। 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

भारत सरकार द्वारा 'पर्यावरण शिक्षा' की महत्ता स्वीकार करने के फलस्वरूप राज्य सरकारों को अपने–अपने राज्यों में प्रभावी रूप से पर्यावरण शिक्षा दिए जाने के निर्देश दिये गये। इसके द्वारा मानवीय क्रिया–कलापों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अध्ययन एवं विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्य के कर्मचारियों, अफसरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों को कार्यक्रम उपलब्ध कराकर पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाता है।

पर्यावरण प्रशिक्षण में उन विधाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे पर्यावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उदाहरण के लिए जल प्रबंध, वृक्षारोपण, प्रदूषण निदान, मलमूत्र परिशोधन, औद्योगिक निष्पादन–परिशोधन, याताचात नियंत्रण सूचना जैसे कार्य प्रशिक्षण जिसके द्वारा उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह पर्यावरण हानि पहुंचाए बिना उद्योग संचालित किए जाए। इसी प्रकार अनेक अनौपचारिक शिक्षा तथा संचार माध्यमों से पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, नगरों का गन्दा जल, कारखानों व ताप बिजली घरों की चिमनियों से निकलते धुएं परिवहन के साधनों से निकलने वाली विषैली गैसें इन सभी में कमी करने की आवश्यकता है। इन सभी के लिए अनेक उपाय ढूँढ़ने होगे। इसके लिए विभिन्न संस्थायें उत्साहपूर्वक शोध कार्य कर रही है।

मानव विकास से जुड़ी अनेक योजनाएं जैसे बांध निर्माण, शक्ति उत्पादन, कारखाने की स्थापना इन सभी का इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जए कि उनका पर्यावरण पर क्या कुप्रभाव पड़ सकता है। ऐसी लाभ–दिशा का मूल्यांकन शोध से सम्भव है। अनेक देशों में पर्यावरण सूचनातंत्र (Environmental Information system E.I.S.) का गठन पर्यावरण संबंधित अनेक आंकड़ों सूचनाओं के संकल्प, गणना व प्रसारण के लिए किया गया है। इसमें विभिन्न स्वयं सेवी संगठन भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

पर्यावरण शिक्षा में स्कूली बच्चों की शिक्षा आवश्यक होती है। स्कूली बच्चे बचपन से ही यदि पर्यावरण के प्रति सचेत हो जायें तथा अपने दायित्वों को समझे तो भविष्य में पर्यावरण हानि की सम्भावना घट सकती है। भारत में NCERT (नेशनल कौन्सिल फार एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) ने पर्यावरण शिक्षण का पाठ्यक्रम व पुस्तकें तैयार की है। यह शिक्षण प्रारंभिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रचारित होता है। इसी प्रकार बी.एड. एवं एम.एड. जो कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण है। इसके पाठ्यक्रम में ''पर्यावरणीय शिक्षा'' एक विषय के रूप में रखा गया है जो भावी शिक्षकों को पर्यावरण की पूर्ण जानकारी व जागरूकता देती है, जिससे शिक्षक अपने छात्रों को पर्यावरण की जानकारी दे सके। म.प्र. में सभी महाविद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा अनिवार्य है।

पर्यावरण शोध प्रकृति के रहस्य भेदन का एक मात्र मार्ग है। शोध के द्वारा नई जानकारियाँ प्राप्त होती है जिससे पर्यावरण प्रबंन्धन व जागरूकता का मार्ग प्रशस्त होता है। पर्यावरण शोध से ही ओजोन परत के क्षरण व कार्बनडाइआक्साइड की वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का पता चला है। पर्यावरण समस्याओं की व्यापकता को देखते हुए शोध और अनुसंधान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे आंकड़ों और सूचनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से आदान–प्रदान किया जा रहा है। इससे शोध कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे आंकड़ों के संग्रह की अनेक उत्कृष्ट विधियां विकसित की गई है।

वर्तमान समय में दूरस्थ सम्वेदन तकनीक (Remote sensing Technique) से ऑकड़ों को स्वचलित ढ़ंग से प्राप्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर में इन आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा है। यह तकनीक अनुसंध ाान और शोध में बहुत मदद कर रही है। भारत में दूरस्थ सम्वेदन तकनीक की सुविधा हैदराबाद लखनऊ, देहरादून आदि में है। शोध एवं अनुसंधान के द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता का अधिक विकास किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आधुनिक संदर्भ में यह दायित्व शासन का समझाा जाता है। जो उचित नहीं है। वास्तव में पर्यावरणीय शिक्षा का दायित्व समूह समाज का है। दिन प्रतिदिन बढ़ती प्रकृति को कम करने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्य अधिक आवश्यक है।

अतः पर्यावरणीय जागरूकता के लिए उचित स्तर पर पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण चलाना चाहिए। यह केवल छात्रों के लिए नही अपितु पूरे समाज के लिए हो जिससे हर व्यक्ति जुड़ सके। पर्यावरणीय जागरूकता में शोध कार्य का भी विशेष महत्व है। जिसेक द्वारा वास्तविक समस्याओं का बोध हो सके।

संदर्भ :–

1. कुमार अमित पर्यावरण अध्ययन–विश्वभारती पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. शर्मा प्रो. धनन्जय शर्मा।
3. विराट डॉ0 सुजाता – पर्यावरण शिक्षा तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. गुर्जर राजकुमार – पर्यावरणीय समस्यायें – पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर।
5. शर्मा बी.डी., पर्यावरण शिक्षा नई दिल्ली आमेगा पब्लिकेशन।
6. रानी पर्यावरण अध्ययन–आगरा आराधना प्रकाशन।
7. शर्मा आर. ए. पर्यावरण शिक्षा आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
8. श्रीवास्तव बी.के. राव बी.पी., पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वसुन्धरा प्रकाशन।
9. अग्रवाल, डॉ. गिरिजा शरण, डॉ. अग्रवाल मीना, पर्यावरण बुक्स प्रकाशन।

ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA Vol.-II

Comming in APRIL, 2015

A National Registered Research Journal

Quaterly Bilingual (English/Hindi)

We are provide a plateform for the publication at original unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Thesis and Book.

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact in Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

'उर्वशी काव्य में ईश्वर (ब्रह्म) दर्शन'

डॉ0 (श्रीमती) बृजलाली पटेल

सृष्टि निर्माण से अब तक ईश्वर दर्शन पर विचार–विमर्श होता चला आ रहा है। ईश्वर की स्थिति क्या है यह अनुमान करना दुष्कर है। ईश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष है। इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिये ऋषियों, मुनियों और महात्माओं ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। ईश्वर विश्व का मूल तत्व है। वह निर्गुण, अव्यक्त, अनिन्त्य, निराकार तथा अनिवर्चनीय हैं। यही ब्रह्म सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहारक है। साहित्य के इतिहास में ईश्वर दर्शन में सगुण और निर्गुण दो धारायें बहा दी है। संत कबीर ने ईश्वरीय सत्ता को निर्गुणोपासना के लिये बताया लेकिन इसकी दुरूहता को देखकर सूर–तुलसी ने सगुणोंपासना के नीर की धार में अपनी भक्ति साधना की नांव बहाई। किसी ने ईश्वर को परमब्रह्म (निराकार) बताया तो किसी ने सगुणोंपासना के सरल मार्ग को प्रशस्त किया इत्यादि–इत्यादि।

वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि से लेकर आज तक जितनी गतिविधियां हैं उसमें किसी न किसी ऐसी शक्ति का हाथ है जिसके माध्यम से मानवीय जगत गतिशील है। इसी कड़ी में दिनकर जी ने 'उर्वशी' काव्य के माध्यम से 'ईश्वर' को सर्वशक्तिमान और सृष्टि का सृष्टा माना है। प्रकृति नाम से व्याप्त सभी उपादान किसी न किसी परमशक्ति के आदेशानुसार कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कर्ता नहीं माना जा सकता–

''यही सब उनकी कृपा, सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है।
झुके हुए हम धनुष मात्र है, तनी हुई ज्या पर से।
किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं।''1

इस धरती पर जो कुछ है सब कुछ परमसत्ता का रूप है। यहां न तो कोई पुरूष है न नारी, बल्कि एक ही सत्ता के प्रतिमान है –

''वह निरभ्र आकाश, जहां की निर्विकल्प सुषमा में,
न तो पुरूष मैं पुरूष, न तुम नारी केवल नारी हो,
दोनों है प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के,
देह बुद्धि से परे, नहीं जो नर अथवा नारी है।''2

ईश्वरीय सत्ता सर्वव्यापी है प्रकृति के कण–कण में ईश्वरीय शक्ति निहित है। अंतर इतना ही है कि वह अदृश्य है। उसका दृश्य रूप हम प्रकृति में ही देख सकते हैं –

प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), शा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म0 प्र0)

''ईश्वरीय जग भिन्न नहीं है इस गोचर जगती से,
इसी अपावन में अदृश्य वह पावन सना हुआ है।''3

प्रकृति ईश्वरीय सत्ता के लिये सहायक है –

''भ्रांति नहीं अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं,
शत्रु प्रकृति का नहीं, न उसका प्रतियोगी प्रतिबल है।
किसने कहा तुम्हें, परमेश्वर और प्रकृति, ये दोनों
साथ नहीं रहते, जिसको भी ईश्वर तक जाना है।''4

दिनकर जी ने 'उर्वशी' काव्य के माध्यम से मनुष्य को सौंदर्य से ऊपर उठाने का प्रयास किया है –

''ये किरणों, ये फूल, किन्तु अन्तिम सोपान नहीं है
उठना होगा बहुत दूर ऊपर इनके तोरों पर,
स्यात् ऊर्ध्व उस अम्बर तक जिसकी ऊँचाई पर से
यह मृतिका–बिहार दिव्य किरणों का हीन लगेगा।''5

दिनकर जी के अनुसार प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य मानव का अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसे तो इन किरणों रूपी तारों का सहारा लेकर बहुत ऊँचे उठना होगा, जहां प्रतीत होने वाला सौंदर्य तुच्छ जान पड़ेगा। तात्पर्य यह कि इन सबों के ऊपर एक निराकार परमब्रह्म परमेश्वर है। मनुष्य के इस द्वन्द का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता या ऐन्द्रियता से निकल कर अतीन्द्रिय जगत में आंख खोजने की इस उमंग का प्रतीत पुरूरवा है।

उर्वशी के पात्र पुरूरवा के द्वारा उस असीमसत्ता को सर्वशक्तिमान और उच्चतम कोटि में वर्णन किया गया है। पुरूरवा का कथन है कि हमें अपने सुख को उस अदृश्य सत्ता के चरणों पर अर्पित कर देना चाहिये जिसकी इच्छा से फैलाव रूप मे ये सारी पृथ्वी, आकाश, पाताल दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र इसी असीम सत्ता के क्रीड़ा कंदुक है तथा उद्वेलक उत्पन्न करता है –

''जिसकी इच्छा का प्रसाद भूतल, पाताल गगन है,
दौड़ रहे नभ में कन्दुक जिसकी लीला के
अगणित सविता–सोम, अपरिमित ग्रह, उडु मंडल बनकर,
नारी बन जो स्वयं पुरूष को उद्वेलित करता है
और बेधता पुरूष क्रांति बन हृदय पुष्प नारी का।''6

परमसत्ता का एक विशिष्ट गुण है रहस्य। वही रहस्य ईश्वर है आदि से अनंत तक सभी उस असीमसत्ता को स्वीकार करते हैं। चूंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है इसीलिये रहस्य का जन्म होता है। मानव का स्वभाव है कि उसे जहां पर कोई रहस्य छिपा दिखाई देता है, वह वहीं जाता है और उस रहस्य का संधान करने का प्रयत्न करता है। यदि सीधे शब्दों में हम यूं कहें कि वही रहस्य ईश्वर है तो मिथ्या नहीं –

''और जहां भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का,
वहीं निरापद बिन्दु मनुज–मन का आश्रय शीतल है।
सघन कुंज, गोधूलि, चांदनी, ये यदि नहीं रहे तो
दिन की खुली धूप में कब तक जीवन चल सकता है।''7

दिनकर जी ने उर्वशी को 'ब्रह्म' के रूप में माना है। उर्वशी अपने को प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में विद्यमान बताती हुई पुरूरवा से कहती है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरी सत्ता नहीं था –

''कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था ?
कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ?
कौन पुरूष, जिसकी समाधि में मेरी झलक नहीं है ?
कौन त्रिया, मैं नहीं राजती हूं, जिसके यौवन में ?
कौन लोक कौंधती नहीं मेरी हृादिनी जहां पर ?
कौन मेघ, जिसको न सेज मैं अपनी बना चुकी हूं ?
कहूं कौन सी बात और रहने दूं कथा कहां की ?
मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण–कथा है,
उसी भांति निस्सीम, असीमित, जैसे स्वयं प्रकृति है।''8

यहां पर उर्वशी अपने को अलौकिक रूप में प्रस्तुत कर रही है यदि यहां सूफी सम्प्रदाय का प्रभाव कहा जाये तो असत्य न होगा। पद्मावत में जिस प्रकार पद्मावती ब्रम्ह का प्रतीक है और उसकी परछाई प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में पड़ रही है, उसी प्रकार यहां पर उर्वशी भी ब्रह्म के प्रतीक के रूप में जा रही है और पुरूरवा भी उर्वशी को योग्य परमतत्व तक जाने का प्रयास कर रहा है।

संभवतः दिनकर जी की मूल भावना यही है कि भोग से योग तक ''नर–नारी का प्रेम शरीर के धरातल पर ही नहीं होता, वह इन्द्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल पर स्पर्श करता है, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। प्रेम में भूत से ऊपर उठकर भूतोत्तर होने की शक्ति होती, रूप के भीतर डूबकर अरूप का संधान करने की प्रेरणा होती है।''9

उपर्युक्त कथन की झलक उर्वश्याी काव्य में मिलता है –

''सदा छांह में पली, प्रेम यह भोग–निरत प्रेमी का,
पर, योगी का प्रेम धूप से छाया में आना है।''10

निरन्तर भोग–विलास में मग्न रहने वाला प्रेमी केवल शीतल छाया का लोभी होता है, वह संयम की धूप की प्रखरता से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। इसके विपरीत एक योगी का प्रेम संयम रूपी धूप की प्रखरता से निकलकर इन्द्रिय सुख की शीतल छाया में आ जाने की तरह से है। यहां पर हम देखते हैं कि कवि दिनकर जी ने चित्रलेखा के माध्यम से योग और भोग के माध्यम एक आदर्श समन्वय स्थापित किया है, यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक ही वस्तु का अधिक दिन तक उपयोग उसके प्रति अनिच्छा का कारण बनता

है। जैसे आवश्यकता से अधिक उदर–पोषण अजीर्ण बन जाता है वही स्थिति भोग से योग तक की भी कही जा सकती है। भोग की अधिकतम उच्चतम सीमा उसको योग का रास्ता दिखाती है लेकिन समस्या आधुनिक युग में प्रत्यक्ष चिंतन का है। चिंतन में जो प्रत्यक्ष है हम उसी को विशेष रूप से समझते हैं। उर्वशी काव्य में वर्णित भोग, प्रेमालाप आदि को देखकर सहज रूप से हमारा चिंतन योग की ओर नहीं जाता। जब हम भोग और योग पर गहन चिंतन करते हैं तभी समझ पाते हैं कि भोग में भी एक परमब्रह्म का योग निहित है।

सम्भवतः अनभिज्ञता के आधार पर गहन–चिंतन के अभाव में उर्वशी में वर्णित प्रेमालाप को हम एक दूसरी संज्ञा दे बैठते हैं। अतीत की ओर यदि हम झांके तो कबीर ने भी कहा है –

''हरि मेरा पीव, मैं राम की बहुरिया।''

यह सारा ब्रह्मांड उस ईश्वर की रंगस्थली है और अनेक रूपों से यहां अपनी लीला दिखलाता है –

''उस अदृश्य के पद पर, जिसकी दयासिक्त मृदु स्मृति में,
हम दोनों घूमते और क्रीड़ा–विहार करते हैं।
– – – –
निधि में जल, बन में हरीतिमा जिसका धनावरण है,
रक्त–मांस–विग्रह भंगुर ये उसी विभा के पट है।''11

सृष्टि का कर्ता तथा संचालक होने के साथ ही साथ वह सर्व व्यापक भी है –

''इसी अपावन में अदृश्य वह पावन सना हुआ है।''12

इस प्रकार ''उर्वशी'' काव्य में कवि दिनकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सहज–साधना से ही पुरूष उस परमसत्ता (ईश्वर) तक पहुंच सकता है। उसे किसी भी प्रकार के सायास योग की अपेक्षा नहीं है –

''स्यात् योग सायास उपेक्षा भर है इस स्वीकृति की,
हम निसर्ग के बन्द कपाटों को न खोल सकते हैं,
स्यात्, साधनायें प्रयास हैं थकी हुई प्रज्ञा को
अन्वेषण में, किसी भांति–भी, निरत किए रहने का।''13

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 34
2. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 48
3. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 60
4. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 60
5. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 47
6. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 56
7. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 72

8. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 73
9. दिनकर, सृष्टि और दृष्टि, डॉ0 छोटेलाल दीक्षित, पृ0 127
10. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 83
11. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 56
12. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 60
13. उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पृ0 69

Shodh Chetna (1) January, 2015
ISSN : 2350-0441

देह में प्राण का मूल तत्व लोक साहित्य : एक अवलोकन

डॉ. अमित शुक्ल

लोक साहित्य का भारतीय संस्कृति में वही स्थान है जो देह में प्राण का, उसी से जन–जीवन स्पंदन एवं निरंतर गतिशील रहा है। लोक साहित्य सहायक नदियों की तरह है जो अपने कूल किनारे के गीत, कथा, कहावत, विश्वास, मान्यताओं और विपुल शब्द संपदा से राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्ध करता आया है। वास्तव में, कठिनाइयों में भी मुस्कुराने और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति जन–जीवन ने लोक साहित्य से पायी है। लोक साहित्य में बदलते परिवेश के साथ अपने आपको बदलने, नित्य नवीन रूप में आगे बढ़ने की अपूर्व क्षमता है। चिरंतन इसलिये है कि वर्तमान पर उसकी मजबूती से पकड़ है और जिसकी वर्तमान पर पकड़ है, वह जब डमरू की तरह हाँथ हिलाता है तो तो उससे भूत और भविष्य दोनों बनने लगते हैं। वह एक हाथ से अतीत के उद्‌गम से जुड़ा है और दूसरे हाँथ से भविष्य के समुद्र में जा मिलता है। इसलिये वह वर्तमान में निरंतर गतिशील, चिरनूतन और सनातन है। देखा जाय तो लोकासाहित्य आजीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के चित्र खींचता है, वह लोक संस्कृति का फोटोग्राफर भी है जो उसकी विभिन्न भंगिमाओं को उजागर करता है तथा जिसमें प्रकृति व जन–जीवन के समस्त पक्षों की झांकी देखने को मिलती है। मुहावरों और लोकोक्तियों से वह साहित्य का सृजन करता है जो कि मर्मस्पर्शी व सजीव होती है। लोक साहित्य में निष्कपट हृदय की जो भावनायें मुखरित हैं उनमें सच्चाई अनुभूति की गहराई एवं सामयिकता का यथार्थ शायद अभिजात वर्गीय कवियों तथा लेखकों की अलंकृत वाणी में देखने को नहीं मिलता, हर देश हर जाति की भाषा का अपना एक लोक साहित्य होता है जो जनमानस की अभिव्यक्ति होता है। वह जनवाणी व लोकवाणी है यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि समूह की वाणी है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लोक साहित्य से ही किसी देश की सभ्यता को जाना जा सकता है, क्योंकि वह मानव की भावना से जुड़ा साहित्य है। यह मानव के हृदय में लिपटा रहता है जो कृत्रिमता से कोसों दूर रहता है। इसमें मानवता की झलक, आत्मीयता को सहज ही देखा जा सकता है। 21वीं शदी के भूमण्डलीकरण के इस युग में लोक साहित्य का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि यही दूर होते रिश्तों को जोड़ने का कार्य कर सकता है। लोक साहित्य में लोकगीतों, लोकगाथाओं, लोककहावतों, लोकनाट्यों

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो.नं. 09425424234

में मानवता की झलक स्पष्ट दृष्टिगत होती है, क्योंकि यह लोक का, लोकमानस का और लोक सोच का एवं उसके मन का दर्पण होता है। यह धरती मानव हृदय के लिये अनुभवों और अनुभूतियों की पाठशाला है। मानव ने जब पहली बार इस धरती पर आँख खोली तो उसे पीठ पर हल्की सी थपकी और कानों में लोरी की मिठास का अनुभव हुआ। उसकी मधुर मुस्कान और किलकारी से माँ निढाल हो गई। इस प्रकार अनुभूतियों के रहस्यमय, सरस एवं रोमांचक वातावरण ने मानव के जीवन को इन्द्रधनुषी रंग दे दिये, इससे लोकमानस कभी गाने लगा, कभी थिरकने लगा और कभी पुलकित होकर गंगोत्री बन गया। उसके उद्‌गार लोककथाओं की सरिता बन गये। उसकी वाणी से ऐसा आकर्षण और जादू समा गया कि लोक के लिये शब्द कहावतें बन गई। उसकी भाषा में मुहावरे जुड़ गये और लोक साहित्य के लिये भावभूमि तैयार हो गई जहाँ विभिन्न विधाओं के माध्यम से मानव की अनुभूतियाँ अभिव्यक्ति का रूप लेने लगीं। लोक साहित्य मानव के हृदय में समाये हुये भावों को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त देता है। इसमें क्षेत्र विशेष की आत्मा बोलती है। मानव के संस्कार और जीवन का चिरंतन सत्य बोलता है, यहाँ संस्कृति रूपायित होती है। कहावतों और मुहावरों में भी लोक को वाणी मिलती है, अनुभवों का संसार सामने आता है। मानव के व्यवहार, उसके आचार–विचार, उसके आचरण और जीवन दृष्टि के चित्र साकार होते हैं। लोक के आदर्श उसके जीवन की आधारभूत मान्यतायें, कहावतों और मुहावरों में संचित होती है। ये मानवीय व्यवहार के विभिन्न रूप संवेदनाओं का विचित्र संसार, जीवन की हरियाली, मरण की उदासी, संघर्षों से जुड़ा जीवन, देखा हुआ समय भोगा हुआ यथार्थ, भविष्य की आशा, मन की व्यथा, रिश्तों की मिठास और बदलने या टूटने का दर्द सब कुछ रूपायित होता है। सत्ता और सेवा के दृश्य, मानव मन मानवेतर जगत का तारतम्य, मन की उड़ान, कल्पना की डोर और सबसे बड़ी बात यह है एक अज्ञात रहस्य लोक की अनुभूति। यहीं जन्म मिलता है कहावत को और उपजता है मुहावरा व कंठ से फूट पड़ता है जीवन का संगीत। 21वीं सदी के भू–मण्डलीकरण के इस दौर में मूल्यहीनता, निराशा, हिंसा, आतंक ने जहाँ मानव में एक भय उत्पन्न कर दूरियाँ बढ़ा दी हैं ऐसे समय में लोकसाहित्य के माध्यम से मानव मूल्यों और संवेदनाओं को समाज में बनाये रखना एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि लोक साहित्य में मानवीय सरोकारों के प्रति गहरी आस्था दृष्टिगत होती है। इनमें हृदय के वास्तविक उद्‌गार प्रस्फुटित होते हैं। ये किसी देश–परदेश अथवा क्षेत्र की सभ्यता संस्कृति और रीति–रिवाजों का मुँह बोलता साक्ष्य है। इसमें यथार्थ और आदर्श का सुन्दर समन्वय मिलता है जो साहित्य मानव जीवन के केवल एक पक्ष का वर्णन उपस्थित करता है। वह सच्चा साहित्य नहीं कहा जा सकता है। जिस साहित्य में जन–जीवन की आशा निराशा सुखःदुख हर्ष–विषाद आदि सभी भावनाओं का चित्रण हो वही सच्चा अमर और लोकप्रतिनिधि साहित्य है, जिसकी झलक लोक साहित्य में मिलती है। लोक साहित्य उस निर्मल दर्पण के समान है जिसमें मानव का अखिल तथा विराट स्वरूप पूर्णरूपेण प्रतिबिंबित होता है। लोक साहित्य की निर्मल निर्झरणी में अवगाहन

कर केवल शरीर ही पवित्र नहीं होता प्रत्युत आत्मा भी पावन बन जाती है। भारत वर्ष के प्रत्येक जनपद का अपना लोक साहित्य रहा है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली, अवधी, मालवी, निमाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, काश्मीरी, मलयाली, कन्नड़, बंगला, ओड़िया, संथाली, मुंडारी आदि अनेक प्रकार के लोक साहित्य प्रचलित हैं। लोकभाषाओं में राष्ट्रभक्ति, प्रेम विरह, पाप–पुण्य, संयुक्त परिवार के चित्र, सास–बहू, ननद–भाभी, देवर–भाभी, भाई–भाई संबंध एवं प्रेम वैमनस्य, बंन्ध्या का विलाप, कुँआरी लड़की की व्यथा–कथा, कन्यादान, बेटी की विदाई, वियोगिनी की दशा, बारहमासा, छमासा, चौमासा, विवाह के प्रसंग, देवी–देवताओं के गीत आदि की मर्मस्पर्शी अभिव्यंजना हुई है। इस प्रकार लोक साहित्य की प्रत्येक विधा में जीवन पूर्णतः प्रतिबिम्बित होता है अंतर्निहित होता है। विभिन्न अंचलों के लोक साहित्य अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं।

निष्कर्ष यह है कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का फोटोग्राफर है जो उसकी विभिन्न भंगिमाओं को उजागर करता है तथा जिसमें हमें प्रकृति व जन जीवन के समस्त पक्षों की झांकी देखने को मिलती है पर आज के भूमंडलीकरण के इस दौर के कोलाहल पूर्ण औद्योगिक प्रगति के युग में मानव प्रकृति के सम्पर्क में रहकर भी उसके शाश्वत सौंदर्य के अवलोकन और अनुभूति से वंचित है। मानव की संवेदनशील भावनायें आज अशक्त होती जा रही हैं देखा जाए तो आज पाश्चात्य सभ्यता और तथाकथित आधुनिकता के मोह में हमारी सोच अभिव्यक्ति और भाषा का सहज स्वरूप प्रदूषित हो गया है। कहावतें, मुहावरे और यहां तक कि इस विरासत से जुड़ी सटीक शब्दावली भी लुप्त हो रही है, लोकसाहित्य उपेक्षित हो रहा है हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और धरती के मूल संस्कारों से वंचित हो रहे हैं। अतः अपनी जड़ों और संस्कृति को जोड़े रखने के लिए लोकसाहित्य और उसकी विधाओं के संरक्षण करने की अत्यंत आवश्यकता है, तभी हम लोक साहित्य के अस्तित्व को समाज में कायम रख पायेंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति विशेषांक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सन् 1995, पृ.–25,127, 141, 152
2. सार संक्षेपिका एवं कार्यवाही विवरण कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई– पृ. – 20,22,35।
3. डॉ. अमित शुक्ल का लेख, विन्ध्य वैभव पत्रिका अंक तृतीय 2009 प्रकाशक : श्रीराम विन्ध्य विकास समिति रीवा पृ.–14, 15, 45, 46।
4. बघेलखण्ड की लोक कलायें दशा व दिशा डॉ. अमित शुक्ल का लेख छायानट लखनऊ, उत्तरप्रदेश से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका अंक–132 2012 पृ.–61,53
5. लोक साहित्य की संवेदना भूमि, डॉ. अमित शुक्ल का प्रकाशित लेख, शोध संक्षेपिका, सेमिनार 23–24 अक्टूबर 2010 शासकीय महाराजा कॉलेज छतरपुर, पृ 21